वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2014-15

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

मो./डाकघर- ज्ञागृति विहार, बुर्ला

संबलपुर-768020 (ओड़िशा)

Website : www.mcl.gov.in

'संकल्पना'

"खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए

विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना"

'लक्ष्य'

सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना।

गत दस वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें

	विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कोयला उत्पादन	एमटी	66.08	69.61	80.00	88.01	96.34	104.08	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38
2.	कोयले का प्रेषण	एमटी	66.29	68.22	76.42	83.63	91.28	98.13	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00
3.	कोयले का विक्रय(सकल)	₹ करोड़	3,578.98	3,945.13	4,507.52	5,291.07	6,487.55	7,466.56	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	15,693.71
4.	पीबीटी	₹ करोड़	1,469.36	1,837.21	2,081.39	2,504.79	2,600.91	2,950.58	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24
5.	पीएटी	₹ करोड़	927.18	1,256.29	1,368.45	1,643.04	1,718.03	1,946.69	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10
6.	लाभांश	₹ करोड़	405.20	504.00	550.50	1,000.00	1,040.00	1,169.00	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82
7.	निवल स्थिर परिसंपत्तियॉ	₹ करोड़	1,184.60	1,226.00	1,313.14	1,298.08	1,364.10	1,589.69	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48
8.	निवल मूल्य	₹ करोड़	2,804.71	3,484.16	4,223.41	4,686.72	5,188.00	5,769.60	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57
9.	दीघ अवधि ऋण	₹ करोड़	204.07	186.71	170.06	157.29	183.97	150.79	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90
10.	नियोजित पूँजी	₹ करोड़	2,462.18	3,117.70	3,836.51	4,381.96	4,853.15	5,305.38	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55
11.	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	0.38	0.40	0.36	0.37	0.35	0.37	0.22	0.26	0.26	0.25	0.23
12.	मूल्य योग	₹ करोड़	2,521.97	2,751.02	3,314.95	3,957.52	4,988.95	5,594.64	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46
13.	प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14.	प्रति शेयर बूक वैल्यु		15,046.65	18,691.76	22,657.67	25,143.23	27,832.48	30,952.64	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18
15.	प्रति शेयर लाभांश	₹	2,173.81	2,703.85	2,953.31	5,364.78	5,579.37	6,271.43	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52
16.	प्रति शेयर कमाई	₹	4,974.14	6,739.74	7,341.44	8,814.57	9,216.84	10,443.57	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97
17.	इक्यूटी शेयरों की संख्या	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	
2.	नोटिस	
3.	अध्यक्ष का अभिभाषण	
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	
5.	लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रिपोर्ट	
6.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
7.	कॉर्पोरेट शासन प्रतिवेदन	
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	
9.	भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकर की टिप्पणी	
10.	समझोते ज्ञापन मानदंडों के आधार पर कार्य निष्पादन प्रतिवेदन	
11.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	
12.	लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का जवाब	
13.	31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष का तुलना पत्र	
14.	31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण	
15.	तुलना पत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	
16.	नगद प्रवाह का विवरण	
17.	एमसीएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की समेकित लेखा	

वर्तमान प्रबंधन

(08.07.2015 को)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	**श्री ए .एन .सहाय**
कार्यकारी निदेशक	:	**श्री ए. के.तिवारी** **निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)**
		श्री जे.पी.सिंह **निदेशक(तक./यो.एवं परियो.)**
		श्री पी.सी.पाणिग्राही **निदेशक (कार्मिक)**
		श्री के.के.परिडा **निदेशक (वित्त)**
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	**श्री जसमीत सिंह बिंद्रा** **निदेशक, कोयला मंत्रालय** **नई दिल्ली**
		श्री बी.के.सक्सेना **निदेशक(विपणन),** **सीआईएल,कोलकाता**
कंपनी सचिव	:	**श्री ए. के. सिंह**

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए .एन .सहाय
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ए. के.तिवारी निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)
		श्री जे.पी.सिंह निदेशक(तक./यो.एवं परियो.)
		श्री पी.सी.पाणिग्राही निदेशक (कार्मिक)
		श्री के.के.परिडा निदेशक (वित्त)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री एस.के. सिंह संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री बी.के.सक्सेना निदेशक(विपणन), सीआईएल,कोलकाता
कंपनी सचिव	:	श्री ए. के. सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
कैनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
युनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
एक्सीस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
ईलाहाबाद बैंक,
सिंडीकेट बैंक,
कार्पोरेशन बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,कटक

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स निरान एंड कंपनी
लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स मणि एंड कंपनी
लागत लेखाकार ,भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय

मो/.पो-.जागृति विहार,बुर्ला
संबलपुर- 768020 (ओड़िशा)
Website : www.mcl.gov.in

पत्रांक.सं. एमसीएल/एसबीपी/सीएस/एजीएम-23-आर/ 2015 /8720 दिनांक : 04.07.2015.

सूचना

23वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की 23वीं सामान्य बैठक जो मूलतः 24 जून 2015 बुधवार को प्रातः 11.00 बजे आयोजित होनी थी स्थगित कर दी गई, उसे पुन: 07 जुलाई 2015, बुधवार को अपराह्न 04.00 बजे आयोजित करना निश्चित किया गया था, जो पुनः 08 जुलाई 2015 को प्रातः 10.30 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय मो/.पोस्ट :जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020- को निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों के लिए आयोजित किया जाना पुनः निश्चित किया गया है।

सामान्य कार्य:

1.स्वीकार एवं पालन करने हेतु :

क. 31 मार्च,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च,2015 का लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का रिपोर्ट शामिल है।

ख. 31 मार्च,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च,2015 को लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2.वित्तीय वर्ष 2014-15 को भुगतान की गई इक्वीटी शेयर पर अंतरिम लाभांश जो 2014-15 के लिए अंतिम लाभांश होने की पुष्टि।

3.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री बी के सक्सेना(डीआईएन 02123135) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

4.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री ए के तिवारी(डीआईएन 02442844) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

5.बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.सी.एम.एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए नियुक्त किया गया था, के पारिश्रमिक की स्वीकृति देना ।

" निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (1) 142 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.सी.एम .एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेबी खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया। "

विशेष कारोबार:

मद संख्या-1,वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लागत परीक्षकों के लिए मानदेय में सुधार।

स्वीकार करने और यदि बदलाव(बदलावों) के साथ या बिना बदलाव के पास करने के लिए सही होना माना जाता हे तो निम्न संकल्प सामान्य संकल्प है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) और कंपनी(लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियमावली,2014 और अधिनियम की अन्य प्रावधानों के तहत कंपनी,मुख्यालय और इसकी ईकाइयों - ईब कोयलांचल तथा बसुन्धरा क्षेत्र के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु.2,12,500.00 प्रतिवर्ष,जेब खर्च रु.1,06,250.00(अधिकतम) प्रतिवर्ष और लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर के आधार पर मेसर्स निरेन एंड कंपनी लागत लेखापाल, भुवनेश्वर को वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी का प्रधान लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) और कंपनी(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों) नियमावली,2014 और अधिनियम की अन्य प्रावधानों के तहत कंपनी के तालचेर कोयलांचल,क्षेत्रों के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु.1,40,625.00 प्रतिवर्ष,जेब खर्च रु.70,312.00(अधिकतम) प्रतिवर्ष और लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा- कर के आधार पर मेसर्स माउ बनर्जी एंड कंपनी, बैकुंठ अपार्टमेंट,ग्राउण्ड फ्लोर,गोपालपुर,आसनसोल-713304, जिला -वर्दवान(पश्चिम बंगाल),शाखा कार्यालय- व्ही पाणी, डॉ. ए.के. कर का निवास, पुराना बस्ती, झारसुगुड़ा,ओड़िशा-768202 को वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी का शाखा लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड
ह/-
(ए .के .सिंह)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर- 768020

टिप्पणी:

1.बैठक में भाग लेने तथा अपने मतदान हेतु पात्र सदस्य अपने संस्थान पर बैठक में भाग लेकर मतदान देने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। उस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 101 के तहत अल्प अवधि की सूचना पर बैठक बुलाने के लिए सहमति देने का सदस्यों से अनुरोध किया जाता है।
3.कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 101(2) की आवश्यकताओं के तहत सूचना में वर्णित संकल्प से संबंधित स्पष्टीकरण विवरण को सूचना में संलग्न किया गया है।

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 102(1) के तहत विश्लेषणात्मक विवरण

मद संख्या-1:

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन और कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या- जीएसआर 430(ई) दिनांक 3 जून 2011, तदनुसार भारत सरकार के कार्पोरेट मामले के मंत्रालय की शाखा लागत लेखा परीक्षा के आदेश एफ सं.-52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी,2011, तदनुसार कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या- 52/26/सीएबी-2010 दिनांक 24 जनवरी,2012 द्वारा कोयला उद्योग में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य किए जाने के तहत।

लेखा परीक्षा समिति की अनुषंशा पर बोर्ड ने निम्नलिखित फार्मो को एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

1) मेसर्स निरेन एंड कंपनी,लागत लेखापाल,भुवनेश्वर को वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी, मुख्यालय और इसके ईकाई, ईब कोयलांचल के क्षेत्रों और बसुन्धरा क्षेत्र के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु.2,12,500.00 प्रतिवर्ष जेब खर्च रु.1,06,250.00 (अधिकतम) प्रतिवर्ष तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा-कर के तहत कंपनी के लागत लेखा परीक्षक।
2) मेसर्स माउ बनर्जी एंड कंपनी, बैकुंठ अपार्टमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, गोपालपुर, आसनसोल-713304, जिला-बर्दवान, पश्चिम बंगाल, शाखा कार्यालय श्री बी.पाणी, डॉ. ए.के. कर का निवास, पुराना बस्ती, झारसुगुड़ा, ओड़िशा-768202 को वर्ष 2015-16 के लिए तालचेर कोयलांचल के क्षेत्रों के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु.1,40,625.00 प्रतिवर्ष जेब खर्च रु.70,312.00 (अधिकतम) प्रतिवर्ष तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा-कर के तहत कंपनी के लागत लेखा परीक्षक।

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 148(3) और कंपनी(लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों), नियमावली,2014 के नियम 14 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की अनुषंशा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदेय का अंशधारियों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए।

इसी तरह संकल्प को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुशंषा होने के पश्चात अंशधारियों का अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

कोई भी निदेशक,प्रमुख प्रबंधन कार्मिक या उनके रिश्तेदार का हित या चिंता इस संकल्प से जुड़ा नहीं है।

अध्यक्ष का वक्तव्य

मित्रों,

ए . एन. सहाय

मुझे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 23वीं वार्षिक आम बैठक में आप का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। निदेशकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा और रिपोर्ट के साथ संयुक्त वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित खाते पहले से ही आपको वितरित किए जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

एक प्रकार से यह बैठक नई सदी में एमसीएल के प्रवेश का सूचक है । विश्व में ऊर्जा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ती कंपनी का भविष्य और अधिक शानदार,परिपूर्ण व लाभप्रद होगा । साथ ही साथ, यह एक अनुकरणीय भारतीय उद्यम और कोल इंडिया लिमिटेड की अग्रणी कंपनी के रूप में उभर रहा है। आपका निरंतर विश्वास, सहयोग और सद्भावना हमारे लिए हमेशा अमूल्य रहा है और हमारे प्रगति के मार्ग में प्रेरित करता रहेगा ।

कोयला वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 30% के आसपास पूर्ति करता है और दुनियां की बिजली का 40% उत्पन्न करता है। यह वर्तमान में प्राथमिक ऊर्जा की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और उम्मीद है कि यह आगामी कुछ वर्षों में विश्व के प्राथमिक ऊर्जा के सबसे बड़े श्रोत, तेल का स्थान ले लेगा ।
भारतीय संदर्भ में, कोयला 21वीं सदी में भी ऊर्जा के मामले में अग्रणी रहता आ रहा है तथा भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में 55% से अधिक का योगदान देता है । भविष्य में देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि लाने की भारी जिम्मेवारी है । आपकी कंपनी कोल इडिया लिमिटेड की बढ़ती हुई अनुषंगियों में से एक है तथा हमारी उम्मीद है कि व्यवसाय संचालन, कोयला उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण, प्रतिभा प्रबंधन, सामुदायिक विकास आदि में यह अग्रणी हो जाएगी । समाज के विकास के समन्वयन में अपना विकास करना हमारा कार्पोरेट उद्देश्य है । हमारे प्रयासों को अच्छी तरह से पहचाना गया है और आपकी कंपनी को कई सराहनीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं । हम राष्ट्र के विकास में भारत को ऊर्जा कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ।

2014-15 में एमसीएल के कार्यनिष्पादन का अवलोकन:

आपकी कंपनी का भव्य वित्तीय परिणाम रहना जारी है । वर्ष 2014-15 में एमसीएल ने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन किया । यह तथ्य कि आपकी कंपनी ने हाल के अतीत में विकास की बहुत मजबूत गति हासिल कर ली है, इस अवसर को बहुत खास बना देता है। कंपनी ने 121.38 लाख टन कोयला उत्पादन का रिकार्ड बनाया है और पिछले वर्ष की तुलना में 9.90% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान एमसीएल से 123.001 मि.टन कोयला उठाव किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 7.57% की वृद्धि है।

चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डाला है। आपकी कंपनी ने भी उल्लेखनीय बेहतर निष्पादन किया है । आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में रू.14,989.05 करोड़ रुपए का सकल विक्रय करते हुए कर पश्चात् रू 3,554.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के लिए रू.1,000.00 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर रू..20,610.52 के लाभांश की सिफारिश की है जो कि पिछले वर्ष रू. 32,098.35 प्रति शेयर था । लाभांश रूप में कुल रू.4,595.96 करोड़ निसृत

हुए जिसमें सीआईएल को रू. 3,841.82 करोड़ के लाभांश का भुगतान एवं लाभांश पर कर के रूप में रू. 744.14 करोड़ का भुगतान शामिल है ।

1. परियोजना प्रोफाइल

एमसीएल में 53 स्वीकृत खनन परियोजनाएं हैं व 05 भूमिगत खान मौजूद हैं । 12514.27 करोड़ रुपये के स्वीकृत पूंजी परिव्यय के साथ इन स्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता 261.32 एमटीवाई (अधिकतम उत्पादन क्षमता 305.57 एमटीवाई) है, जिनमें से 34 परियोजनाओं को 2823.78 करोड़ रुपए के स्वीकृत पूंजी परिव्यय और 99.989 एमटीवाई की क्षमता के साथ पूरा किया गया है। पूरी की गई 34 परियोजनाओं में से, 2 (बालंडा ओसीपी और बसुंधरा पूर्व ओसीपी) समाप्त हो चुकी है। 9690.49 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय के साथ 161.331 एमटीवाई की अंतिम क्षमता की 19 परियोजनाएं चल रही हैं।

एक अग्रदृष्टि वाली (आगे देखने वाली) कंपनी के रूप में, एमसीएल का मानना है कि इसे सीएचपी/साईलो , आरएलएस, कंक्रीट परिवहन सड़क और रेलवे साइडिंग आदि की स्थापना कर अपनी बुनियादी संरचना के आधार को मजबूत करने की जरूरत है।

विविधीकरण

अधिकतम कोर क्षमताओं का उपयोग करते हुए और मूल सुविधा लाभ हेतु व्यापार संचालन के विस्तार के द्वारा विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए विविधीकरण आपकी कंपनी की रणनीति रही है, जो हमारे संगठन व लोगों में हमारे हितधारकों के प्रति अहमियत पैदा करने व मूल्य सृजन के हमारे निरंतर पथ में विविध अवसरों के दोहन की क्षमताओं व दक्षताओं के संस्थायन में मदद करता है ।

बसुंधरा, सुंदरगढ़ में कोयले के भंडार के लाभकारी उपयोग की दिशा में, आपकी कंपनी ने सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ 1600 (2x800) मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य के लिए गठित महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) ने बिजली संयंत्र की स्थापना की दिशा में कई मुकाम हासिल किए हैं। ईआईए अध्ययन पूरा हो चुका है और एमओसी द्वारा सिद्धांत के रूप में कोयला लिंकेज स्वीकार किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पहले ही बिजली परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए जल आवंटन के लिए ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) से संपर्क किया गया था। डब्ल्यूआरडी आवंटन के पहले चरण में, प्रस्तावित परियोजना के लिए 25 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है और शेष 25 क्यूसेक जल का आवंटन डब्ल्यूआरडी के विचाराधीन है। ईएमपी का प्रस्ताव सुनवाई और मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना का अंतिम डीपीआर सीआईएल बोर्ड अनुमोदित कर दिया गया है और सीआईएल बोर्ड और 70:30 के ऋण इक्विटी भागीदारी के साथ वित्त पोषण के प्रस्ताव पर तत्परता से विचार किया जा रहा है। बूढ़ीपदर से वसुंधरा क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 220 किलोवाट विद्युत ट्रांसमीशन लाइन 2012-13 के दौरान चालू हो गई है, जिसने क्षेत्र को बिजली संकट से राहत दिलाई है। अब, वसुंधरा क्षेत्र में गर्जनबहल उप-स्टेशन से बिजली की अबाधित आपूर्ति हो रही है।

आपकी कंपनी ने ओड़िशा के राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ अधिशेष कोष के बेहतर उपयोग के लिए ओड़िशा राज्य में विद्युत ट्रांसमीशन कारोबार में कदम रखा है। तदनुसार, ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ, नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।

राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रेल द्वारा कोयले की निरंतर आपूर्ति हेतु आवश्यक आधारिक संरचनाओं के विकास के लक्ष्य के साथ आपकी कंपनी भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम/एसपीवी के गठन की प्रक्रिया में है। एमसीएल (सीआईएल/एमओसी के प्रतिनिधि), इडको(ओड़िशा सरकार के प्रतिनिधि) तथा आईआरसीओएन (भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि) के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुका है ।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति चिह्नित करने के लिए आपकी कंपनी 2014-15 की पहली तिमाही में आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 2 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलता पूर्वक स्थापित करचुकी है।

4. मूल्य आधार प्रबंधन

व्यापार संचालन में वृद्धि लाने हेतु मौजूदा संचालन प्रकियाओं के निरंतर उन्नयन के प्रति हम सचेत है। प्रक्रिया नवाचार और नई पहल किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। एमसीएल में हमने कोयले के उत्पादन से प्रेषण तक के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं। एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सरफेस माइनर तैनाती या खरीद या अन्य ठेके के लिए टेंडर के ई-मोड की बात आती है तब यह कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में विशेष दिखाई देती है। आपकी कंपनी असफल बोलीदाताओं /आपूर्तिकर्ताओं को बयाना राशि की ऑनलाइन स्वचालित वापसी शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बयाना राशि (ईएमडी) की वापसी में देरी, आपूर्तिकर्ता/निविदादातओं के मनोबल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी 2013 के अक्टूबर के महीने में एक प्रणाली संचालित धन वापसी तंत्र आरंभ किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं को एक बार असफल घोषित किए जाने के बाद इस तंत्र द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं को 10.58 करोड़ रुपए की (15 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2015 तक) बयाना राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी गई है।

कोल इंडिया में पहली बार, एमसीएल द्वारा कोयला वाशरी स्थापित करने की निविदाओं की मूल्यांकन प्रकिया में तेजी लाने तथा निम्नतम बोलीकर्ता कि निर्धारण में मानवीय हस्तक्षेप की कमी लाते हुए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु ई-टेंडरिंग आरंभ किया गया ।

एमसीएल की तीन खुली खान परियोजनाओं,नामश: बलराम, लिंगराज व भरतपुर में स्थापित स्वतंत्र संचालक ट्रक डिस्पैच प्रणाली (ओआईटीडीएस) सफलतापूर्वक कार्यरत हैं तथा एमसीएल मुख्यालय के साथ सभी कार्यालयों को संयोजित करने हेतु एमपीएलएस/व्हीएसएटी आधारित सेकंडरी डाटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है । रेल व रोड (अचल व गतिमान) वे-ब्रिजों को रेडियो लिंक से संयोजित किया गया है। कोयला परिवहन में नियोजित 1800 ट्रकों/टिपरों में जीपीएस आधारित व्हीटीएस (वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम) लगाए गए है । वास्तविक समय में संबंधित जानकारियां केन्द्रीय सर्वर में एकत्रित की जाती है । भू-बाड़ पार करने वाले वाहनों पर नजर रखने हेतु हेतु रास्तों सहित खान सीमा में भू-बाड़ लगाए गए है । 22 रेलवे साइडिंग में विडीयो निगरानी कैमरा लगाए गए है । अचल व गतिमान रोड वे ब्रिजों में पूर्ण निगरानी व नियंत्रण हेतु आईपी कैमरे लगाए गए हैं । डीजल चोरी रोकने के लिए ईंधन प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है । कंपनी के वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की गई है ।

इसके साथ ही, आपकी कंपनी की परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाया जा रहा है ।

4.1 उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता

एमसीएल ने अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है ताकि हर कीमत पर अपने ग्राहकों की संतुष्टि को बनाए रखा जा सके। खनन के परम्परागत तरीके को रणनीतिक रूप से नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय के

अनुसार, उच्च राख कोयले की किफायती धुलाई के आधार को बनाए रखने के लिए, वाशरीज (शोधनागारों) की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव के लिए एमसीएल ने गठन-प्रचालन और रखरखाव (बीओएम) के आधार पर 10.0 एमटीवाई प्रत्येक की 4 वाशरियों (शोधनागारों) यानी हिंगुलावाशरी, वसुंधरावाशरी, जगन्नाथवाशरी और लखनपुर में ईब वैली वाशरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह हमें अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता युक्त कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम करेगा। यह हमें अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता युक्त कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम करेगा। सीएचपीज के माध्यम से कोयले की संभाल और ढुलाई में प्रणालीगत परिवर्तन प्रत्याशित है और साइलो रैकों में (-) 100मिमी कोयले के उचित मात्रा में तेज गति से लदान को सुनिश्चित करेंगे। कोयले के नमूनाकरण और जीसीवी निर्धारण के लिए 18 ऑटो बम कैलोरीमीटरों की खरीद के साथ बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया गया है।उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करने तथा कोयला प्रेषण गुणवत्ता की शिकायतों में कमी लाने के लिए लदान स्थल में उपभोक्ता द्वारा चयनित सैंपलर द्वारा स्वतंत्र तृतीय पार्टी सैंपलिंग आरंभ की गई है । तदानुसार 10 पावर हाउसों ने लदान स्थल पर अपने तृतीय पार्टी एजेंसी नियुक्त किया है । शत प्रतिशत कोयला प्रेषण मापन हेतु सभी साइडिंग में प्रिंट आउट सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज मौजूद हैं ।

वर्ष 2012-13 में, आपकी कंपनी की व्यापक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से मान्यता प्राप्त हुई है, जो सभी प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है। ये पद्धतियां प्रचलन में हैं और उत्कृष्टता की दिशा में योगदान कर रही हैं।

4.2 सुरक्षा – सेफ़्टी

कंपनी की मुख्य क्षमताओं में से एक है 'सुरक्षित खनन', जिसे सुरक्षित तरीके और तकनीक के निरंतर व्यवहार के माध्यम से प्राप्त किया गया है । 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से हासिल किया जा सके, तैयारी करती है, योजना बनाती है और नियमित आधार पर अपने को सुसज्जित करती है तथा यह कर्मचारियों के अधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरक बल हो जाता है। वित्तीय वर्ष. 2014-15 के दौरान, घातक दुर्घटना का केवल एक मामला सूचित किया गया है।'शून्य दुर्घटना' को प्राप्त करने के लिए कंपनी की ओर से किए जाने वाले गंभीर प्रयासों को दुर्घटनाओं में तेजी से आई कमी के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ समुचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कठिन प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ कभी समझौता नहीं करती।

इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता और यह कार्य स्थल पर उत्पादन और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन कायम करने की कोशिश करती है। कंपनी के शून्य क्षति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेकों उपाय किए हैं ।

4.3 निगमित प्रशासन

रिपोर्ट के अधीन वर्ष निगमित प्रशासन के संबंध में एक और उत्कृष्ट वर्ष रहा। डीपीई दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप से प्रसारित और गहराई से निहित किया गया है। बोर्ड की सभी उपसमितियाँ जिन्हें विशिष्ट भूमिकाएं आवंटित की गई हैं, अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ

प्रदर्शन कर रही हैं और बोर्ड को आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही हैं। तेजी से निर्णय लेने, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना से बोर्ड की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आपका बोर्ड कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए अधिकतम संभव सीमा तक नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस विश्वास के साथ कि 'सुशासन' सफल कंपनियों की पहचान है, एमसीएल अपनी प्रणाली में कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने का प्रयास करती है। बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है ।

4.4 दीर्घकालीन खनन

आपकी कंपनी इस क्षेत्र में एक 'ग्रीन चैंपियन" के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता" पर जारी सितंबर,2011 की डीपीई दिशानिर्देश व तत्पश्चात अप्रेल,2013 को किए गए संशोधन के अनुसार वर्ष 2011-12 से एमसीएल संधारणीयता प्रतिवेदन प्रकाशित करता आ रहा है । जीआरआई 3.1 दिशा निर्देशों और जीआरआई के खनन और धातु क्षेत्र के पूरकों (एमएमएसएस) के अनुसार उच्च अनुप्रयोग स्तर 'ए' के अनुरूप एमसीएल 'अनअर्थिंग स्माइल्स' शीर्षक से तृतीय संधारणीयता प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है । यह प्रतिवदेन 84 मापदंडों (सामाजिक, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, मानव अधिकार, श्रम, समाज आदि पर) तथा कुछ क्षेत्र विशेष पूरकों के संबंध में अपने हितधारकों के प्रति एमसीएल की रणनीतिक प्रतिबद्धता व आर्थिक प्रगति के पथ पर पर्यावरणीय मुद्दों तथा सामाजिक उत्तरदायिताओं के प्रति इच्छाक्ति का स्पष्ट परिलक्षण कराता है।

जमीनी स्तर के तीन पक्ष (लोग, पृथ्वी, लाभ) पर वैश्विक दिग्गजों के बीच एमसीएल अब स्वयं का बेंचमार्क स्थापित करने में समर्थ है ।

4.5 आर एंड आर

आपकी कंपनी ने प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन द्वारा खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है । वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल ने 314.035 हेक्टेयर भूमि का भौतिक अधिग्रहण किया है । आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं की वजह से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही है और साथ ही सामाजिक विकास के साथ आर्थिक प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो इसकी आर एंड आर नीति में परिलक्षित होता है। आपकी कंपनी ओड़िशा राज्य की आर एवं आर नीति का पालन करती है और 2014-15 के दौरान 411 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा इसकी स्थापना के बाद से कुल 11856 लोगों को रोजगार दिया गया है। भू विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीडीएसी के परामर्श पर कार्य करती है ।

प्रभावित परिवारों को बकाया प्राप्त करने तथा उनके उपयुक्त पुनर्वसन सुनिश्चित करने में आपकी कंपनी ओड़िशा आरएंडआर नीति से परे भी गई है । उन प्रभावित परिवारों, जो विभिन्न कारणों से रोजगार प्राप्त करने के हालत में नहीं है, की सहायता हेतु अनेकों उपाय यथा, वृत्ति योजना, एकमुश्त नकद क्षतिपूर्ति योजना तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं एमसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है । एमसीएल द्वारा भू-विस्थापितों को ओड़िशा आरएंडआर नीति की तुलना में काफी अधिक नकद क्षतिपूर्ति भुगतान की जाती है । नकद प्रोत्साहन, बुनियादी सुविधाएं तथा रोजगार के एवज में 1,000.00 प्रति द्विवार्षिकी संवृद्धि सहित 12,000.00 प्रतिमाह की वृत्ति योजना, एमसीएल द्वारा प्रदान किए जाने वाले की आरएंडआर लाभ की अनूठी विशेषताएं हैं ।

भू विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों, आदि के साथ पुनर्वास बस्तियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल सभी परिधीय

ग्रामीणों को प्रति रोगी 2.00 रुपए के नाममात्र शुल्क पर अपने मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में ओपीडी की सुविधा प्रदान करता है।

4.6 प्रशिक्षण और विकास

भविष्य की प्रौद्योगिकी प्रगति पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए उत्पादन के अनुरूप प्रौद्योगिकीय आवश्यकता पूर्ति में श्रमशक्ति की वृद्धि से निपटने हेतु मौजूदा मानव संसाधन के उन्नति के लिए प्रशिक्षण व विकास हमारी कंपनी की निगमित नीति का एक अभिन्न अंग है ।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 11.03 करोड़ की राशि व्यय की गई है । अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की कुल प्रशिक्षण दिवसों के क्रमश: 2664, 21560 व 2160 के लक्ष्य के मुकाबले क्रमश: 7156, 32780 व 4135 प्राप्त किया गया है ।लक्ष्य की तुलना में एट्रीशन छोड़ने की दर काफी कम हुई है ।

संस्था में लाभकारी नियोजन के लिए भूमि विस्थापितों में अपेक्षित तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण हेतु आपकी कंपनी ने ओड़िशा के कुछ तकनीकी संस्थानों में व्यवस्था की है ।

कोयला क्षेत्र में बढ़ती और उभरते विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु अधिकारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए आपकी कंपनी ने एक बड़ी पहल की है । राजधानी भुवनेश्वर मे आपकी कंपनी द्वारा पूर्णत: प्रवर्तित व 138 की अनुमानित लागत द्वारा वित्त पोषित एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एनर्जी मैनेजमेंट (मिनरेम) एक विश्वस्तरीय संस्था के रूप में उभर रहा है । इस संस्था का उद्देश्य संस्था के उभरते नेतृत्व कर्ताओं के चित्त में वास्तविक मूल्यों का स्थापन करना, उन्हें उत्सुक व खुली विचारों का बनाए रखना, प्रतियोगी झंझावातों के बीच कंपनी को सही मार्ग पर चलाने हेतु मार्गदर्शन हेतु प्रशस्तीकरण करना है । यह संस्थान वर्ष 2015-16 में चालू होने की उम्मीद है ।

4.7 सीएसआर

राष्ट्र के विकास के लिए समुदाय का विकास काफी महत्वपूर्ण है । समाज के विकास के लिए आपकी कंपनी ने हमेशा उल्लेखनीय कार्य किए हैं । बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की मुख्य दृष्टि सहित लोक प्ररति में उत्थान हेतु एमसीएल ने सीएसआर में काफी निवेश किया है ।

अपनी स्थापना से ही कंपनी ने जलापूर्ति योजना, सार्वजनिक उपयोग की सड़कों के निर्माण/मरम्मत, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण, बांध आदि विभिन्न कार्यो में वित्तीय सहयोग, तथा बुनियादी ढांचे के विकास, बालिकाओं की शिक्षा द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण, कमजोर वर्ग को प्रशिक्षण में शामिल कर तथा रोजगार-हीन युवा/परियोजना प्रभावित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर, निरोधक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा नियमित आधार पर चलित चिकित्सा वैन द्वारा आसपास के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का काम किया है ।

एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है और 'समावेशी विकास' के राष्ट्रीय एजेंडे के समन्वयन में कॉर्पोरेट के आदर्श वाक्य 'परिवेश के साथ बढ़ने' की पुष्टि करती है। आपकी कंपनी का मानना है कि मेजबान समुदायों के साथ भरोसेमंद रिश्ता अधिक से अधिक संतुष्टि के साथ आपसी विकास की ओर ले जाता है।। हर साल बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ बहु-गुणित की जा रही सीएसआर गतिविधियों के विस्तार के साथ एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी के रूप में एमसीएल का बेहतर ट्रैक रिकार्ड एक बार फिर से अच्छी तरह प्रमाणित हो रहा है। एमसीएल, एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, वर्ष 2010-11 से शुरू की गईं अपनी स्पष्ट रूप से परिभाषित सीएसआर नीति के माध्यम से समाज

के सबसे गरीब तबके के लाभार्थियों की अधिक संख्या को शामिल करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्य आरंभ कर रही है।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन साल के शुद्ध लाभ के 2% का औसत, 113.97 करोड़ रुपये रुपये खर्च किया है।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 175 करोड़ निर्धारित किए गए है । इस संबंध सीआईएल से अतिरिक्त बजट के रूप में निधि की मांग की गई है ।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों निम्नानुसार हैं -

क्र..	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना स्थल	बजट राशि (लाख रू. में)	व्ययित राशि(लाख रू. में)
1	तालचेर कोलफील्ड्स के आस पास के ग्रामों में ग्रीष्म जलापूर्ति प्रबंध	अनगुल	726.92	536.53
2	गोपालप्रसाद,नरहरिपूर,गोबारा (तीन), गुरूजांग (तीन), हिलोई (दो), रकाज, जारदा, मदनमोहनपुर, दयानिधिपुर, रसूलपूर, सौभाग्यनगर, एसडीपीओ कार्यालय के निकट, तालचेर, हांडीधुआ में बोरवेल तथा बउलापुर, अनाथालय, हिंगुला में हैंडपंप	अनगुल	112.13	90.81
3	सुंदरगढ़, अनगुल, संबलपूर व झारसुगुड़ा के आसपास के ग्रामों में चिकित्सा शिविर	सुंदगरगढ, अनगुल, झारसुगुड़ा व संबलपुर	101.87	101.87
4	झारसुगुड़ा के वृंदामाल में मेंटल रिटायर्ड स्कूल के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण । ब्रजराजनगर कॉलेज, ब्रजराजनगर की छत की टार फेल्टिंग, पाइप-लाइन की मरम्मत व अनुरक्षण व दो नग आलमारी चार नग टेबल व 30 जोड़ी डबल सीट	झारसुगुड़ा	253.36	253.36
5	नंदिरा कोलयरी के निकट सत्यबाड़ी हाई स्कूल् बड़जोरदा में प्रसाधन, साइकल-शेड तथा सांस्कृतिक मंच का निर्माण । तालचेर सीएसआर योजना के तहत बाउला चौक के विवेकानंद स्कूल से घंटापड़ा ग्राम तक रोड की मरम्मत । सत्यबाड़ी में पाइपलाइन की व्यवस्था ।	अनगुल	123.48	178.48
6	व्हीएसएसयूटी, बुर्ला, संबलपूर में महिला छात्रावास का निर्माण। शासकीय हिंदी हाई स्कूल, संबलपूर के विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार ।	संबलपुर	208.00	163.21
7	बुर्ला, संबलपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स	संबलपुर	2500.00	79.86
8	एमसीएल के सीएसआर की पहल के तहत इडको की भागीदारी में ओड़िशा में हॉकी का संवर्धन	भुवनेश्वर	600.00	600.00
9	सीएसआर के तहत आगामी 'नवकलेवर उत्सव,2015' के मद्देनजर पुरी के समुद्र तट व ग्रांड, पुरी में प्रकाश व्यवस्था के लिए सीईएसयू के पास 5,54,86,062.00 जमा करना ।	पुरी	554.86	554.86
10	पिपलीकानी पंचायत के पिपलीकानी व सरतंगपाल में तालाब का पुनरूद्धार व स्नान घाट निर्माण । लखनपुर ओसीपी के अधीनकुशरालोई पंचायत के लेछुआपड़ा ग्रम में नए तालाब का उत्खनन। सारंडमाल पंचायत के अधीन लिमतलीपड़ा में तालाब का गहरीकरण	झारसुगुड़ा	61.45	57.19
11	बलिंगा-तापरिया सड़क 2.24 कि.मी. से 24.20 कि.मी. तक का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण	सुंदरगढ़	2691.33	1446.13

12	**गर्जनजोर पंचायत के नुआडीही, कुअरकेला, लुआबहाल ग्रम में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण , केंदुडीही पंचायत के चितमुंडा ग्राम में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, कंडधूप ग्राम में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण**	**सुंदरगढ़**	**86.42**	**74.53**
13	**बीजी क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत बरपाली ग्राम के सड़क के क्षतिग्रस्त भाग का कठोर कांक्रीट फर्शीकरण द्वारा सतह का पुनर्निर्माण**	**सुंदरगढ़**	**75.50**	**75.50**
14	**सुंदरगढ़ में उज्जलपुर बाईपास का निर्माण**	**सुंदरगढ़**	**1858.22**	**278.73**
15	**गोपालप्रसाद ग्राम के सिंघाराजोरा व पाटणासाही तालाबों में 01 स्नान-सीढ़ी का पुनरूद्धार व 04 स्नान-सीढ़ी का निर्माण । दानारा के तालाब में स्नान-सीढ़ी का निर्माण। सीएसआर के तहत कुकुडुला ग्राम के तालाब का पुनरूद्धार ।**	**अनगुल**	**63.29**	**56.06**
16	**जम्बूबाहाली ग्राम में पुरूणा बंध व रजा बंध में स्नान-सीढी का निर्माण । जंबूबहई ग्राम में रजाबंध की ओर पुलिया सहित नाली का निर्माण तथा बेलारगदा पीठ, डेरा में विकास कार्य ।**	**अनगुल**	**70.39**	**47.91**
17	**तालचेर नगरपालिका के सौभाग्य सागर बड़ी टंकी का पुनरूद्धार**	**अनगुल**	**322.48**	**162.81**
18	**तालचेर के वार्ड क्र.3 व 16 में मदन मोहन चौक से गोपीनाथ ग्राम की ओर सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण। 3 में बिटुमिनस रोड का सतह पुनर्निर्माण व नालियों व ह्यूम पाइप सहित क्षतिग्रस्त भाग में कांक्रीट सड़क निर्माण ।**	**अनगुल**	**1374.25**	**832.31**

5. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने के द्वारा हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

6. आभार

मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और मीडिया द्वारा समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

ह/-
(ए. एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक

स्थान- संबलपुर
दिनांकः 12.06.2015

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारोकों ,
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की तरफ से आपकी कंपनी की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने चहुंदिशा में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता, कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

2.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला भण्डार दो कोलफील्ड अर्थात तालचेर एवं ईब वैली में फैला हुआ है जिसमें सात छ:(6) भूमिगत एवं सोलह (16) खुली परियोजनाओं सहित दस(10) कार्यरत क्षेत्र हैं। कार्यरत क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

क. तालचेर कोलफील्ड

i) जगन्नाथ क्षेत्र
ii) भरतपुर क्षेत्र
iii) हिंगुला क्षेत्र
iv) लिंगराज क्षेत्र
v) कनिहा क्षेत्र
vi) तालचेर क्षेत्र(यूजी)

ख. ईब कोलफील्ड

i) लखनपुर क्षेत्र
ii) ईब वैली क्षेत्र
iii) बसुंधरा-गर्जनबहाल क्षेत्र
iv) ओरिएंट क्षेत्र(यूजी)

2.2 इसके अतिरिक्त एमसीएल ने अभी हाल ही में तीन सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी की स्थापना की है जो इस प्रकार है:-

i) एमएनएच शक्ति लिमिटेड
ii) एमजेएसजे कोल लिमिटेड
iii) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी)
iv) नीलांचल पावर ट्रॉसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)

3. **कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ**

- कम्पनी ने गतवर्ष के 110.440 मि.टन पर वर्तमान में सर्वकालीन अधिकतम उत्पादन 121.38 मि.टन कोयले का उत्पादन किया है अत: इसमें 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है।
  गतवर्ष 114.34 मि.टन के स्थान पर वर्ष 2014-15 के दौरान 123.003 मि.टन कोयले का ऑफ-टेक हुआ है।

- आपकी कंपनी ने गतवर्ष के सकल विक्रय मूल्य रु.13165.61 करोड़ के स्थान पर वर्तमान में सर्वकालीन अधिकतम सकल विक्रय विक्रय मूल्य रु.15693.71(एसटीसी सहित) किया है जो 14.58% की वृद्धि को दर्शाता है।
- गतवर्ष में करपूर्व लाभ रु.5429.08 करोड़ के स्थान पर वर्तमान वर्ष में कर पूर्व लाभ रु.5314.24 करोड़ रहा है। गतवर्ष के कर पश्चात लाभ रु. 3624.30 करोड़ के स्थान पर आलोच्य अवधि में कर पश्चात लाभ रु.3554.10 करोड़ रहा है।
- कंपनी गत 9 वर्षों से सतत रूप से लाभांश का भुगतान कर रही है । वर्ष के दौरान रु. 3841.82 करोड़ का अतिरिक्त लाभांश को भुगतान इक्वीटी अंश पूंजी के तहत किया गया गत वर्ष के दौरान रु.5983.16 करोड़ विशेष लाभांश का भुगतान किया गया था ।

4. उत्पादन कार्य-निष्पादन :

(क) पिछले वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धि की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए एमसीएल का उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार है :

(आंकडे मिलियन टन में)

एमसीएल का उत्पादन	**2014-15 एएपी**		**2013-14**		**लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %**	**गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का %**
(i) **कोयला (मिलि.टन में)**	**लक्ष्य**	**वास्तविक**	**लक्ष्य**	**वास्तविक**		
खुली खदान	125.45	120.10	118.00	109.01	95.7	10.18
भूमिगत	1.55	1.28	2.00	1.43	82.3	-10.97
कुल(ओसी+यूजी)	127.00	121.38	120.00	110.44	95.6	9.90
(ii) **ओबीआर (मि.क्यू.मीटर)**	113.00	89.22	109.75	96.028	79.0	-7.09

(ख) गत पॉच वर्षों (2014-15 सहित) में एमसीएल के उत्पादन का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

(i) एमसीएल का कुल कोयला उत्पादन(ऑकड़े मिलियन टन में) :

वित्त वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
			समूचा	प्रतिशत	
2010-11	116.75	100.28	-3.80	-3.65	85.9
2011-12	106.0	103.12	2.84	2.83	97.3
2012-13	112.0	107.895	4.78	4.63	96.3
2013-14	120.0	110.440	2.55	2.36	92.0
2014-15	127.00	121.38	10.94	9.90	95.6

(ii) सरफेस माइनर के द्वारा कोयला उत्पादन (ऑकड़े मिलियन टन में) :

वित्त वर्ष	**उत्पादन**	**गतवर्ष की तुलना में वृद्धि**		**कुल कोयला उत्पादन में सरफेस माइनर के हिस्से का %**
		समूचा	**प्रतिशत**	
2010-11	54.92	4.39	8.7	54.8
2011-12	59.13	4.21	7.7	57.3
2012-13	73.83	14.71	24.9	68.4
2013-14	86.46	12.63	17.1	78.3
2014-15	106.82	20.35	23.5	88.0

(1) कोयला का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 95.6% रहा इसमें गतवर्ष की तुलना में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यह निम्नलिखित कारणों से 4.4% लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका:-

(i) भुवनेश्वरी ओसीपी का उत्पादन मार्च,2015 में रोक दिया गया क्योंकि यह ईसी क्षमता के अधिकतम सीमा पर पहुँच गया था।

(ii) बेलपहाड़ ओसीपी का उत्पादन 16.1.15 से 4.2.15 तक रुक गया क्योंकि ईसी क्षमता समाप्त हो गयी थी।

(iii) हिंगुला क्षेत्र : आर एंड आर समस्या के चलते कार्यस्थल की कमी।

(iv) बसुंधरा क्षेत्र - कोयला निकासी समस्या - क्योंकि राज्य प्रशासन द्वारा दिन के समय कोयला प्रेषण पर रोक लगा दी गई है।

(v) बालू लीज के समापन के चलते तालचेर के पिलरिंग पैनल में अक्टूबर,2012 से बालू भरने का कार्य नहीं हो रहा है। ओरियेंट क्षेत्र में कार्यस्थल दूर होने, कार्यस्थल की कमी और कुशल जनशक्ति की कमी के चलते उत्पादन में कमी हुई।

(vi) बीजेडी पार्टी द्वारा आहार योजना के संबंध में दिनांक 30.03.2015 को बंद का आह्वान किया गया था । केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा दिनांक 6 एवं 7 जनवरी,2015 को श्रम- हड़ताल बुलाया गया।

फोर्स मेजर के कारण उत्पादन हानि को टेबूल के रूप में नीचे दर्शाया गया है:

परियोजना का नाम	एमओयू लक्ष्य 14-15	वास्तविक 14-15	अंतर	फार्स मेजयर के कारण क्षति	अभ्युक्तियां
भरतपुर ओसीपी	8.700	6.447	2.253	2.253	वनभूमि सौंपने में देरी। एफसी स्टेज-।। 07.02.2014 को प्राप्त हुआ।
जगन्नाथ ओसीपी	6.000	2.650	3.350	3.350	वनभूमि सौंपने में देरी । जगन्नाथ ओसीपी से उत्पादन 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में 6.00 एमटी था परंतु वनभूमि देरी से सौंपने के कारण उत्पादन मात्र 2.65 एमटी रहा।
कनिहा ओसीपी	10.000	6.986	3.010	3.010	एनटीपीसी, कनिहा से एमजीआर द्वारा कम कोयला उठाना।
लिंगराज ओसीपी	13.000	11.388	1.610	1.610	
बलराम	6.000	3.700	2.300	2.300	बलराम ओसीपी में भूमि की अनुपलब्धता।
कुल्डा	6.000	4.804	1.200	1.200	01.04.2014 को कुल्डा ओसीपी का कोल स्टॉक 4.74 एमटी था। कुल्डा ओसीपी में काफी कोल स्टॉक होने के कारण और अधिक कोयला उत्पादन नही किया जा सका।
कुल	49.7	35.975	13.723	13.723	

वर्ष 2014-15 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 121.38 एमटी रहा।

फोर्स मेजर के चलते उत्पादन में कुल हानि 13.723 एमटी रहा लेकिन प्रभावी हानि 6.62 एमटी (128-121.38 एमटी) रहा क्योंकि अन्य खदानों ने ज्यादा उत्पादन किया।

फोर्स मेजर के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य समंजित कर 11.38 एमटी होगा। वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन मूल्यांकन में उत्कृष्ट श्रेणी होगी।

(iii) एमसीएल में ओबी विस्थापन (ऑकड़े मिलियन घनमीटर में) :

वित्त वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
			समूचा	प्रतिशत	
2010-11	74.00	88.70	22.63	34.25	119.9
2011-12	100.00	85.67	-3.04	-3.42	85.7
2012-13	105.00	90.421	4.75	5.55	86.1
2013-14	109.75	96.03	5.61	6.20	87.5
2014-15	113.00	89.22	-6.81	-7.09	79.0

(2) लक्ष्य के मुकाबले 89.2% ओबी विस्थापन किया गया । यह गतवर्ष की तुलना में (-)7.09% रहा इसके निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:

(i) समलेश्वरी ओसीपी,लजकुरा ओसीपी और जगन्नाथ ओसीपी हेतु वन क्लीयरेंश में देरी के चलते स्थान की कमी।

(ii) बीईएमएल एक्स्कावेटर्स के कार्य निष्पादन में कमी ।

(iii) हिंगुला क्षेत्र में आर एंड आर समस्या।

(iv) बीजेडी पार्टी द्वारा आहार योजना के संबंध में दिनांक 30.03.2015 को बंद का आह्वान किया गया था। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा दिनांक 6 एवं 7 जनवरी,2015 को श्रम- हड़ताल बुलाया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान ओबी विस्थापन में फोर्स मेजर की वजह से हुई कमी का मुख्य कारण नीचे दिया जा रहा है:

(आंकड़े एमक्युएम में)

परियोजना का नाम	**एमओयू 2014-15 के अनुसार ओबी विस्थापन का लक्ष्य**	**वास्तविक ओबी विस्थापन का लक्ष्य (2014-15)**	**लक्ष्य एवं वास्तविक का अंतर (2014-15)**	**फोर्स मेजर के कारण वास्तविक कमी**	**अभ्युक्तियां**
समलेश्वरी ओसीपी	15.00	04.13	10.87	10.87	स्टेज-।। की फारेस्ट्री क्लीयरेंस में देरी।
लजकुरा ओसीपी	05.00	02.99	2.01	01.51	स्टेज-।। की फारेस्ट्री क्लीयरेंस में देरी।
जगन्नाथ ओसीपी	05.00	01.28	3.73	03.23	वनभूमि सौंपने में देरी।
भुवनेश्वरी ओसीपी	16.50	12.64	3.86	03.74	तलाशाही,नरहरिपूर एवं शहरशाही गांव के शिफ्ट नहीं करने के कारण।
हिंगुला ओसीपी	03.50	02.00	1.51	01.51	प्रोजेक्ट में भूमि की कमी।
बलराम ओसीपी	09.00	05.68	3.32	03.14	आर एंड आर समस्या।
कुल	59.00	28.72	25.29	24.00	

5. उत्पादकता:

5.1 आपकी कंपनी ने भी उत्पादकता अर्थात आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) की निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की:

(ऑकड़े टन/मैनशिफ्ट में)

उत्पादकता (टन)	2014-15		2013-14	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का %
	लक्ष्य एएपी	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	22.16	22.11	22.16	99.77	-0.23
भुमिगत	0.78	0.77	0.84	98.72	-8.33
समग्र	16.65	17.10	16.69	102.70	2.46

5.2 वर्ष 2014-15 के दौरान प्रणाली क्षमता उपयोग 56.5 % एवं 2014-15 के दौरान ओएमएस 17.10 टन प्रति मैन शिफ्ट है।

ओएमएस की गणना का विवरण नीचे दी जा रही है:				
क्र.सं.		**2014-15**	**2013-14**	**गतवर्ष की तुलना में वृद्धि**
1	ओसी ओएमएस	22.11	22.16	-0.23
2	यूजी ओएमएस	00.77	00.84	-8.33
3	ओसी का समंजित एम/एस(लाख)	54.326	49.188	10.45
4	यूजी का मैनशीफ्ट(लाख)	16.664	16.982	-1.87
क	**सकल ओएमएस के लिए कुल मैनशीफ्ट**	**70.990**	**66.170**	**7.28**
6	ओसी –कोयला (एल.टी)	1201.033	1090.07	10.18
7	यूजी कोयला((एल.टी)	12.755	14.327	-10.97
ख	**कुल कोयला(**(एल.टी)	**1213.788**	**1104.397**	**9.91**
8	**सकल ओएमएस(बी/ए)**	**17.10**	**16.69**	**2.44**
9	फार्मूला ओएमएस			
	यूजी =	कोयला उत्पादन/ वास्तविक मैनशिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन+ (1.4 x ओबी उत्पादन) / वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4x St. Ratio)		
	सकल =	यूजी का कोयला उत्पादन + ओसी का कोयला उत्पादन / यूजी का मैनशिफ्ट+ ओसी का समंजित मैनशिफ्ट		
10	समंजित मैनशिफ्ट (ओसी के लिए खदानवार) =	कोयला उत्पादन/ओएमएस		
ओएमएस का सकल गणना =		14.327+1090.07	12.755+1201.033	
		16.982+49.188	16.664+54.326	
		1104.397	1213.788	
		66.170	70.990	
		16.69	**17.10**	

6. एचईएमएम की संख्या एवं कार्य निष्पादन:

6.1 एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग हेतु सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्ध के साथ एचईएमएम की कुल संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

i. % **उपलब्धता एवं उपयोगिता की उपलब्धि का प्रतिशत (ऑंकड़े पूर्णांक में):**

क्र.सं.	**उपकरण**	**संख्या**		**उपलब्धता का %**			**उपयोगिता का %**		
		31.03.15 को	31.03.14 को	अप्रैल,14 से मार्च,15 तक	अप्रैल,13 से मार्च, 14 तक	सीएमपीडीआईएल मानक	अप्रैल,14 से मार्च,15 तक	अप्रैल,13 से मार्च, 14 तक	सीएमपीडीआईएल मानक
1.	ड्रैगलाईन	4	4	85	83	85	47	41	73
2.	शॉवेल	85	87	71	71	80	34	35	58
3.	डम्पर	364	363	72	71	67	26	28	50
4.	डोजर	131	116	64	64	70	27	27	45
5.	ड्रील	94	94	86	87	78	20	23	40
कुल		**678**	**664**						

ii. कार्य घंटे की उपलब्धि :

क्र.सं.	उपकरण	कार्य घंटे	
		2014-15	**2013-14**
1	ड्रैगलाईन	14845	15762
2	शॉवेल	213702	205866
3	डम्पर	600718	634669
4	डोजर	210039	208471
5	ड्रील	76697	91773

iii. (क) ड्रेगलाइन और डम्पर की उपलब्धता बढ़ी हैं जबकि शॉवेल और डोजर की उपलब्धता गत वर्ष डब्लु.आर.टी. की तरह रहीं।

(ख) गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष शॉवेल के कार्यघंटों में 3.8% की वृद्धि हुई।

(ग) ग्रीष्मकाल में पहली अप्रैल से 15 जून तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक परियोजनाओं में कार्य करने से रोक लगने के कारण एचईएमएम का प्रयोग प्रभावित होता है। इससे 2% का प्रभाव पड़ता है।

(घ) ओसीपी में भूमि की उपलब्धता नहीं होने से डम्पर एवं ड्रील के उपयोग में आंशिक रुप से कमी आयी है। संचालन में कुशल कार्मिकों की कमी तथा अनुरक्षण,गर्मियों एवं मानसून अवधि के दौरान कार्यघंटों का प्रतिबंध रहा है।

iv. ***उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम***

क. मुख्य एचईएमएम का समय पर सर्वे ऑफ तथा ऑफ सर्वे किए गए उपकरणों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए खरीद की कार्रवाई समय पर करना।

ख. संचालन एवं अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर तकनीकी कौशल को बढ़ाने हेतु नए मॉडल के उपकरणों पर ओईएम द्वारा नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

ग. संचालकों के आराम के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए एचईएमएम, जिनकी खरीद की जा रही है, को वातानुकूलित केबिन में स्थापित किया गया है। जल्दी खराब होनेवाले एचईएमएम को भी वातानुकूलित यंत्रों के साथ फिट किया जा रहा है।

घ. एचईएमएम से प्रतिदिन उत्पादन तथा उनके कार्य घंटों का मुख्यालय स्तर पर गहन निरीक्षण किया जा रहा है।

ङ. आपातकाल में प्रतिस्थापित करने के लिए सीडब्ल्यूएस में विभिन्न फ्लोट की सब-एसेम्बली जैसे इंजन, परिषण आदि का रख-रखाव।

च. मानसून अवधि से पूर्व हाल सड़कों का रख-रखाव।

छ. भूमि अधिग्रहण, कानून और सुव्यवस्था की समस्याओं पर एमसीएल प्रबंधन विभिन्न मंचों पर विचार करता है।

ज. भू-विस्थापितों जैसी अकुशल श्रमशक्ति को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

v. एचईएमएम की खराबी की स्थिति :

उपकरण	संख्या		3 माह से अधिक समय तक खराबी	
	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
ड्रैगलाईन	4	4	0	0
शॉवेल	85	87	05	06
डम्पर	364	363	48	64
डोजर	131	116	21	20
ड्रील	94	94	07	05
एमसीएल कुल :	**678**	**664**	**81**	**95**

vi. केंद्रीय कर्मशाला में लगाये गये उपकरण :

क्षेत्र	वर्ष	
	2014-15	**2013-14**
केंद्रीय कर्मशाला(तालचेर)	0	01
केंद्रीय कर्मशाला(ईब वैली)	02	09
एमसीएल कुल :	02	10

7. क्षमता उपयोग (खुली खदान परियोजनाएं)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के 01 अप्रैल पर आधारित क्षमता		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
		2014-15	**2013-14**	
1	विभागीय क्षमता(मिलियन क्यूबिक मीटर)	100.91	94.41	6.89 %
2	पद्धति क्षमता (मिलियन क्यूबिक मीटर)	285.48	235.18	21.39 %
3	विभागीय उत्पादन(मिलियन क्यूबिक मीटर)	63.550	55.013	15.52 %
4	कुल उत्पादन (मिलियन क्यूबिक मीटर)	161.573	161.47	0.06 %
5	विभागीय क्षमता की उपयोगिता	63%	58%	5 %
6	पद्धति क्षमता की उपयोगिता	56.6 %	68.66%	-17.56 %

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रणाली क्षमता की उपयोगिता 56.6 % रही ।

8. विद्युत :

8.1 तालचेर कोयला क्षेत्र : 31.0 एमवीए की करार मांग के साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ ओड़िशा के नियंत्रण क्षेत्र के तहत ग्रीडको के अंगुल सब-स्टेशन से एक 11 किलोमीटर लंबी 132 केवी दोहरी सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के जरिए नंदिरा के 3 X20 एमवीए, 132 / 33 केवी ग्रीड सब-स्टेशन को विद्युत प्राप्त होती है ।

8.2 ईब वैली कोयला क्षेत्र : 22.25 एमवीए की करार मांग के साथ वेस्को के नियंत्रण क्षेत्र के तहत ग्रीडकों के बुढ़ीपदर सब-स्टेशन से एक 19 किलोमीटर लंबी 132 केवी दोहरी सर्क्रिट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के जरिए जोराबगा के 3 X 20 एमवीए, 132 / 33 केवी ग्रीड सब-स्टेशन को विद्युत प्राप्त होती है।

8.3 बसुन्धरा कोयला क्षेत्र : वेस्को के साथ 5 एमवीए की करार मांग के साथ 220 केवी के जरिए बसुन्धरा क्षेत्र को बुढ़ीपदर सब–स्टेशन से विद्युत प्राप्त होती है। बसुन्धरा के 3/20 एमवीए,220/33 केवी सब–स्टेशन का एक ट्रांसफार्मर 22.11.2012 को चालू हुआ। ग्रीडको के बुढ़ीपदर सब–स्टेशन (39

कि.मी**)** से बसुन्धरा सब-स्टेशन को जोड़नेवाली 220 केवी एकल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन मेसर्स ओपीटीसीएल द्वारा जमा कार्य के आधार पर इरेक्ट तथा चार्ज की गई है।

8.4 विद्युत की उपलब्धता :

मदें	**2014-15**	**2013-14**
करार मांग(एमवीए)	59.650	59.650
सर्वाधिक मांग(एमवीए)	59.684	58.44
(वित्तीय वर्ष के दौरान एक माह में अधिकतम) ऊर्जा की खपत(मिलियन किलोवाट)	305.289	292.76
विशेष ऊर्जा खपत(किलोवाट/टन)	2.52	2.65

9. एमसीएल के बड़े भूमिगत उपकरणों की संख्या :

9.1 गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष में भूमिगत उपकरणों की संख्या एवं उनकी उपलब्धता इस प्रकार है:

क्र.सं.	उपकरणों के नाम	रोल में उपलब्ध सं.		2014-15		2013-2014	
		2014-15	2013-14	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %
1	वाईन्डर	6	6	83.33	82.29	83.33	65.12
2	हॉलेज(मेन)	26	29	92.31	82.29	93.10	65.12
3	एसडीएल *	19	19	79.05	27.31	74.67	25.35
4	एलएचडी *	28	29	81.30	40.66	64.78	35.20
5	मेन पंप	54	52	85.18	82.29	80.77	65.12
6	वेन्टीलेशन पंखा	12	12	91.67	82.29	91.67	65.12
7	बेल्ट कान्वेयर	71	71	90.14	82.29	88.73	65.12
8	ट्रांसफोर्मर्स(विद्युत)	79	79	93.67	82.29	79.75	65.12
9	लोकोमोटिव	5	5	80	82.29	100	65.12
10	कोल ड्रिल	102	102	71.57	82.29	71.57	65.12
11	माईन कार	60	60	75	82.29	83.33	65.12

<u>वर्ष 2014-15 के लिए</u>

वास्तविक भूमिगत उत्पादन *–12.75507* लाख टन

भूमिगत उत्पादन लक्ष्य *– 15.50* लाख टन

<u>वर्ष 2013 -14 के लिए</u>

वास्तविक भूमिगत उत्पादन *– 14.32679* लाख टन

उत्पादन लक्ष्य *– 22.000* लाख टन

<u>एसडीएल एवं एलएचडी जैसे उपकरणों के लिए कोई विशेष मानदंड उपलब्ध नहीं हैं।</u>

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{उपलब्ध उपकरण}}{\text{रोल में उपकरण}} \times 100$$

$$\text{उपयोगिता \%} = \frac{\text{वास्तविक उत्पादन}}{\text{लक्ष्य उत्पादन}} \times 100$$

<u>सीआईएल के मानकों के तहत अपनाया गया फार्मूला</u>:

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{एच डब्लू + एच आई}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहॉ –

एचडब्लू – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे,

एचआई – प्रतिवर्ष अनुरक्षण घंटे एवं

एचएस- प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

$$\text{उपयोगिता का \%} = \frac{\text{एचडब्लू}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहॉ –

एचडब्लू – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे, एवं

एचएस- प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

9.2 कोल हैंडलिंग प्लांटों एवं वे-ब्रीजों की संख्या एवं उनका कार्य-संचालन:

वर्ष 2014-15 के 12.11 मिलियन टन चूर्ण कोयला सीएचपी द्वारा प्रेषित किए जाने की तुलना में वर्ष 2013-14 में 15.903 मिलियन टन चूर्ण कोयले का प्रेषण हुआ।

	2014-2015		2013-2014	
	क्रशिंग क्षमता एमटीवाई में	सीएचपी द्वारा कोयले का प्रेषण(एमटी)	क्रशिंग क्षमता एमटीवाई में	सीएचपी द्वारा कोयले का प्रेषण(एमटी)
कोल हैंडलिंग प्लांट/फीडर ब्रेकर	39	12.11	41.50	15.903
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता के उपयोग का %		31.06 %	38.32 %	

सीएचपी द्वारा चूर्ण कोयले के प्रेषण में कमी सर्फेस माइनर से चूर्ण कोयले की उपलब्धता के कारण है। वर्ष 2014-15 में कुल उत्पादन का 88% सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादित किया गया है। एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर का उपयोग तकनीक में बदलाव, क्रशर/ सीएचपी का प्रयोग बड़े पैमाने पर कम किया गया तथा इसे स्टैंडबाय के रूप में रखा जाता है और जब पारंपरिक विधि से कोयले का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है तो उस कम मात्रा को क्रशर द्वारा पूरा किया जाता है। केवल(बेरिंग) भूमिगत उत्पादन,एमसीएल में कुल आरओएम कोयला उत्पादन केवल 13.28667 एमटी है। क्रशिंग की क्षमता काफी अधिक है अत: और नये क्रशर या फीडर ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है।

9.2.1 इन सीएचपीओं के संचालन कार्यस्थल:

बड़े सीएचपी:

सीएचपी का स्थान	**क्षमता(एमटीवाई में)**	**सीएचपी का स्थान**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
कुल:		**5.50**

9.2.2 छोटे सीएचपी/फीडर ब्रेकर:

क्षेत्र	**सीएचपी का स्थान**	**क्षमता(एमटीवाई में)**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला ओसीपी	2.0
	बलराम ओसीपी	4.0
ईब वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	समलेश्वरी ओसीपी	3.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.5
बसुन्धरा	बसुन्धरा ओसीपी	1.0
	कुल्दा ओसीपी	2.0
कुल		**33.50**

भरतपुर साईडिंग और लिंगराज ओसीपी में साईलो लोडिंग व्यवस्था के साथ सीएचपी की निर्माण गतिविधियॉ प्रगति पर है। भरतपुर साईलो दिसम्बर,2015 तक स्थापित हो जाने की उम्मीद है।

अनंता साईलो का निर्माण कार्य ठेका एजेन्सी कर रही थी जो निराशाजनक था उस ठेका को निरस्त कर दिया गया है। शेष बचे कार्य को पूरा करने के लिए पुन: (फ्रेस) निविदा जारी की गई है।
निम्नलिखित साईलो एवं संबंधित व्यवस्थाओं के लिए निविदा जारी करने की कार्रवाई की शुरूआत की गई है।

क) हिंगुला ओसीपी से प्रस्तावित हिंगुला वाशरी तक कोयले का परिवहन पाईप कन्वेयर द्वारा साथ ही बलराम साइडिंग,हिंगुल क्षेत्र पर साईलो लोडिंग व्यवस्था।

ख) भुवनेश्वरी ओसीपी से स्पर साइडिंग के निकट साइलो तक जगन्नाथ वाशरी को वायपास करते हुए कच्चे कोयले का परिवहन।

ग) बसुन्धरा वाशरी से साइलो तक कोयला परिवहन के लिए कुल्दा ओसीपी में साइलो लोडिंग व्यवस्था

9.3 वे-ब्रीजों का विवरण:

क्र.सं.	वे-ब्रीजों के प्रकार	2014-15	2013-14
1	रोड वे-ब्रीज(इलैक्ट्रोनिक)	118	113
2	रेल वे-ब्रीज(इलैक्ट्रोनिक)	32	32
3	वर्ष के दौरान वजन का प्रतिशत(रेल द्वारा)	98.89	99.02
4	वर्ष के दौरान वजन का प्रतिशत(समग्र वजन)	99.26	99.37

100% वजन सुनिश्चित के लिए 100 टी के 40 इन-मोशन रोड वे-ब्रिज का आदेश जारी दिया गया था। सभी वे-ब्रीज प्राप्त हो चुके है, 31.03.2015 तक 35 वे-ब्रीज स्थापित कर लिए गए थे शेष पॉच वे-ब्रीज की स्थापना विभिन्न चरणों में होगी। ये वे-ब्रीज आरएफआईडी प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.3.2015 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 500.00 करोड़ बनी रही, जो प्रत्येक रु.1000/- की 2958200 समतुल्य शेयर एवं प्रत्येक रु.1000/- की 2041800 के 10 % संचयी परिशोध्य प्राथमिक शेयर में विभाजित है ।

दिनांक 31.3.2014 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समतुल्य शेयर पूँजी रु.186.40 करोड़ रुपये में अपरिवर्तित रही। समस्त समतुल्य शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी नॉमितों द्वारा नियंत्रित होती है ।

11. <u>वित्तीय समीक्षा:</u>

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल ₹13697.22 करोड़ (एसटीसी सहित) के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में अब तक के सर्वाधिक ₹ 15693.71 करोड़ (एसटीसी सहित) का सकल रिकार्ड कारोबार किया है । गतवर्ष के ₹ 5429.08 करोड़ का कर पूर्व लाभ घटकर ₹ 5314.24 करोड़ हुआ है । वर्ष का कर पश्चात लाभ ₹ 3554.10 .करोड़ है। वर्ष 2013-14 की तुलना में 2014-15 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	5612.79	5713.15
घटाव : ह्रास(सामाजिक मद मूल्य ह्रास समेत)	297.11	269.18
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	1.44	14.89
कर पूर्व निवल लाभ	5314.24	5429.08
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर दायिता	1760.14	1804.78
कर पश्चात निवल लाभ	3554.10	3624.30
	2213.18	6063.86
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	355.41	362.43
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	-	53.95
दीर्घकालिक विकास में अंतरित	-	4.61
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	3841.82	5983.16
समतुल्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश		-
लाभांश पर कर	744.14	1016.84
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ:	**825.91**	**2267.17**

11.1 <u>आरक्षित को स्थानांतरण</u>:

चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ के 10 प्रतिशत अर्थात 355.41 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

सीएसआर आरक्षित एवं दीर्घकालीन विकाश आरक्षित 01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष क्रमशः रु.21.93 करोड़ और 8.34 करोड़ के वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकी परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता नहीं है

11.2 लाभांश:

निदेशकों ने चालू वर्ष के लिए प्रदत्त समतुल्य शेयर पूँजी के 2061.06 प्रतिशत (गतवर्ष 3209.85 प्रतिशत) 3841.82 करोड़ (अंतरिम लाभांश) के लिए आपके अनुमोदनार्थ सिफारिश की है ।

लाभांश पर कुल भुगतान 4585.96 करोड़ होंगे जिसमें 3841.82 करोड़ लाभांश के रूप में एवं 744.14 करोड़ लाभांश के कर के रूप में होंगे ।

11.3 अप्रतिभूति ऋण:

कोल इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स लिभेर फ्रांस एसए,फ्रांस को दिनांक 31.03.2015 को देय राशि 40.7 करोड़ थी, जिसमें से 7.40 करोड़ का ऋण स्थगित जमा पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल की आपूर्ति से संबंधित है।

11.4 एमओयू 2014-15 के वित्तीय पैरामीटर का कार्य निष्पादन

विक्रय टर्न ओवर(निवल विक्रय)	:	11024.42 करोड़
सकाल संचालन मार्जिन रेट	:	0.4568
पीएटी /नेट वर्थ	:	0.7938
ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	:	1.8146
विक्रय टर्न ओवर / नेट ब्लॉक	:	3.5707
डिबेटर टर्न ओवर अनुपात	:	9.0793

(दिनों की संख्या) (औसत संग्रह अवधि)

12. निवेश:

12.1 राज्य विद्युत बोर्डों से वर्ष 2003-04 के दौरान हुए त्रिपक्षीय समझौतों के तहत कंपनी को 344.32 करोड़ का 8.5 प्रतिशत करमुक्त पावर बॉड (अनुद्धृत लंबी अवधि निवेश) दिनांक 30.9.2001 तक के बकाया के बदले तीन राज्य विद्युत बोर्डों) (एमएसईबी,टीएनईबी एवं डब्लूबीपीडीसीएल) से प्राप्त हुए । वर्ष के दौरान 22.7 करोड़ (गतवर्ष 22.70 करोड़) का परिशोधन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 31.03.2015 को 22.70 करोड़ का बकाया रहा ।

12.2 एमसीएल की अनुषंगी कंपनी एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड और एमबीपीएल के इक्विटी शेयर में गैर चालू निवेश क्रमश: 59.57 करोड़, 57.06 करोड़ एवं ₹. 0.05 करोड़ का है।

12.3 आईआरएफसी करमुक्त 2021 श्रृंखला के 7.55 प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय 79 बांड, आईआरएफसी 8प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आईआरएफसी करमुक्त आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आरईसी के 7.22प्रतिशत आरक्षित विमोचनीय करमुक्त बांड में 31.03.2015 को गैर-चालू निवेश क्रमश: .200.00 करोड़, .108.75 करोड़, .499.95 करोड़ और 150.00 करोड़ था ।

13. पूँजीगत व्यय:

पिछले वर्ष के .876.84 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान 836.50 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया गया है।

14. विक्रय वसूली:

वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल का सकल विक्रय कारोबार गतवर्ष 2013-14 के .13697.22(एसटीसी सहित) करोड़ की तुलना में .15693.71 (एसटीसी सहित) करोड़ रहा ।

वर्ष 2014-15 के दौरान सकल विक्रय के 99.01 प्रतिशत अर्थात 15538.14 करोड़ की वसूली हुई।

15. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्रीय तथा राज्य राजकोष का प्रमुख अंशदानकारी बनी रही।

पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान रॉयल्टी, विक्रय कर, स्टोईंग उत्पाद शुल्क एवं प्रवेश कर आदि के बाबत कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार रहा :

(करोड़ में)

	2014-15	**2013-14**
रॉयल्टी	1395.72	1330.30
विक्रय कर/ ओड़िशा वैट	549.85	499.22
स्टोईंग उत्पाद शुल्क	123.00	114.98
प्रवेश कर	58.25	62.19
स्वच्छ ऊर्जा सेस	1179.14	578.15
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	719.27	548.00
कुल	**4025.23**	**3132.84**

16. परियोजना का निर्माण/ पूँजीगत परियोजनाएँ

16.1 योजना :

एमसीएल ने वर्ष **2014-15** के दौरान **127.00** मिलियन टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई है ।वर्ष **2014-15** में आकलित पूँजीगत लागत 700 करोड़ होगी जिसका अधिकांश भाग हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) की खरीद, भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा।

16.2 अनुसंधान एवं विकास

"आर एंड डी की शुरूआत के लिए /एवार्ड आफ वर्क फार बेंचमार्किंग आफ एनर्जी एफीसियेन्सी इन डीजल एंड इलेक्ट्रीसीटी इन एन ओपनकास्ट माईन थ्रू ब्यूरो आफ एनर्जी एफीसियेन्सी ईटीसी" है। इसका अध्ययन सीएमपीडीआईएल,रांची द्वारा किया गया। उपरोक्त पुरस्कार डीजल में खपत के लिए दिनांक 18.06.2014 को 12 खुली खदानों तथा उपरोक्त पुरस्कार विद्युत खपत के लिए भरतपुर खुली खदान को दिनांक 01.02.2015 को प्रदान किया गया।

16.3 नवाचार पद्धतियां

वर्ष 2014-15 में निम्न चार नवाचार पद्धतियाँ लिया गया :

(i) कनिहा का जियो फैंसिंग: कनिहा खदानों का जियो फैंसिंग जीपीएस वाले गाड़ियों के लिए दिनांक 16.12.2014 को पूरा हो गया।

(ii) एमसीएल के ई-प्रोकयोंरमेंट प्रणाली में ईएमडी का स्वत: वापसी: दिनांक 7.4.2014 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

(iii) लाईसेंस के लिए डिजिटल निधान(विस्फोटक, खदान खोलना,खदान बंद करने की योजना):

(iv) क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाईन परियोजना मानीटरिंग: वर्ष 2014-15 के दौरान **10** क्षेत्र के लिए पूरा हुआ।

16.4 परियोजना संकल्पना

वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीएमपीडीआईएल द्वारा 03 परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया : (i) गोपालजी-कनिहा विस्तार ओसीपी 30 एमटीवाई (ii) गर्जनबहाल ओसीपी परियोजना-10 एमटीवाई (iii) संयुक्त(इंटीग्रेटेड) लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी- 30एमटीवाई।

16.5 परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2014-15 में एमसीएल बोर्ड ने 05 परियोजना प्रतिवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया जो निम्नलिखित है:

(i) बसुंधरा(पश्चिम) विस्तार हेतु दिनांक 7.5.2014 को आयोजित बोर्ड की 157वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) जगन्नाथ पुनर्गठन दिनांक 26.05.2014 को आयोजित बोर्ड की 158वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) कुल्दा विस्तार दिनांक 25.06.2014 को आयोजित बोर्ड की 159वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iv) गर्जनबहाल ओसी दिनांक 03.02.2015 को आयोजित बोर्ड की 161वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(v) संयुक्त लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी 30एमटीवाई के लिए दिनांक 03.02.2015 को आयोजित बोर्ड की 164वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

वर्ष 2014-15 में विभिन्न धाराओं के तहत अधिसूचित कुल भूमि का विवरण निम्नलिखित है:-

i. सीबीए की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना : सीबीए की धारा 4(।) के तहत गोपालजी के लिए अधिसूचना दिनांक 28.11.2014, 3037(ई) को प्रकाशित।

ii. सीबीए की धारा 7(1) के तहत अधिसूचना : शून्य।

iii. सीबीए की धारा 9(1) के तहत अधिसूचना : शून्य ।

iv. सीबीए की धारा 11 के तहत अधिसूचना : कलिंगा ईस्ट ब्लॉक,क्षेत्रफल-1479.553 एकड़। एसओ नं.-1821(ई) दिनांक 10.07.14 ।

वर्ष 2014-15 के दौरान कब्जा ली गई कुल भूमि- 314.035 हेक्टेयर।

वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल द्वारा रु.700 करोड़ के लक्ष्य के स्थान पर रु 836.50 करोड़ की कुल राशि व्ययित हुई फलत: लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 119.5 प्रतिशत रही है।

वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित बड़ी परियोजनागत कार्यकलाप /माइल स्टोन को हाथ में लिया गया :

- कुल्दा: वर्ष 2014-15 के दौरान 20 हेक्टेयर वनभूमि का कब्जा पूरा नहीं हुआ।
- हिंगुला ओसीः चरण-।: 440.53 हेक्टेयर के लिए वन क्लीयरेंश: चरण-। के लिएएफ नं.8-69/2014-एफसी दिनांक 6.1.2015 ।
- भुवनेश्वरी: कोयला उत्पादन -20एमटीवाई: वर्ष 2014-15 के दौरान 25.00 एमटी कोयला उत्पादित हुआ ।
- कनिहा: वर्ष 2014-15 के दौरान एमजीआर द्वारा 6.1936 एमटी कोयले का प्रेषण हुआ।
- गोपाल प्रसाद ओसीपीः 15एमटीवाई के लिए ईसी : चरण-। के वन क्लीयरेंश की शर्त पर ईएसी की अनुषंगा/ब्लॉक रिएलोकेशन के लिए कोयला मंत्रालय से एमसीएल को निर्देश की प्रतीक्षा है।
- समलेश्वरी ओसी: चरण -। वन क्लीयरेंश का अनुपालन : चरण-। क्लीयरेंश का अनुमोदन: एआईजी(एन),नई दिल्ली को अंतिम क्लीयरेंश के लिए दिनांक 20.09.2014 को सौंप दिया गया।
- लिंगराज ओसी : लिंगराज ओसीपी के लिए साईलो के निर्माण कार्य का आदेश: कार्य आदेश सं.-एचओए संख्या-एमसीएल/एसएएमबी/ई एंड एम/ लिंगराज साईलो/2014-15/ एचओए दिनांक 12.06.14 के द्वारा प्रदान किया गया। दिनांक 26.11.2014 को समझौता हुआ।
- भरतपुर ओसीः साईलो की स्थापना : प्राप्त नहीं हुआ।
- बलराम ओसी : बलराम विस्तार के लिए 841.26 एकड़ का धारा 7(1) के तहत अधिसूचना: प्राप्त नहीं हुआ।
- ओरियेंट क्षेत्र में 33सीवी/11 केवी कलिंगनगर सब-स्टेशन के वृद्धि के लिए डिजाइन एवं इंजीनियर आपूर्ति,इरेक्शन,स्थापना : 33केवी पावर ट्रांसफार्मर बे, एक 33केवी लाइअिग ट्रांसफार्मर वे और एक पोटेन्सीयल ट्रासफाम्र बे की जांच एवं स्थापना: प्राप्त नहीं हुआ।

16.6 पूंजीगत परियोजनाएं/स्कीम:

एमसीएल में 53 स्वीकृत खनन परियोजनाएं तथा 5 भूमि गत खदाने हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की अधिकतम उत्पादन क्षमता 261.32 एमटीवाई (303.57एमटीवाई के पीक कैपसिटी) है । इन पर स्वीकृत पूंजी रु.12514.267 करोड़ है । इनमें से 34 पूर्ण परियोजनाएं जिनकी क्षमता 99.989 एमटीवाई और स्वीकृत पूंजीगत लागत रु.2823.78 करोड़ है। 34 पूर्ण परियोजनाओं में से दो(बलंडा ओसीपी और बसुंधरा पूर्व ओसीपी) शेष हो चुकी है। 19 चालू परियोजनाएं हैं जिनपर पूंजीगत लागत रु.9690.49 करोड़ तथा स्वीकृत अधिकतम क्षमता 161.331 एमटीवाई **|** अन्य विवरण नीचे दिए जा रहे हैं।

उत्पादन	**2014-15**		**2013-14**		**लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति**	**गत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिसत**
I) **कोल (एमटी)**	**एएपी लक्ष्य**	**वस्तविक**	**लक्ष्य**	**वस्तविक**		
खुली खदान	125.45	120.10	118.00	109.01	95.7	10.18
भूमि गत	1.55	1.28	2.00	1.43	82.3	-10.97
कुल कोल(खुली+ भूमि)	127.00	121.38	120.00	110.44	95.6	9.90
II)ओआरबी(घन मी.)	113.00	89.22	109.75	96.028	79.0	-7.09

16.7 पूर्ण परियोजनाओं की संख्या : 34

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूँजीगत परिव्यय (करोड़ में)	पूर्ण होने की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	156.49	मार्च 1995
2.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-।	1.50	46.99	मार्च 1997
3.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-।।	6.50	35.88	मार्च 2007
4.	बलंडा ओ/सी (रिक्त हुआ)	1.00	36.87	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी (कलिंग ओसीपी)	8.00	345.96	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97 (आरसीई)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-।	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	छेडिपदा ओ/सी	0.35	19.75	मार्च 2007
9	हिंगुला-।। ओ/सी	2.00	48.57	मार्च 2002
10.	हिंगुला-।। ओ/सी विस्तार,चरण-।	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला-।।ओ/सी विस्तार,चरण-।।	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ/सी,जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71/4.71	मार्च 1991
13.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार,चरण-।।	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।।	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-।।।	3.00	125.047 (आरसीई)	मार्च 2014
18.	नंदिरा यूजी (वृद्धियुक्त)	0.33	17.95	मार्च 1995
	उप जोड़ *(शेष हुए खदानों की क्षमता छोड़कर)*	**55.68**	**1536.357**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
19.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00	131.31 (आरसीई)	मार्च 1994
20.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार,चरण-।	1.50	35.47	मार्च 2007
21.	लजकुरा ओ/सी	1.00	38.98 (आरसीई)	मार्च 1991
22	लखनपुर ओ/सी	5.00	221.51	मार्च 2000
23	लजकुरा ओसीपी विस्तार,चरण-।	1.50	60.77 (आरसीई)	मार्च 2013
24	लखनपुर ओ/सी विस्तार,चरण-।	5.00	98.74	मार्च 2010
25	लखनपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।	5.00	116.54	मार्च 2011
26	लिलारी ओ/सी	0.80	19.78	मार्च 1992
27	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	126.85	मार्च 1996
28	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।	1.00	28.69	मार्च 2007
29	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।।	1.00	13.38	मार्च 2007
30	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-।।।	2.00	87.95	मार्च 2009
31	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण -IV.	5.00	27.82	मार्च 2013
32	बसुंधरा (पूर्व) ओ/सी *(विस्तार)*	0.60	19.69	मार्च 1998
33	बसुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	2.40	176.55	मार्च 2007
34	बसुंधरा (पश्चिम)विस्तार चरण-।	4.60	46.52	मार्च 011
	उप जोड़ *((शेष हुए खदानों की क्षमता छोड़कर)*	**40.80**	**1230.86**	
	कुल *(शेष हुए खदानों की क्षमता छोड़कर)*	**96.48**	**2767.22**	

16.8 चालू परियोजनाओं की संख्या : 19

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूँजी (करोड़ रु. में)	पीआर अनुमोदन की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	अंनता ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	3.00	207.28	31.08.2008
2	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।	6.00	95.87	29.03.2003
3	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	9.00	131.39	12.02.2007
4	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00 *	172.08	22.12.2007
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
6	गोपालप्रसाद ओसीपी	15.00	395.87	09.02.2008
7	हिंगुला -।। ओसीपी विस्तार,चरण-।।।	7.00	479.53	08.11.2008
8	जगन्नाथ पुनर्गठन	6.00 *	337.66	26.05.2014
9	जगन्नाथ यू/जी	0.67	80.75	15.10.2001
10	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
11	नटराज यू/जी	0.64	92.11	30.01.2001
12	तालचेर (पश्चिम) यू/जी	0.52	85.08	18.02.2002
	उप-जोड़	**71.83**	**3025.49**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
13	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00 *	479.15	07.05.2014
14	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार,चरण-।।	4.50	14.40	04.02.2011
15	कुल्डा ओसीपी	10.00	302.96	12.01.2005
16	कुल्डा विस्तार ओसीपी	5.00	289.03	25.06.2014
17	तलाबीरा ओसीपी	20.00	447.72	29.03.2008
18	सियारमाल ओसीपी	40.00	3756.36	29.05.2014
19	गर्जन बहाल ओसीपी	10.00	1375.38	08.11.2014
	उप-जोड़	**89.50**	**6665.00**	
	कुल (चालू परियोजनाएं)	**161.33**	**9690.49**	
कुल योग *(शेष हुए खदानों की क्षमता छोरकर)*		**257.81**	**12514.27**	

*** मूल परियोजनाओं का विस्तार है उसके साथ अतिरिक्त क्षेत्र शामिल है। इसलिए क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।**

16.9 वर्तमान पुरानी भूमिगत खानेः 05

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा आंकलित क्षमता एमटीवाई में (एमटी/वाईआर)		
		2012-13.	**2013-14.**	**2014-15**
1	हिमगिर रामपुर कोयला-खदान	0.245	0.245	बंद
2	हीराखंड बुंदिया खदान	0.612	0.551	0.551
3	ओरियंट खदान-1 एवं 2	0.490	0.490	0.428
4	ओरियंट खदान-3	0.612	0.643	0.551
5	ओरियंट खदान 4	0.061	0.061	0.061
6	तालचेर यू/जी	0.323	0.329	0.318
	कुल	**2.343**	**2.319**	**1.909**
	एमसीएल के लिए कुल योग	*(शेष हुए खदानों की क्षमता छोड़कर)*		**259.72**

16.10 भावी परियोजनाएँ : - 03 .

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	टिप्पणी
1.	एकीकृत लखनपुर- बेलपहाड़ लिलारी ओसीपी	30.00	एमसीएल बोर्ड द्वारा 03.02.2015 को पीआर का अनुमोदित किया गया । सीआईएल बोर्ड से अनुमोदन किया जाना है
2.	गोपालजी ओसीपी (कनिहा ओसीपी का विस्तार)	30.00	पीआर तैयार किया जाना है ।
3.	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	31.03.2012 को एमसीएल बोर्ड द्वारा सिद्धांत अनुमोदन

16.11 गैर- खनन परियोजनाएं

क. गैर- खनन परियोजनाएं

एमसीएल में चालू गैर खनन बड़ी परियोजनाएं लागत > ₹ 20 करोड़ :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूंजी करोड़ में
1	तालचेर कोलफील्ड्स में चार लेन का 41.5 कि.मी. लंबी सड़क का निर्माण	251.35
2	लिंगराज ओसीपी के चैक पोस्ट से एनएच-200 तक डायवर्सन सड़क का निर्माण ।	136.00
3	तालचेर के घनतापरा ग्राम के निकट लेवल क्रासिंग पर आरओबी का निर्माण।	37.50
4	बसुंधरा-गर्जन बहाल रोड़ में सभी सीटी सड़क का निर्माण जिसकी आयु कंक्रीट के साथ 5 वर्ष से अधिक हो ।	22.96
5	इब कोयलांचल रोड़ में सभी सीटी सड़क का निर्माण जिसकी आयु कंक्रीट के साथ 5 वर्ष से अधिक हो	94.22
6	कनिहा छोड़कर तालचेर कोयलांचल रोड़ में सभी सीटी सड़क का निर्माण जिसकी आयु कंक्रीट के साथ 5 वर्ष से अधिक हो	165.92
7	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी सड़क का निर्माण	26.92
8	लजकुरा वेलकम गेट से माईन:3 तक 3.7 कि.मी. बाई पास सड़क का निर्माण।	35.56
9	बूंदिया खदान से एनएच 200 को जोड़ने वाली 12.54 कि.मी.कंक्रीट सीटी सड़क का निर्माण ।	135.29
10	बांकी बहाल से कनिहा रेलवे साईडिंग तक 27कि.मी सड़क को दो लेन से चार लेन चौड़ा करना ।	266.50
11	अनंता सुपर साईडिंग V एवं VI 15 एमटीवाई के लिए साइलो लदान व्यवस्था ।	198.66
12	लिंगराज ओसीपी 16 एमटीवाई के लिए साइलो लदान व्यवस्ता ।	237.56
13	भूवनेश्वरी वाशरी (10 एमवाईवाई) के लिए कुलदा ओसीपी में साइलो लदान व्यवस्था ।	35.96
14	झारसुगुड़ा बरपालि रेल लाइन ।	469.68
15	अंगुल स्टेशन से कलिंग सीपीपी तक रेलवे साईडिंग का कार्य	99.00
16	तालचेर एवं पारदीप पोर्ट के बीच आटो साईडिंग प्रणाली	63.23
17	बी-ओ-एम आधार पर बसुंधरा वाशरी (10.00 एमटीवाई)	165.79
18	बी-ओ-एम आधार पर जगन्नाथ वाशरी (10.00 एमटीवाई)	160.70
19	बी-ओ-एम आधार पर ईब वैली वाशरी (10.00 एमटीवाई)	181.00
20	बी-ओ-एम आधार हिंगुला वाशरी (10.00 एमटीवाई)	181.00
	कुल	**2964.80**
	भावी परियोजनाएं	
1	सुंदरगढ़ जिला में बांकीबहल से भेडाबहाल (एसएच 10) तक चार लेन डेडिकेटड कोल कोरिडोर का निर्माण ।	666.00 (संशोधित)

16.12 वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार किया गया

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रुपए करोड़ॉ)	टिप्पणी
1.	गोपालजी -कानिहा विस्तार ओसीपी	30 एमटीवाई.	विभागीय:2893.31(लक्ष्य वर्ष के अंदर)आउटसोर्सिंग:1460.27 (लक्ष्य वर्ष के अंदर)	परियोजना रिपोर्ट को एमसीएल बोर्ड द्वाराअनुमोदन प्रदान किया जाना है ।
2.	गर्जन बहाल ओसीपी	10 एमटीवाई.	विभागीय:1045.35(लक्ष्य वर्ष के अंदर अतिरिक्त पूंजी कीआवश्यकता) आउटसोर्सिंग :511.27(लक्ष्य वर्ष के अंदर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता)	परियोजना रिपोर्ट को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है ।
3.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30 एमटीवाई.	विभागीय:3553.76 (लक्ष्य वर्ष तक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता) आउटसोर्सिंग:1333.94 (लक्ष्य वर्ष तक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता)	परियोजना रिपोर्ट को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है ।

16.13 **विदेशी सहयोग** : शून्य

16.14 **आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेश**

क. उच्च क्षमता के एचईएमएम जैसे 10 घनमीटर एवं 20 घनमीटर शावल 100टी एवं 170 टी डम्पर्स,770 एचपी डोजर्स इत्यादि की अभिकल्पना अभी हाल ही में संस्वीकृत परियोजना रिपोर्टों में की गई है।

ख. एमसीएल की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में सतत खनन को लागू किए जाने का प्रस्ताव है।एचबीआई खान में इसको लागू करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ग. एमसीएल सतही खानों में खानों को खोदने के लिए तथा कोयला प्राप्त करने के लिए विस्फोटरोधी प्रौद्योगिकी लागू करने में अग्रणी है। अब अधिभार (ओबी) को हटाने के लिए रिपर डोजर को लागू करने की अभिकल्पना की गई है।

घ. एमसीएल ने तालचेर भूमिगत खान की विशेषताओं का अध्ययन करने तथा इस पर पर्यावरण प्रभाव एवं बलंडा खुले उत्खनन में फ्लाईऐश भरने से भूमिगत जल पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भू-तकनीकी अध्ययन कार्य शुरू किया है।

ङ. तीव्र लोडिंग प्रणाली के साथ साइलो एमसीएल की सभी मुख्य खुली परियोजनाओं (ओसीपी) में लागू की जा रही है।

च. ईब कोलफील्ड में चार भूमिगत खानों में पहले ही मेनराइडिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा इसे तालचेर कोलफील्ड की अन्य खानों में भी लागू की जा रही है।

छ. एमसीएल ने 10.00 एमटीवाई क्षमता की चार वाशरिज निर्मित करने की योजना बनाई है जिनमें दो तालचेर कोलफील्ड, एक ईब वैली कोलफील्डस तथा एक ईब कोलफील्ड के बसुंधरा क्षेत्र में होगी। इन वाशरिज के निर्माण का कार्य बीओएम (निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण) आधार पर किया जाएगा। एमसीएल बोर्ड द्वारा इन सभी वाशरिज की तकनीकी आर्थिक संभावना रिपोर्टें अनुमोदित कर दी गई हैं । बसुंधरा और हिंगुला वाशरी प्रत्येक की 10 एमटीवाई क्षमता के लिए दो कार्य आदेश जारी कर दिये गये है] पर्यावरणीय क्लीयरेंस के चलते इनमें देरी हो रही है ।

16.15 सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं : शून्य

16.16 2014-15 के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं कब्जा ।

(ऑकड़े हेक्टेयर में)

क्षेत्र	काश्तकारी		सरकारी गैर-वन		वन भूमि		कुल अधिग्रहण	कुल कब्जा	टिप्पणी
	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा			
जगन्नाथ	0.000	21.900	0.000	0.000	0.000	8.500	0.000	30.400	
हिंगुला	0.000	12.492	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.492	बलराम ओसीपी विस्तार ब्लॉक- -841.20 एकड़ या 340.429 हेक्टर - 4(1) जेए अधिसूचना एसओ सं. 239(ई) दिनांक.14.01.2015. 7(1) 27.02.2015 को कोयला मंत्रालय भेजागया
भरतपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	180.790	0.000	180.790	बैतरणी पूर्व ओसीपी ब्लॉक -945.29 हेक्टर.- 7(1) जेए अधिसूचना एसओ सं.3057 (ई) . दिनांक 31.07.2014. 9(1) क्षेत्र के पास प्रक्रियाधीन है
लिंगराज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
कनिहा	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	गोपालजी ओसीपी ब्लॉक - 1141.437 हेक्टर- 4(1) जेए अधिसूचना एसओ सं. 3037(ई) दिनांक 28.11.2014. 7(1) पक्रिया धीन है।
ईब वैली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	लजकुरा ओसीपी विस्तार ब्लॉक- 469.78 हेक्टर- - 4(1) 18.03.2015 को अधिसूचना का प्रस्ताव कोयला मंत्रालय भेजागया।
लखनपुर	0.000	35.103	0.000	20.990	0.000	5.000	0.000	61.093	
बसुंधरा एवं गर्जनबहाल क्षेत्र	47.506	27.260	0.000	0.000	0.000	0.000	47.506	27.260	छीतेनपाली ग्राम में - 25.070 हेक्टर एवं बदखलिया ग्राम में 22.436 हेक्टर जमीन का सीधी खरीद की गई।
जगन्नाथ	0.000	21.900	0.000	0.000	0.000	8.500	0.000	30.400	बलराम ओसीपी विस्तार ब्लॉक -841.20 एकड़ या 340.429 हेक्टर - 4(1) जेए अधिसूचना एसओ सं. 239(ई) दिनांक.14.01.2015. 7(1) 27.02.2015 को कोयला मंत्रालय भेजागया ।
कुल	47.506	98.755	0.000	20.990	0.000	194.290	47.506	314.035	

16.17 स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित(बीओएम)आधार पर वाशरी की स्थिति:

कोल इंडिया लिमिटेड के निर्माण के तहत अधिक मात्रा में रख वाले कोयले की मितव्ययी आधार पर धुलाई के लिए एमसीएल ने चार वाशरी हिंगुला वाशरी कुल्दा ओसीपी में बसुंधरा वाशरी लखनपुर में ईब वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी प्रत्येक 10 एमटीवाई का चरण-1 मेन बीएमओ आधारपर पर स्थापित करने की योजना है । चरण-1 की वाशरियों को 2017 एवं 2018 तक चालू करने की योजना है ।

चरण-**II** में एमसीएल दो वाशरी जैसा उनके आधार पर 20 एमटीवाई क्षमता की लखनपुर वाशरी तथा 40 एमटीवाई क्षमता की सियारमाल वाशरी की योजना है चरण-**II** की वाशरी 2018 के बाद कार्य करने लगा है । विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(क) हिंगुला वाशरी : **क्षमता** 10 **एमटीवाई**

1. दिसम्बर,2013 को सबसे कम बोली लगाने वाले को सूचनाका पत्र (**Letter of Intimation)**मे दिया गया ।
2. जनवरी, 2014 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (**MoEF**) द्वारा टीओआर जारी किया गया ।
3. **28** अप्रैल,2015 को जन सुनवाई **(PH)** अनुसूचित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना 13.03.2015 को कर दी गई है ।
4. बोली (बीड) के अनुसार पर्यावरण क्लीयरेंश प्राप्त होने के पश्चात सबसे कम बोली लगाने वाले को कार्य का आदेश (**Letter of Award**) जारी किया जायेगा।

(ख) कुल्दा ओसीपी में 10 एमटीवाई क्षमतावाली बसुंधरा वाशरी :

1. मई,2014 को सबसे कम बोली लगाने वाले को सूचना का पत्र (**Letter of Intimation)** मे दिया गया ।
2. सितंवर,2014 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (**MoEF**)द्वारा टीओआर जारी किया गया ।
3. राज्य प्रदूसण नियंत्रण बोर्ड के पास एमसीएल द्वारा ईआईए/ईएमपी जमाकरना ताकि मई,**2016** में अनुसूचित जन सुनवाई हो ।
4. बोली (बीड) के अनुसार पर्यावरण क्लीयरेंश प्राप्त होने के पश्चात सबसे कम बोली लगानेवाले को कार्य का आदेश (**Letter of Award**) जारी किया जायेगा ।

(ग) लखनपुर में 10 एमटीवाई क्षमता का ईब वैली वाशरी:

1. नवम्बर,**2014** में एमसीएल बोर्ड द्वारा संशोधित अवधारणा तक रिपोर्ट (सीआर)का अनुमोदन किया गया ।
2. अप्रैल, 2015 में ई-एनआईटी को अनुमोदित करना एवं जारी कारना (**Floating**) अनुसूचित किया गया ।

(घ) जगन्नाथ वाशरी,क्षमता 10 एमटीवाई :

1. नवम्बर,**2014** में एमसीएल बोर्ड द्वारा संशोधित अवधारणा तक रिपोर्ट (सीआर)का अनुमोदन किया गया ।
2. अप्रैल, 2015 में ई-एनआईटी को अनुमोदित करना एवं जारी कारना (**Floating**) अनुसूचित किया गया ।

17. भू-गर्भीय अन्वेषण

विवरण	2012-2013	2013-2014	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1. सीआईएल ब्लाकों में कुल ड्रीलिंग(मीटर में)	11374.00	28,000.00	22205.00
उपरोक्त ड्रिलिंग के कारण सिद्ध कोयला भंडार (एमटी में)	शून्य	शून्य	

टिप्पणी: वर्ष 2014-15 के दौरान जहाँ 22,205 मीटर ड्रिलिंग किया गया उन ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है तो भी 2014-15 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र चार भु-गर्भीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तथा आकलित कोयला भंडार का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं	ब्लॉक	कोलफील्ड्स	अनुमानित रिजर्व (लाख टन में)			
			प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
1	प्रजापरा	ईब वेली	972.973			972.973
2	प्रजापरा डीप. विस्तार	ईब वेली	703.861	703.425	192.956	1600.242
3	समलेश्वरी की डिप साइड	ईब वेली	617.742	341.880	108.520	1068.142
4	सुभद्रा वेस्ट	तालचेर	527.809			527.809
कुल			2822.385	1045.305	301.475	4169.166

पर्यावरण प्रबंधन-

18.1 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता' पर सितंबर,2011 में डीपीई के दिशा-निर्देशन और तत्पश्चात अप्रेल-2013 में संशोधन के मुद्दों पर एमसीएल 2011-12 से संधारणीयता प्रतिवेदन प्रकाशित करता रहा है । जीआरआई 3.1 दिशा निर्देशों और जीआरआई के खनन और धातु पूरक (एमएमएसएस) के साथ-साथ उच्चतम अनुप्रयोग स्तर 'ए' सहित एमसीएल की तृतीय कॉर्पोरेट संघारणीयता प्रतिवेदन 'अनअर्थिंग स्माइल्स' शीर्षक से प्रकाशित हो रही है । यह प्रतिवेदन 84 मापदंडों (जैसे- सामाजिक सामाजिक, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, मानव अधिकार, श्रम, समाज आदि पहलुओं को) के आंकड़ों और कुछ विशेष क्षेत्रों की पूरकों को दर्शाता है तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए अपने हितग्राहियों के प्रति अपनी नीतिगत प्रतिबद्धताओं को तथा पर्यावरण के मुद्दों और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के इरादे को स्पष्टत: दर्शाता है । एमसीएल ने अब तिहरे जमीनी स्तर (लोग, पृथ्वी, लाभ) पर वैश्विक दिग्गजों के साथ अपना एक बेंचमार्क स्थापित कर लिया है । एमसीएल हर साल इस तरह की रिपोर्टों को अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकाशित करना जारी रखेगा।

18.2 **वैधानिक अनुपालन - एमओईएफसीसी से पर्यावरण क्लीयरेंस व संदर्भ शर्तें(टीओआर)**

• ईआईए अधिसूचना 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार किसी भी खदान के संचालन या विस्तार / वृद्धि किए जाने के पूर्व केन्द्र सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या लघुनाम एमओईएफ) जरूरी है।

तदनुसार, एमसीएल सभी खानों (नई और विस्तार) के लिए नियमित रूप से आवेदन कर पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त की पर्यावरण क्लीयरेंस की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

(सभी अंक एम.टी. में)

क्र.	विवरण	तालचेर कोलफील्ड्स	ईब वैली कोलफील्ड्स	कुल
1	दिनांक 31.3.2014 को उपलब्ध पर्यावरणीय क्लीयरेंस	**108.78**	**66.81**	**175.59**
2	2014-15मेंस्वीकृत पर्यावरणीय क्लीयरेंस (अतिरिक्त क्षमता)	**8.00**	**12.25**	**20.25**
3	01.4.2015 को उपलब्ध पर्यावरणीय क्लीयरेंस	**116.78**	**79.06**	**195.84**
4	ईएसी*द्वारा अनुशंषित पर्यावरणीय क्लीयरेंस (अतिरिक्त क्षमता)	**18.00**	**23.00**	**41.00**
	कुल			**236.84**

टिप्पणी : * इसमें संयुक्त उपक्रम शामिल है - एमजेएसजे कोल लिमिटेड का गोपाल प्रसाद ओसीपी तथा एमएनचएच शक्ति लिमिटेड का तलाबीरा-।। व ।।।

- **वर्ष 2013-14 में 01 पर्यावरण क्लीयरेंस के संबंध में वर्ष 2014-15 का अवधि के दौरान 07 प्रस्तावों पर पर्यावरण व वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त हुआ ।**

क्र.	परियोजना का नाम	पर्या.क्ली. पत्र का क्रमांक व दिनांक
1	लखनपुर ओसीपी विस्तारण- 18.75 एमटीवाई	जे-11015/391/2012-ए.II(एम) दि..21/05/2014
2	अनंता ओसी विस्तारण- फेज-।।। (12 एमटीपीए से 20 एमटीपीए)	जे-11015/397/2008-IA.II(एम) दि. 10/12/2014
3	समलेश्वरी ओसी विस्तारण- (5 एमटीपीए से 11 एमटीपीए) फेज-।।ईसी	जे-11015/183/2008-IA.II(एम) दि.26/12/2014
4	बेलपाहाड़ ओसी विस्तारण- (6 एमटीपीए से 9 एमटीपीए)	जे-11015/189/2008-IA.II(एम) दि. 22/01/2015
5	लजकुरा ओसी विस्तारण- (1 एमटीपीए से 3 एमटीपीए) फेज-।।ईसी	जे-11015/423/2008-IA.II(एम) दि. 30/01/2015
6	लजकुरा ओसी विस्तारण- (3 एमटीपीए से 4.5 एमटीपीए	जे-11015/423/2008-IA.II(एम) दि. 30/01/2015
7	समलेश्वरी ओसी विस्तारण- (11 एमटीपीए से 15 एमटीपीए)	जे-11015/183/2008-IA.II(एम) दि.06/02/2015

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संदर्भ शर्तों (टीओआर) और इसके विस्तार के लिए ईएसी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 04 आवेदन पर विचार करते हुए निम्नानुसार संदर्भ शर्तों की स्वीकृति दी गई -

क्र.	परियोजना का नाम	संदर्भ शर्तों की स्वीकृति दिनांक
1	लिंगराज ओसी विस्तारण - 20 एमटीपीए	संदर्भ शर्तों की वैधता में 21.3.2015 तक की वृद्धि
2	सियारमल ओसीपी- 50 एमटीपीए	20/02/2015
3	बसुंधरा वॉशरी - 10 एमटीपीए	30/09/2014
4	काकुड़ी सैंड माइंस - 0.25 एम.क्यू.मी.	16/03/2015-ईएसी प्रस्तुति

- लिंगराज ओसी विस्तारण (20एमटीपीए) के लिए जन-सुनवाई 09.9.2014 को हुई । अंतिम ईआईए/ईएमपी तैयार कर दिनांक 10.2.2015 को पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया ।

18.2.1 वैधानिक अनुपालन - पोस्ट-ईसी क्लीयरेंस

- एमसीएल के सभी ऑपरेटिंग खानों और एक रेलवे साइडिंग के लिए ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (OSPCB) से जल और वायु अधिनियमों के तहत "संचालन की सहमति" प्राप्त किया गया है।
- तालचेर कोलफील्ड्स एवं ईब कोलफील्ड्स में हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए सीएमपीडीआई को कार्यादेश दिया गया था तथा उनके अनुरोध पर तालचेर कोलफील्ड्स में 23 स्थानों और ईब वैली कोलफील्ड में 17 स्थानों पर बोर होल ड्रिलिंग तथा पीजोमीटर निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। पर्यावरण विभाग, एमसीएल द्वारा निविदाएं पूर्ण करते हुए मेसर्स पीआरबी इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को रू..1.47 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य पर तालचेर कोलफील्ड्स के लिए तथा मेसर्स एस तिरुपति इंटरप्राइजेज, झारसुगुडा को रू..94.63 लाख रुपए के अनुबंध मूल्य पर तालचेर कोलफील्ड्स के लिए कार्यादेश दिनांक 27/03/2015 को जारी किए गए ।
- उत्खनन कार्मशाला सहित संचालित खुली खदानों (जहॉ उपयोगित बैटरी, उपयोगित ऑयल व ग्रीस बचे रह जाते है) तथा वॉशिंग रैंप से बहने वाली बेकार जल (जो तैलीय कीचड़ उत्पन्न करता है) से ऑयल व ग्रीस को अलग करने के लिए की गई वयवस्था के लिए एसपीसीबी से खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ नियमों के तहत "प्राधिकार" प्राप्त किया गया है । उपयोगित बैटरी तथा अपशिष्ट से निष्कासित ऑयल व ग्रीस को पर्याप्त संचयन पश्चात एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से पुन: प्रक्रियाओं के लिए अधिकृतों को नीलाम कर दिया जाता है । विधानानुसार, बैटरियों के लिए अर्द्धवार्षिक विवरणी एवं अन्य खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक विवरणी एसपीसीबी में दाखिल की जाती है ।
- वर्ष के दौरान एमसीएल के 3 अंतर्विषयक अधिकारियों के दल द्वारा 22 संचालित खानों में से प्रत्येक का पर्यावरणीय लेखा परीक्षा किया गया ।
- (डबल्यूपीसी) 6976 के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार एमसीएल की सभी 15 खुली

खदान खानों के सरफेस रन-ऑफ अध्ययन के लिए कार्यादेश जारी किया गया है जिसमें प्रबंधन योजना व शून्य रिसाव के संभावना की तलाशना भी शामिल है । गुणात्मक पहलुओं पर अंतरिम प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 की निर्धारित तिथि के भीतर ओएसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया।

- निर्धारित दिनांक 30सितंबर के अंदर ही दिनांक 27सितंबर को सभी 22संचालित खानों के लिए पर्यावरण सुरक्षा नियमावली के नियम 14-के तहत प्रपत्र--V में वार्षिक पर्यावरण विवरण एसपीसीबी के पास जमा कर दिया गया ।
- पर्यावरण क्लीयरेंस स्थिति के अनुपालन में ईआईए अधिसूचना के तहत पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त सभी संचालित खानों के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन एमओईएफ के पास वर्ष 2014-15 में जमा कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय,एमओईएफ, भुवनेश्वर के पदाधिकारीगण समय-समय पर इन अनुपालनों के निगरानी के लिए खानों का निरीक्षण किया है ।

18.3 **पर्यावरण रक्षा व सुधार के लिए किए गए उपाय-**

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय -

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी लंबे समय से लंबित प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तथा इनके साथ काफी संख्या में उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है।

- पर्यावरणीय अनुकूल सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत से 2014-15 में 88.42 प्रतिशत के जरिए कोयला उत्पादन में सतत् संवर्धन ।

  वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल ने कुल 107.33 मिलियन टन कोयला उत्पादन में से 121.39 मिलियन टन कोयला सरफेस माइनर प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्पादित किया (88.42%)। यह विस्फोट रहित खनन प्रौद्योगिकी है जो ड्रिलिंग, विस्फोट एवं पानी के छिड़काव के साथ की जाने वाली क्रेशिंग के दौरान पैदा होने वाली धूल को पूरी तरह से खत्म करती है। इसके अतिरिक्त मशीनों की सहायता से कोयला एवं पत्थर परतों का अलग-अलग खनन किया जाता है जिससे 3 से 4 % के लगभग राख को कम किया जा सकता है । मूलभूत इकाई संचालनों, जैसे- ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर तक परिवहन-लोडिंग व पुन: लोडिंग तथा इन संचालनों में डीजल की अनुगामी खपत, में बचत से कोयला उत्पादन की पारंपरिक विधि में होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है । पुन: राख की मात्रा में 3 से 4 % की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों को परिवहन में मात्रा में कमी आती है इससे ग्रीन हाउस गैसों में भी कमी आती है जो परिवहन दूरी व स्तर के विचार से काफी कम होता है। आकलित किया गया है कि एमसीएल ने इस संबंध में लगभग 1,10,000 टन तक कार्बन का उत्सर्जन कम किया है ।

- कोयला परिवहन धूल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, किंतु एमसीएल में 80 % कोयले का परिवहन रेल के माध्यम से है जो अत्यंत पर्यावरणीय अनुकूल, लंबी-दूरी, उच्च गति इनलैंड मास यातायात प्रणाली है जिसमें एक रैक में 3800 टन कोयले का बिना प्रदूषण फैलाए परिवहन होता है जो 250 ट्रकों द्वारा प्रत्येक में लगभग 15टन कोयला ले जाने के समकक्ष होगा जिनसे प्रदूषण का स्तर कल्पना के परे होगा ।
- रेक लोडिंग सुविधा व रेल बुनियादी ढांचे में बढ़ोत्तरी/उन्नति लाई जा रही है तथा इसे दृढ़ (पटरियों का उन्नयन करना, पटरियों को दुहरा करना, साइडिंग का आपस में जोड़ना, स्वचलित सिग्नल प्रणाली आदि) बनाया जा रहा है । वर्तमान में 22 साइडिंग व 3 एमजीआर के माध्यम से कोयला परिवहन

हो रहा है । रेक लोडिंग में कुल 10 से 15% प्रतिशित की वृद्धि दर्ज करते हुए औसत में तालचेर कोलफील्ड्स से प्रतिदिन 35 रेक लोडिंग तक की व ईब कोलफील्ड्स से प्रतिदिन 25 रेक लोडिंग तक की वृद्धि हुई है ।

- भरतपुर (आरएलएस) संचालन में है।छह अतिरिक्त एसआईएलओ संचालन हेतु प्रक्रिया में है ।
- खनन गतिविधियों के कारण धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 28 कि.ली. के 80 मोबाइल जलवाहक नियोजित किए गए है । 28 कि.ली. के एक मोबाइल जलवाहक के लिए लगभग 1.2 करोड़ का पूंजीगत व्यय व लगभग 85 लाख/जलवाहक/वर्ष का राजस्व व्यय होता है ।
- कोलफील्ड्स में खनन लीज से बाहर के कोयला परिवहन सड़कों में धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 12 कि.ली. क्षमता के मोबाइल जलवाहक नियोजित किए गए है ।
- सभी रेलवे साइडिंग में वैगन लोडिंग के दौरान धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अचल फुहारे लगाए गए हैं।मोबाइल जलवाहक भी उपलब्ध किए गए है । पुन:, धूल दबाव को उन्नत करने हेतु साइडिंग के लिए अभिनव तथा नवीन धूल दबाव प्रणाली ऑटामाइजर्स/फॉग केनन लगाना विचाराधीन है ।
- कोल हैंडलिंग संयंत्र में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मिस्टर्स ,अचल फुहारे तथा मोबाइल जलवाहक हैं। तथापि काफी नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन)कुल उत्पादन का 11.5% (की वजह से सीएचपी की क्रशिंग आवश्यकता में कमी के कारण सीएचपी से धूल उत्सर्जन में काफी कमी आई है ।
- लिंगराज क्षेत्र में वनभूमि का कब्जा लेने के बाद सड़क ब्रिक्री ट्रकों हेतु वर्तमान सीटी सड़क को फ्लाईओवर तथा लेवल क्रासिंग पर आरओबी सहित कोयला रिक्तिकरण हेतु लिंगराज चौकी से एनएच-200 तक डाईवर्ट किया जाएगा। कार्य का मूल्य 136 करोड़ (लंबाई 2.3 किलोमीटर) है। इससे कालोनियों और गांवों में धूल प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।
- हंडीहुआ से नाल्को चौक तक घंटापाड़ा गांव के नजदीक सड़क के ऊपर लेवल क्रासिंग पर पुल का निर्माण। कार्य का मूल्य 33.50 करोड़ । इससे भी जनता को सुविधा होगी और वायु प्रदूषण कम होगा।
- कोयला परिवहन हेतु बसुंधरा गर्जनबाहाल के खानों से एसएच 10 तक के 33 कि.मी. में ₹.385 करोड़ की लागत से अलग कोयला गलियारे का निर्माण जो धूल प्रदूषण को काफी कम करेगा ।
- इसी प्रकार 2000 करोड़ की लागत की रेल अवसंरचना और नई संबद्धता निर्माणाधीन है जो सड़क के जरिए कोयले के रिक्तिकरण को कम करेंगे और धूल प्रदूषण को काफी कम करेंगे।
- मानवीय सफाई और छलकाव और कोयला परिवहन सड़कों पर धूल का संग्रहण।
- तालचेर कोलफील्डस में पक्की कोयला परिवहन सड़कों पर सफाई और कोयला छलकाव व धूल के संग्रहण हेतु तीन हैवी-ड्यूटी ट्रक-माउंटिड वैक्यूम प्रचालित यांत्रिक सड़क स्वीपर काम कर रहे हैं।
- सभी ड्रिलों में धूल निष्काषक प्रणाली और तरल ड्रिलिंग प्रणाली हैं।
- आवासीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना सहित हरित पट्टियों का विकास कार्य निरंतर जारी है।

18.3.2 जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय:

- चूंकि कोयले का रिक्तिकरण अधिभार निष्कासन की अपेक्षा अधिक होता है अत: अधिभार की वापस भराई के बाद मूल भूमि का 40 से 50% भाग, जहॉ से कोयला निकाला गया होता है, खोखला रह जाता है। ये खोखले भाग मानसून में वर्षा के जल के लिए विशाल अवसादन कुंड की तरह हो जाता है जिसमें तैरने वाले ठोस पदार्थ गुरूत्वाकर्षण बल के कारण तलछट में एकत्रित हो जाता है और ऊपर का जल स्वच्छ रहता है । इस स्वच्छ जल को धूल-दबाव, अग्नि-शमन, पौधारोपण, पेय-जलापूर्ति, आसपास के कृषि भूमि की मांग के अनुसार सिंचाई आदि के उपयोग में लाया जाता है । मानसून के जल को छोड़कर अन्य जल का निर्वहन खान से नहीं होता है । मानसून के दौरान उत्पन्न सतह अपवाह के 304 लाख क्यू.मी. के आकलन के मुकाबले एमसीएल की खानों के अवदान की क्षमता 1918 लाख क्यू.मी. है ।

- समलेश्वरी, लखनपुर, बेलपहाड़, जगन्नाथ, कनिहा ओसीपी में खान के लीजहोल्ड क्षेत्र में उत्पन्न सतही अपवाह, जो खान के नाबदान में अपवाहित नहीं किया जा सकता, के उपचार खान निकसित जल शोधन संयंत्र (एमडीटीपी) लगाए गए है । इस शोधित जल को प्राकृतिक जलमार्ग में छोड़ने से पहले (एमडीटीपी) में सुनिश्चित किया जाता है कि निलंबित ठोस व अन्य मानक निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप रहे ।
- खुली खदानों की कार्यशालाओं में आयल एवं ग्रीस ट्रेप्स लगाए गए हैं ताकि अपशिष्ट जल से तेल एवं ग्रीस एवं तैलीय बहाव को दूर किया जा सके.
- समलेश्वरी एचईएमएम कर्मशाला में ऑयल स्कीमर लगाए गए है जो खान कार्यशालाओं में अभिनव प्रणाली है ।
- एचईएमएम कार्मशाला के सभी ईटीपी/ओजीटी को रिसाव शून्य बनाया गया है तथा शोधित जल को इन कार्यशालाओं में पुन: उपयोग में लाया जाता है ।
- क्वारी की चारदीवारी एवं ओबी डम्प के आसपास गारलेंड ड्रेन्स एवं कैच ड्रेन्स लगाई जाती हैं ताकि तलछटों को काबू किया जा सके और प्राकृतिक नालियों में जाने से रोका जा सके।
- घरेलू मल-प्रवाह की देखभाल के लिए सात बस्तियों में मलप्रवाह शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए गए है ।लजकुरा ओसीपी कॉलोनी में एक नया एसटीपी निर्माणाधीन है ।
- भूमिगत जल की पूर्ति हेतु अनुप्रयोग रिक्त खदान प्राकृतिक जल संरक्षण के रूप में कार्य करती हैं।
- तालचेर , ईब वैली, बेलपहाड़ एवं बसुंधरा की समेकित जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) का संचालन किया जाता है। भूमिगत खानों के पानी का प्रयोग करते हुए तालचेर एवं ओरियेंट क्षेत्रों में मौजूद छोटे स्तर की जल शुद्धिकरण इकाइयों का प्रयोग घरेलू आपूर्ति के लिए किया जाता है।

18.3.3 शोर एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय :

- कुल कोयले का 88% उत्पादन विस्फोट रहित पर्यावरणीय अनुकूल सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी से किया जाता है जिससे आकारित कोयले उत्पादन हेतु ड्रिलिंग, विस्फोटन और सीएचपी प्रचालन हेतु पारंपरिक खनन वांछित होता है, की तुलना में शोर और भूमि स्पंदन काफी हद तक कम हो जाता है।
- आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है तथा वर्ष के दौरान कुछ नए स्थानों पर अवसंरचना का अनुरक्षण भी किया गया।
- शोर शराबे में कार्य करने वाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया जिससे कम शोर तथा कम भूमिगत कंपन हुआ। नियंत्रित विस्फोट का भी प्रयोग किया गया।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली प्रौद्योगिकियां लगाई गई हैं।

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण.

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयले वाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में पौध-रोपण किया गया।
- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खानों में कंपनी ने आवश्यक भौतिक सुधार करने के बाद बैकफील्ड आंतरिक डम्प तथा बाह्य डम्प पर मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों के 49,19,290 पौधे लगाए अन्य भूमि एवं खाली पड़े स्थानों पर भी पौधे लगाए गए ।
- आवसीय टाउनशिप एवं कार्यालय परिसर में विशेष तौर पर फलों, फूलों एवं औषधीय पौधों एवं पेड़ों का अतिरिक्त पौधारोपण भी किया गया।
- इस वर्ष 1,29,735 पौधे रोपित व वितरित किए गए ।

- एमसीएल के पौधरोपण(20कि.ग्रा./वृक्ष/वर्ष) गतिविधियों के कारण CO_2 के कार्बन फुट प्रिंट में 98,000 टन तक की कमी आई है ।
- घरेलू प्रदूषणों के शोधन हेतु सात मल शोधन सयंत्र लगाए गए। निकाली गई कीचड़ का प्रयोग टाउनशिप में पौदा-रोपण और बगीचों में खाद के रूप में किया जाता है। इन मल शोधन सयंत्रों से बहने वाले शोधित पानी का सिंचाई प्रयोजनों हेतु पुन: प्रयोग किया जाता है।
- ईब वैली तथा तालचेर कोल्डफील्ड्स दोनों के लिए सीएमपीडीआईएल के माध्यम से 14 खुले खनन स्थानों (11> 5 एमएम^3 / वर्ष और चार > 5 एमएम^3 / वर्ष क्षमता) कि लिए रिपोट सेसिंग पैटर्न द्वारा खानों के स्थान तथा भूमि की नियमित मानिटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

18.3.5 पर्यावरणीय मानीटरिंग:

- वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा यथा मान्यता प्राप्त, के माध्यम से वायु, जल एवं शोर प्रदूषण के संदर्भ में नित्य पर्यावरणीय मानीटरिंग की गई जिस पर लगभग 2.90 करोड़ खर्च हुए। सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पद्धतियों, फ्रीक्वेंसी इत्यादि का कड़ाई से अनुरक्षण किया गया।
- सांविधि के अनुसार मानीटरिंग के परिणामों को एसपीसीबी एवं एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मानीटरिंग परिणामों को मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

18.4 आईएसओ प्रमाणन:

- एमसीएल का कार्पोरेट के रूप में मूल्यांकन किया गया और समेकित प्रबंधन प्रणाली पर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं जिनमें एमएस प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड के अभिशासी बोर्ड द्वारा प्रदत्त आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की पुष्टि करना) एवं आईएसओ14001:2004 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की पुष्टि) हैं और ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) शामिल है जो 10.04.2016 तक वैध है |.

18.5 **पुरस्कार और सम्मान :**

- ❖ इस वर्ष भी लजकुरा ओसीपी और कनिहा ओसीपी को कोलकाता में आयोजित 15वें वार्षिक ग्रीनटैंक पुरस्कार 2015 में पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु धातु व खनन क्षेत्र में क्रमश: स्वर्ण व रजत पुरस्कार प्रदान किए गए ।
- ❖ सीआईएल स्थापना दिवस पर दिनांक 1 नवंबर,2014 को कोलकाता में सर्वोत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन हेतु एमसीएल को 2013-14 का सीआईएल कॉर्पोरेट अवार्ड प्रदान किया गया ।

19. विक्रय एवं विपणन कार्यनिष्पादन :

एमसीएल ने वर्ष 2014-15 के दौरान 123.001 मिलियन टन के ऑफटेक का लक्ष्य प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है, यह बढ़ोत्तरी हड़ताल, बंद, अक्तूबर, 2014 में चक्रवात के बावजूद और दिन के समय बसुंधरा और गर्जन बहाल क्षेत्र से कनिका साइडिंग को कोयले के परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध के बावजूद प्राप्त की गई ।

19.1 **मांग एवं ऑफ-टेक**

वर्ष 2014-15 के दौरान 132.00 मि.टन के लक्ष्य की तुलना में 123.001 मि.टन ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का पिछले वर्ष के प्रेषण 8.654 मि.टन का 93.18 प्रतिशत था ओर गत वर्ष की तुलना में 8.654 एमटी वृद्धि हुई ।

वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्रवार ऑफ-टेक नीचे दिया गया है:

(मिलि.टन में)

क्षेत्र	**2014-15**			**2013-14**
	लक्ष्य		**%** प्राप्ति	वास्तविक
विद्युत (सीपीपी सहित)	109.68	103.78	94.63	91.201
सीमेंट	0.68	0.43	63.55	0.340
अन्य	21.65	18.78	86.77	22.806
कोलयरी में खपत	0.00	0.01	-	0.005
कुल	132.00	123.00	93.18	**114.347**

फोर्स मेजर के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान कोयला ऑफ-टेक में कमी का विवरण नीचे दिया गया है :

परियोजना / ब्यौरे का नाम	**एमओयू 14-15 का लक्ष्य**	**वास्तविक**	**अंतर**	**फोर्स मेजर के कारण वास्तविक हानि**	**टिप्पणी**
कनिहा ओसीपी	**10**	**6.68**	**3.32**	**3.01**	**समर्पित एमजेआर द्वारा एनटीपीसी कनिहा ने कम कोयला उठाया**
लिंगराज ओसीपी	**13**	**11.1**	**1.9**	**1.9**	
कुलड़ा ओसीपी (एमटी)	**6.1**	**4.9**	**1.2**	**1.2**	**राज्य सरकार द्वारा दिन में 9 से 5 वजे तक परिवहन पर प्रतिवन्ध के कारण कम प्रेषण**
रेकों की संख्या में के कारण बिक्री में कमी	**62.6**	**58**	**2.8**	**39**	**1रेक=1.4एमटी/वर्ष,2.8 रेक= 3.9 एमटी**
	प्रति रेकों की संख्या	**प्रति रेकों की संख्या**	**प्रति रेकों की संख्या**		
कोल का ई-नीलामी (एमटी)	**18.00**	**14.7328**	**3.2672**	**3.2672**	
कुल				**13.2772**	

वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल का कुल ऑफटेक = 123.001 एमटी

फोर्स मेजर के कारण ऑफटेक के कुल हानि 13.723 एमटी लेकिन प्रभावी हानि 10 एमटी था क्योंकि अन्य खदानों ने ज्यादा प्रेषण किया है ।

19.2 **वैगन लोडिंग**

वर्ष 2013-14 में 54.3 रैक/ दिन के स्थान पर वर्ष 2014-15 में 59.9 रैक /दिन औसत दैनिक वैगन लोडिंग हुआ । गत वर्ष की तुलना में वैगन लोडिंग में 5.5 रैक/ दिन अर्थात 10.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रवार लक्ष्य एवं लोडिंग नीचे दिया गया है :

(ऑकड़े एफडब्लुडब्लु/दिन में)

क्षेत्र	**2014-15**			**2013-14**
	लक्ष्य	आपूर्ति	लदान	वास्तविक
ईब वैली	25.9	24.5	24.5	22.7
तालचेर	36.7	35.4	35.4	31.6
कुल	62.6	59.8	59.8	54.3

19.3 **ई-ऑक्सन**

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 में स्पाट एंड फारवर्ड ई-ऑक्सन के तहत 19.404 मिलियन टन उपलब्ध कराया जिसके जवाब में उपभोक्ताओं/क्रेताओं ने 16.563 मिलियन टन की बुकिंग की जिससे अधिसूचित मूल्य पर 1107.92 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई।

19.4 **ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए):**

एमसीएल ने वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ 3 एफएसए हस्ताक्षरित किए हैं

20. **कोयला गुणवत्ता सुधार**

आपकी कंपनी विभिन्न पावर हाउसों तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास करती है। वर्ष के दौरान कोयला प्रेषण की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई गहन उपाय किए गए हैं। इस वर्ष एमसीएल ने पिछले वर्ष के 114.36 एमटी की तुलना में इस वर्ष 123.006 एमटी कोयले का रिकार्ड प्रेषण किया है । जहां तक गुणवत्ता शिकायतों का मामला है, इस वर्ष 33 शिकायतें हुई जबकि पिछले वर्ष 53 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

कंपनी द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत संवाद स्थापित किया गया है।
2. उपभोक्ताओं को कोल लोडिंग स्थलों तथा वे-ब्रीज के साथ-साथ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
3. उन मुख्य सभी साइडिंगस, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है जो उपयुक्त गुणवत्ता, वजन एवं कोयले के आकार को सुनिश्चित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर जिम्मेवार होंगे।
4. जब कभी भी विभाग में कोई शिकायत, चाहे छोटे या बड़े स्वरूप की हो, प्राप्त हुई है तब उसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर की गई है तथा उसके निष्कर्षों के बारे में अनुकूलतम समय-सीमा के भीतर उन उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई जहां से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।.
5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंगस का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. प्रेषित कोयले की उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाता है।
7. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा वे-ब्रीज तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशालाओं, वे-ब्रिजों और प्रयोगशाला में कोई असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित मु.महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को सूचना एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
8. तृणमूल स्तर पर गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में दिनांक 16.02.2015 से 01.03.2015 तक "गुणवत्ता सप्ताह" मनाया गया/आयोजित किया गया। सभी क्षेत्र कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतिम दिवस समारोह 18.03.2015 एमसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी निदेशक गण उपस्थित थे।

9. एमएएचएजीईएनसीओ, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सेल (आरएसपी, सीपीपी-I), एसपीसीएल (आरएसपी, सीपीपी-2),एपीजीईएनसीओ, टीएनईबी, एनटीपीसी (कनिज), टीटीपीएस, ओपीजीसी, नाल्को, केपीसीएल, नाल्को (डीएमजे), एनटीपीसी (सिमाद्रि) और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी लि., सीसा स्टलाईट एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, आरजीटीपीपी आदि को प्रेषित किए जा रहे कोयले के नमूने, लेने और विश्लेषण करने के लिए सभी लदान केन्द्रों पर अक्तूबर, 2013 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूना लेने वाली एजेंसी नियुक्ति की गई।

10. विभिन्न क्षेत्रों अर्थात ईब वैली, लखनपुर, ओरियंट, बासुंधरा एवं गर्जनबहाल जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा में कुल नौ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। इन सभी में आधुनिक उपकरण जैसे कोयले के जीसीवी के निर्धारण हेतु इलेक्ट्रो आटो बम्ब कैलोरी मीटर जैसे उपकरण मौजूद हैं।

11. ये उपकरण विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले के ग्रेड का निर्धारण दो घण्टे में कर सकते हैं। इससे कोयले भण्डारों, साइडिंग्स तथा खनन किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता की शीघ्र मानीटरिंग करने में सहायता मिलती है।

12. इस वर्ष कोयले के उत्खनन के लिए चयनित खनन पद्धतियों को जारी रखा गया और तदनुसार लखनपुर ओसीपी, बेलपहाड़ ओसीपी, लिंगराज ओसीपी, भरतपुर ओसीपी, बलराम ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, बसुंधरा (डब्ल्यू) ओसीपी, कुलडा ओसीपी एवं समलेश्वरी ओसीपी में सरफेस माइनरों को तैनात किया गया।

13. सरफेस माइनरों का प्रयोग करते हुए कोल सीम से बेकार पदार्थों को दूर किया जाता है जिससे कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है.

14. सभी साइडिंगस पर प्रिंट आउट सुविधा के साथ इलेक्ट्रानिक रेल वे-ब्रीजिज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 100% वे-मेंट प्राप्त करने के लिए स्टेंड बाइ वे-ब्रीजिज भी प्रदान किए हैं।

15. उपभोक्ताओं को -100 एमएम आकार का कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए रेल, बेल्ट एवं एमजीआर द्वारा भेजे गए कोयले को सीएचपी एवं फीडर ब्रेकर्स द्वारा तोड़ा गया।

16. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ सभी साइडिंग्स/लोडिंग केन्द्रों पर बाउण्ड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

17. कुल प्रेषित किए गए 123.006 मिलियन टन कोयले में से वर्ष 2014-15 के दौरान 99.26% कोयला इलेक्ट्रानिक प्रिंट आउट की सहायता से मापा गया जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान 114.34 मिलियन टन कोयले में से 99.37% को मापा गया था।

18. वर्ष 2014-15 के दौरान सीम, स्टॉक, साइडिंग एवं टिपर नमूनों में सख्त नमूना प्रक्रियाविधि अपनाकर वार्षिक कोलग्रेड को उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि के रूप में घोषित किया गया है।

19. 2014-15 के लिए एमओयू मानदंड का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :-

    क. वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत उपक्रम में सहमत नमूना के अनूसार प्रेषण 100 % रहा ।

    ख. वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत उपक्रमों को साइज कोल का रेल द्वारा प्रेषण 100% रहा ।

    ग. वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत उपक्रमों को रेल द्वारा भेजे जने वाले कोयले का इलेक्ट्रोनिक वे ब्रीज द्वारा किया जाने वाले वजन का प्रतिशत 98.87 रहा

घ. वर्ष 2014-15 के दौरान संयुक्त सहमति मैकानिज़म के तहत तीसरे पक्ष नमूना के आधार विद्युत उपयोगिता के लिए एफ़एसए आधार पर 100% प्रेषण किया गया ।

21. सुरक्षा एवं बचाव :

सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी का मुख्य क्षमताओं में से एक है जो सुरक्षा पद्धतियों एवं तकनीकों के सतत प्रयोग के माध्यम से प्राप्त की गई है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य होने की वजह से आपकी कंपनी योजनाएं तैयार करती है तथा नियमित आधार पर अपने आपको तैयार करती है ताकि इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके तथा यह कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादन हेतु प्रेरणा दायी बल बन सके।

21.1 दुर्घटना के आँकड़े

क्र.	विवरण	2014-15	2013-14
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	1	1
2	घातकता की संख्या	1	1
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	10	11
4	गंभीर चोटों की संख्या	10	11
5	घातकता की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.008 0.061	0.009 0.061
6	गंभीर चोटों की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	 0.082 0.605	 0.100 0.675
7	स्थानवार घातकता की दर भूमिगत खुली खान भू सतह	 -- 1 --	 -- 1 --

21.2 **एमसीएल में सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम-**

(i) प्रत्येक कलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ईकाइवार समझौता-ज्ञापन निर्धारित किया जाता है और पूरी कंपनी को खानों में प्रचालन, अनुरक्षण तथा कार्यकारी स्थितियों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जाता है। वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन अनुसार 2013-14 की अपेक्षा प्रति मिलि.टन कोयला उत्पादन में घातकता की 11.11% तथा गंभीर चोटों की 18% कमी प्राप्त कर ली गई है।

(ii) सभी 16 खुली खदानों व 6 भूमिगत खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर सीआईएल द्वारा समीक्षित कर खान में सुरक्षा मानकों को उन्नत करने के लिए कार्यान्वित किए गए हैं ।

(iii) समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की अधिप्राप्ति हेतु निर्बाध व कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री और आर्थिक संसाधन प्रदान किए गए हैं। साक्ष्यत: रू. 961.44 लाख का पूंजीगत बजट, रू. 3833 लाख का राजस्व बजट तथा रू. 3833 लाख की विशेष सुरक्षा निधि वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके। वर्ष 2014-15 में 30119 जोड़ी माइनिंग जूते, 6795 जोड़ी गमबूट व 6208 नग हेलमेट आबंटित किए गए है ।

(v) मानव, मशीन और खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सांविधिक कार्मिक नियुक्ति किए जाते हैं और कामगारों के पर्यवेक्षण हेतु नियोजित किए जाते हैं। वर्ष 2014-15 में 30 माइनिंग सरदार , 147 इलेक्ट्रिशियन व 2 उप सर्वेक्षक नियुक्त किए गए ।

(vi) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।

(vii) कोयला खनन विनियमन 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी मानिटरिंग किया जाता है।

(viii) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रति निधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है।

(ix) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय मानिटरिंग किया जाता है।

(x) कंपनी के सुविधाजनक स्थानों में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बाह्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसे कि वर्ष 2013-14 के दौरान 12 डंपर प्रचालकों के मुकाबले वर्ष 2014-15 के दौरान 21 डंपर प्रचालकों के कौशल संवर्धन के लिए नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली में सिमुलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(xi) कामगारों और पर्यवेक्षकों की दोष व बिमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके।

(xii) सुरक्षा प्रणाली के मूल्यांकन हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन और बाह्य् सक्षम एजेंसियों द्वारा नियमित आतंरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक परियोजना के महत्वपूर्ण केंद्रित क्षेत्रों का भावी सुधार के लिए आंकलन किया जा सकें। वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल की सभी 16 खुली खानों व 06 भूमिगत खानों का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया ।

(xiii) सुरक्षा आवश्यकताओं की पूरी प्रणाली को अद्यतन व ताजा करने के लिए पूरी कंपनी में सुरक्षा पखवाड़ा तथा विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं । इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के लिए खान परियोजनाओं व कर्मशालाओं में ट्रॉफी व शील्ड वितरित किए जाते है । वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल की सभी स्थापनाओं में दिनांक 20.01.2015 से 03.02.2015 तक वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया ।

(xiv) **वर्ष 2014-15 के लिए एमओयू पारामीटर का कार्य निष्पादन**

क. वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल के 09 खदानों के लिए सुरक्षा (Safety) प्रबंधन योजना तैयार की गई ।

ख. अप्रैल 2014 में हीराखंड बुंदिया खदान (भू-गर्भिय) में पर्यावरण टेलीमॉनिटरिंग प्रणाली का अनुपालन पूरा कर दिया गया है ।

ग. वर्ष 2013-14 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला पर मृत्यु दर 0.009 रहा वही 2014-15 के इसी अवधि के दौरान यह घट कर 0.008 हो गया । इस तरह गत वर्ष की तुलना में एक मिलियन टन कोयला पर मृत्यु दर में गत वर्ष की तुलना में 11.11 % की कमी आई

घ. वर्ष 2013-14 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला पर गंभीर रूप से घायल 0.1 रहा वहों 2014-15 के इसी अवधि के दौरान यह घट कर 0.082 हो गया इस तरह गत वर्ष की तुलना में एक मिलियन टन कोयले पर गत वर्ष की तुलना में 18% की कमी आई है ।

21.3 <u>लागू की गई/लागू की जाने वाली नई सुरक्षा प्रौद्योगिकी</u>

(i) सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी, जो विस्फोट रहित खनन प्रौद्योगिकी है, धूल पैदा करने वाले प्रचालनों जैसे कि ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग करने वाले वाले प्रचालनों को पूर्णत: लुप्त कर देती है। यह ब्लास्टिंग से संबंध जोखिमों को भी समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस मशीन से राख कणों के न्यूनीकरण के लिए कार्बनमय तत्वों की घटिया किस्म वाली कोयले की परतों का भी खनन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप, विद्युत सयंत्रों में कम राख अर्जन होता है और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है। यह सुरक्षित है, अधिक पर्यावरणीय अनुकूल है और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी है।

(ii) राईपर डोजर लागू करना- ओबी हटाने की एक अन्य विस्फोट रहित प्रौद्योगिकी-इसने भी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जैसे धूल पैदा करने वाले प्रचालनों को लुप्त कर दिया है जो अनके बार ग्रामवासियों को परेशान करते थे।

(iii) पर्यावरणीय टेलीमानिटरिंग प्रणाली भूमिगत खदानों के पर्यावरण में कार्बन मोनोक्साईड, कार्बन डायोक्साईड, मिथेन आदि जैसी हानिकारक गैसों की बढ़ती सघनता की जानकारी और चेतावनी मानीटरिंग करती है। पर्यावरणीय स्थितियों के सतत मानीटरिंग के लिए भूमिगत खदानों में ऐसी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(iv) भूमिगत खदानों में लंबी और कठिन यात्रा से थकान होती है और मूल्यवान कार्यकारी समय नष्ट होता है। इस समस्या से उबरने के लिए भूमिगत खदानों में मैन-राईडिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि कामगारों को थकान न हो और वे अधिक उत्पादन कर सकें।

(v) भूमिगत खदानों में कोयले की मानवी लदान को समाप्त करने के लिए एसडीएल और एलएचडी जैसी मशीन लगाई गई है। इनसे समान उत्पादन हेतु कार्यकारी क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या कम हुई है जो सुरक्षा और उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रशंसनीय उपलब्धि है।

(vi) भूमिगत खदानों में यूडीएम मशीनों की स्थापना के मैनुअल ड्रिलिंग जो भूमिगत खदानों में अति दुष्कर कार्य है को विनिर्मुक्त करने में मदद की है। इस प्रौद्योगिकी से ग्रीन रूफ जोन में कर्मियों के प्रकटन में कमी आई है और ड्रिलिंग उत्पादन बढ़ा है।

(vii) सर्वेक्षण कार्य की सहजता व शुद्धता वर्धन के लिए आर्ट सर्वेक्षण उपकरण, जैसे थ्री-डी लेजर खरीदी हेतु एमसीएल अग्रसर है ।

(viii) अपनी ओबी डंप की ढलान संचलन को नियंत्रित करने के लिए एमसीएल रियल टाइम स्लोप मॉनीटरिंग राडार खरीदने की प्रक्रिया में है।

(ix) साईलो व एमजीआर जैसी प्रणाली से थोक मात्रा में प्रेषण द्वारा पुरानी व अप्रभावी सीएचपी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है ।

<u>अनुसंधान एवं विकास</u>

(i) सीआईएमएफआर द्वारा तालचेर बस्ती के नीचे देउलबेरा कोलयरी के परित्यक्त कामकाज का स्थिरता अध्ययन किया जा रहा है ।

(ii) रिमूआ इंक्लाइन तथा देउलबेरा कोलयरी के अन्य विकासात्मक कामकाज के ऊपर के सतही संरचनाओं की स्थिरता के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है ।

(iii) ओरिएंट कोलयरी खान नं. 3 में क्विक सेटिंग केमिकल द्वारा वातायन स्टॉपिंग निर्माण के लिए एनआईटी, राउरकेला के दिशानिर्देशन में सीआईएल टीम एक फील्ड परीक्षण कर रही है।

(iv) एमसीएल को सभी ओसीपी के कोयले के लिए कोयले व ओबी बैंचों की उच्च दीवारों और ओबी डम्प की स्थिरता के निर्धारण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है।

(v) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्रणी अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में एक अनुसंधान व विकास परियोजना 'कोयला खदानों में वायु धारित श्वास लेने योग्य धूल (एआरडी) में सिलिका (ए-क्वार्टज) मुक्त और खनिजों के आधार आंकड़े तैयार करने का अध्ययन' किया गया है।

(vi) कोल इंडिया लिमिटेड की एक अग्रणी वैज्ञानिक एजेंसी-सीएमपीडीआईएल नियिमित रूप से कोयला संचालन सयंत्रों, तीव्र लदान प्रणाली, ऊपरी बंकरों और भारी अर्थमुविंग मशीनों का गैर-विनाशक परीक्षण कर रही है।

(vii) भूमिगत खान के प्रत्येक डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट में डिपिलरिंग कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा डिपिलरिंग कार्य के समय छत परतों का अध्ययन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था द्वारा किया जाता है ।

1. <u>सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार</u>

भारत सरकार की श्रम एवं नियोजन -मंत्रालय ने नेशनल सेफटी एवार्ड (माईन्स) की स्थापना 1983 में की गई ताकि खान संचालकों के वीच प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाया जा सके जिस से खदानों में सुरक्षा मानक बेहतर हो तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सुरक्षा कार्यनिष्पादन को मान्यता प्रदान किया जाये । इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष सामन्यातः भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और खनन समाज में इससे काफी उत्साहवर्धन होता है । वर्ष 2011 एवं 2012 के लिए नेशनल सेफ़्टी एवार्ड (माईन्स) 20 मार्च 2015 को नई दिल्ली में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया । गत वर्षों में भी 2008, 2009, और 2010 के लिए नेशनल सेफ़्टी एवार्ड (माईन्स) भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया । एमसीएल के पुरस्कार प्राप्त करने वाले खदानों का विवरण नीचे दिया गया है ।

वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल को प्रदान किए गये नेशनल सेफ़्टी एवार्ड (माईन्स)

क्र.	वर्ष के लिय पुरस्कार	खदान का नाम	पुरस्कार की श्रेणी	इनाम
1.	2012	संलेश्वरी ओसीएम	सबसे लंबी अवधि तक दुर्घटना मुक्त श्रेणी-3	विजेता
2.	2011	हीराखंड बुँदिया माईन	सबसे लंबी अवधि तक दुर्घटना मुक्त श्रेणी-2	उप विजेता(रनर)
3.	2011	बेलपहाड़ ओसीएम	सबसे कम चोट आवृत्ति दर श्रेणी-3	उप विजेता(रनर)

21.6 **बचाव सेवायें**

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल में ईब वैली कोयलांचल के और तालचेर क्षेत्र में एक आरआरआरपी सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन हैं। बचाव सेवाओं को और मजबूत करने के लिए वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई:-

(1) आपात स्थिति में आग फैलाव से बचाव हेतु अग्निशमन क्षमता को और दृढ़ करने के लिए 14 नग फायर स्यूट्स की खरीदी की गई ।

(2) वाटर मिस्ट प्रकार के अग्निशामक के सिलिंडर की पूर्ति के लिए 01 नग एयर कंप्रेसर की खरीदी की गई ।

(3) बचाव कार्य के दौरान आपात स्थल में बिजली आपूर्ति फेल हो जाने पर रोशनी की आपातकालीन व्यवस्था करने के लिए पोर्टेबल जेनेरेटर व लाइटिंग सिस्टम के 04 सेट की खरीदी की गई है ।

एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा विभिन्न गतिविधियों को पूर किया गया :-

1. तालचेर में आरआरआरटी तालचेर द्वारा सफलता पूर्वक ज़ोनल बचाव प्रतियोगिता आयोजित किया गया ।
2. माईन्स रेस्क्यु स्टेशन वैसे आपद स्थितियों में भी पहुँचता है, जो खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न न हों, जैसे टाउनशिप में आपद स्थिति।
3. दिनांक 14.07.2014 से 29.07.2014 तक रेस्क्यू एण्ड रिकव्हरी आपरेशन के बैच-1 में 16 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया।
4. एमआरएस ओरियंट क्षेत्र और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में रेस्क्यू और रिव्हरी आपरेशन के रिफरेशर कोर्स में 191 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण लिया।
5. 191 रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सा जांच की गई और स्वस्थ पाया गया।
6. वर्ष 2014-15 के दौरान एमसीएल के बचाव सेवा (रेस्क्यू सर्विसेज) को किसी आपद स्थिति से नहीं निपटना पड़ा।

वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई, इसके लिए खरीद की कार्रवाई जारी है।

1. 28 नग पॉजिटिव प्रेसर सेल्फ कॉटेंट बिथिंग उपकरण।
2. 6 नग रिक्ससिएटिंग उपकरण।
3. 49 नग विभिन्न प्रकार के फायर एक्सिटंग्युसस।
4. 40 नग एलईडीकैप लाइन।
5. एक यूनिवर्सल टेस्टर।
6. 02 नग गैस क्रोमेटोग्राफ्स।
7. रेस्क्यु और रिकव्ही अभ्यास हेतु 02 नग डमी बॉडी।
8. एक ट्रेप्ड माइनर लोकेटर।

22. **कम्प्यूटरीकरण:**

कोलनेट - कोलनेट के विभिन्न मोड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली (एफआईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजिका, विक्रय और विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, उपकरण मानिटरिंग प्रणाली आदि प्रयोग में है। ठेकेदारी कर्मचारियों के फोटो सहित विस्तृत विवरण, सावधिक चिकित्सा परीक्षण, 2 लाख से कम राशि की निविदाएं एवं कार्यादेश, पुरी में हॉलीडे होम की ऑनलाइन बुकिंग आदि की जानकारी रखने के लिए कोलनेट में कुछ विविध माड्यूल भी जोड़े गए है

एमसीएल ने मुख्यालय के कोलनेट सर्वर के जरिए क्षेत्र व परियोजना स्तर पर कार्यकलापों का विस्तार किया है जैसे बिल भुगतान स्थिति प्रविष्टि, सड़क बिक्री और रेल साइडिंग बिलिंग दो क्षेत्रीय भंडारों में ऑनलाईन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस), कर्मचारी आंकड़ों को अद्यतन, उत्पादन ब्यौरा प्रविष्टि, भू-अधिग्रहण और पुनर्वास ब्यौरा। एमसीएल भुवनेश्वर के कार्यकलाप जैसे वित्तीय लेखांकन, वेतन-पंजिका और कार्मिक सूचना प्रणाली को तथा एमसीएल कोलकाता के देनदारों के लेखांकन को केन्द्रीय कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित करने के बाद और उनमें आवश्यकतानुसार मूल्य संयोजन करते रहने से यह कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। कोलनेट के एफ़आईएस ओर पेरोल माड्यूल क्षेत्रों द्वारा वर्तमान

लीगेसी प्रणाली छोर कर अपनाया जा रहा है । हमलोग ईब वैली, बसुंधरा गर्जनवहल,लखनपुर, और केन्द्रीय कर्मशाला ईब वैली के लिए एफ़आईएस को पूरी तरह अलग कर चूके है । ईब वैली और बसुंधरा-गर्जनवहल द्वारा पेरोल प्रणाली को अलग किया जा चूका है ।

वर्ष 2014-15 के लिए एमओयू पेरामीटर का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:-

क. एमसीएल मुख्यालय के केन्द्रीय सर्वर पर फरवरी, 2015 से ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली कर दी गई है ।

ख. 21 रेलवे साईडिंग पर सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली पूरी कर ली गई है ।

ग. 82 वेब्रीजों पर कैमरा लगाने का कार्य पूरा हो चूका है ।

ई-प्रोक्योरमेंट : निविदा जारी करने, खोलने तथा कार्य व सेवा के मूल्यांकन तथा ईसीव्ही के लिए 2 लाख से अधिक राशि की सामग्री खरीदी के लिए एनआईसी द्वारा विकसित ई-टेंडरिंग पोर्टल संचालित है । इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

- सीव्हीसी के समस्त सुरक्षा मानदंडों को पूर्ण करना ।
- ईएमडी की ऑनलाइन प्राप्ति व स्वत: वापसी ।
- पोर्टल सॉफ्टवेयर द्वारा तकनीकी भाग का मूल्यांकन ।
- मूल्यांकन हेतु बोलीकर्ता द्वारा कोई ऑफ लाइन दस्तावेज नहीं ।
- प्रत्येक स्तर पर ई-प्रोक्योरमेंट की स्थिति पर सुझावों का प्रावधान ।
- निम्नतम बोलीकर्ता द्वारा मूल दस्तावेजों की स्कैंड प्रतिलिपि अपलोड करने का प्रावधान ।

ई-भुगतान एवं ई-प्राप्तियां :- भुगतान एवं प्राप्तियां अधिकांशत: ई-प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं।

ऑपरेटर इंडेपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस):- एमसीएल की तीन खुली खदान परियोजनाओं नामत: बलराम, लिंगराज एवं भरतपुर ओसीपी में **ओआईटीडीएस भलीभांति कार्यरत है ।**

एमसीएल वेबसाइट :- कंपनी की वेबसाइट www.mcl.gov.in सीएमपीडीआईएल, रांची ने होस्ट की है और इसका अनुरक्षण कर रही है। बेवसाइट का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि कोयला उपभोक्ताओं की धनवापसी, मासिक थर्ड पार्टी कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, ठेकेदार/विक्रेताओं को बिल भुगतान की स्थिति से संबंधित आवश्यक आंकड़ों को दूरस्थ स्थानों से ही अद्यतन करने में सुविधा हो ।

ई-मेल एकाउंट:- एमसीएल के सभी पदाधिकारियों को ई-मेल एकाउंट उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान के 400 ई-मेल के साथ साथ 1500 अन्य एकाउंट भी एनआईसी से प्राप्त किए गए है ।

निविदाओं की अपलोडिंग:-सभी खुली निविदाएं एमसीएल के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ साथ सरकारी पोर्टल www.tenders.gov.in पर दैनिक आधार पर प्रणाली विभाग द्वारा अपलोड की जाती हैं।

ओएमएमएस (आनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली) - सभी 9 क्षेत्रीय स्टोरों में ओएमएमएस कार्यशील हैं तथा 2 केन्द्रीय कर्मशालाओं को केन्द्रीय कोलनेट सर्वर से जोड़ दिया गया है। 99 प्रतिशत से अधिक भंडार सामग्रियों को मानक कोड योजना के तहत कोड-कृत कर दिया गया है । एमसीएल में कहीं से भी किसी भी स्टोर में किसी भी सामग्री के ऑनलाइन स्टॉक की स्थिति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

भुवनेश्वर - कोलकाता के बीच में सम्पर्क:- भुवनेश्वर एवं कोलकाता में एमसीएल के विभिन्न अधिकारियों को 1एमबीपीएस बीएसएनएल लीज लाइन के माध्यम से संबलपुर स्थित एमसीएल मुख्यालय से जोड़ा गया है। मुख्यालय में वीपीएन कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है ताकि प्रयोक्ता दैनिक कार्यों हेतु किसी भी स्थान से कारपोरेट लैन से जुड़ सके।

इंटरनेट लीज लाइन - वर्तमान में बीएसएनएल से इंटरनेट सुविधा वाली एक 10 एमबीपीएस लीज लाइन एमसीएल के प्रयोक्ताओं के लिए है। जीपीएस आधारित वाहन ट्रकिंग प्रणाली में उपयोग के लिए एक 10 एमबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ रेलटेल से ली गई है ।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर :- उत्पादकता सुधार योजना के अनुसार उत्पादन प्रोत्साहन का समयानुसार भुगतान करने के लिए एमसीएल के खुली परियोजनाओं में कार्यान्वित ओराकल में विकसित आंतरिक सॉफ्टवेयर को संशोधित व प्रव्रजित कर उसे कोलनेट प्रणाली के केन्द्रीय सर्वर से जोड़ दिया गया है ।

वे-ब्रीज की कनेक्टिविटी - रेल व रोड(स्टेटिक व इन-मोशन), दोनो वे-ब्रिज मेसर्स आईटीआई लि. द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क: क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलनएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना हेतु कार्य-आदेश दे दिया गया है।

केन्द्रीय आंकड़ा केन्द्र और नोडल कंप्यूटर केन्द्रों में सर्वर की स्थापना: मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्रों, तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ क्षेत्र,ईब कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र व वसुंधरा क्षेत्र में उच्चतम आईबीएम सर्वर स्थापित किए गए हैं। इन नोडल स्थलों के सभी सर्वर मुख्यालय के सर्वर से जोड़े गए है । वसुंधरा क्षेत्र को आपदा रिकव्हरी साइट चुना गया है। सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयरों और आंकड़ों को नए आईबीएम सर्वरों में परिवर्तित कर दिया गया है। ओरेकाल 11जी डीबी और 11जी एएस (वेबलॉजिक) स्थापित किए गए हैं। उपलब्ध सॉफ्टवेयर नए सर्वेरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

ठेकेदारों के बिल भुगतान की निगरानी:- कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग माड्यूल भलीभांति कार्यशील है । इस प्रणाली में ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है । दर्ज करते समय प्राप्त ऑनलाइन पावती को उपभोक्ता/ठेकेदार को दे दिया जाता है । इन बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात, उनके भुगतान तक की स्थिति कोलनेट सर्वर में अद्यतन की जाती है तथा उसे हमारे वेबसाइट अर्थात www.mcl.gov.in में अपलोड किया जाता है ताकि संबंधित पार्टी अपनी बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार संबंधित पार्टी हमारे वेबसाइट से अपने बिलों की स्थिति ज्ञात कर सकते है ।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन मार्गन प्रणाली:

(i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त 1500 ट्रक/टिपर पर वाहन मार्गन प्रणाली आधारित जीपीएस/जीपीआरएस लगाए गए हैं । केन्द्रीय सर्वर में वास्तविक समय में ही इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित हो जाती है । इन वाहनों द्वारा जियो-फेंसिंग की अवमानना, ट्रिप, लंबा-ठहाराव, तय की की गई दूरी सहित विभिन्न संबंधित प्रतिवदेन सीधा दृष्यावलोकन, **http://.mclvts.in**. वेबलिंक के माध्यम से किया जा सकता है । यह लिंक हमारे **www.mcl.gov.in.** वेबसाइट में भी उपलब्ध है । इस प्रणाली में यह सुविधा भी है कि यह संबंधित परियोजना व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगकर्ताओं तक एसएमएस अलर्ट भी स्वत: प्रेषित करता है ।

(ii) वाहन जियों फेंसिंग के बाहर न जा पाएं इसकी ट्रेकिंग के लिए मार्ग सहित खान सीमा का जियो-फेंसिंग किया जा चुका है।

वे-ब्रिज व रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए सीसीटीव्ही :-

(i) हमारे 22 रेलवे साइडिंग में विडीयो निरीक्षण कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा आज दिनांक तक 21 साइडिंग में यह कार्य पूरा हो चुका है ।

(ii) इन-मोशन तथा स्टैटिक रोड वे-ब्रिजों में आईपी कैमरे लगाए जा चुके हैं जो मापन के लिए आनेवाले ट्रकों की तस्वीर तथा मापन-विवरण को केन्द्रीय सर्वर में भेजने में समर्थ हैं । आज दिनांक तक 96 स्थलों की योजनानुसार 82 वे-ब्रिज में इन्हें लगाया जा चुका है ।

एसएमएस/ई-मेल अलर्ट:ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/संविदाकारों को बल्क ट्रांजेक्शनल एसएमएस भेजने के लिए मेसर्स आईएमआईमोबाइल, हैदराबाद से सेवाएं प्राप्त की जा रहीं है। बिल भुगतान ब्यौरे, सुपुर्दगी आदेशों, आरडीओ की वापसी विवरण आदि का एसएमएस अलर्ट ग्राहकों को भेजा जा रहा है ।

भावी योजना/अन्य चालू गतिविधियां:

» कार्पोरेट कार्यालय में वाई-फाई नेटवर्क - एमसीएल के कार्पोरेट कार्यालय, जागृति विहार के रिहायशी परिसर में वाई-फाई संयोजन हेतु निविदा की गई थी जो निरस्त हो चुका है । अधिक बोलीकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए संशोधित वाणिज्यिक व तकनीकी नियम व शर्तों के साथ पुनर्निविदा की गई है । मूल्य बोली निविदा खोली जा चुकी है ।

» 349 पीसी को बदलना- सर्वे-ऑफ हो चुके 349 पीसी व 328 मोनो लेजर प्रिंटर्स को बदलने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं । सामग्रियां केन्द्रीय भंडार के सुपुर्द किया जा चुका है । इन्हें शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा ।

» लेगेसी सॉफ्टवेयर से कोलनेट प्रणाली में प्रव्रजित करना - सभी स्थलों के लिए वेतन-नामावली व वित्तीय संसूचना प्रणाली को कोलनेट में प्रव्रजित किया जा रहा है ।

» कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त ट्रक/टिपर पर 300 अतिरिक्त जीपीएस लगाए जाएंगे । इस हेतु संशोधित आपूर्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

23. दूरसंचार

1. ओडिशा राज्य में संगठन की विभिन्न इकाइयों में कार्य कर रहे एमसीएल के सभी अधिकारियों को मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है। इससे खनन, प्रेषण, इंजीनियरिंग एवं अन्य कार्यकलापों में लगे हुए 1900 से अधिक अधिकारियों के बीच न्यूनतम लागत पर 24x7 असीमित संचार स्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार एमसीएल की संचार अवसंरचना को व्यापक तौर पर लागू किया गया है। ओड़िशा राज्य के बाहर पदस्थ एमसीएल के अन्य अधिकारियों (अल्पांश में) तथा 140 जेसीसी सदस्यों को भी सीयूजी सुविधा दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है । 140 जेसीसी सदस्यों में से 80 जेसीसी सदस्यों को सीयूजी सिम दिए जा चुके हैं । एमसीएल के रेलवे साइडिंग के सुचारू कामकाज के लिए भी सीयूजी सिम जारी किया गया है ।

2. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, विक्रय, प्रणाली इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। अधिक संवेदी उद्देश्यों जैसे ईआरपी एवं विभिन्न अन्य आनलाइन कार्यकलापों के लिए नेटवर्क के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

3. एमसीएल के सभी रोड वे-ब्रीज को वायमेक्स इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है जिनका प्रयोग रोड से की जानेवाली बिक्री के लिए किया जाता है तथा इसकी सहायता से भेजे जाने वाले ट्रकों के लिए ई-ट्रांजिट पास तैयार किए जा सकते हैं।
4. परियोजनाओं में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5 ईपीबीएएक्स लजकुरा, नंदिरा, भुवनेश्वरी परियोजनाओं भुवनेश्वर कार्यालय एवं आनंद विहार में स्थापित किए गए है।
5. कारपोरेट कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार के कार्यालय परिसर में कैमरा निरीक्षण प्रणाली स्थापित कर दी गई है। एमसीएल के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय स्टोर, केन्द्रीय कर्मशाला रिजनल स्टोर के लिए सीसीटीवी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करने हेतु पहल की गई है एमसीएल मुख्यालय के जागृति विहार कालोनी की सुरक्षा के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है।
6. एमसीएल के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय स्टोर, केन्द्रीय कर्मशाला, रिजनल स्टोर के लिए सीसीटीवी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करने हेतु अनुमोदन प्राप्ति अंतिम चरण में है ।
7. एमसीएल के सभी क्षेत्रों के मैगेजीनों में सीसीटीवी निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने हेतु सर्वेक्षण व मूल्यांकन किए जा रहे है ।
8. दूरस्थ स्थान होने के कारण एमसीएल मुख्यालयों में कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु एमसीएल मुख्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आवासों तक लगभग 650 कनेक्शनों के साथ केबल टीवी सेवा प्रारंभ की गई है जिसमें जागृति विहार एवं आनंद विहार दोनों को शामिल किया गया है।
9. मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए ओरिएंट क्षेत्र की खदान सं. 4 हेतु 30 लाइन की भूमिगत संचार प्रणाली के क्रय की प्रक्रिया जारी है।
10. जागृति विहार व आनंद विहार, मुख्यालय में सुरक्षा विभाग के उपयोग के लिए व्हीएचएफ संचार प्रणाली की खरीदी के लिए कार्यादेश जारी हो चुका है ।
11. सभी अनुषंगी कं.,सीआईएल मुख्यालय, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली से कांफ्रेसिंग के लिए एमसीएल मुख्यालय में विडियो कांफ्रेसिंग प्रणाली स्थापित की जा चुकी है।
12. एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर सहित अंतर्क्षेत्रीय कांफ्रेसिंग कार्यान्वयन हेतु एमसीएल के उच्चाधिकारियों को स्मार्ट उपकरण आबंटित किए गए है ।
13. प्रथम चरण में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पहल की गई है । जिसे एमसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाईयों में लागू किया जाएगा ।
14. एमसीएल मुख्यालय के मुख्य द्वारों में स्लाइडिंग-डोर लगाने का कार्य अभी निविदा प्रक्रियाधीन है ।

24. आनुषांगिक उद्योगों का विकास

आनुषांगिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय तौर पर उभरने वाले उपक्रमों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत इत्यादि के क्षेत्रों में राजस्व की व्यापक भागीदारी समायोजित करके उन्हें दीर्घकालिक कारोबार प्रदान करने के लिए एमसीएल प्रतिबद्ध है।

उपर्युक्त कार्य के लिए आपकी कंपनी के पास एक पूर्णकालिक एमएसएमई-आनुषांगिक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रतिबद्ध है:-

- ओड़िशा राज्य में अपनी संचालन अधिकार क्षेत्र में लघु स्तर के उद्योगों (एसएसआई) की संभावनाओं का विकास करने तथा उनका दोहन करने के लिए किए जानेवाले सभी प्रयासों को शुरू करती है, उनकी अनुमति देती है तथा उन्हें प्रोत्साहित करती है।
- राज्य के उद्योग निदेशालय तथा डीआईसी की सहायता से एमसीएल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्पेयर पार्टों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपकरणों का आयात करती है।
- राज्य की स्थानीय समुदाय जनसंख्या में युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है।
- राज्य में आम लोगों की समृद्धि तथा उनका उत्थान तथा राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में राज्य का उत्थान, इस राज्य की एसएसआई ईकाइयों के औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा मानकों के अनुसार नए आयाम प्राप्त करने के लिए उन्हें समायोजित करती है।

एमसीएल का अनुषांगिक विकास प्रकोष्ठ एमसीएल के संचालन अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित ओडिशा राज्य के लघु स्तरीय उद्योगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है जिसका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय जनसंख्या के कुशल तथा गैर-कुशल बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाना है और इस प्रकार राज्य में आम लोगों की आत्म निर्भरता एवं समृद्धि को बढ़ाना है।

कंपनी की शुरूआत से ही एमसीएल ने ओडिशा की एसएसआई ईकाइयों का विकास करने में सहायता की है। एसएसआई इकाईयों को विभिन्न उपभोज्य स्पेयरों/मदों तथा एमसीएल के इंजीनियरिंग एवं खनन अनुभाग में निहित उत्पादन प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई सेवा संबंधी नौकरियों के लिए सिद्ध/अनंतिम अनुषांगिक दर्जा प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त इन आनुषांगिक ईकाइयों को बनाए रखने में अपने सतत प्रयासों के अंतर्गत एमसीएल उन आनुषांगिक इकाईयों को दीर्घकालिक कारोबार प्रदान कर रही है जो सामग्रियों की गुणवत्तापरक आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा शीघ्र डिलीवरी शर्तों का अनुपालन करती है । आनुषांगिक ईकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, उनके अनुषांगिक दर्जे के नवीनीकरण पर विचार किया जाता है। आज की तारीख के अनुसार लगभग 28 एसएसआई ईकाइयों (आनुषांगिक ईकाइयों) को मेरिट के आधार पर तथा एमसीएल की क्रय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और उपभोक्ता क्षेत्रों में गुणवत्तापरक आनुषांगिक स्पेयरों की आपूर्ति करने के लिए आनुषांगिक दर्जे के विस्तार की वैधता प्रदान की गई है। शेष 25 का दर्जा खत्म हो गया है तथा अगले पांच वर्षों के लिए पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल सतत रूप से आनुषांगिक इकाईयों का रिकार्ड रखती है तथा समय-समय पर संवादात्मक सत्रों/बैठकों का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान करती है।

वर्ष 2014-15 में एमसीएल ने 2 बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है:

(i) **ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014** - इसका आयोजन ओड़िशा सरकार के एमएसएमई विभाग, उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 8 से 14 जनवरी, 2015 तक भुवनेश्वर में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), भारत सरकार के सहयोग से किया गया। तथा,

(ii) राष्ट्रीय स्तर का विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन एंटरप्राइज,ओड़िशा-इसका आयोजन दिनांक 11-14 दिसंबर,2014 को एमएसएमई विकास संस्थान, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई विभाग ओडिशा सरकार, सीटीसीसी एवं ओड़िशा औद्योगिक संघ के सहयोग से बाली यात्रा, किला मैदान, कटक में किया गया।

विभिन्न उपकरणों के स्पेयर्स, जिनकी पहचान की गई थी, एमएसई की आसान समझ हेतु आसान तरीके से खुले में उपलब्ध करवाए गए। एमसीएल की उत्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु एमएसई को आमंत्रित किया गया था तथा वे स्वयं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए। इन दोनों कार्यक्रमों में एमसीएल को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त एमसीएल ने सेमिनारों में भी भाग लिया जिससे ओड़िशा राज्य में उद्यमिता के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली।

(i) इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा भुवनेश्वर में 28.10.2014 को आयोजित एमएसएमई शिखर सम्मेलन-व-प्रदर्शनी ।

(ii) ओड़िशा लघु व मध्यम उद्यम एसेम्बली (ओएएसएमई) द्वारा भुवनेश्वर में 11 से 12 अगस्त, 2014 को आयोजित 28वां वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन व संगोष्ठी ।

(iii) दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (डीआईसीसीआई) द्वारा हैदराबाद में 13 से 15 फरवरी, 2015 तक आयोजित चौथा राष्ट्रीय व्यापार मेला ।

एमसीएल ने दिनांक 10.9.2014 को निदेशक(तक.),एमसीएल मुख्यालय के सभागार में संयंत्र स्तरीय सलाहकार (पीएलएसी) बैठक आयोजित कराया ।

आनुषांगिकता के क्षेत्र:

उपभोज्य स्टोर, फर्नीचर, वन उत्पाद, सुरक्षा मद, मशीनरी स्पेयर पार्टस, कास्टिंग सेवाएं,

फीडर ब्रेकर/सीएचपी स्पेयर्स, भूमिगत उपकरण स्पेयर्स, एचईएमएम स्पेयर्स, पाइप फिटिंग, सिविल मद, इलेक्ट्रिकल आइटम, अग्निशमन उपकरण, रोल्ड स्टील आइटम्स, प्रिंटिंग जॉब, केबल्स इत्यादि,

गत 03 वर्षों की अनुषंगी ईकाइयो (स्थायी एवं अस्थायी) तथा ओड़िशा राज्य के अंदर के एसएसआई ईकाइयों से खरीद/मरम्मत के ऑकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**क्रय/मरम्मत सांख्यिकी (करोड़ रुपए में)**		
		अनुषंगी	एसएसआई आतंरिक और बाह्य ओड़िशा	कुल
01	2012-13	4.36	19.36	23.72
02	2013-14	2.82	19.72	22.54
03	2014-15	1.81	20.56	22.37

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के अ.शा.पत्र संख्या 21 (1)/2011-एम.ए. द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसई), एमएसई-2012 के संबंध में एक नई नीति जारी की गई है। वर्ष 2015-16 से इस नीति का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है । एमसीएल ने वर्तमान मौजूदा अनुषंगी नीतियों के साथ-साथ इस नीति का निर्माण व कार्यान्वयन जुलाई 2013 से ही प्रारंभ कर दिया है । एमसीएल द्वारा अनुसरित एमएसई व अनुषंगी नीति एमसीएल पोर्टल में एंसिलरी एंड एमएसई शीर्षक के अंतर्गत है ।

पालिसी के अनुसार वार्षिक उत्पाद या सेवा क्रय का कुल 20% एमएसई व अनुषंगियों से किया जाना होगा । वर्ष 2014-15 में यह 21.37 करोड़ था, जिसे एमसीएल ने प्राप्त कर लिया है ।

यह उल्लेख किया जाता है कि एमसीएल 2.00 लाख से अधिक ई-टेंडरिंग हेतु चालू नीति के रूप में है सहित सभी के लिए (एसएसआई ईकाइयों) खुली है बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) :

आपकी कंपनी की दृढ़ मान्यता है कि सफलता सिर्फ बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति ही उसकी सफलता का अकेले कारण नहीं है वरन इसकी जनपूंजी है जो बहुत ही मूल्यवान परिसम्पत्ति है और यह कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रभावी तथा सार्थक रुप प्रबंधन ज्ञान के क्षेत्र में नयी

चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। तकनीक एवं वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलते मानदंड ने संस्थान को उत्कृष्ट एवं स्थायी लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया है। कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी कंपनियों में सबसे कम जनशक्तिवाली आपकी कंपनी ने प्रेरणा,लगन और दक्षता से श्रेष्ठ 100+ मिलियन कोयला उत्पादन करनेवाली क्लब में लगातार छठी बार उपस्थिति दर्ज कराई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी वचनबद्धता और लगन से सभी तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाओं से विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सबसे अधिक उत्पादकता 121.379 मिलियन टन कोयला उत्पादन तथा 89.222 मिलियन घनमीटर ओबी विस्थापन का रिकार्ड बनाया है।

आपकी कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधन नीतिगत रूप से लंबी अवधि के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ जुड़ा है। यह चरम रूप से प्रशिक्षण विकास और प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। कुल 22,259 जनशक्ति में से 1884 अधिकारी और 20375 कर्मचारी हैं। इस अवधि के दौरान 1046 व्यक्ति कंपनी में नई नियुक्ति, स्थानांतरण, पुन: नियुक्ति इत्यादि के द्वारा जुड़े हैं वहीं 1065 व्यक्ति सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, ईएसएस, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण अलग हुए हैं। गतवर्ष की तुलना में जनशक्ति में बदलाव का कारण लागू आर एंड आर नीति के तहत परियोजना प्रभावित परिवारों को दी जानेवाली नियुक्ति/ सुपरवाइजरी एवं कुशल श्रेणी की वैधानिक जनशक्ति का नियोजन/कैंपस चयन एवं प्रबंधन प्रशिक्षुओं का कोल इंडिया द्वारा खुला नियोजन से कंपनी की कुल जनशक्ति 31.03.2014 के 22,278 के मुकाबले 31.03.2015 को 22,259 हो गई ।

वर्ष 2014-15 के एमओयू के तहत मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य निष्पादन 2014-15 की लेखा परीक्षा के एमओयू पर दी गई रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

क. प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष के रूप में वास्तविक प्रशिक्षण दिवस को प्रतिशत
अधिकारियों के लिए कुल प्रशिक्षण दिवस: लक्ष्य: 2664, उपलब्धि :7156
सुपरवाईजर/लिपिक/तकनीकी : लक्ष्य: 2160, उपलब्धि : 4135
कर्मचारियों के लिए कुल प्रशिक्षण दिवस : लक्ष्य:21560, उपलब्धि : 32780

ख. जीविका (कैरियर) योजना और विकास के प्रणाली के माध्यम से नेतृत्वकर्ता (अधिकारी) क्रिटिकल मास का विकास लक्ष्य 10, उपलब्धि 10 नेतृत्वकर्ताओं की विकासित

ग. कर्मचारी लागत पर प्रशिक्षण बजट का प्रतिशत
करोड़ में प्रशिक्षण व्यय: लक्ष्य 9.50 करोड़ उपलब्धि : 11.03 करोड़

घ. गैर अधिशासी कर्मचारियों के बहू दक्षता / दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण की पूर्णत :
प्रशिक्षण योजना लक्ष्य:14 उपलब्धि:14

ङ. उद्योग हेतु अनुसंधान (गबेषणा): एकेडमिय इंटरफ़ेस
इंटरफ़ेस-I लक्ष्य- 6 उपलब्धि -6
इंटरफ़ेस-II लक्ष्य - 130 उपलब्धि- 1337

च. नियोजन :
खुली विज्ञापन / आंतरिक चयन द्वारा
लक्ष्य- 20 उपलब्धि - 235
भू-विस्थापित की नियुक्ति
लक्ष्य- 300 उपलब्धि- 330

छ. कुल कर्मचारियों का एट्ट्रीशन (घिसाई) का प्रतिशत लक्ष्य : 219 से कम उपलब्ध : 58

ज. मेंटरशिप विकास कार्यक्रम की उपस्थिति मेंटर लक्ष्य-12 उपलब्धि -50

मेंटर लक्ष्य- 36 उपलब्धि- 62

झ. प्रतिभा(टेलेंट) प्रबंधन की प्रणाली का गठन/अनुपालन जैसे-कार्य रोटेशन प्रणाली परितोषिक प्रणाली वारी.अधिकारियों के लिए अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रयोजन, विकास के अवसर इत्यादि

क. कार्य रोटेशन लक्ष्य :-100 उपलब्धि :-157

ख. प्रणाली लक्ष्य :-55 उपलब्धि :-103

ग. वरिष्ठ अधिकारी के लिए एपीएम लक्ष्य :-02 उपलब्धि :- 13

ञ. राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) के लिए नामांकन/प्रवेश की संख्या कुल नामांकन लक्ष्य:- 04 उपलब्धि:-07

ट. प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष दिए जानेवाले सुझाव कुल सुझाव कुल उपलब्धि -2017 ।

ठ. शिकायत निवारण प्रणाली का प्रभावीकरण वर्ष के दौरान शिकायत निपटारे के साथ-साथ प्राप्ति का प्रतिशत : निपटारा लक्ष्य - 60% , प्राप्ति - 90.98%

ड. पेंशन, मेडिकेयर, योग कक्षाओं का आयोजन ताकि जहॉ कार्य में तनाव उत्पन्न होता है वह दूर हो सके, जिम जैसे स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सीआईएल नीतियों के अनुरूप पेंशन और मेडिकेयर - लागू किया गया।

योग कक्षाएं - लक्ष्य-5 उपलब्धि - 5

जिम- लक्ष्य-1, उपलब्धि - 1

ढ. सामाजिक सुरक्षा योजना का गठन एवं लागू करना : सीआईएल की सामाजिक सुरक्षा योजना लागू।

ण. कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ स्ट्रक्चर बैठकें : लक्ष्य - 300 उपलब्धि - 755 ।

25.1 औद्योगिक संबंध:

अग्रणी औद्योगिक संस्थान होने से कंपनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग कर औद्योगिक संबंध बनाये हुए हैं ताकि संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बना रहे।यह बाहरी एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखता है।

प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध उच्च वृद्धि को प्राप्त करने के लिए धुरी (Pivotal) है और इस तरह कंपनी हमें अच्छा औद्योगिक संबंध कायम रखता है। इस वर्ष भी कंपनी तीन स्तरीय औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मामला एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर के औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

कोल इंडिया की चार केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा कोयला उद्योग का गैर-राष्ट्रीयकरण और अन्य मांगों के समर्थन में 6-7 जनवरी,2015 को हड़ताल की गई थी को छोड़कर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहा। इसके अलावा वर्ष 2014-15 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हुआ यह प्रबंधन एवं श्रम संगठनों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है।

शिकायत निपटारा की दर यथा एमसीएल में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में निपटान 90% रहा जबकि एमओयू 60% है।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

25.2 **सहभागिता प्रबंधन:**

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजना में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए, इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा, क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

एमसीएल का अपने कर्मचारियों के साथ केवल सहभागिता प्रबंधन के जरिए ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबद्धधता जैसी श्रेष्ठ पद्धधतियों के आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में विश्वास है। मार्च,2015 के द्वितीय व तृतीय सप्ताह में अंतर-निदेशालाय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिससे न केवल दैनिक कार्य की उगाही और दबाब से मुक्त होने में सहायता मिलती है बल्कि कर्मचारियों में स्फूर्ति आती है और नेतृत्व व टीम भावना के महत्व बढ़ता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरो का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावि रुप से आगे बढ़ सके इस के लिये एमसीएल विप्स फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2014-15 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित 750 से अधिक बैठकें हुई जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिन कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

संपूर्ण संस्था व प्रक्रियाओं की उन्नति व बेहतरी हेतु नवीन व नवप्रवर्तनकारी विचारयुक्त सलाह के लिए एमसीएल अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है । समझौता ज्ञापन के अनुसार 200 के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2014-15 में कर्मचारियों से कुल 207 व्यक्तिगत सलाह प्राप्त हुए ।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सीआईएसटीईए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई।

संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है:-

i) आवास आवंटन समिति

ii) क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शी समिति

iii) कॉर्पोरेट संयुक्त परामर्श समिति

25.3 **प्रशिक्षण और विकास:**

प्रशिक्षण और विकास मौजूदा मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति के विशेष संदर्भ में स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने और उत्पादन के रुबरू प्रौद्योगिकी की मांग पूरा करने के लिए जनशक्ति की वृद्धि से निपटने हेतु आपकी कम्पनी की कॉपोरेट नीति का अभिन्न भाग है।

कार्यनीति योजना से उत्पन्न कार्यों का सामना करने के लिए, सभी तीनों आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला,बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहाड़, लखनपुर क्षेत्र, खनन, इंजीनियरी और उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (मिटी), तालचेर और विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नलिखित तीन खंडों में मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक मानव संसाधन विकास योजना तैयार की जाती है:-

I. तकनीकी प्रशिक्षण:

यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें निकट भविष्य में खनन कार्य में प्रयोग होने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी से, यदि कोई हो, अद्यतन भी करता है ताकि प्रौद्योगिकी में विशेष प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में समृद्धि अथवा क्षमता और नए उपकरणों के माध्यम से परियोजना में पूंजी और तकनीक के निवेश की उपयुक्त वापसी उपलब्ध करा सके। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए, कर्मचारियों को निम्नलिखित के माध्यम से उजागर किया जाता है:

मूल पाठ्यक्रम: प्रौद्योगिकी, उपकरण और प्रणाली के उपयुक्त ।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम: तीन वर्ष में एक बार उनको जो मूल पाठ्यक्रम कर चुके हैं अथवा पहले से ही विशिष्ट कौशल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्थल पर अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों में भी आयोजित किया जाता है।

विशेषीकृत पाठ्यक्रम: प्रौद्योगिकी, उपकरणों के विन्यास और क्षमता में परिवर्तन तथा उत्पादन की प्रणाली में सुधार के मामले में।

II. प्रबंधन प्रशिक्षण:

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यकता के अनुसार मांग आधारित प्रशिक्षण अर्थात् उच्च स्तर पर प्रवेश, कंपनी हितों के विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों को बाह्य संगठनों जैसे आईआईसीएम, रांची, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और भारत तथा विश्व के अन्य प्रख्यात प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है।

III. परिवर्तन प्रशिक्षण:

कंपनी नियमित सांविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा कंपनी के भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप और कंपनी की कॉर्पोरेट योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशल बनाने और कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने में भी रुचि लेती है।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क) अधिकारी कार्यक्रम:-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम: अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्य-निष्पादन को बढाने हेतु।

कार्यात्मक कार्यक्रम: कार्यात्मक कौशलों के विकास हेतु।

क्रास कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य संबंधी ज्ञान के विकास हेतु।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम:सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु नित्पादन हेतु

ख) पर्यवेक्षक कार्यक्रम:-

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान और कौशल के उन्नयन हेतु।

पर्यवेक्षकों हेतु सुरक्षा प्रबंधन: पर्यवेक्षकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु।

कोचिंग कक्षाएं: कैरियर संवर्धन हेतु।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु नित्पादन हेतु ।

ग) श्रमिक कार्यक्रम:

श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल के उन्नयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात् विभिन्न खानों में तैनाती के लिए भू-विस्थापित को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है।

सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: खानों में सुरक्षा के संबंध में श्रमिकों के मध्य सुरक्षा जागरूकता सृजित करने हेतु।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: कुशलता से कम्प्यूटर संभालने हेतु।

वर्ष 2013-14 और 2014-15 के प्रशिक्षण का ब्यौरा:

आंतरिक प्रशिक्षण का ब्यौरा **(**एमटीआई**,** बीटीआई**,** मीटी**,** वीटीसी)

क्र.सं.	**कर्मचारी**	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
01	कार्यपालक	1543	1040
02	पर्यवेक्षक	941	676
03	कामगार	4472	4211
	कुल	6956	5927

<u>बाह्य प्रशिक्षण का ब्यौरा</u>:

क्र.सं.	**कर्मचारी**	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
01	कार्यपालक	832	801
02	पर्यवेक्षक	158	116
03	कामगार	92	49
	कुल	1082	966

<u>विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को इन्टर्नशिप प्रशिक्षण</u> :

क्र.सं.	**कर्मचारी**	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
01	खनन इंजीनियरी	50	200
02	खनन डिप्लोमा	63	812
03	बी.टेक	52	190
04	एमबीए	45	46
05	अन्य	-	71
	कुल	210	1319

पोस्ट डिप्लोमा व्यवहारिक प्रशिक्षण (पीडीपीटी):

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
01	ओएसएमई, क्योंझर	10	33
02	केआईएमईटी, छेंडिपदा	10	10
03	पीसीआईईटी, अंगुल	24	30
05	पीएमआईटी, अंगुल	-	11
06	केएसई,केन्दूझर	-	5
	कुल	44	89

एमसीएल बोर्ड सदस्यों को प्रदत्त प्रशिक्षण

वर्ष	प्रशिक्षणों की संख्या	भारत में	विदेश में
2013-14	7	6	1
2014-15	2	4	--

वर्ष 2014-15 में प्राप्त प्रशिक्षण श्रम दिन

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
01	कार्यपालक	7612	7156
02	पर्यवेक्षक	5830	4135
03	कामगार	39158	32780
	कुल	52600	44071

वर्ष 2014-15 के समझौता-ज्ञापन के अनुसार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमः

क्र.सं.	प्रकार	लक्ष्य	प्रशिक्षित कार्यपालक
1	परियोजना प्रबंधन	60	60
2	संविदा प्रबंधन	5	15
3	जोखिम प्रबंधन	5	6
4	पर्यावरण प्रबंधन	5	9
5	एएमपी	2	13
6	सिमुलेटर प्रशिक्षण	10	27

25.4 भुवनेश्वर में प्रबंधन विकास संस्थान(एमआईएनआरईएम):

एमसीएल ने कोयला उपक्रम के अधिकारियों के लिए विकसित एवं उभरते हुए विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़े-कदम उठाने की शुरूआत की है। टोमान्डो,भुवनेश्वर में दी जानेवाली सुविधाओं का लक्ष्य विविध गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण एवं विकास, आर एंड डी ,परामर्श और सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। नई तकनीक, व्यापार को विभिन्न आयाम देने तथा अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति से कार्य एवं सक्षमता में एक दूरी का निर्माण हो रहा है इसे एचआरडी त्वरित हस्तक्षेप से पाटा जा सकता है । इसी के लिए इस संस्थान का गठन किया गया।

एमसीएल इंस्टीच्यूट आफ नेचूरल सिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट(एमआईएनआरईएम) पूरी तरह एमसीएल द्वारा स्थापित एवं वित्त प्रदत्त राजधानी नगर भुवनेश्वर में विश्वस्तरीय संस्थान है। इसे महानिरीक्षक(पंजीकरण) ओड़िशा द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 16.01.2015 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

मेसर्स एनबीसीसी के प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत परियोजना का सिविल निर्माण पूरी तत्परता के साथ इसके ढांचागत भाग और अन्य भागों की समय सीमा में कार्य हो रहा है।

जैसा कि हम जानते हैं एमआईएनआरईएम एमसीएल की प्रतिभा निर्माण के लिए उत्तरदायी है । इसने एक पूर्ण रूपेण तथा अच्छी तरह सोची समझी प्रतिभा विकास की योजना अपनायी है जो संगठन के उभरते हुए अधिकारियों में सही मूल्य बोध उत्पन्न करेगी उन्हें खुले दिमाग एवं जिज्ञासा जगाएगी। कंपनी को प्रतियोगी वातावरण में आगे ले जाने के लिए बल प्रदान करेगी।

25.5 मनोरंजन गतिविधियां :

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए कंपनी में विभिन्न मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।क्षेत्र स्तर पर विभिन्न टूर्नामेंट आयोजित किए गए और चुने गए खिलाड़ियों को सीआईएल अंतर-कंपनी टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु भेजा गया है।

कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। समाज के दलितवर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु,एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि के भीतर और आस-पास अनेक परोपकारी कार्य किए हैं। पंजीकृत विभिन्न संगठनों को उनके क्षेत्रों में मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां कराने हेतु वित्तीय सहायता भी दी गई है।

25.5.1 शिक्षा:

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, एन.के. महाविद्यालय, तालचेर सहित 19 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल शामिल है। वर्ष 2014-15 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू.22,46,54,028/- तथा निजी स्कूलों को रू.20,42,760/. उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति:

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 2014-15 के दौरान, 1266 मेधावी छात्रों (सभी बच्चे कर्मचारियों के हैं) को छात्रवृत्ति देने के लिए 18,78,300/- की राशि की व्यवस्था की गई है।

आपकी कंपनी ने तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा हेतु ट्यूशन शुल्क और छात्रावास भाड़े के लिए कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी है। 2014-15 के दौरान, इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों के 73 बच्चों को 17,61,418/- की राशि संवितरित की गई।

26. राजभाषा :

एमसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम/कैलेंडर तैयार किया जाता है और उसके अनुसार कार्यक्रम किए जाते हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए गए :

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें**:

   राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सीएमडी, एमसीएल की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2014, 15.09.2014, 19.12.2014 व 28.03.2015 को आयोजित की गईं जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. **राजभाषा कार्यशाला:**

एमसीएल मुख्यालय में निम्नानुसार राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित हुई-

मुख्यालय में 11 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों को राजभाषा नीतियों के नियमों और विनियमों से अवगत कराया गया और हिंदी में टिप्पण/आलेखन का अभ्यास किया। इन कार्यक्रमों में कुल 412 अधिकारियों/ स्टाफ ने भाग लिया।

3. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर की बैठकें:**

वर्ष के दौरान नराकास, संबलपुर की दो अर्द्धवार्षिक बैठकें दिनांक 30.6.2014 और 28.11.2014 को संपन्न हुई । दोनों बैठक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल तथा अध्यक्ष,नराकास, संबलपूर की अध्यक्षता में आयोजित की गईं । उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भारत सरकार, कोलकाता भी दिनांक 28.11.2014 की बैठक में उपस्थित थे।

4. **हिंदी भाषा प्रशिक्षण:**

हिंदी भाषा प्रशिक्षण और परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कुल 349 (मई, 2014 सत्र -170 और नवम्बर, 2014 सत्र-179) कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास की जिसका विवरण इस प्रकार है -

सत्र	**प्रबोध**	**प्रवीण**	**प्राज्ञ**	**कुल**
मई, 2014	99	38	33	170
नवंबर, 2014	45	87	47	179
कुल	144	125	80	349

सीआईएल नियमों के अनुसार उन्हें एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया गया और प्राज्ञ पास अभ्यर्थियों को एमसीएलके परिपत्र के अनुसार उपर्युक्त के अलावा एक वर्ष की उनकी वेतनवृद्धि के बराबर एकमुश्त नकद प्रोत्साहन दिया गया।

5. **कम्प्यूटर पर यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण**:

एमटीआई, एमसीएल में 12.05.2014 से 17.05.2014 तक तथा 23.02.2015 से 28.02.2015 तक यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एमसीएल के कुल 95 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

6. **अखिल भारतीय कवि सम्मेलन:**

राजभाषा पखवाड़ा 2014 के समापन समारोह के अवसर पर 07.10.2014 को एमसीएल मुख्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया।

7. **राजभाषा पुरस्कार/सम्मान:**

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित राजभाषा सेमिनार में एमसीएल के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए ।

खजुराहो में दिनांक 29-31 अक्तूबर,2014 को आयोजित एक संगोष्ठी में राजभाषा विकास संस्थान,देहरादून से एमसीएल पदाधिकारियों को निम्नानुसार पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए

- श्री ए.एन.सहाय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को "राजभाषा श्री सम्मान"
- श्री पी.सी.पाणिग्राही,निदेशक (कार्मिक), एमसीएल को "विशेष राजभाषा श्री सम्मान"
- श्री एन.के;ओझा, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) को "राजभाषा कीर्ति सम्मान"
- श्री ओ.पी.मिश्रा, मुख्स प्रबंधक(ई-प्रोक्यो.) को "विशेष राजभाषा कीर्ति" व "राजभाषा विशिष्ट सम्मान "
- श्री मोहन कुमार, मुख्य प्रबंधक(प्रणाली) को "विशेष राजभाषा विशिष्ट सम्मान"

❖ श्री अजय कुमार राम, वरीय निजी सहायक(राजभाषा) को "विशेष राजभाषा शिल्पी सम्मान" साईं धाम शिरडी में दिनांक 20 से 22 नवंबर, 2014 को आयोजित संगोष्ठी में भारतीय राजभाषा परिषद, नई दिल्ली से निम्नानुसार पुरस्कार प्राप्त हुआ -

❖ श्री पी.सी.पाणिग्राही,निदेशक (कार्मिक), एमसीएल को "राजभाषा गौरव सम्मान"

8. **हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा:**

दिनांक 14.9.2014 को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्यालय में इसका उद्घाटन श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक(पर्या.),एमसीएल मुख्या. द्वारा किया गया।

14 से 28 सितंबर, 2014 तक एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद-विवाद, टिप्पण और आलेखन तथा कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण आयोजित की गईं जिनमें कर्मचारियों ने बहुत संख्या में भागीदारी की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों की पत्नियों के लिए प्रश्नोत्तरी और राजभाषा नारा प्रतियोगिता आयोजित की गई और एमसीएल सभागार में 07.10.2014 को पुरस्कार वितरित किए गए।

9. **विश्व हिंदी दिवस:**

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.1.2015 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इसका उद्घाटन श्री ए. एन. सहाय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी भी आयोजित की गई । श्री ए.के.तिवारी, निदेशक (तक./सं.), श्री पी.सी.पाणिग्राही, निदेशक(का.) , श्री जी.देहुरी, महाप्रबंधक (मा.सं.वि./प्र.प्रशि.सं./राजभाषा), प्रो. के.पी.गुप्ता, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष (हिंदी), जी.एम.कॉलेज, श्री पौहरिशरण सिन्हा, भूतपूर्व व.प्रबंधक (राजभाषा),सेल,दुर्गापुर, श्री राघव प्रसाद पांडे, भूतपूर्व व.प्रबंधक (राजभाषा), ईसीएल, आसंनसोल, डॉ. हरिश्चंद्र शर्मा, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, संबलपुर इसमें शामिल हुए व जनसमूह को संबोधित किया ।

10. **पुस्तकों की खरीद:**

राजभाषा नीति के अनुसार, पुस्तकों की खरीद पर 93,167/- का व्यय हुआ जिसमें से हिंदी पुस्तकों पर 73,377/- का व्यय हुआ जो कुल व्यय राशि 78.76% था।

11. **एमसीएल की वेबसाइट:**

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी बनाई गई है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

12. **राजभाषा पत्रिकाएं:**

वर्ष 2014-15 के दौरान दो राजभाषा पत्रिकाएं, 'राजभाषा झलकियां' तथा 'संबलप्रभा' का प्रकाशन कराया गया ।

27. भूमि/ आर एण्ड आर :

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजार्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति हेतु भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आरएण्डआर नीति में बहुतायत से दर्शाया गया है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आर

एण्ड आर नीति का पालन करती है और 2013-14 के दौरान 580 रोजगारों की तुलना में 2014-15 के दौरान 411 रोजगार उपलब्ध कराए हैं और अपनी स्थापना के दिन से कुल 11856 रोजगार उपलब्ध कराए हैं। भूमि विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीएडीसी के परामर्श पर कार्य कर रही है । भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, दैनिक बाजार, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, पूजा-स्थल इत्यादि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां भी स्थापित की गई हैं।एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को कोलफील्ड्स में उपलब्ध इसके मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में नि:शुल्क अथवा नाममात्र शुल्क 2.00 प्रति मरीज की दर से ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराती है।

आपकी कंपनी खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुन: स्थापना उपलब्ध कराकर भूमि अधिग्रहित करती है। 2014-15 के दौरान, एमसीएल ने 315.035 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

भारत की बहुसंख्यक जनता मूलभूत सुविधाओं से बंचित हैं इन्हें ऐसे अवसर देने की आवश्यकता है जो लम्बे समय तक समाज के विस्तृत क्षेत्रों में सुधार करे। अच्छे कार्पोरेट की पहचान के तहत एमसीएल अपने सुस्पष्ट सीएसआर नीति जिसकी स्थापना 2010-11 में की गई ताकि समाज के सबसे गरीब तबके के अधिकांश लोग लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए एमसीएल विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य करता रहा है। अपनी स्थापना के दिन से कंपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे-जलापूर्ति योजना के लिए वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना के विकास के तहत जन उपयोगी सड़कों का निर्माण/ मरम्मत, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण,चेक डैम इत्यादि,लड़कियों की शिक्षा, कमजोर तबके को प्रशिक्षण एवं रोजगार विहिन युवाओं/पीएपी को व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक उन्नयन, निवारक स्थास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और नियमित आधार पर मोबाईल चिकित्सा वैन के माध्यम से पार्श्ववर्ती ग्रामों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता रहा है ।

सीएसआर गतिविधियों के लिए मुख्य मानदंड है- आवश्यकताओं का मूल्यांकन । राज्य सरकार/जिला प्रशासन समाज की आश्यकताओं को सामने लाता है और एमसीएल उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करता है ।

आलोच्य अवधि के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत एमसीएल ने एक माननीय प्रधान मंत्री के स्वप्निल परियोजना को अपनाते हुए ओड़िशा राज्य में विद्यालयों में प्रसाधन कक्षों के निर्माण का कार्य किया । ओड़िशा के विभिन्न जिलों में कुल 8654 विद्यालयों में प्रसाधन कक्षों का निर्माण एमसीएल ने किया । .

एमसीएल ने संगठन में क्षमता निर्माण संवेदीकरण और हिमायत मुद्दों पर जोर दिया, विशेषकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिचर्चा, संगोष्ठी आदि के नियमित आयोजन के जरिए मुख्य कारोबार के दैनिक प्रचालनों में शामिल रहनेवालों के लिए।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर की नीति के अनुरुप सीएसआर कार्यकलापों के लिए विगत तीन वर्षें के औसत शुद्ध लाभ के 2% की दर से वर्ष 2014-15 में रुपए 113.97 करोड़ आबंटित किए।

एमसीएल ने सीएसआर कार्यकलापों को विस्तृत और व्यापक करने के महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। वर्ष 2014-15 का व्यय रुपए 61.30 करोड़ है और प्रमुख कार्यकलाप प्रगति पर है।

कंपनीज (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 9 तथा अधिनियम की खंड 134 की उपखंड (3) की धारा (0) के अनुसरण में आवश्यक सांविधिक प्रकटीकरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है

28.1 **जेंडर बजट की व्यवस्था-**

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली औजार है । नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकिया है । सामाजिक अनुक्रियाशीलता के कारण एमसीएल ने कंपनी के भीतर और बाहर सदैव जैंडर विशिष्ट मामलों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाई है और सर्वोत्तम सम्भावित प्रयासों के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

- o सार्वजनिक क्षेत्र विंग/शाखा, एमसीएल में महिलाओं विप्स को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्द्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना ।
- o महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।
- o अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।
- o सीएसआर के भाग के रूप में तीन 'जनजातीय महिला' छात्रावासों का निर्माण।
- o एमसीएल की सीएसआर के तहत संबलपुर विश्वविद्यालय में 150 सीटों के महिला-छात्रावास का निर्माण।
- o प्रति वर्ष मई दिवस पर सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट अंशदान हेतु महिलाओं को मान्यता देने की विशेष पुरस्कार योजना।
- o सीआईएल नियमों के अनुसार पात्र महिला अधिकारियों को बाल देख-रेख अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- o खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियों हेतु रोजगार के लिए आयु सीमा में छूट।
- o क्षमता और रोजगार के सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु मुख्यालय और क्षेत्रों दोनों से चलाई जा रही "महिला मंडल" द्वारा आसपास के समुदायों की लाभ वंचित महिलाओं को सिलाई/कढ़ाई, कम्प्यूटर साक्षरता, किराना वस्तुओं के व्यापार इत्यादि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना । यह सामाजिक आउटफिट एमसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों व स्टाफ्स की पत्नियों द्वारा गठित की गई है।
- o उपयुक्त प्रतिनिधित्व और संबोधन से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत घोषणा :

कंपनी में यौन उत्पीड़न(रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम,2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी(स्थायी, ठेका, अस्थायी, प्रशिक्षु) आते हैं।

प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य

निपटायी गई शिकायतों की संख्या – शून्य

28.2 **जन संपर्क -**

संस्था की घटनाओं और विभिन्न मुद्दों पर अपने रूख के बारे में हितधारकों को अद्यतन रखने के लिए लिए आपकी कंपनी के पास काफी सक्रिय जनसंपर्क है। संचार माध्यम के रणनीतिक योजना द्वारा हमने आंतरिक व बाह्य जनता तक अपनी पहुंच बनाने पर विशेष बल दिया है । कंपनी के विभिन्न विकास/ घटना के बारे में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को अद्यतन रखते हुए हमने उनके साथ स्वस्थ व्यावसायिक संबंध कायम रखा है । देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ समाज के कमजोर तबकों के,विशेषत: ओड़िशा में हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर व आसपास में रहने वाले परिधीय जनसामान्य,सामाजिक-आर्थिक उन्नयन हेतु कंपनी के विभिन्न व्यवसाय-संबंधी,सामाजिक व विकासात्मक पहल के लिए हमारे विचार में मीडिया एक गुणक है ।

उच्च प्रबंधन के साथ वरिष्ठ पत्रकारों के विशेष वार्ता आयोजित करने तथा चतुर्थ स्तंभ के इन प्रतिनिधियों को सरकारी कार्यों/समारोहों में शामिल करना मीडिया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक संबंध की कुंजी रही है।कंपनी की ओर से बढ़ती तादाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और मीडिया प्रतिनिधियों से नियमित संवाद से कंपनी की पहलों और सफलताओं को व्यापक प्रचार कवरेज प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी का संकट प्रबंधन संचार माध्यम से सुर्खियों में रहा तब कंपनी को अशांत वातावरण से उबारने में तथा उपभोक्ताओं, विशेषकर विद्युत उत्पादन संयंत्रों में, इसके असर को कम करने में जनसंपर्क सफल रहा । संकटकाल में कंपनी द्वारा अपनाई गई पीआर रणनीति की व्यावसायिक निकायों ने अभिस्वीकृत किया, जैसे-पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएस) ने एमसीएल को संकट संचारण के लिए पीआरएसआई नेशलन अवार्ड प्रदान किया तथा पब्लिक रिलेशंष काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआई) ने इस पीआर प्रकरण अध्ययन को गोल्ड अवार्ड प्रदान किया ।

इसके अतिरिक्त, अपने संचालन व उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए आपकी कंपनी ने कटक, भुवनेश्वर व नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनी में भाग लिया ।

इन सभी प्रदर्शनियों में आपकी कंपनी की प्रदर्शनियों का अवार्ड के लिए चयन हुआ ।

आपकी कंपनी ने आंतरिक वितरण हेतु **'द महानदी'** नाम से एक द्विभाषिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है तथा कंपनी की पर्यावरणानुकूल खनन कार्यों, सीएसआर तथा आरएंडआर पहल आदि को दर्शाती हुई कुल 45 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, 'माइनिंग कोल विद ग्रीन थॉट्स' पूर्ण किया है ।

आपकी कंपनी का फेसबुक पेज, **"महानदी कोल फील्ड्स के समाचार"** ,के जरिए सामाजिक मीडिया में रहना (कोल इंडिया में प्रथम) आम जनता और कंपनी के पुराने व वर्तमान कर्मचारियों में अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है।

कंपनी के लिए सकारात्मक जनमत व सद्भावना जागृत करने के लिए विभिन्न अवसरों पर मीडिया में कार्पोरेट विज्ञापन जारी किए गए तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक/प्रशिक्षण महत्व के आयोजनों को हमने प्रायोजित किया । अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजनों में ब्रांडिंग, एफआईआइएच चैंपियंस ट्रॉफी (पुरूष), हॉकी टूर्नामेंट तथा हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित हॉकी इंडिया लीग में आपकी कंपनी राष्ट्रीय खेल के प्रोत्साहक के रूप में लोगों की नजर में आई ।

29. सामाजिक सुविधाओं पर पूंजी निवेश:

दिनांक 31.3.2014 की तुलना में दिनांक 31.3.2015 को सामाजिक सुविधाओं पर निवेश की गई पूँजी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

(करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	स्थिर परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	
		31.03.2015 को	31.03.2014 को
1	भवन	363.38	333.11
2	यंत्र एवं संयंत्र	72.58	70.49
3	फर्नीचर,फीटिंग एवं उपकरण	8.69	8.18
4	वाहन	7.15	5.86
5	विकास	9.24	9.24
	कुल	**461.04**	**426.88**

30. सतर्कता गतिविधियॉ एवं उपलब्धियॉ:

एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य फोकस लाभकारी प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए निरोधक सतर्कता पर रहा है। प्रमुख जोर पहचाने गए संवेदनशील भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सुधार लाने के सुव्यवस्थित रूप सुझाने पर रहा है ताकि कंपनी के व्यावसायिक लेन-देनों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निरोधक, भविष्यसूचक और पूर्व-अधिकृत सर्तकता उपायों के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में बार-बार औचक निरीक्षण किए गए हैं जिससे कि विभिन्न क्षेत्रीय अभियानों एवं विधिवत प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता और भ्रष्टाचार-निरोधी मामले प्राथमिक कार्यसूची पर थे जिसमें अन्य बातों के अलावा पारस्परिक प्रभाव/विचार-गोष्ठी के माध्यम से नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी, विक्रेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हैं।

30.1 निरोधक सतर्कता :

(क) <u>निरीक्षण:</u>

वर्ष 2014-15 के दौरान, 38 औचक और 02 नियमित प्रकार के निरीक्षण किए गए। ऐसे निरीक्षणों में प्रमुख फोकस प्रणाली/प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना रहा है ताकि फील्ड अभियानों में स्वच्छता और पारदर्शिता लाई जाए। विभिन्न फील्ड अभियानों की औचक जांच जैसे कि डीजल की खपत, कोयले की गुणवत्ता, सुरक्षा तैनाती, कोयला परिवहन, स्थानीय खरीद/ आपातकालीन खरीद, सार्वजनिक क्रय आदि व्यवस्थित सुधारों के रूप में जारी विभिन्न परिपत्रों, अनुदेशों, दिशा-निर्देशों और जहॉ आवश्यक पाया गया दण्डात्मक कार्रवाई की गई।

(ख) <u>व्यवस्थित सुधार</u>

1. कंपनी में जून,2014 में दैनिक सर्वे आकलन के लिए परीक्षण के आधार पर एसयूआरपीएसी साफ्टवेयर को लगाया गया। प्रणाली में सुधार हेतु सतर्कता विभाग द्वारा उसके सचिवालय के संदर्भ संख्या-990 दिनांक 28.06.2014 द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए।

   "साफ्टवेयर प्रणाली को इस तरह बनाने की आवश्यकता है कि कुल स्टेशनों द्वारा संग्रहित प्रारंभिक डाटा को प्रणाली में सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी व्यक्ति द्वारा डाटा में छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाए। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक कार्यालय के व्यक्तियों द्वारा डाटा में सुधार /बदलाव की संभावना बनी रहेगी। यद्यपि यह साफ्टवेयर में अपलोड हो चुका हो। तो भी एसयूआरपीएसी साफ्टवेयर के प्रभावी और पारदर्शी प्रयोग के लिए प्रारंभिक सर्वे आंकड़ों के साथ तैयार विभिन्न रिपोर्ट योजनाएं और

सेक्सन्स को प्राधिकृत व्यक्तियों को किसी भी समय एवं जब उसे आवश्यकता हो को उपलब्ध कराया जाए।"

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि वे रॉ-सर्वे डाटा कलेक्सन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए 3डी लेजर जैसे प्रणाली की शुरूआत करें।

2. सतर्कता सचिवालय जीपीएस/सीसीटीवी/आरएफआईडी/वीटीएस/आईपी कैमरों के लगाने की मानीटरिंग कर रहा है। वर्तमान में ऐसी आशंका है कि निजी कोयला वाशरी के मालिकों के साथ-साथ परिवहनकर्ताओं के साथ नीचले क्रम के कर्मचारी समूह इन प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों से नाराज है। इसके परिणाम स्वरूप वे जीपीएस/वीटीएस/ सीसीटीवी/ आरएफआईडी/ आईपी कैमरों को नष्ट कर सकते हैं।

   इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यह सुझाओ दिया गया है कि वे परिपत्र के द्वारा परियोजनाओं/क्षेत्रों को आईटी समर्थ निवारक सतर्कता उपाय बिना किसी बाधा एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करता रहे। यह सतर्कता सचिवालय के संदर्भ संख्या-1152 दिनांक 21.07.2014 द्वारा कहा गया है।

3. सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2014 को अनुपालन के दौरान बीडर-मिट आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ठेकेदार,आपूर्तिकर्ता, कोयला परिवहनकर्ता जिनकी ठेकाएं इस इंटीग्रीटी पैक्ट के तहत है, ने भाग लिया। एमसीएल के दोनों आईईएम के साथ निदेशक(वित्त) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी इन सत्रों में उपस्थित थे। पूरा सत्र काफी जीवन्त रहा इसमें बोलीकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने यह बताया कि उनके फाइलों के साथ विभिन्न स्तर पर क्या समस्याएं आतीं हैं उसकी जानकारी प्रदान कीं।

   बोलीकर्ताओं द्वारा उठाए गए मामलों को एक विस्तृत टिप्पणी के साथ सतर्कता सचिवालय दृष्टिकोण एवं संदर्भ संख्या-979 दिनांक 21.11.2014द्वारा कंपनी के कार्यकलाप को नियमित करने के लिए कंपनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी को भेजी गई।

4. विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ियों को भाड़े पर लेने के संबंध में,सतर्कता सचिवालय के ध्यान में आया है कि एक ही गाड़ी दो विभिन्न चालू कार्य-आदेशों के तहत लगी हुई है। इस दूहराव को रोकने के लिए कोलनेट पर एक माड्यूल डिजाइन किया गया है ताकि सभी ठेका गाड़ियों का विवरण अपलोड किया जाए ताकि कार्य आदेश जारी करने के पहले निविदा प्राधिकारी यह सत्यापित कर लें कि गाड़ी विशेष कहीं लगा हुआ है या नहीं।पहले साथ ही, बोलीकर्ता/ट्रेवल एजेन्ट से यह शपथ पत्र फार्म में घोषणा करा लिया जाए कि यदि विचलन पाया जाता है तो बोलीकर्ता/ट्रेवल एजेन्ट को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

30.2 दंडात्मक सतर्कता:

वर्ष के दौरान 01 मेजर(बड़ी) एवं 04 माइनर(छोटी) दण्ड की प्रक्रिया 89 कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है। 03 बड़े मामलों में जांच की प्रक्रिया प्रगति पर है।

विवरण	31 मार्च, 2014 को लंबित	वर्ष 2014-15 के दौरान नई वृद्धियां	वर्ष 2014-15 के दौरान निपटान	31 मार्च, 2015 को लंबित
सतर्कता मामले	12	09	18	03
बड़ी दण्ड कार्यवाहियां	07	02	02	07
छोटी दण्ड कार्यवाहियां	04	05	06	03

30.3 कर्मचारियों का रोटेशन:

कंपनी की उन कर्मचारियों के रोटेशन की नीति है जो संवेदनशील पदों/विभागों में कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान 153 कर्मचारियों को संवेदनशील पदों सें गैर संवेदनशील पदों में स्थानांतरित किया गया है । इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जिन के नाम वर्ष 2014 की ''सहमत सूची'' तथा ''संदेहास्पद निष्ठा के अधिकारियों की सूची'' में आते हैं।

30.4 सीवीसी मामले

वर्ष के दौरान 04 मामले सीवीसी के पास प्रथम चरण की सलाह लेने के लिए भेजा गया।

30.5 संसद प्रश्न

वर्ष के दौरान 07 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

30.6 सूचना का अधिकार अधिनियम:

वर्ष के दौरान 15 आरटीआई पूछताछों का समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया गया।

30.7 रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

मासिक, तिमाही, वार्षिक रिपोर्टें केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लि. को समय से भेजी गई थीं।

30.8 सतर्कता क्लीयरेंश:

वर्ष के दौरान 9762 कर्मचारियों की जिसमें निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और गैर- अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल थे की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता के मामलों में सतर्कता क्लीयरेंश सीआईएल/ एमओसी/सीवीसी को भेजी गई।

30.9 पारदर्शिता:

दिए गए टेण्डर और संविदाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश सं. 13.03.2005 दिनांक 16.03.2005 के तहत, एमसीएल की वेबसाइट में डाली गईं। एमसीएल में 2009 से ई-टेंडरिंग के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल(https:mcltenders.gov.in)

30.10 सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार, एमसीएल ने, सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2014, का अपने सभी क्षेत्रों और स्थापनाओं में 27 अक्तूबर से 01 नवम्बर तक मनाया। इस अवधि में किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय 'भ्रष्टाचार रोकने में तकनीक हथियार ' के सामंजस्य में 27.11.014 को एमसीएल मुख्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में परियोजना,क्षेत्रों एवं एमसीएल मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लिए। इसके अलावा विभिन्न श्रमसंघों ,जेसीसी सदस्यों ने भी भाग लिया।
- "उसी दिन एमसीएल के सतर्कता बुलेटिन ,2014 के 10वां अंक का विमोचन किया गया।
- इसके अलावा सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2014 के अंश के रूप में बीडर-मीट(ठेकेदार) आपूर्तिकर्ता/विक्रेताओं) दिनांक 28.10.2014 को आयेाजित किया गया जिसमें श्री ए.के. महापात्र,अवकाशप्राप्त आईएएस,स्वतंत्र बाह्य मानीटर(आईईएम) और श्री एस के महान्त,आईआरएस,आईईएम,एमसीएल ने प्रतिभागिता की/ वेंडर मीट में बोलीकर्ता अपने विचार/मांग/सुझाव सिविल,परिवहन एवं अन्य ठेकों के क्रम में आनेवाली समस्याओं पर रखे। इस मीट में क्षेत्रों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,विभिन्न विभागों के स्टाफ आफिसर कंपनी मुख्यालय के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष तथा कर्मचारी/अधिकारियों ने भाग

लिया। कार्यशाला का चार सत्र निचले स्तर पर ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ता/ विक्रेताओं द्वारा सामना होनेवाली समस्याओं का जानने में सहायक हुआ। आईईएम/कार्यकारी निदेशकों/ मुख्य सतर्कता अधिकारी ने संबंधित व्यक्तियों को उनकी मांग के निपटारे का भरोसा दिलाया।

- संबलपुर जिला के 6 स्कूलों में दिनांक 29.10.14 को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उसी दिन एमसीएल कर्मचारियों के लिए भी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।
- दिनांक 30.10.2014 को "ई-गवर्नेंस-डाटा सेक्युर्टी" विषय पर एक और सेमिनार का आयोजन किया गया इसमें मुख्य वक्ता के रुप में श्री गोपाल चंद्र नंद, आईपीएस,पूर्व पुलिस महानिदेशक, ओड़िशा और डॉ संदीप त्रिपाठी, आईएफएस,मुख्य कार्यपालक,ओड़िशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर(ओआरएसएसी),ओड़िशा ने भाग लिया तथा "ई-गवर्नेंस-डाटा सेक्युर्टी" तथा जीपीएस मेपिंग पर पड़नेवाली प्रेरणा के संबंध में अपने आलेख प्रस्तुत किए।श्री एस के भंजा,उप महाप्रबंधक,ई-प्रोक्योरमेंट सेल, एमसीएल ने एमसीएल के ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में डाटा सेक्युरिटी पर प्रमुख जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के द्वारा प्रस्तुत किया।
- सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2014 के दौरान दो परिचर्चा सत्र का आयोजन क्षेत्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयेाजित यिका गया। यह ईब वैली कोयलांचल के लिए 29.10.2014 तथा तालचेर कोयलांचल के लिए 31.10.2014 को आयोजित हुआ जिसमें सतर्कता दल के साथ अधोहस्ताक्षरी ने कर्मचारियों, अधिकारियों एवं विभिन्न श्रमसंघों के जेसीसी सदस्यों के साथ ' कंबेटिंग कारप्सन-टेक्नोलॉजी एज एन इनेब्लर ' को ध्यान में रखते हुए परिचर्चा किया।

30.11 सतर्कता बुलेटिन:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सीवीसी, नई दिल्ली के विभिन्न परिपत्रों,अनुदेशों की कर्मचारियों में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सतर्कता बुलेटिन का 8वां संस्करण जारी किया गया।

30.12 प्रमुख उपलब्धियां:

- ई-प्रोक्योरमेंट
- असफल बोली लगानेवाले को ईएमडी का आनलाईन आटो रिफन्ड।
- आरएफआईडी के साथ इनमोशन वे-ब्रीज की शुरूआत था इसे कोलनेट से जुड़ा होना।
- कोयला की चोरी रोकने के लिए जीपीएस आधारित व्हेक्लि ट्रेकिंग सिस्टम एवं खदान क्षेत्र में जिओ-फेन्सिंग को लगाना।
- सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रानिक निगरानी।
- तीन परियोजनाओं में पूरी तरह ओआईटीडीएस द्वारा ओबी विस्थापन के लिए लगे एचईएमएम के मानिटरिंग के लिए इलेक्टोनिक शुरूआत।
- एमसीएल के 22,109 कार्मिकों एवं(लगभग) 12000 ठेका मजदूरों/सुरक्षा प्रहरियों के फोटोग्राफ सहित विस्तृत विवरण अपलोड करने हेतु कोलनेट का स्थायीत्व और पीआईएस मोड्यूल को लागू करना।

31. ई-प्रोक्योरमेंट:

एमसीएल की ई-प्रापण प्रणाली, जो 15.08.2009 को प्रारंभ हुई थी, का सफल संचालन हो रहा है और अब तक 7650 से अधिक निविदाएं इस माध्यम से निर्णित हो चुकी हैं। एमसीएल इस वेब-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन से अत्यंत लाभांवित हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है और निविदा की मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा में संवर्धन हुआ है। सीवीसी के दिशा-निर्देश के तहत हाल ही में पोर्टल साफ्टवेयर की लेखा परीक्षा एसटीक्युसी द्वारा किया गया है। संगठन की साख में बेहतर पारदर्शिता और बोलीदाताओं को सुविधा देने से बढ़ती है। प्रणाली में सतत् प्रयास हुए हैं और नए फीचर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिभूति जमा की वापसी की स्वचालित और अत्यंत प्रगतिशील प्रक्रिया का 15.10.2013 से कार्यान्वयन किया गया है। इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के पश्चात बोलीदाता को अस्वीकार करने पर प्रतिभूति जमा अगले दिन स्वत: ही वापस हो जाती है। ईएमडी की प्राप्ति एवं वापसी की इस प्रणाली को और विकसित किया गया है जिससे अवैध ईएमडी लेनदेन तत्काल प्रणाली द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है और वापसी स्रोत लेखा में हो जाती है। फिलहाल रु.2.00 लाख और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं को ई-प्रापण प्रणाली के जरिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें बहु-मुद्रा वैश्विक निविदाओं सहित कार्य, वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की विशेष विशेषताएं :

1. टेण्डर के तकनीकी भाग का विश्लेषण पोर्टल साफ्टवेयर द्वारा स्वत: ही किया जाता है और बोली के विश्लेषण में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम हो गया है।
2. डाटा आधारित पोर्टल साफ्टवेयर जिसे बोलीदाताओं द्वारा संरचित और वस्तुपरक फार्मेट में प्रदान किया जाता है, द्वारा मूल्यांकन निष्पादित किया जाता है। टेण्डर में भागीदारी के लिए बोलीदाता से न्यूनतम दस्तावेज अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।
3. बोलीदाताओं से उनकी बैंक गारंटियों के सिवाय किसी दस्तावेज को विश्लेषण के लिए आफलाईन प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं होती।
4. पोर्टल साफ्टवेयर में, निवेशित डाटा को वैध बनाने और समुचित चौकसी संदेश देने के लिए टेण्डरों के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित व्यावसायिक लॉजिक शामिल किया जाता है।
5. बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करते हुए, प्रत्येक अवस्था में यह फीडबैक प्राप्त करता है कि क्या बोली में टेण्डर की अपेक्षा का अनुपालन हो रहा है या नहीं।
6. न्यूनतम बोलीदाताओं को उनके द्वारा आनलाईन पर दी गई सूचना के समर्थन में मूल दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतिलिपि अप-लोड करनी होती है।
7. ईएमडी और टेण्डर शुल्क की प्राप्ति की प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए एमसीएल में निकाले गए सभी टेण्डरों के लिए इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर/नेफ्ट/आरटीजीएस पद्धति शुरू की गई है। अब जो बोलीदाता आनलाइन भुगतान का विकल्प ले रहे हों उन्हें एमसीएल को कोई दस्तावेज नहीं भेजना पड़ता।
8. पोर्टल साफ्टवेयर में एक सुविधा सृजित की गई है ताकि बोलीदाता उनके द्वारा भेजी गई बोली सूचना के समर्थन में उनके द्वारा ऑनलाइन पद्धति द्वारा भेजी गई सारे पुष्टिकरण दस्तावेजों को अपलोड कर सकें।

9. बोली के प्रस्तुतीकरण के पश्चात बोलीदाता टेण्डर की अपेक्षाओं से संबंधित उनके अनुपालन की फीडबैक प्राप्त करता है।
10. इसलिए बोलीदाताओं को किसी टेण्डर क माध्यम से ठेका प्राप्त करने के लिए एमसीएल परिसरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

32. एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

वर्ष 2012-13 में कंपनी स्तर पर एमसीएल का एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ 9001:2008- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली,आईएसओ - पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं ओएचएसएएस 18001:2007- व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के साथ मान्यता प्राप्त है जो सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सदृश्य है,निम्निलिखित हैं :-

आईएसओ 9001 -क्युएमएस - उपभोक्ता के केन्द्रीकरण प्रबंधन और संगठन की आंतरिक क्षमता।

आईएसओ 14001-ईएमएस – संगठन के पर्यावरणीय मामले का प्रबंधनओएचएसएएस 18001 ओएचएसएमएस संगठन के व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले का प्रबंधन।

यह प्रमाण पत्र सीएमपीडीआईएल, रांची के माध्यम से एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता ने प्रदान किया।

आईएमएस का उद्देश्य:

क) कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समांतराल प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।

ख) विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जोकि अन्यथा भिन्न-भिन्न और असंगत हो सकते हैं।

ग) एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातारण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तरदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।

घ) नेमी कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।

ङ) दोनों प्रणालियों में संचालन में प्रभाव प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में व्यवसायिक क्षमता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना।

च) उपभोक्ता (उत्पाद/ सेवा से संबंधित) और समाज (स्वयं के संचालन से पर्यावरण पर पड़नेवाले विपरीत प्रभाव में न्यूनतम करना) दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत पहुँच मार्ग बनाना।

छ) इसके सभी इच्छुक पार्टियों को निम्नलिखित आत्मविश्वास उपलब्ध कराने को समर्थ बनाना:

(i) उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को लगातार पूरा करने के लिए कोयले का खनन एवं आपूर्ति करना।

(ii) पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।

(iii) लगातार सुधार हेतु सुव्यवस्थित प्रयास।

(iv) सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।

(v) कुछ छोटी अवधि की उपलब्धि के स्थान पर स्थायी एवं लगातार सुधार पर जोर देना।

भविष्य की योजना : 2015-16 में

वर्ष 2015-16 में पूरे एमसीएल के लिए एसए 8001: 2008 सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली एवं आईएसओ 50001: 2011- ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का प्रत्यर्पन करने जा रहा है। यह सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है जो नीचे दिए जा रहे हैं:

एसए 8000 एसएएमएस - संस्थान के सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में प्रबंधन।

आईएसओ 50001 ईएमएस – संस्थान में उपयोग में आनेवाले सभी तरह की ऊर्जा के खपत को नियंत्रित करने का प्रबंधन।

<u>वर्ष 2014-15 के दौरान आईएमएस सेल द्वारा की गई गतिविधियां</u>

<u>क्र.सं.</u>	विवरण	आईएमएस सेल द्वारा कृत कार्रवाई
क)	वर्ष 2014-15 के आईएमएस के प्रबंधन उद्देश्य,लक्ष्य एवं कार्यक्रम	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं सभी क्षेत्र/इकाई को परिचालित।
	कार्यदक्षता में सुधार हेतु।	
ख)	कार्यालयीन ई-मेल आईडी का व्यवहार (एनआईसी) निदेशक(तकनीकी/ पी एंड पी) के परिचालित मार्गदर्शन के अनुसार।	आईएमएस सेल द्वारा कार्रवाई की गई।
क)	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी) द्वारा परिचालित मार्गदर्शन के अनुसार कार्यालयीन ई-मेल-आईडी का प्रयोग।	आईएमएस सेल द्वारा कार्रवाई की गई।
ख)	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी) द्वारा परिचालित मार्गदर्शन के अनुसार प्रत्येक कार्यालय द्वारा पॉच नियमों एवं प्रक्रिया की पहचान।	वर्ष 2014-15 के प्रबंधन लक्ष्य एवं उद्देश्य में समाविष्ट है।
ग)	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी) द्वारा परिचालित मार्गदर्शन के अनुसार अधिकतम चार का निर्णय लेने की सीमा।	वर्ष 2014-15 के प्रबंधन लक्ष्य एवं उद्देश्य में समाविष्ट है।
घ)	कंप्यूटराइज्ड फाइल ट्रैकिंग प्रणाली।	आईएमएस सेल द्वारा कार्रवाई की गई।
ड.)	सभी प्रस्ताव,टिप्पणी,पत्र एवं सूचनाओं के निपटान हेतु कॉलर कोडिंग प्रणाली का प्राथमिकता से प्रयोग।	वर्ष 2014-15 के प्रबंधन लक्ष्य एवं उद्देश्य में समाविष्ट है।
च)	कार्यालयीन फाइलों,रजिस्टरों एवं डायरी आदि की अनन्य पहचान।	सभी क्षेत्रों/इकाइयों को परिचालित की गई।
छ)	समरूप रिकार्ड रखते हुए डाटा विश्लेषण हेतु	वर्ष 2014-15 के प्रबंधन लक्ष्य एवं उद्देश्य में समाविष्ट है।

	प्रत्येक इकाई में आईएमएस/स्टेटिस्टीकल सेल की स्थापना।	
ग)	**प्रमाणन एजेन्सी द्वारा आईएमएस एवं सर्विलियेंस लेखा परीक्षा का आंतरिक लेखा परीक्षा।**	
क)	02.09.2014 से 13.09.2014 तक आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित।	आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा सुधारात्मक और निवारक उपाय किए गए।
ख)	22.09.2014 से 26.09.2014 तक तालचेर कोयलांचल में प्रमाणन एजेंसी द्वारा सर्विलियेंस लेखा परीक्षा का संचालित।	आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा सुधारात्मक और निवारक उपाय किए गए।
ग)	एमसीएल में प्रभावशील और आईएमएस के कार्यान्वयन पर 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम शामिल किया।	360 डिग्री स्कोर आगे सुधार के लिए यूनिट / क्षेत्र में परिचालित किए जाते हैं।
घ)	**अन्य गतिविधयां एवं मानिटरिंग:**	
क)	कार्मिकों के प्रतिनिधियों को नामित करना।	संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
ख)	एसए8000 लागू करने हेतु कार्रवाई की जाएंगी।	
ग)	आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना।	
घ)	एमसीएल वेबसाइट पर प्रबंधन नीति अपलोड करना।	
ड.)	समय-समय पर जलापूर्ति प्रणाली में जल उपचार।	
च)	निविदा दस्तावेज में एसए 8000 और आईएसओ 50,001 की आवश्यकता का समावेश।	
छ)	प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, एमसीएल मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से जागरूकता कक्षा संचालित।	प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, एमसीएल मुख्यालय के आमंत्रण के अनुसार।
ज)	एमसीएल द्वारा वर्ष 2018-19 में 250 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिसम्बर,2014 माह में जागरुकता एवं प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।	एमसीएल में 20 इकाइयों में संचालित किया गया, इसमें एमसीएल के लगभग 500 अधिकारी शामिल हुए।
झ)	पर्यावरण मामलों के लिए अलग वित्तीय कोड ।	पर्यावरण मामलों में अलग वित्तीय कोड प्रयोग में नहीं हैं परंतु इसके लिए अनुरोध किया गया है।

33. पुरस्कार और मान्यता

33.1 वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान/गतिविधियों के लिए कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है :

- भारत के शीर्ष एचआर संस्था नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पर्सनल मैनेजमेंट के सौजन्य से श्री पी.ए. संगमा,माननीय सांसद और पूर्व स्पीकर(लोक सभा) द्वारा प्रदत्त- एचआर बेस्ट प्रेक्टिसेस एवार्ड,2014 ।
- वर्ष के ओड़िशा आईएनसी बेस्ट सीएसआर एवार्ड की ट्राफी- माननीय केंद्रीय मंत्री (जन जातिय मामले) श्री जुएल ओराम द्वारा एमसीएल के निदेशक(कार्मिक) को प्रदान किया गया।
- कंपनी में प्रणालीगत सुधार के साथ,निवारक सक्रिय और दंडात्मक सतर्कता गतिविधियों के लिए श्री दीपक श्रीवास्तव,आईएफएस ,मुख्य सतर्कता अधिकारी ने आईपीई के सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2013-14 प्राप्त किया।

- 01 नवंबर,2014 को क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कोल इंडिया एवार्ड।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी,एमसीएल एवं महाप्रबंधक(आईईडी),एमसीएल को व्यापार में ई-पहल(आईईडी) के लिए इलेक्ट्स पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ओड़िशा एमएसएमई व्यापार मेला-2015- बेस्ट मदर प्लांट फार डिस्प्ले एवार्ड।
- 5वीं कोयला शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी-2014 कंपनी के प्रदर्शन के अवधारणा और डिजाइन के लिए पुरस्कार।
- एमएसएमई एक्पो ओड़िशा-2014- माननीय मंत्री उद्योग, स्कूल एवं जनशिक्षा, ओड़िशा सरकार द्वारा श्री ए.के. तिवारी, निदेशक (तकनीकी/ संचालन) को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवार्ड प्रदान किया गया।
- पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ने एमसीएल का संकट संचार श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया।
- भारत के पब्लिक रिलेशन्स काउन्सिल द्वारा एमसीएल पब्लिक रिलेशन्स केस स्टडी के लिए नेशनल गोल्ड एवार्ड से सम्मानित किया गया।
- श्री जे.पी. सिंह,निदेशक(तकनीकी /योजना व परियोजना),एमसीएल ने चार खदानों जैसे-समलेश्वरी, लजकुरा, भुवनेश्वरी और कनिहा के लिए ग्रीनटेक फाउन्डेशन पर्यावरण गोल्ड एवार्ड प्राप्त किया।
- एमसीएल ने इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रेक्टिस-2014 प्राप्त किया।.
- श्री ए.एन. सहाय,सीएमडी,एमसीएल को आईएसटीडी नेशनल कन्वेंशन में प्रशिक्षण और लोगों के विकास की दिशा में उनके अनुकरणीय नेतृत्व और योगदान के लिए 'लाइफटाइम एचीवमेंट एवार्ड-2015' से सम्मानित किया गया।
- श्री पी.सी. पाणिग्राही,निदेशक(कार्मिक),एमसीएल को 44वीं आईएसटीडी नेशनल कन्वेंशन में प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्र में नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- एमसीएल को ग्रीनटेक फाउन्डेशन,नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्रशिक्षण उत्कृष्टता गोल्ड एवार्ड मिला।
- श्री ए.एन. सहाय,सीएमडी,एमसीएल को ग्रीनटेक फाउन्डेशन,नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 के 'एचआर ओरियेंटेड सीईओ प्लेटिनम एवार्ड से सम्मानित किया गया।

- ग्रीनटेक फाउन्डेशन,नई दिल्ली द्वारा श्री पीसी पाणिग्राही,निदेशक(कार्मिक),एमसीएल को 'एचआर लीडर-2014 गोल्ड एवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- आंध्रा विश्वविद्यालय,विशाखापट्टनम के मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा श्री पीसी पाणिग्राही, निदेशक(कार्मिक),एमसीएल को मानव संपर्क नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- दिनांक 13.03.2015 को इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज,हैदराबाद द्वारा कार्पोरेट विजिलेंस एक्सेलेंस एवार्ड आयोजित की गई। एमसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया । उन्हें सतर्कता में सकारात्मक योगदान के लिए भी इंडीविजूअल एक्सेलेंस एवार्ड प्रदान किया गया।

34.0 **लेखा परीक्षक**

34.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्ष फर्मों को वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

सांविधिक लेखा परीक्षक	शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स	मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स
पूरी घाट, ताला टेलेङ्गा बाज़ार	98, खारवेल नगर,
कटक	केशरी टाकिज काम्प्लेक्स,
ओड़िशा - 753009	प्रथम तल, भुवनेश्वर
	ओड़िशा-751001

34.2 लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमावली 2014 साथ पढ़ा जाये, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबन्धित लागत लेखा परीक्षा रिकार्ड रखती है जिसे लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आप के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर मेसर्स निरेन एंड कंपनी, लागत लेखापाल भुवनेश्वर ओड़िशा को कंपनी मुख्यालय एवं इसके ईकाइयों ईब कोयलांचल के क्षेत्रो और बसुंधरा क्षेत्र के लिए वितीय वर्ष 2014-15 के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस ₹.212500.00 तथा ज़ेब खर्च ₹.106250.00 (ii) मेसर्स मऊ बनर्जी एंड कंपनी आसनसोल, पश्चिम बंगाल को तलचेर वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर तालचेर कोयलांचल के क्षेत्रो का लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस ₹.140625.00 तथा ज़ेब खर्च ₹.70312.00 तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर पर नियुक्त किया गया है।

2014-15 के लिए लेखा परीक्षा प्रगति पर है तथा 2013-14 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ii पर संलग्न है

34.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक** :

सचिवीय लेखा परीक्षक कंपनी अधिनिय 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधन कार्मिक के परिश्रमिक) नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स लोकेश ए. गोहील एंड एसोसियेट्स कंपनी सचिवों, सम्बलपुर ओड़िशा को वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए संबंध किया गया है । सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट को अनुलग्नक iii पर संलग्न किया गया है

35. सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

1. **<u>एमजेएसजे कोल लिमिटेड:</u>**

एमजेएसजे कोल लिमिटेड को 13.08.2008 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रुप में एमसीएल में शामिल किया गया।

एमजेएसजे कोल लिमिटेड को गोपाल प्रसाद ओसीपी जिसमें एमसीएल का 60% शेयर, जेएसडब्ल्यु स्टील लिमिटेड एवं जेएसडब्लु एनर्जी लिमिटेड में 11% हिस्सेदारी से चल रहा है और श्याम मेटालिक्स तथा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में श्याम डीआरआई पावर

लिमिटेड के रुप में जाना जाता है, और जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के प्रत्येक 09% शेयर है। दिनांक 31.03.2015 एमजेएसजे कोल लिमिटेड तक एमजेएसजे कोल लिमिटेड का प्रदत्त शेयर पूँजी 95.10 करोड़ रुपए रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.08.2014 के अपने फैसले एवं दिनांक 24.09.2014 के अपने आदेश में एमजेएसजे कोल लिमिटेड को आबंटित उत्कल-ए कोयला ब्लॉक के आवंटन को अवैध घोषित किया और आवंटन निरस्त कर दिया।

2. **<u>एमएनएच शक्ति लिमिटेड:</u>**

एमएनएच शक्ति लिमिटेड को दिनांक 16.07.2008 को एमसीएल के एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रुप में शामिल किया गया। एमएनएच शक्ति लिमिटेड तलाबिरा ओसीपी के लिए गठित किया गया जिसमें एमसीएल के 70% भागीदारी है, नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड जिसमें एमसीएल के 15% की हिस्सेदारी है और हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें 15% की हिस्सेदारी है। दिनांक 31.03.2015 तक एमएनएच शक्ति लिमिटेड की शेयर पूंजी 85.10 करोड़ रुपए था। माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 25.08.2014 को अपने फैसले में एवं दिनांक 24.09.2014 को अपने आदेश में तलाविरा-।। एवं तलाविरा-।।। को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के आवंटन को अवैध घोषित कर आवंटन को निरस्त कर दिया।

3. **महानदी बेसिन पावर लिमिटेड :**

एक और कंपनी ' महानदी बेसिन पावर लिमिटेड' की स्थापना 02 दिसम्बर,2011 को हुई और आर ओ सी द्वारा दिनांक 6.2.2012 को व्यापार शुरु करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया। एमबीपीएल एसपीव्ही के रुप में गठित की गई है। इसमें महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसके नामितों की 100% अंश हैं तथा बसुन्धरा कोयलांचल में इसमें पीटहेड पावर प्लांट के जरीए 2x800 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। यह महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल) की पूरी स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या- डी/6,बीजेबीनगर,भुवनेश्वर -2751014 है। दिनांक 31.03.2015 को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की शेयर पूंजी रु.5.00 लाख है जिसे एमसीएल ने प्रदान किया है।

4. **नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड:**

उपरोक्त के अलावा ओड़िशा राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ अधिशेष धन के बेहतर उपयोग के लिए बिजली ट्रांसमिशन कारोबार में एमसीएल फिर से उद्यम किया। तदनुसार दिनांक 8.1.2013 के दूसरे संयुक्त उद्यम कंपनी नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(एनपीटीसीपीएल) और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (ओपीटीसीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम,समझौते के आधार पर 50:50 इक्विटी भागीदारी के साथ ओड़िशा में विद्युत ट्रांसमिशन व्यवसाय को बाहर ले जाने के उद्देश्य से एमसीएल और ओपीटीसीएल के बीच साझेदारी शामिल किया गया।

36. **सावधि जमा**

आपकी कंपनी ने, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित किया गया है, के तहत लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

37. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(3)(एम) के तहत सूचनाओं का विवरण :

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा -143(3)(एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी के उपयोग एवं वैदेशिक मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-IV में दी गई है।

38. निदेशक मंडल:

38.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निदेशक बने रहेः

1. श्री ए. एन. सहाय	-	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के. तिवारी	-	निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)
3. श्री जे.पी. सिंह	-	निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना)
4. श्री पी.सी. पाणिग्राही	-	निदेशक(कार्मिक)
5. श्री बी.के. सक्सेना	-	निदेशक
6. श्री एस.के. सिंह	-	निदेशक

38.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक नियुक्त हुएः

1. श्री के. के. परिडा	-	निदेशक (वित्त)(30.09.2014 से)

38.3 कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक पद से मुक्त नहीं हुएः

39. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(3)(सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है:

क. दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही तथा स्वच्छ जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने/निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. निदेशकों ने 31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार(गोईंग कन्सर्न) के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. सही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभारी रूप से संचालित है।

च. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

40. कार्पोरेट गवर्नेंस

इस रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-**V पर संलग्न है।

41 वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न के सार का फार्मिंग भाग का विवरण फार्म एमजीटी 9 के **अनुलग्नक-**VI पर संलग्न है।

42. **प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :**

प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-**VII पर संलग्न है।

43. **भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणी**

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक**-VIII पर संलग्न है ।

44. **लेखा परीक्षा समिति:**

समिति का पुनर्गठन 25 जून,2014 को किया गया । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं-:

1. श्री एस.के.सिंह,संयुक्त सचिव,कोयला मंत्रालय- निदेशक,एमसीएल बोर्ड–अध्यक्ष
2. श्री बी.के.सक्सेना,डी(एम),सीआईएल - निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
3. निदेशक(तक./संचालन),एमसीएल - निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
4. निदेशक(तक./योजना एवं परियो.),एमसीएल-निदेशक,एमसीएल बोर्ड–आमंत्रित

44.1 कार्य क्षेत्र:

1. वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
3. सरकारी लेखा परीक्षा एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
4. संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
5. परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
7. एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
8. किसी भी मामले का विशेष अध्ययन,जॉच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति ने एमसीएल के वित्तीय और अन्य ऑकड़े/सूचना का आकलन किया है। समिति द्वारा अवलोकित तथ्यों को एमसीएल बोर्ड के पास भेजा जाता है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिलें ।

45. लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है । कंपनी केवल एक उत्पाद अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवर हेड सहित मदवार लागत के ब्यौरे के साथ रिकार्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है और नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्ट का मिलान किया जाता है।

46. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन:

46.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीआई), भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2014-15 के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है। आपकी कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समग्र समझौता-ज्ञापन रेटिंग **"उत्कृष्ट"** रहा है।

लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अनुलग्नक – **IX** पर संलग्न है।

47. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा:

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के तहत एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

48. संबंधित पार्टी लेनदेन :

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन जो वित्तीय वर्ष के दौरान आर्मस लेंथ आधार पर प्रवेश किये थे और सामान्य व्यपार में शामिल थे । कंपनी द्वारा प्रोमोटोरों मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या पदें (Designated) के साथ मेटेरियल सिग्निफिकेंत संबंधी पार्टी लेनदेन नहीं किया जाता है ।

49 . ऋण गारंटी और निवेशों का विविरण:

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 186(4) और 11 तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त करता द्वरा प्रयोग किया जायेगा की घोषणा करता है ।

50. आभार

50.1 आपके निदेशक गण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

50.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

50.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

50.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

50.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहनेवाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है ।

51 . अनुलग्नक(एडेन्डा) :

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं :

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(ड) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचनाएं ।
2. कंपनी अधिनियम 2013 धारा 148, तथा साथ पढ़ा जानेवाला कंपनी के अनुवर्ती संशोधित नियमावली 2014 (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों ओर कंपनी(नियुक्ति तथा प्रवंधन से जुड़े कार्मिकों के मेहनताना) नियमावली 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
4. कंपनी अधिनियम ,2013 की धारा 143(3)(ड) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट।
5. लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत कार्पोरेट गवर्नेंस(शासन) पर रिपोर्ट।
6. फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का सार।
7. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
8. कंपनी अधिनियम,2013 की धरा 143(6) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां।
9. सीआईएल के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2013-14 के समझौता ज्ञापन(एमओयू) के अनुसार निष्पादन का मानदंडवार ब्यौरा।

ह/-

(ए .एन .सहाय)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 12.06.2015

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अपने अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(ए .एन .सहाय)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: संबलपुर

दिनांक : 12.06.2015

समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन(एमओयू) में दिए गए लक्ष्य के साथ-साथ वित्तीय और गतिशील मानदंडों के कार्य निष्पादन की वास्तविक लेखा परीक्षा की है, कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. कार्य निष्पादन मूल्यांकन शीट में संलग्न वित्तीय और गतिशील मानदंड उपलब्धि विवरण 2014-15 के समझौता ज्ञापन(एमओयू) भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम के दिशा-निर्देशों के आधार पर जिसकी गणना की जाती है।

2. वित्तीय और गतिशील मानदंड के आधार पर प्रस्तुत की गई उपलब्धि को दस्तावेजीय प्रमाण, संरक्षित रिकार्ड के साथ हमारे समक्ष संबंधित मानदंड के अनुसार जांच के लिए प्रस्तुत किया गया जो हमारी जानकारी के अनुसार सही है।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

हस्ता/-

(सीए सत्यजीत मिश्रा)

साझेदार

सदस्य संख्या. 057293

स्थान : भुवनेश्वर

दिनांक : 13.06.2015

समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन: 2014-15
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक -II

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल-4 से मार्च-15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
1		**स्थिर/वित्तीय मानकों**										
(i)		**वृद्धि/ आकार / गतिविधि (दो)**										
	(क)	बिक्री टर्नओवर(कुल बिक्री)	रु.(करोड़ में)	10	11135.10	11051.34	10498.77	9973.83	9475.14	11024.42	2.05	0.2049
	(ख)	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन दर	%	10	0.4189	0.4136	0.3929	0.3733	0.3546	0.46	1.00	0.1000
(ii)		**लाभप्रदता**										
	(क)	पीएटी / निवल मूल्य	अनुपात	5	0.4700	0.4619	0.4388	0.4169	0.3960	0.7938	1.00	0.0500
	(ख)	ईबीआईटीडीए/नेट ब्लॉक	अनुपात	7	1.6753	1.644	1.5618	1.4837	1.4095	1.8146	1.00	0.0700
(iii)		**लागत और उत्पादन में दक्षता**										
	(क)	बिक्री टर्नओवर / नेट ब्लॉक	अनुपात	10	3.9051	3.8758	3.682	3.498	3.323	3.5707	3.60	0.605
(iv)		लिक्विडिटी/लीवरेज										
	(क)	देनदार टर्नओवर अनुपात(दिनों की संख्या)(औसत वसूली अवधि)		8	11.4540	11.6034	12.1836	12.7927	13.4324	9.0793	1	0.0800
		उप योग		**50.0**								**0.8653**

कृते पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/ -
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर- वित्तीय मानकों**										
i)		**कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्थिरता**										
	(क)	बसुंधरा-गर्जनबहाल क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरगढ़ जिला (पिछड़ा जिला) में दुदुका चौक से कनिका रेलवे साइडिंग पहुच जंक्शन तक कोयला परिबहन मार्ग का मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	माह	0.4	15-मार्च-15	31-मार्च-15	-	-	-	एग्रीमेंट के अनुसार 31.01.2015 को कार्य पूर्ण हुआ।	1	0.004
	(ख)	स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा शिविर और चलित खून जांच का आयोजन	शिविरों की संख्या	0.3	10	9	8	7	6	2014-15 में 149 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर एवं चलित रक्त जाँच किया गया।	1	0.003
	(ग)	वीएसएसयूटी,बुर्ला के महिला छात्रावास के द्वितीय तल का निर्माण	माह	0.3	15-मार्च-15	31-मार्च -15	-	-	-	01.02.14 में कार्य पूर्ण किया गया और वीएसएसयूटी, बुर्ला को सौंपा गया।	1	0.003
		उप योग		**1.00**								**0.010**

कृते पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/ -
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	इकाई	वजन (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर-वित्तीय मानकों**										
(ii)		**नवीन प्रथाओं को अपनाना**										
	(क)	कनिहा खान का जियो फेंसिंग	माह	0.10	15-फरवरी-15	28-फरवरी -15	15-मार्च-15	31-मार्च-15	-	कनिहा खदान में जिन गाड़ियो में जीपीएस प्रणाली लगा है उनके लिए जियो फेंसिंग कार्य 16.12.14 को पूरा हो गया।	1	0.001
	(ख)	एमसीएल के ई-प्रोक्यूरमेंट प्रणाली के अंतर्गत धरोहर राशि का स्वत:वापसी	माह	0.50	15- फरवरी -15	28-फरवरी-15	15-मार्च-15	31-मार्च-15	-	एमसीएल में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रणाली अंतर्गत ईएमडी का स्वत:वापसी प्रणाली 07.04.14 को शुरू हुआ ।	1	0.005
	(ग)	लाइसेंस के लिए डिजिटल रिपोजिटरी (विस्फोटक, खदान खोलने, खदान बंद करने की योजना)	खदानों की संख्या	0.30	10	9	8	7	6	एमसीएल के सभी 23 खानों के लिए पूर्ण हो चुका है।	1	0.003
	(घ)	क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन परियोजना निगरानी।	क्षेत्रों की संख्या	0.10	5	4	3	2	1	एमसीएल के 10 क्षेत्रो में क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन परियोजना निगरानी किया जा रहा है।.	1	0.001
		उप योग		**1.00**								**0.010**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के.परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील / गैर-वित्तीय मानकों										
(iii)		विकास के लिए पहल										
	(क)	एमसीएल बोर्ड द्वारा 2 परियोजनायों का अनुमोदन	संख्या	0.5	15.02.15	28.02.15	15.03.15	31.03.15	---	एमसीएल बोर्ड द्वारा 2014-15 में पांच परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया: 1) दिनांक 07.05.2014 को आयोजित 157 वीं बोर्ड बैठक में बसुंधरा(डबल्यू) एक्सटेंशन का अनुमोदन किया गया । 2) दिनांक 26.05.2014 को आयोजित 158 बोर्ड बैठक में जगन्नाथ पुनर्गठन ओसीपी का अनुमोदन किया गया । 3) दिनांक 25.06.2014 को आयोजित 159 वीं बोर्ड बैठक में कुलड़ा विस्तार ओसीपी को अनुमोदन किया गया । 4) दिनांक 16.09.2014 को आयोजित 161 बोर्ड बैठक में गर्जनबहाल ओसीपी का अनुमोदन किया गया। 5) दिनांक 03.02.2015 में आयोजित 164वीं बोर्ड बैठक में एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी का अनुमोदन किया गया।	1	0.005
	(ख)	सीबीए की धारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचना	हेक्टेयर	1.0	500	490	466	442	420	हासिल नहीं हुआ।	5	0.05
	(ग)	सीबीए की धारा 4(1) के अंतर्गत गोपालजी ओसीपी के लिए अधिसूचना	माह	0.5	फरवरी'15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			एस.ओ.के द्वारा दिनांक 28.11.14 को सीबीए की धारा 4(1) के अंतर्गत गोपालजी ओसीपी के लिए अधिसूचना प्राप्त हुआ।	1	0.005
	(घ)	भूमि का आधिपत्य	हेक्टेयर	2.0	250	245	233	221	210	14-15 में 314.035 हा. भूमि का आधिपत्य	1	0.020
		उप योग		**4.0**								**0.080**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर वित्तीय मानकों**										
(iv)		**परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन**										
	क.	वर्ष 2014-15 के लिए पूंजीगत व्यय	करोड़	2.0	700	670	637	605	574	वर्ष 14-15 के दौरान ₹. 836.50 करोड़ की पूंजीगत व्यय।	1	0.020
	ख.	कुलड़ा 20 हेक्टयर वन-भूमि अधिग्रहण किया।	माह	0.1	फरवरी'15	15 मार्चा'15	31st मार्च'15	-	-	हासिल नहीं हुआ।	5	0.005
	ग.	हिंगुला ओसीपी: 440.53 हेक्टेयर के लिए प्रथम चरण वन क्लीयरेंस।	माह	0.1	फरवरी'15	15मार्चा'15	31मार्च'15	-	-	प्रथम चरण का वन क्लीयरेंस दिनांक 06.01.2015 को प्राप्त हुआ।	1	0.001
	घ.	भूबनेश्वरी: 20 एमटीवाई का कोयला उत्पादन	%	2.0	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	वर्ष 14-15 के लिए भूबनेश्वरी ओसीपी से कोयला उत्पादन 25.00 एमटी हुआ जो 20 एमटी का 125% है।	1	0.020
	ड.	कनिहा: एमजीआर के माध्यम से 4 एमटीवाई का प्रेषण	%	2.0	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	वर्ष 14-15 के दौरान एमजीआर के माध्यम से कनिहा ओसीपी से 6.1936 एमटी प्रेषण	1	0.020
	च.	गोपालप्रसाद ओसीपी : 15 एमटीवाई के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस	माह	0.1	फरवरी'15	15 मार्च'15	31मार्च'15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.005
	छ.	समलेश्वरी ओसी : प्रथम चरण के वन क्लीयरेंस का अनुपालन।	माह	0.2	फरवरी '15	15 मार्च'15	31मार्च'15	-	-	दिनांक 20.09.14 को एमओईएफ़सीसी , नई दिल्ली में अनुपालन प्रस्तुत किया गया	1	0.002
	ज.	लिंगराज ओसी:लिंगराज ओसीपी के लिए साइलो निर्माण हेतु कार्य का अवार्ड ।	माह	0.1	फरवरी '15	15 मार्च'15	31 मार्च'15	-	-	एलओए संख्या एमसीएल/एसबीपी/ई एंड एम/लिंगराज साइलो/2014-15 एलओए-76 दिनांक 12.06.14 के द्वारा में कार्य अवार्ड किया गया। .	1	0.001

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

		मूल्यांकन मानक	इकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर वित्तीय मानकों**										
	(i)	भरतपुर ओसी : साइलों की कमीशनिंग	माह	0.5	फरवरी '15	15वीं मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.025
	(j)	बलराम ओसी: बलराम विस्तार के लिए धारा 7(1) के तहत 841.26 एकर हेतु अधिसूचना	माह	0.5	फरवरी '15	15वीं मार्च'15	31 मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.025
	(k)	एक 33 केवी बिजली ट्रांसफार्मर बे, एक 33 केवी लाइटिंग ट्रांसफार्मर बे एवं एक 33 केवी पोटेन्सियल ट्रांसफार्मर बे की वृद्धि के लिए ओरिएंट उप-क्षेत्र, एमसीएल के कालीनगर सब स्टेशन में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की गई ।	माह	0.4	फरवरी '15	15वीं मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.020
		उप योग		**8.0**								**0.144**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील/गैर वित्तीय मानकों										
(v)		उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रिया										
	(क)	सिस्टम क्षमता उपयोगिता	%	0.5	79.82	78.22	74.31	70.60	67.07	वर्ष 14-15 में सिस्टम क्षमता उपयोगिता 56.50% है।	5	0.025
(b)		ग्राहक संतुष्टि										
	(ख1)	बिजली क्षेत्र के लिए सहमत हुए नमूने के तहत प्रेषण की कवर।	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में बिजली क्षेत्र के लिए सहमत हुए नमूने के तहत प्रेषण की कवर 100% है।	1	0.010
	(ख2)	रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को उचित आकार के कोयले का प्रेषण	(%)	0.5	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को उचित आकार के कोयले का प्रेषण 100% है।	1	0.005
	(ख3)	इलेक्ट्रोनिक वे ब्रिज द्वारा तुला हुआ कोयला रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को प्रेषण	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में इलेक्ट्रोनिक वेब्रिज द्वारा तुला हुआ कोयला रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को प्रेषण 98.87% है।	1.13	0.011
	(ख4)	एक संयुक्त रूप से सहमत हुए तंत्र के माध्यम से थर्ड पार्टी सैम्पलिंग के तहत बिजली कम्पनियों के लिए एफएसए के तहत प्रेषण	(%)	1.0	95.00	90.00	85.00	80.00	75.00	एक संयुक्त रूप से सहमत हुए तंत्र के माध्यम से थर्ड पार्टी सैम्पलिंग के तहत बिजली कम्पनियों के लिए एफएसए के तहत प्रेषण 100% है।	1	0.010
		उप योग		4.0								0.061

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील/गैर वित्तीय मानकों										
(vi) (a)	नई प्रौद्योगिकियों / मौजूदा के सुधार / अन्य अभिनव प्रथाओं											
	(क1)	एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर से ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन का कार्यान्वयन	माह	0.5	फरवरी'15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			फरवरी,2015 में एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर से ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन का कार्यान्वयन किया गया	1	0.005
	(क2)	रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली	रेलवे साईडिंग की संख्या	0.5	4	3	2	1		21 रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली का समापन हुआ	1	0.005
	(क3)	वे ब्रिजों में केमरे की स्थापना	वे ब्रिजों की संख्या	0.5	50	45	40	35	30	82 वे ब्रिजों में केमरे की स्थापना की गई।	1	0.005
	(क4)	खुली खदान में डीजल और बिद्युत में ऊर्जा दक्षता के लिए बेंचमार्क स्थापित करने हेतु बाहरी एजेंसी जैसे ब्यूरो आफ एनर्जी एफिसियेंसी इत्यादि के लिए कार्य आदेश।	माह	0.5	फरवरी '15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			भरतपुर खुली खदान में विद्युत एवं उर्जा के लिए बेंचमार्क स्थापित करने हेतु पत्रांक एमसीएल/मुख्यालय/महाप्रबंधक (सीपी एंड पी)/15/1411(क) दिनांक 01.02.2015 द्वारा कार्य आदेश दिया गया तथा एमसीएल के 12 खुली ख्दानों में डिजल एवं ऊर्जा क्षमता के लिए बेंचमार्क स्थापित करने हेतु एमसीएल के पत्र क्रमांक एमसीएल/मुख्यालय/महाप्रबंधक (सीपी एंड पी)/14/373 दिनांक 18.06.2014 द्वारा कार्य आदेश दिया गया ।	1	0.005

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	इकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तर हीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील/गैर वित्तीय मानकों										
(ख)		सुरक्षा प्रबंधन										
	(ख1)	सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी	संख्या	1.0	4	3	2	1		वर्ष 14-15 के दौरान एमसीएल के 9 खदानों में सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी	1	0.010
	(ख2)	हिराखंड बुँदिया खदान(भूतल) में पर्यावरण की टेलिमोनिटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन	माह	1.0	फरवरी '15	15 मार्च'15	31 मार्च'15			अप्रैल 2014 में हिराखंड बुँदिया खदान(भूतल) में पर्यावरण की टेलिमोनिटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयित।	1	0.010
	(ख3)	पिछले वर्ष की तुलना में मिलियन टन कोयले पर मुत्युदर में कमी	(%)	0.5	4	3	2	1		13-14 वर्ष के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला से मुत्युदर :0.009, वर्ष 14-15 के दौरान मिलियन टन कोयला से मुत्युदर :0.008, पिछले वर्ष की तुलना में मिलियन टन कोयला में मुत्युदर 11.11% है।	1	0.005
	(ख4)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रति मिलियन टन कोयला पर गम्भीर चोट में कमी ।	(%)	0.5	4	3	2	1		वर्ष 13-14 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला पर गम्भीर चोट: 0.100 वर्ष 14-15 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला पर गम्भीर चोट: 0.082 पिछले वर्ष के तुलना में गम्भीर चोट में कमी : 18.0%	1	0.005
		उप योग		5.0								0.050

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर वित्तीय मानकों**										
(vii)		**मानव संसाधन प्रबंधन-(एचआरएम)**										
	क.	परियोजना प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	60	50	40	30	20	वर्ष 2014-15 में परियोजना प्रबंधन में कुल 60 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	ख.	संविदा प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में संविदा प्रबंधन में कुल 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	ग.	प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में कुल 09 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	घ.	जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में जोखिम प्रबंधन में कुल 6 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	ङ.	सिमुलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण	आपरेटरों की संख्या	1.0	10	9	8	7	6	वर्ष 2014-15 में कुल 27 आपरेटरों ने प्रशिक्षण प्राप्त की	1	0.01
	च.	**मानव संसाधन प्रबंधन-(एचआरएम)**		3.0	**कृपया अनुलग्न-ख देखें**						1	0.03
		उप योग		**8.0**								**0.08**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक - ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदण्ड													
क्र.संख्या	**मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक**	**माप-इकाई**	**वर्णन**	**महत्व**		**लक्ष्य का मूल्य**					**वास्तविक प्रदर्शन**	**रैंक**	**स्कोर**
						उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**कम अच्छा**			
						1	**2**	**3**	**4**	**5**			
क	**योग्यता और नेतृत्व विकास**												
1	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी के प्रशिक्षण दिवस की वास्तविकता का %	पूर्ति और दिन / प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी का प्रतिशत	**अधिकारी**			**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**			
			प्रति अधिकारी के प्रशिक्षण दिवस	**5**	***2***	**1.44**	**1.37**	**1.30**	**1.22**	**1 .15**	**7156**	**1**	**0.02**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**2664**	**2531**	**2398**	**2264**	**2131**			
			प्रति सुपरवाईजर/लिपिक/तकनिशियन प्रशिक्षण दिवस		***1***	**0.45**	**0.43**	**0.41**	**0.38**	**0.36**	**4135**	**1**	**0.01**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**2160**	**2052**	**1944**	**1836**	**1728**			
			प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण दिवस		***2***	**1.40**	**1.33**	**1.26**	**1.19**	**1.12**	**32780**	**1**	**0.02**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**21560**	**20482**	**19404**	**18326**	**17248**			
2	कैरियर योजना एवं विकास की एक प्रणाली के माध्यम से लीडरों के समूह का विवेचनात्मक विकास	योजनाबद्ध नेतृत्व विकास कार्यक्रम की %	पूर्ति की प्रतिशतता	**5**		**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**	**10**	**1**	**0.05**
			नेताओं को विकसित किया जाना है			**10**	**9**	**8**	**7**	**6**			
3	कर्मचारी लागत की % के अनुसार प्रशिक्षण बजट	कर्मचारी लागत की %	कर्मचारी लागत के %	**5**		**100**	**95**	**90**	**85**	**80**	**11.03**	**1**	**0.05**
			प्रशिक्षण खर्च(करोड़ में)			**9.50**	**9.03**	**8.55**	**8.08**	**7.60**			
4	मल्टी स्किलिंग के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति / गैर-कार्यकारी के वाहु कौशल/कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण योग्यता पूर्ती की %	~~%~~	**%**	**5**		**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**			
			प्रशिक्षण योजना		***1***	**14**	**13**	**12**	**10**	**8**	**14**	**1**	**0.01**
			कर्मचारियों के कौशल वर्गीकृत किया जाना है		***2***	**80**	**76**	**72**	**68**	**64**	**400**	**1**	**0.02**
			मानव-दिवस प्रशिक्षण		***2***	**13560**	**12882**	**12204**	**11526**	**10848**	**64464**	**1**	**0.02**

पाम्स एसोशिएट्स

अधिकृत लेखाकार

ह/-

(ए.एन. सहाय)

अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-

(के.के. परिडा)

निदेशक (वित्त)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-

सीए सत्यजीत मिश्रा

साझेदार

सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदण्ड													
क्रम संख्या	**मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक**	**माप-इकाई**	**वर्णन**	**वजन**		**लक्ष्य का मूल्य**					**वास्तविक प्रदर्शन**	**रैंक**	**स्कोर**
						उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**स्तरहीन**			
						1	**2**	**3**	**4**	**5**			
	ए 2 वैकल्पिक (नीचे पाँच में से, एक समझौता ज्ञापन में लिया जा रहा है)												
5	360 डिग्री फीडबैक प्रणाली में अधिकारियों के शामिल की प्रतिशतता	%											
6	आकलन एवं विकास केन्द्र में शामिल वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों (विभागाध्यक्षों,महाप्रबंधकों एवं ऊपर) की %	%											
7	नए / उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण में हस्तक्षेप - नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजना के पूर्ति का %	%											
8	उद्योग के प्रति आविष्कार – एकेदमी इंटरफ़ेस	**हाँ/नहीं विवरण**	**हाँ**			**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**			
			इंटरफ़ेस-1	**10**	**5**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**6**	**1**	**0.05**
			इंटरफ़ेस-2		**5**	**130**	**124**	**117**	**111**	**104**	**1337**	**1**	**0.05**
9	कर्मचारियों की योग्यता मैपिंग से बाहर ले जाने के लिए योजना के पूर्ति का %	%											
	योगा (क 1 से क9)			**30**									**0.30**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मान्दंड													
क्रम संख्या	**मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक**	**माप-इकाई**	**वर्णन**	**वजन**		**लक्ष्य का मूल्य**					**वास्तविक प्रदर्शन**	**रैंक**	**स्कोर**
						उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**स्तरहीन**			
						1	**2**	**3**	**4**	**5**			
B	**भर्ती, प्रतिधारण और प्रतिभा प्रबंधन**												
13	**के माध्यम से जनशक्ति युक्तिकरण**												
	- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति												
	- पुनः तैनाती												
	- किसी भी अन्य (भर्ती)	कर्मचारियों की संख्या के %	खुले विज्ञापन / आंतरिक चयन के माध्यम से	**5**	*3*	**0.49%**	**0.47%**	**0.44%**	**0.42%**	**0.39%**	**235**	**1**	**0.03**
						20	**18**	**16**	**14**	**12**			
			भूमि विस्थापित नियुक्ति		*2*	**1.48%**	**1.40%**	**1.33%**	**1.26%**	**1.18%**	**330**	**1**	**0.02**
						300	**285**	**270**	**255**	**240**			
14	कुल कर्मचारियों की मेल प्रतिशतता का एट्रीशन	%	***Less Than :-***	**20**		**1.0 0%**	**1.50%**	**2.00%**	**2.50%**	**3.00%**	**58**	**1**	**0.20**
						219	**329**	**438**	**548**	**657**			
15	मेंट्शिप विकास कार्यक्रम की उपस्थिति - **मेंटर्स एवं मेंटीस की संख्या**	**हाँ/नहीं संख्या**	**मेंटर्स**	**5**		**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**50**	**1**	**0.05**
			मैंटीस			**36**	**33**	**30**	**27**	**24**	**62**		
16	प्रतिभा प्रबन्धन के गठन/ लागु करने के लिए काम रोटेशन प्रणाली,इनाम प्रणाली,प्रयोजन,वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एड्वांस मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम विकास के अवसर इत्यादि	योजनाएं / पहल और उनके विवरण	क- काम रोटेशन	**5**	*2*	**100**	**90**	**85**	**80**	**75**	**157**	**1**	**0.02**
			ख-इनाम प्रणाली		*2*	**55**	**50**	**47**	**44**	**41**	**103**	**1**	**0.02**
			ग-वरिष्ठ. अधिकारी. एएमपीएस के लिए		*1*	**2**	**1**	**X**	**X**	**X**	**13**	**1**	**0.01**
	कुल (ख13 से ख16)			**35**									**0.35**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए टेंप्लेट													
क्रम संख्या	मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक	माप-इकाई	वर्णन	वजन		लक्ष्य का मूल्य					वास्तविक प्रदर्शन	रैंक	स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						1	2	3	4	5			
C	रचनात्मकता और नवाचार को सक्षम करना												
17	राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार)के लिए नामांकन/ प्रबिष्टियों की संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन/ प्रबिष्टियों की संख्या	कुल नामांकन	7.5		4	3	2	1	0	7	1	0.075
18	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी के लिए उत्पन्न सुझावों की संख्या	प्रति कर्मचारी संख्या	प्रति कर्मचारी की सुझाव	7.5		0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	207	1	0.075
			कुल सुझाव			200	175	150	125	100			
	कुल (ग17 से ग19)			15									0.15
	कुल (क,ख एवं ग)			80									0.80
D	कर्मचारी संपर्क एवं कल्याण												
19	शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता - वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रतिशत	% समझौता		5		60%	50%	45%	40%	35%	90.98	1	0.05
20	पेंशन,मेडिकेयर जहां नौकरी तनाव पूर्ण हें तनाव को कम करने के लिए वहां योगा,जिम जैसे कल्याण केंद्र की स्थापना करना	कार्यक्रम की संख्या/ स्कीम की कार्यान्वन की दिनांक	सीआईएल नीतियों के अनुसार पेंशन एवं मेडिकेयर	5	*1*	हाँ					हाँ	1	0.01
			योग कक्षाएं		*3*	5	4	3	2	1	5	1	0.03
			जिम		*1*	1	0	0	0	0	1	1	0.01
21	गठन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन	हाँ / ना	सीआईएल के सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा	5		हाँ					हाँ	1	0.05
22	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संरचित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या		5		300	280	260	240	220	755	1	0.05
	कुल (घ20 से घ24)			20									0.20
	कुल जोड़ (क,ख,ग,एवं घ)			100									1.00
	एनबी : एमओयू पर आधारित प्रो-डाटा के उपर आधारित एचआरएम से सीपीएसई को दिया गया 100 में से कुल स्कोर को 3 में बदला जाएगा												

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर- वित्तीय मानकों**										
(3)		**एंटरप्राइज़ - विशिष्ट मानकों**										
	(a)	ऑफ टेक	एमटी.	9.0	133.00	132.00	125.40	119.13	113.17	123.001	3.38	0.30
	(b)	कोयला उत्पादन	एमटी.	9.0	128.00	127.00	120.65	114.62	108.89	121.38	2.89	0.26
	(c)	मैन उत्पादकता (आउटपुट/मैन शिफ्ट)	टन /मैन शिफ्ट	1.0	16.65	16.51	15.68	14.90	14.16	14-15 के दौरान ओएमएस 17.10	1	0.01
		उप योग		**19.0**								**0.57**
		उप योग (गतिशील मानक)		**50.00**								**1.009**
		कुल जोड़		**100.00**								**1.8747**

(बहुत अच्छा)

(a) निगमित प्रशासन के अनुपालन: ग्रेड- उत्क्रुष्ट, वार्षिक स्कोर: 85.55C

(b) एमएसएमई से खरीद: डीओ संख्या. 21(1)/2011-एम.ए दिनांक 25.04.12 (एमएसएमई) के अनुसार पालन जारी

(c) डीपीई दिशानिर्देश: ओएम संख्या. DPE/14(38)/10-Fin दिनांक 28.06.2011. में ब्यौरे के अनुसार पालन

(d) सार्वजनिक उपक्रम (आइपीई) सर्वेक्षण के लिए डेटा प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार के किसी निर्देशों, अपनी वेबसाइट आदि और नियामकों की आवश्यकताओं के अनुपालन पर MOSPI डेटा अपडेशन: संकलित

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(ए.एन. सहाय)	**(के.के. परिडा)**	**सीए सत्यजीत मिश्रा**
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक	**निदेशक (वित्त)**	**साझेदार**
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	**महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**	**सदस्य संख्या.057293**

समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन: 2014 – 15 के अप्रत्याशित घटनाओं के साथ

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन के मानदंड	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
1		स्थिर / गैर- वित्तीय मानकों										
(i)		बृद्धि/आकार/गतिविधि (दो)										
	(a)	बिक्री कारोबार(निवल विक्रय)	रु.करोड में	10	10483.15	10464.39	9941.17	9444.11	8971.91	11024.42	1.00	0.1000
	(b)	सकल ऑपरेटिंग मार्जिन दर	%	10	0.3827	0.3807	0.3617	0.3436	0.3264	0.4568	1.00	0.1000
(ii)		लाभप्रदता										
	(a)	पीएटी/ निवल मूल्य	अनुपात	5	0.4103	0.4074	0.3870	0.3677	0.3493	0.7938	1.00	0.0500
	(b)	ईबीआईटीडीए/ निवल ब्लॉक	अनुपात	7	1.4466	1.438	1.3662	1.2979	1.2330	1.8146	1.00	0.0700
(iii)		लागत और आउटपुट दक्षता										
	(a)	बिक्री कारोबार(निवल ब्लॉक)	अनुपात	10	3.6765	3.6699	3.486	3.312	3.146	3.5707	2.54	0.2540
(iv)		लिक्विडिटी / लीवरेज										
	(a)	डेब्टर कारोबार अनुपात (दिनों की संख्या) (औसत वसूली अवधि)		8	12.1663	12.2542	12.8669	13.5103	14.1858	9.0793	1	0.0800
		उप योग		50.0								0.6540

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन के मानदंड	**इकाई**	**महत्व (%में)**	**एमओयू लक्ष्य**					**कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)**	**रैंक**	**स्कोर**
					उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**स्तरहीन**			
					1	**2**	**3**	**4**	**5**			
2		**गतिशील/गैर वित्तीय मानकों**										
(i)		**निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्थिरता**										
	(a)	सुंदरगढ़ जिले में बीजी क्षेत्र (पिछड़े जिले) के तहत जंक्शन दुदुका चौक से कनिका रेलवे साइडिंग तक ब्लैक टोप्ड कोयला परिवहन सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण	माह	0.4	15-मार्च-15	31-मार्च -15	-	-	-	समझौते के अनुसार 2015/01/31 तक किया गया काम।	1	0.004
	(b)	स्वास्थ्य जांच के संचालन और मेडिकल कैम्प एवं खून की मोबाइल जाँच	कैंपों की संख्या	0.3	10	9	8	7	6	स्वास्थ्य जांच के संचालन और मेडिकल कैम्प एवं वर्ष 2014-15 में 149 रक्त की मोबाइल जांच	1	0.003
	(c)	लेडीज हॉस्टल, वीएसएसयूटी, बुर्ला के द्वितीय मंजिल का निर्माण।	माह	0.3	15-मार्च15	31-मार्च15	-	-	-	दिनांक 01.12.2014 को कार्य का समापन एवं वीएसएसयूटी को हस्तांतर	1	0.003
		उप-योग		**1.00**								**0.010**

पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर वित्तीय मानकों**										
(ii)		**नवीन प्रथाओं को अपनाना**										
	(क)	कनिहा खान का जियो फेंसिंग	माह	0.10	15-फरवरी-15	28-फरवरी -15	15-मार्च-15	31-मार्च-15	-	कनिहा खदान में जिन गाड़ियो में जीपीएस प्रणाली लगा हैं उनके लिए जियो फेंसिंग कार्य 16.12.14 का पूरा हो गया।	1	0.001
	(ख)	एमसीएल के ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अंतर्गत धरोहर राशि का स्वत:वापसी	माह	0.50	15- फरवरी -15	28-फरवरी-15	15-मार्च-15	31-मार्च-15	-	एमसीएल में ई-प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत ईएमडी का स्वत:वापसी प्रणाली 07.04.14 को शुरू हुआ ।	1	0.005
	(ग)	लाइसेंस के लिए डिजिटल रिपोजिटरी (विस्फोटक, खदान खोलने, खदान बंद करने की योजना)	खदानों की संख्या	0.30	10	9	8	7	6	एमसीएल के सभी 23 खानों के लिए पूर्ण हो चुका है।	1	0.003
	(घ)	क्षेत्र के स्तर पर ऑनलाइन परियोजना निगरानी।	क्षेत्रो की संख्या	0.10	5	4	3	2	1	एमसीएल के 10 क्षेत्रो में क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन परियोजना निगरानी किया जा रहा है।.	1	0.001
		उप योग		**1.00**								**0.010**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन मानक	ईकाई	महत्व	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
				(% में)	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील / गैर वित्तीय मानकों										
(iii)		विकास के लिए पहल										
	(क)	एमसीएल बोर्ड द्वारा 2 परियोजना की अनुमोदन	संख्या	0.5	15.02.15	28.02.15	15.03.15	31.03.15	---	एमसीएल बोर्ड द्वारा 2014-15 में पांच परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया: 1) दिनांक 07.05.2014 में आयोजित 157 वीं बोर्ड बैठक में बसुंधरा (डबल्यू) एक्सटेंशन को अनुमोदित किया गया। 2) दिनांक 26.05.2014 आयोजित 158 बोर्ड बैठक में जगन्नाथ पुनर्गठन ओसीपी को अनुमोदित किया गया। 3) दिनांक 25.06.2014 में आयोजित 159 वीं बोर्ड बैठक में कुलड़ा विस्तार ओसीपी को अनुमोदित किया गया। 4) दिनांक 16.09.2014 में आयोजित 161 बोर्ड बैठक में गर्जनबहाल ओसीपी को अनुमोदित किया गया। 5) दिनांक 16.09.2014 में आयोजित 164वीं बोर्ड बैठक में एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी को अनुमोदित किया गया।	1	0.005
	(ख)	सीबीए की धारा 9(1) के तहत अधिसूचना	हेक्टेयर	1.0	500	490	466	442	420	हासिल नहीं हुआ।	5	0.05
	(ग)	सीबीए की धारा 4(1) के तहत गोपालजी ओसीपी के लिए अधिसूचना	माह	0.5	फरवरी'15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			एसओ संख्या-3037(ई) दिनांक 28.11.14 में गोपालजी ओसीपी के लिए धारा 4(1) के तहत अधिसूचना प्राप्त हुआ	1	0.005
	(घ)	भूमि का आधिपत्य	हेक्टेयर	2.0	250	245	233	221	210	14-15 में 314.035 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य	1	0.020
		उप योग		**4.0**								**0.080**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन के मानदंड	इकाई	महत्व (%में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक्	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			उत्कृष्ट
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील / गैर- वित्तीय मानकों**										
(iv)		**परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन**										
	क.	वर्ष 2014-15 के लिए पूंजीगत खर्च	करोड़	2.0	700	670	637	605	574	वर्ष 14-15 के दौरान ₹. 836.50 करोड़ की पूंजीगत खर्च।	1	0.020
	ख.	कुलड़ा 20 हक्टेयर वन भूमि अधिग्रहण किया ।	माह	0.1	फरवरी'15	15 मार्च'15	31 मार्च'15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.005
	ग.	हिंगुला ओसीपी: चरण-1 में 440.53 हेक्टेयर वन क्लीयरेंस।	माह	0.1	फरवरी'15	15मार्च'15	31मार्च' 15	-	-	प्रथम चरण की वन क्लीयरेंस दिनांक 06.01.2015 को मिला।	1	0.001
	घ.	भूबनेश्वरी: 20 एमटीवाई का कोयला उत्पादन	%	2.0	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	वर्ष 14-15 के लिए भूबनेश्वरी ओसीपी के कोयला उत्पादन 25.00 एमटी जो 20 एमटी का 125% है	1	0.020
	ङ.	कनिहा: एमजीआर के माध्यम से 4 एमटीवाई का प्रेषण	%	2.0	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	वर्ष 14-15 के दौरान एमजीआर के माध्यम से कणिहा ओसिपी से 6.1936 एमटी का प्रेषण	1	0.020
	च.	गोपालप्रसाद ओसीपी : 15 एमटीवाई के लिए ईसी	माह	0.1	फरवरी 15	15 मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.005
	छ.	समलेश्वरी ओसी : प्रथम चरण में वन विभाग की मंजूरी का अनुपालन।	माह	0.2	फरवरी '15	15 मार्च'15	31मार्च' 15	-	-	दिनांक 20.09.14 को एमओईएफ़सीसी, नई दिल्ली में अनुपालन प्रस्तुत किया गया	1	0.002
	ज.	लिंगराज ओसी:लिंगराज ओसीपी के लिए साइलो निर्माण के लिए कार्य का अवार्ड ।	माह	0.1	फरवरी '15	15 मार्च'15	31 मार्च'15	-	-	एलओए संख्या एमसीएल/एसबीपी/ई एंड एम/लिंगराज साइलो/2014-15 एलओए-76 दिनांक 12.06.14 के संदर्भ में कार्य दिया गया .	1	0.001

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन के मानदंड	इकाई	महत्व (%में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील/गैर-वित्तीय मानकों										
	झ.	भरतपुर ओसी:साइलों की स्थापना	माह	0.5	फरवरी '15	15 मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.025
	ञ.	बलराम ओसी:बलराम विस्तार के लिए धारा 7(1) के अंतर्गत 841.26 एकड़ की अधिसूचना	माह	0.5	फरवरी '15	15 मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.025
	ट.	एक 33 केवी बिजली ट्रांसफार्मर बे, एक 33 केवी लाईटिंग ट्रांसफार्मर बे एवं एक 33 केवी पोटेन्सियल ट्रांसफार्मर बे की वृद्धि के लिए ओरिएंट उप-क्षेत्र, एमसीएल के कालीनगर सब स्टेशन में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और स्थापना की गई ।	माह	0.4	फरवरी '15	15 मार्च'15	31मार्च '15	-	-	हासिल नहीं हुआ	5	0.020
		उप-योग		8.0								0.144

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन: 2014 – 15 के अप्रत्याशित घटनाओं के साथ

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन के मानदंड	इकाई	महत्व (%में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर वित्तीय मानकों**										
(v)		**उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रिया**										
	(क)	सिस्टम क्षमता उपयोगिता	%	0.5	79.82	78.22	74.31	70.60	67.07	वर्ष 14-15 में सिस्टम क्षमता उपयोगिता 56.50% है।	5	0.025
(ख)		**ग्राहक संतुष्टि**										
	(ख1)	बिजली क्षेत्र के लिए सहमत हुए नमूने के तहत सम्प्रेषण की कवर।	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में बिजली क्षेत्र के लिए सहमत हुए नमूने के तहत प्रेषण की कवर शत प्रतिशत।	1	0.010
	(ग2)	रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को उचित आकार कोयले का प्रेषण	(%)	0.5	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को उचित आकार कोयले का प्रेषण शत प्रतिशत।	1	0.005
	(ख3)	एलेक्ट्रोनिक वे ब्रिज द्वारा तुला हुआ कोयला रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को प्रेषण	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	वर्ष 14-15 में एलेक्ट्रोनिक वे ब्रिज द्वारा तुला हुआ कोयला रेल द्वारा बिजली क्षेत्र को प्रेषण 98.87% रहा।	1.13	0.011
	(ख4)	एक संयुक्त रूप से सहमत हुए तंत्र के माध्यम से थर्ड पार्टी सैम्पलिंग के तहत कवर बिजली कम्पनियों के लिए एफएसए के तहत प्रेषण	(%)	1.0	95.00	90.00	85.00	80.00	75.00	एक संयुक्त रूप से सहमत हुए तंत्र के माध्यम से थर्ड पार्टी सैम्पलिंग के तहत कवर बिजली कम्पनियों के लिए एफएसए के तहत प्रेषण शत प्रतिशत रहा।	1	0.010
		उप-योग		**4.0**								**0.061**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन: 2014 – 15 के अप्रत्याशित घटनाओं के साथ

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड **अनुलग्नक II**

		मूल्यांकन के मानदंड	इकाई	महत्व (%में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			उत्कृष्ट
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर वित्तीय मानकों**										
(vi) (क)	**नई प्रौद्योगिकियों / मौजूदा के सुधार / अन्य अभिनव प्रथाओं**											
	(क1)	एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर से ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन का कार्यान्वयन	माह	0.5	फरवरी' 15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			फरवरी,2015 में एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर से ऑनलाइनसामाग्री प्रबंधन का कार्यान्वयन किया गया।	1	0.005
	(क2)	रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली	रेलवे साईडिंग की संख्या	0.5	4	3	2	1		21 रेलवे साईडिंग में सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली का कार्य पूरा हुआ।	1	0.005
	(क3)	वे ब्रिजों में केमरे की स्थापना	वे ब्रिजों की संख्या	0.5	50	45	40	35	30	82 वे ब्रिजों में केमरे की स्थापना की गई।	1	0.005
	(a4)	खुली खदान में डिजल और विद्युत के मामले में उर्जा दक्षता में बदलाव स्थापित करने के लिए बाहरी एजेंसी जैसे ब्यूरो आफ एनर्जी एफीसियेंसी इत्यादि को कार्य आदेश जारी करना।	माह	0.5	फरवरी '15	15 मार्च'15	15 मार्च'15			भरतपुर खुली खदान में पत्रांक एमसीएल/मुख्यालय/महाप्रबंधक (सीपी एंड पी)/15/1411(क) दिनांक 01.02.2015 के तहत खुली खदान में ऊर्जा दक्षता के लिए बाहरी एजेंसी जैसे ब्यूरो आफ एनर्जी एफीसियेंसी इत्यादि के माध्यम से डीजल और बिजली में ऊर्जा दक्षता की बेंच मार्किंग के लिए काम दिया गया एवं पत्रांक एमसीएल/मुख्यालय/महाप्रबंधक (सीपी एंड पी)/14/373 दिनांक 18.06.2014 के अनुसार एमसीएल के 12 खुली ख्दनों में ऊर्जा दक्षता के लिए बाहरी एजेंसी जैसे ब्यूरो आफ एनर्जी एफीसियेंसी इत्यादि के माध्यम से डीजल और बिजली में ऊर्जा दक्षता की बेंच मार्किंग के लिए काम दिया गया एवं	1	0.005

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन मानक	इकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		गतिशील/गैर वित्तीय मानकों										
(ख)		सुरक्षा प्रबंधन										
	(ख1)	सुरक्षा प्रबंधन योजना की प्रस्तुति	संख्या	1.0	4	3	2	1		वर्ष 14-15 के दौरान एमसीएल के 9 खदानों में सुरक्षा प्रबंधन योजना की प्रस्तुति	1	0.010
	(ख2)	हिराखंड बुँदिया खदान(भूमिगत) में पर्यावरण की टेलिमोनिटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन	माह	1.0	फरवरी '15	15 मार्च'15	31 मार्च'15			अप्रैल 2014 में हिराखंड बुँदिया खदान(भूमिगत) में पर्यावरण की टेलिमोनिटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयित।	1	0.010
	(ख3)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर मृत्युदर में कमी।	(%)	0.5	4	3	2	1		वर्ष 13-14 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर मृत्युदर:0.009 वर्ष 14-15 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर मृत्युदर:0.008 पिछले वर्ष में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर मृत्युदर: 11.11% है ।	1	0.005
	(ख4)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर गम्भीर इंजूरी में कमी ।	(%)	0.5	4	3	2	1		वर्ष 13-14 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर गम्भीर इंजुरी: 0.100 वर्ष 14-15 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन के उपर गम्भीर इंजुरी: 0.082 पिछले वर्ष के तुलना में गम्भीर इंजुरी में कमी: 18.0%	1	0.005
		उप योग		**5.0**								**0.050**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक II

		मूल्यांकन मानक	इकाई	महत्व (% में)	एमओयू लक्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोष जनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर- वित्तीय मानकों**										
(vii)		**मानव संसाधन प्रबंधन-(एचआरएम)**										
	(क)	परियोजना प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	60	50	40	30	20	वर्ष 2014-15 के में परियोजना प्रबंधन में कुल 60 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	(ख)	संबिदा प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 के में संबिदा प्रबंधन में कुल 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	(ग)	प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भूमि अधिग्रहण में कुल 09 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	(घ)	जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1.0	5	4	3	2	1	वर्ष 2014-15 में जोखिम प्रबंधन में कुल 6 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त की।	1	0.01
	(ड)	सिमुलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण	आपरेटरों की संख्या	1.0	10	9	8	7	6	वर्ष 2014-15 में कुल 27 आपरेटरों ने प्रशिक्षण प्राप्त की	1	0.01
	(च)	**मानव संसाधन प्रबंधन-(एचआरएम)**		3.0	**कृपया अनुलग्न-ख देखें**						1	0.03
		उप योग		**8.0**								**0.08**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदण्ड													
क्र.संख्या	**मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक**	**माप-इकाई**	**वर्णन**	**महत्व**		**लक्ष्य का मूल्य**					**वास्तविक प्रदर्शन**	**रैंक**	**स्कोर**
						उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**स्तहीन**			
						1	**2**	**3**	**4**	**5**			
क	**योग्यता और नेतृत्व विकास**												
1	**प्रति वर्ष प्रति कर्मचारियों के प्रशिक्षण दिवस के वास्तविकता का %**	**पूर्ति और दिन / प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी का प्रतिशत**	**अधिकारी**			**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**			
			प्रति अधिकारी के प्रशिक्षण दिवस	**5**	***2***	**1.44**	**1.37**	**1.30**	**1.22**	**1 .15**	**7156**	**1**	**0.02**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**2664**	**2531**	**2398**	**2264**	**2131**			
			प्रति सुपरवाइजर/लिपिक/तक्नीसियन प्रशिक्षण दिवसा		***1***	**0.45**	**0.43**	**0.41**	**0.38**	**0.36**	**4135**	**1**	**0.01**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**2160**	**2052**	**1944**	**1836**	**1728**			
			प्रति कर्मचारी के प्रशिक्षण दिवस		***2***	**1.40**	**1.33**	**1.26**	**1.19**	**1.12**	**32780**	**1**	**0.02**
			कुल प्रशिक्षण दिवस			**21560**	**20482**	**19404**	**18326**	**17248**			
2	**कैरियर योजना एवं विकास की एक प्रणाली के माध्यम से नेत्रुत्वकर्ताओं की महत्वपूर्ण जन विकास**	**% योजनवद्ध नेतृत्व विकाश कार्यक्रम की प्रतिशतता**	**पूर्ति की प्रतिशतता**	**5**		**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**	**10**	**1**	**0.05**
			नेत्रुत्वकर्ताओं को विकसित किया जाना है			**10**	**9**	**8**	**7**	**6**			
3	**कर्मचारी लागत के % के रूप में प्रशिक्षण बजट**	**कर्मचारी लागत के %**	**कर्मचारी लागत के %**	**5**		**100**	**95**	**90**	**85**	**80**	**11.03**	**1**	**0.05**
			प्रशिक्षण खर्च(करोड़ में)			**9.50**	**9.03**	**8.55**	**8.08**	**7.60**			
4	**मल्टी स्किलिंग के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति / गैर-कार्यकारी के कौशल उन्नयन की %**	**~~%~~**	**%**	**5**		**100%**	**95%**	**90%**	**85%**	**80%**			
			प्रशिक्षण योजना		***1***	**14**	**13**	**12**	**10**	**8**	**14**	**1**	**0.01**
			कर्मचारियों के कौशल वर्गीकृत किया जाना है		***2***	**80**	**76**	**72**	**68**	**64**	**400**	**1**	**0.02**
			मानव-दिवस प्रशिक्षण		***2***	**13560**	**12882**	**12204**	**11526**	**10848**	**64464**	**1**	**0.02**

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मान्दण्ड													
क्रम संख्या	मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक	माप-इकाई	वर्णन	महत्व		लक्ष्य का मूल्य					वास्तविक प्रदर्शन	रैंक	स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						1	2	3	4	5			
	ए 2 वैकल्पिक (नीचे पाँच में से, एक को समझौता ज्ञापन में लिया जा रहा है)												
5	360 डिग्री फीडबैक प्रणाली में अधिकारियों के शामिल की प्रतिशतता	%											
6	आकलन एवं विकास केन्द्र में शामिल वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों (विभागाध्यक्षों,महाप्रबंधकों एवं ऊपर) के%	%											
7	नए / उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के हस्तक्षेप - नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजना के पूर्ति का %	%											
8	उद्योग के प्रति आविष्कार – एकेदामिक इंटरफ़ेस	हाँ/नहीं विवरण	हाँ			100%	95%	90%	85%	80%			
			इंटरफ़ेस-1	10	5	6	5	4	3	2	6	1	0.05
			इंटरफ़ेस-2		5	130	124	117	111	104	1337	1	0.05
9	कर्मचारियों की योग्यता मैपिंग से बाहर ले जाने के लिए योजना के पूर्ति का %	%											
	योगा (क 1से क 9)			30									0.30

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदण्ड													
क्रम संख्या	मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक	माप-इकाई	वर्णन	महत्व		लक्ष्य का मूल्य					वास्तविक प्रदर्शन	रैंक	स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
						1	2	3	4	5			
ख	भर्ती, प्रतिधारण और प्रतिभा प्रबंधन												
13	के माध्यम से जनशक्ति युक्तिकरण												
	- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति												
	पुनः तैनाती												
	- किसी भी अन्य (भर्ती)	कर्मचारियों की संख्या के %	खुले विज्ञापन / आंतरिक चयन के माध्यम से	5	*3*	0.49% 20	0.47% 18	0.44% 16	0.42% 14	0.39% 12	235	1	0.03
			भूमि अधिग्रहण नियुक्ति		*2*	1.48% 300	1.40% 285	1.33% 270	1.26% 255	1.18% 240	330	1	0.02
14	कुल कर्मचारियों का मेल क प्रतिशतता	%	*Less Than :-*	20		1.0 0%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%	58	1	0.20
						219	329	438	548	657			
15	सदस्यता की उपस्थिति विकाश कार्यक्रम मेंटर्स एवं मेंटीस की संख्या	हाँ/नहीं संख्या	मेंटर्स	5		12	11	10	9	8	50	1	0.05
			मेंटीस			36	33	30	27	24	62		
16	काम रोटेशन प्रणाली, इनाम आदि सूत्रिकरण,प्रबंधन के लिए प्रणाली का कार्यान्वयन जैसे - काम रोटेशन प्रणाली, इनाम प्रणाली, उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के लिए के वरिष्ठ अधिकारी प्रायोजन, विकास के अवसर - इस तरह के रूप में प्रतिभा के प्रबंधन आदि	योजनाएं / पहल और उनके विवरण	क- काम रोटेशन	5	*2*	100	90	85	80	75	157	1	0.02
			ख-इनाम प्रणाली		*2*	55	50	47	44	41	103	1	0.02
			ग-वरिष्ठ. अधिकारी. एएमपीएस के लिए		*1*	2	1	X	X	X	13	1	0.01
	कुल (ख13 से ख16)			35									0.35

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

अनुलग्नक ख

एचआरएम निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदण्ड													
क्रम संख्या	**मानव संसाधन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक**	**माप-इकाई**	**वर्णन**	**महत्व**		**लक्ष्य का मूल्य**					**वास्तविक प्रदर्शन**	**रैंक**	**स्कोर**
						उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**संतोषजनक**	**स्तरहीन**			
						1	**2**	**3**	**4**	**5**			
ग	**रचनात्मकता और नवाचार को सक्षम करना**												
17	राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रिय पुरस्कार)के लिए नामांकन/ प्रबिष्टियों का संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन/ प्रबिष्टियों का संख्या	**कुल नामांकन**	**7.5**		**4**	**3**	**2**	**1**	**0**	**7**	**1**	**0.075**
18	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी के लिए उत्पन्न सुझावों की संख्या	प्रति कर्मचारी की संख्या	प्रति कर्मचारी के सुझाव	**7.5**		**0.009**	**0.008**	**0.007**	**0.006**	**0.005**	**207**	**1**	**0.075**
			कुल सुझाव			**200**	**175**	**150**	**125**	**100**			
	कुल (ग17 से ग19)			**15**									**0.15**
	कुल (क,ख एवं ग)			**80**									**0.80**
घ	**कर्मचारी संपर्क एवं कल्याण**												
19	शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता - वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रतिशत	% समझौता		**5**		**60%**	**50%**	**45%**	**40%**	**35%**	**90.98**	**1**	**0.05**
20	पेंशन,मेडिकेयर तथा नौकरी जहां तनावपूर्ण हैं उसे कम करने के लिए योगा जिम जैसे कल्याण केंद्र की स्थापना ।	कार्यक्रम की संख्या/ स्कीम की कार्यान्वयन की दिनांक	सीआईएल नीतियों के अनुसार पेंशन एवं मेडिकेयर	**5**	***1***	**हाँ**					**हाँ**	**1**	**0.01**
			योगा कक्षा		***3***	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**5**	**1**	**0.03**
			जिम		***1***	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0.01**
21	निरूपण एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन	हाँ / ना	सीआईएल केसामाजिक सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा	**5**		**हाँ**					**हाँ**	**1**	**0.05**
22	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संरचित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या		**5**		**300**	**280**	**260**	**240**	**220**	**755**	**1**	**0.05**
	कुल (घ20 से घ24)			**20**									**0.20**
	कुल जोड़ (क,ख,ग,एवं घ)			**100**									**1.00**
	एनबी : एमओयू पर आधारित प्रो-डाटा के उपर आधारित एचआरएम से सीपीएसई को दिया गया 100 में से कुल स्कोर को 3 में बदला जाएगा												

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक ख

		मूल्यांकन मानक	इकाई	महत्व (% में)	एमओयू क्ष्य					कार्य निष्पादन (अप्रैल,14 से मार्च,15 तक)	रैंक	स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	स्तरहीन			
					1	2	3	4	5			
2		**गतिशील/गैर वित्तीय मानकों**										
(3)		**एंटरप्राइज़ - विशिष्ट मानकों**										
	(क)	ऑफ टेक	एमटी.	9.0	133.00	132.00	125.40	119.13	113.17	123.001	3.38	0.30
	(ख)	कोयला उत्पादन	एमटी.	9.0	128.00	127.00	120.65	114.62	108.89	121.38	2.89	0.26
	(ग)	मैन उत्पादकता (आउटपुट/मैन शिफ्ट)	टन /मैन शिफ्ट	1.0	16.65	16.51	15.68	14.90	14.16	14-15 के दौरान ओएमएस 17.10	1	0.01
		उप योग		**19.0**								**0.57**
		उप योग (गतिशील मानक)		**50.00**								**1.009**
		कुल जोड़		**100.00**								**1.8747**

(बहुत अच्छा)

(a) निगमित प्रशासन के अनुपालन: ग्रेड- बहुत बढ़िया, वार्षिक स्कोर: 85.55 ग

(b) एमएसएमई से खरीद: डीओ संख्या. 21(1)/2011-एम.ए दिनांक 25.04.12 (एमएसएमई) के अनुसार पालन जारी

(c) डीपीई दिशानिर्देश: ओएम संख्या. डीपीई/14(38)/10-वित्त दिनांक 28.06.2011. में ब्यौरे के अनुसार पालन

(d) सार्वजनिक उपक्रम (आईपीई) सर्वेक्षण के लिए डेटा प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकार के किसी निर्देशों, अपनी वेबसाइट आदि और नियामकों की आवश्यकताओं के अनुपालन पर एमओएसपीआई डेटा अपडेशन: संकलित

पाम्स एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

(ह/-
(ए.एन. सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
(के.के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ह/-
सीए सत्यजीत मिश्रा
साझेदार
सदस्य संख्या.057293

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। इनमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई तालचेर कोलफील्ड की छः क्षेत्रों तथा एक केन्द्रीय कर्मशाला की लेखापरीक्षा शामिल है।

2. **वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:**

कंपनी अधिनियम 2013 (एतद्स्मिनपश्चात 'दी एक्ट' से जानी जाए) की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133,जिसे कंपनीज,एकाउंट्स) रूल्स 2014 के साथ पढ़ी जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्याकथन से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों ।

3. **लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है । लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है ।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं ।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों

की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त, निम्नानुसार अन्य विषय-वस्तु के उप-अनुच्छेद (ए) में दर्ज, लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. मत-

परिशिष्टों में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट के बशर्ते, हम रिपोर्ट करते है किः-

क. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों (टिप्पणी संख्या 33) और लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 34) के साथ पठित कथित लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सत्य और सही जानकारी देते हैः

i) कंपनी के कार्यों के बारे में 31 मार्च, 2015 के तुलनपत्र के मामले में

ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण के मामले मे और

iii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नगदी प्रवाह के नगदी प्रवाह विवरण के मामले में।

हमने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

(क)ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

(ग) अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु प्रबंधन का तकनीकी या अन्य मूल्यांकन/अनुमान करना

5. अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ('दी आर्डर') में यथावांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उक्त वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है] ।

ग. तालचेर कोलफील्ड के छह क्षेत्र और एक केंद्रीय कर्मशाला पर धारा 143 द्वारा यथा वांछित, कंपनी के लेखापरीक्षक के इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित रिर्पोट धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के तहत हमें भेजी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में यथावश्यक संज्ञान लिया है।

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं और उन शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियां जिनका हमनें दौरा नहीं किया है।

ङ. हमारे मत में, इस रिपोर्ट के साथ संव्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी और नगद प्रवाह विवरणी, कंपनी अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) रूल्स,2014 के साथ पढ़ी जाए, के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मामलों का अनुपालन करती है।

च. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

छ. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31 मार्च,2015 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च,2015 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है, जो कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ज. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा तथा तत्संबंधी अन्य विषयवस्तु के रखरखाव से संबंधित कोई खासियत, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है ।

झ. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और इस तरह के नियंत्रण का ऑपरेटिंग प्रभाव है ।

ञ. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2004 के नियम 11 के अनुसार शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-

i) वित्तीय विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों को जाहिर किया गया है – वित्तीय विवरणियों का नोट-34 देखें ।

ii) लागू कानून या लेखा मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान किया गया है – चूंकि यह कंपनी से संबंधित है, ऐसे मदों से संबंधित वित्तीय विवरणियों का अतिरिक्त नोट-34 देखें ।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं हैं जिसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था ।

वास्ते, पाम्स एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
संस्था पंजीयन क्र. 316079ई

हस्ता.-
एम.पी.महापात्रा
भागीदार
सदस्यता क्र. 055113
स्थल-भुवनेश्वर
दिनांक 20.05.2015

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य को प्रस्तुत वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों के उसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद (5.1) से संदर्भित अनुलग्नक:

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें सूचना दी गई है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जॉच की गई है। उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत इन जॉचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।

(ii) (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जॉच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत एवं पर्याप्त है ।

(ग) हमारे विचार में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अपनी वस्तुसूचिओं का सही ब्यौरा रखती है। प्रत्यक्ष जॉच से वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टाक के बीच उत्पन्न अंतर का कंपनी के लिए संपूर्ण रूप से कोई भौतिक महत्व नहीं है पर पुस्तकीय लेखा में समुचित कार्रवाई की गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

रिकार्ड की परीक्षा के आधार पर हमें पता चला है कि कंपनी ने धारक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को ब्याज सहित एवं ब्याज रहित दोनों तरह का अल्प अवधि का ऋण।

(क) रिकार्ड की जांच के आधार पर हमने पाया कि मूलराशि की प्राप्ति एवं ब्याज, अल्पावधि ऋण में नियमित है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी को दी जानेवाली ब्याज शामिल है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

(iv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप जिसमें वस्तुओं की तथा स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, वस्तुओं के विक्रय एवं सेवाओं के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और हम लोगों ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं देखी है,जिसे सुधारा जाए।

(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

(vii) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं ,को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2015 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है :

संविधि का नाम	कुल राशि (करोड़रु. में)	फोरम का नाम जहॉ विवाद लंबित है
ओड़िशा विक्री कर,	105.15	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
आय कर	1953.34	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	466.61	उच्च न्यायालय एवं कमिश्नरेट

उपरोक्त राशि के अलावा विरोध सहित विक्रय कर के रूप में रु. 27.47 करोड़ जमा किया गया तथा विरोध सहित आयकर के रूप में रु.1953.34 करोड़ जमा किया गया एवं विरोध सहित रु.142.80 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जमा किया गया।

(ग) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निवेशकों के शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए स्थानांतरित की जानेवाली आवश्यक राशि जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के ।) तथा इससे संबंधित बननेवाले नियमों के प्रावधानों के तहत समय पर निधियों का स्थानांतरण हुआ है। :

(viii) इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी को कोई संचय घाटा नहीं हुआ है और वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही पिछले वर्ष कोई नगद घाटा हुआ है।

(ix) हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि कंपनी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के बकाया के पुन: भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने डिवेंचर जारी नहीं की है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है,अत: आदेश के खण्ड 3(XI) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(XI) लागू नहीं है।

(xii) भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखा परीक्षा पद्धति एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के तहत कंपनी की पुस्तकों एवं रिकार्ड की परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में वर्ष के दौरान हुए किसी घोटाले की न सूचना मिली, न तो ध्यान में लाया गया, रिपोर्ट किया गया या प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की सूचना दी गई।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079 ई

हस्ता/-
(एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113
स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 20.05.2015

लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर
निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 **की धारा** 143**(2) एवं** 134**(3) के अंतर्गत)**

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		**प्रबंधन का उत्तर**
1.	हमने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। इनमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई तालचेर कोलफील्ड की छः क्षेत्रों तथा एक केन्द्रीय कर्मशाला की लेखापरीक्षा शामिल है।	यह विवरण सही है।
2.	कंपनी अधिनियम 2013 (एतद्स्मिनपश्चात 'दी एक्ट' से जानी जाए) की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133,जिसे कंपनीज,एकाउंट्स) रूल्स 2014 के साथ पढ़ी जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्याकथन से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों ।	यह विवरण सही है

3.	हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है । लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है । हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं । लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त, निम्नानुसार अन्य विषय-वस्तु के उप-अनुच्छेद (ए) में दर्ज, लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।	**कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं**
4.	परिशिष्टों में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट के बशर्ते, हम रिपोर्ट करते है किः- • हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों (टिप्पणी संख्या 33) और लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 34) के साथ पठित कथित लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सत्य और सही जानकारी देते हैः • कंपनी के कार्यों के बारे में 31 मार्च, 2015 के तुलनपत्र के मामले में • उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण के मामले मे और • उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नगदी प्रवाह के नगदी प्रवाह विवरण के मामले में। **हमने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:** (ए) ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि	**कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं**

	के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े। (बी) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान। (सी) अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु प्रबंधन का तकनीकी या अन्य मूल्यांकन/अनुमान करना ।	**कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं**
5	1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ('दी आर्डर') में यथावांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं। 2. अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि: ए. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उक्त वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे; बी. हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है] । सी. तालचेर कोलफील्ड के छह क्षेत्र और एक केंद्रीय कर्मशाला पर धारा 143 द्वारा यथा वांछित, कंपनी के लेखापरीक्षक के इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित रिर्पोट धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के तहत हमें भेजी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में यथावश्यक संज्ञान लिया है। डी. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं और उन शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियां जिनका हमनें दौरा नहीं किया है। ई. हमारे मत में, इस रिपोर्ट के साथ संव्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी और नगद प्रवाह विवरणी, कंपनी अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) रूल्स,2014 के साथ पढ़ी जाए, के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मामलों का अनुपालन करती है। एफ. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। जी. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31 मार्च,2015 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च,2015 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है, जो कंपनी के लिए लागू नहीं है। एच. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा तथा तत्संबंधी अन्य विषयवस्तु के रखरखाव से संबंधित कोई खासियत, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है । आई. हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के	**कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं** **कोई टिप्पणी नहीं**

	अनुसार कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और इस तरह के नियंत्रण का ऑपरेटिंग प्रभाव है ।	
	जे. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2004 के नियम 11 के अनुसार शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-	यह विवरण सही है।
	• वित्तीय विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों को जाहिर किया गया है – वित्तीय विवरणियों का नोट-34 देखें ।	यह विवरण सही है।
	• लागू कानून या लेखा मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान किया गया है – चूंकि यह कंपनी से संबंधित है, ऐसे मदों से संबंधित वित्तीय विवरणियों का अतिरिक्त नोट-34 देखें ।	यह विवरण सही है।
	• ऐसी कोई राशि नहीं हैं जिसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था ।	यह विवरण सही है।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
हस्ता/-
(एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079 ई

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 20.05.2015

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

31.03.2015 समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख को दिये गए रिपोर्ट के अनुच्छेद (5.1) के संबंध में विवरण

(i)	1. कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है। 2. हमें सूचना दी गई है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जॉच की गई है। उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत इन जॉचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।	यह विवरण सही है।
(ii)	(क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जॉच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है। (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत एवं पर्याप्त है। (ग) हमारे विचार में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अपनी वस्तुसूचिओं का सही ब्यौरा रखती है। प्रत्यक्ष जॉच से वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टाक के बीच उत्पन्न अंतर का कंपनी के लिए संपूर्ण रूप से कोई भौतिक महत्व नहीं है पर पुस्तकीय लेखा में समुचित कार्रवाई की गई है।	यह विवरण सही है। यह विवरण सही है। यह विवरण सही है।
(iii)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार : रिकार्ड की परीक्षा के आधार पर हमें पता चला है कि कंपनी ने धारक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को ब्याज सहित एवं ब्याज रहित दोनों तरह का अल्प अवधि का ऋण । (क) रिकार्ड की जांच के आधार पर हमने पाया कि मूलराशि की प्राप्ति एवं ब्याज, अल्पावधि ऋण में नियमित है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी को दी जानेवाली ब्याज शामिल है। (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।	यह विवरण सही है। यह विवरण सही है। यह विवरण सही है।
(IV)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप जिसमें वस्तुओं की तथा स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, वस्तुओं के विक्रय एवं सेवाओं के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और हम लोगों ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं देखी है,जिसे सुधारा जाए।	यह विवरण सही है।

<table>
<tr><td>(V)</td><td>हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।</td><td>यह विवरण सही है।</td></tr>
<tr><td>(VI)</td><td>कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।</td><td>यह विवरण सही है।</td></tr>
<tr><td>(VII)</td><td>(क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं ,को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।
(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2015 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है :
<table>
<tr><th>संविधि का नाम</th><th>कुल राशि(करोड़ रु. में)</th><th>फोरम का नाम जहाँ विवाद लंबित है</th></tr>
<tr><td>ओड़िशा विक्री कर,</td><td>105.15</td><td>उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट</td></tr>
<tr><td>आय कर</td><td>1953.34</td><td>उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट</td></tr>
<tr><td>केंद्रीय उत्पाद शुल्क</td><td>466.61</td><td>उच्च न्यायालय एवं कमिश्नरेट</td></tr>
</table>
उपरोक्त राशि के अलावा विरोध सहित विक्रय कर के रूप में रु. 27.47 करोड़ जमा किया गया तथा विरोध सहित आयकर के रूप में रु.1953.34 करोड़ जमा किया गया एवं विरोध सहित रु.142.80 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जमा किया गया।</td><td>यह विवरण सही है।
यह विवरण सही है।
यह विवरण सही है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निवेशकों के शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए स्थानांतरित की जानेवाली आवश्यक राशि जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के I) तथा इससे संबंधित बननेवाले नियमों के प्रावधानों के तहत समय पर निधियों का स्थानांतरण हुआ है। :</td><td>यह विवरण सही है।</td></tr>
<tr><td>(VIII)</td><td>इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी को कोई संचय घाटा नहीं हुआ है और वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही पिछले वर्ष कोई नगद घाटा हुआ है।</td><td>यह विवरण सही है।</td></tr>
</table>

(IX)	हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि कंपनी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के बकाया के पुन: भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने डिवेंचर जारी नहीं की है।	यह विवरण सही है।
(X)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है,अत: आदेश के खण्ड 3(XI) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।	यह विवरण सही है।
(XI)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(XI) लागू नहीं है।	यह विवरण सही है।
(XII)	भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखा परीक्षा पद्धति एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के तहत कंपनी की पुस्तकों एवं रिकार्ड की परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में वर्ष के दौरान हुए किसी घोटाले की न सूचना मिली, न तो ध्यान में लाया गया, रिपोर्ट किया गया या प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की सूचना दी गई।	यह विवरण सही है।
	कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार हस्ता/- **(एम.पी.महापात्रा)** साझेदार सदस्य संख्या. 055113 फर्म पंजीकरण संख्या. 316079 ई स्थान : भुवनेश्वर दिनांक : 20.05.2015	

एओसी-1

अनुषंगी सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं ।

(धारा 129 की उपधारा (3) के प्रावधानों जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के साथ पढ़ेजाने के अनुसार)

(शेयर होल्डिंग के प्रतिशत के अलावे लाख ₹ में)

क्र.	विवरण	अनुषंगी सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्योग कंपनी			
		एमएनएच शक्ति लिमिटेड	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
1.	यदि होल्डिंग कंपनी रेपोर्टिंग अवधि से अलग होतो अनुषंगी/ सहयोगी/ संयुक्त उद्योग ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	विदेशी अनुषंगी , संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के मामले में संबंधित वित्तय वर्ष के अंतिम दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	शेयर पूंजी	8510.00	9510.00	5.00	0.00
4.	भंडार और अधिशेष	(52.15)	(101.32)	(0.18)	0.00
5.	कुल आकलन	8524.11	10031.69	1362.83	0.00
6.	कुल देयताएं	8524.11	10031.69	1362.83	0.00
7.	निवेश	3368.94	2388.72	0.00	0.00
8.	टर्नओवर	-	-	-	-
10.	कराधान से पहले लाभ	-	-	-	-
11.	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	-	-
12.	कराधान के बाद लाभ	-	-	-	-
13.	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-
14.	शेयर होल्डिंग के प्रतिशत	70	60	100	50

टिप्पणी:-

1. वर्ष 2014-15 के दौरान, नीलाचल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम के संचालन शुरू करने वाला है ।
2. वर्ष 2014-15 के दौरान, कोई सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम लिक्विडेट या विक्रय नही किया गया ।

ह/-	ह/-	ह/-
(ए. के. सिंह)	(के. के. परिडा)	(श्री ए .एन .सहाय)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर)

अनुलग्नक –I

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खण्ड(ओ) तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली,2014 के अनुसार)

कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय परियोजनाओं का ओवरव्यू या प्रस्तावित कार्यक्रम जिन्हें लागू किया जाना है और सीएसआर नीति और परियोजना का कार्यक्रम का वैवलिंक संदर्भ।

एमसीएल के सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय:

उद्देश्य :

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए स्थायी विकास हेतु सीएसआर को मुख्य कार्य प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करना। इसका लक्ष्य तत्काल एवं लंबी अवधि की सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों पर आधारित समाज कल्याण के उपायों में वृद्धि में सरकार के पूरक रोल को अदा करना है।

ग्लोबल कम्पैक्ट के सिद्धान्तों को लागू करने में एमसीएल अच्छे कार्पोरेट नागरिक की तरह कार्य करेगा।

कार्यक्षेत्र:

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII तथा सीएसआर के कार्यक्षेत्र से संबंधित संशोधनों के तहत एमसीएल कार्य करता है।

कार्यअधीन आनेवाले क्षेत्र:

एमसीएल में कुल सीएसआर बजट का 80% परियोजना/खदान के 25 किलोमीटर के दायरे में तथा शेष 20% ओड़िशा के सीएसआर गतिविधियों में खर्च किया जाएगा जहां एमसीएल का खनन कार्य होता है।

निधि का आबंटन:

सीएसआर निधि का आबंटन कंपनी के तत्काल गत 3 वर्षों के वित्तीय वर्ष के औसत शुद्ध लाभ को 2% के आधार पर होता है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के तहत की जाती है।

एमसीएल की पूरी सीएसआर नीति को एमसीएल के वैवसाइट पर दर्शाया गया है।

सीएसआर नीति के वैवलिंक: ***http: www.mcl.gov.in/about/csrpolicy.php***

1. सीएसआर समिति का गठन:

एमसीएल में तीन तरह के सीएसआर समितियां हैं जो नीचे दी गई है।

सीजीएसआरएमएसडी एंड सीएसआर (कार्पोरेट शासन,स्ट्रेटेजिक जोखिम प्रबंधन,स्थायी विकास और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उप समिति एमसीएल की बोर्ड स्तर की समिति है।

सदस्यगण:

श्री बी. के. सक्सेना	(स्वतंत्र निदेशक) - समिति के अध्यक्ष
श्री एस .के .सिंह	(स्वतंत्र निदेशक) - 20.05.2015 तक
श्री ए .के .तिवारी	निदेशक(तक./संचालन),एमसीएल
श्री जे. पी. सिंह	निदेशक(तक./योजना एवं परियोजना),एमसीएल
श्री पी.सी. पाणिग्राही	निदेशक(कार्मिक),एमसीएल
श्री के. के. परिडा	निदेशक(वित्त),एमसीएल

2. **<u>गत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी औसत शुद्ध लाभ :</u>**

गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ(करपूर्व लाभ) रु.5698.42 करोड़ ।

3. दी गई सीएसआर व्यय (ऊपर मद संख्या-3 में दी गई राशि का 2%) रु.113.97 करोड़

4. वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित सीएसआर का विवरण:-

(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जानेवाली कुल राशि वित्ततीय वर्ष में व्यय की जानेवाली कुल राशि रु.113.97 करोड़।

(ख) यदि हो तो,अव्ययित राशि :

लेखा परीक्षा के पूर्व अव्ययित राशि (रु.113.97 करोड़- रु. 104.70 करोड़) रु.9.27 करोड़।

लेखा परीक्षा के पश्चात अव्ययित राशि (रु.113.97 करोड़- रु.61.30 करोड़) रु.52.67 करोड़।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि को व्ययित किया गया उसका विवरण नीचे दिया गया है :

निर्धारित फार्मेट में की गई गतिविधयों की सूची अनुलग्नक – 'क' पर संलग्न है।

5. **यदि कंपनी गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत का व्यय करने में असफल रहती है तो कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में इसका व्यय नहीं होने के कारण को दर्शायी है:**

एमसीएल के सीएसआर नीति के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य के तहत सीएसआर की विस्तृत गतिविधियों को करने के लिए हमलोगों ने बजट अलग किया है।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए 175 करोड़ के बजट को अलग किया है। इसके लिए सीआईएल से अलग बजट की मांग की गई है।

शौचालय बनाने के लिए निविदा जारी की गई थी लेकिन कोई भी बोलीकर्त्ता के आगे नहीं आने के कारण पुन: निविदा जारी की जाएगी जिसमें समर्थ लगेगा।

इस तरह स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए आबंटित बजट का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका है इसके कारण सीएसआर बजट में अव्ययित राशि बच गई है।

सुंदरगढ़ जिला के बसुन्धरा –गर्जनबहाल क्षेत्र में सड़क के कुछ बड़े कार्य जिसे पहल सीएसआर में ग्रामीण विकास परियोजना के तहत रु.43.4 करोड़ के लिए स्वीकार किया गया था इसे सीएजी लेखा परीक्षा में स्वीकार नहीं किया गया । इस तरह यह कार्य सीएसआर के तहत क्वालिफाई नहीं हुआ। इस तरह कंपनी का इस मामले में व्यय कम हुआ है।

तो भी, वित्तीय वर्ष 2015-16 के तहत सीएसआर बजट के लिए अलग की गई राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरी तरह व्यय कर दी जाएगी।

6. **सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व वाली विवरण जिसमें सीएसआर नीति को लागू करने एवं मानीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुपालन के अनुसार है :**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण अनुलग्नक-'ख' पर दिया गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,सीएसआर विभाग

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर प्रोजेक्ट या पहचान की गई गतिविधियां**	**प्रोजेक्ट में आनेवाले सेक्टर**	**प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य(2) राज्य जहॉ प्रोजेक्टस या प्रोग्राम किए गए हैं**	**परिव्यय राशि(बजट) प्रोजेक्ट या प्रोग्रामवाइज**	**प्रोजेक्टस या प्रोग्राम पर व्ययित राशि सब-हेड(1) प्रोजेक्टस या प्रोग्राम पर सीधा किया गया व्यय (2) ओवरहेड**	**प्रतिवेदन की अवधि 31.03.2915 तक कुल व्यय(क्यूमूलेटिव एक्सपेंडिचर)**	**प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की गई खर्च की राशि :**
1.	भूख, गरीबी और कुपोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना उन्मूलन	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, नवरंगपुर	1 8561.82	**960.28**	960.28	सीधे एमसीएल द्वारा
2.	विशेष शिक्षा और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ाव देना और व्यवसाय विशेष रूप से बच्चों के बीच कौशल, महिलाओं, बुजुर्गों, और अलग ढंग से विकलांग और जीविकोपार्जन संबंधी परियोजनाओं सहित, शिक्षा को बढ़ावा देने:	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, नवरंगपुर	319.05	**270.18**	270.18	सीधे एमसीएल द्वारा
3.	महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, वृद्धाश्रम की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर सेन्टर्स तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के लिए उपाय करने के लिए इस तरह की अन्य सुविधाएं ।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, नवरंगपुर	175.34	**135.97**	135.97	सीधे एमसीएल द्वारा
4.	पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति और जीव, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मिट्टी, हवा और पानी की समानता बनाए रखना।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, नवरंगपुर	29.22	**26.40**	26.40	सीधे एमसीएल द्वारा
5.	राष्ट्रीय विरासत, इमारतों और साइटों का ऐतिहासिक महत्व और कला के कार्यों की बहाली सहित कला और संस्कृति का संरक्षण: सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पदोन्नति और पारंपरिक उत्तर- का विकास तथा और हस्तशिल्प;	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	पूरी	554.86	**554.86**	554.86	राज्य सरकार द्वारा
6.	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय विरासत ।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा				
7.	ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलिंपिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स		4354.54	**734.39**	734.39	एमसीएल एवं राज्य सरकार
8.	प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य कोष में अंशदान:	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स					
9.	केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को उपलब्ध कराई जानेवाले अंशदान या धन।	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स					
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	ओडिशा के सभी माइनिंग डिस्ट्रीक्ट्स	अनगुल,झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, नवरंगपुर	7311.32	**3448.11**	3448.11	एमसीएल एवं राज्य सरकार
	कुल:			**31306.15**	**6130.20**	**6130.20**	

अनुलग्नक-ख

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति को लागू एवं मानीटरिंग करना सीएसआर के उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुसार है।

हस्ता/-

महाप्रबंधक(सीएसआर),एमसीएल

हस्ता/-

निदेशक(कार्मिक),एमसीएल

हस्ता/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,एमसीएल

हस्ता/-

अध्यक्ष,सीजीएसआरएमएसडी एंड सीएसआर सव-कमिटि

अनुलग्नक -II

लागत लेखा प्रतिवेदन

हम**, निरन एंड कं.** ने, **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**, जिनका पंजीकृत कार्यालय-जागृति विहार, बुर्ला, संबलपूर, ओड़ीशा-768020 में है, द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 की 1) के भाग 233(बी) के तहत लागत लेखा परीक्षा के लिए हमें नियुक्त किए जाने पर, अनुच्छेद-2 में हमारे टिप्पणियों व सलाहों के साथ-साथ **वित्त वर्ष 2013-14** (1 अप्रेल 2013 से मार्च,2014 तक) का **'खनिज इंधनों (पेट्रोलियम के इतर), अर्थात, कोयला'** से संबंधित कंपनी द्वारा रखे जा रहे उक्त अधिनियम के खंड 209 के उपखंड (1) की धारा (डी) के अनुसार निर्धारित लेखाबहियों तथा अन्य अभिलेखों का लेखा परीक्षण किया ।

I. अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमने लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारियां व स्पष्टीकरण प्राप्त किया ।

II. हमारी राय में, कंपनीज एक्ट, 1956 के खंड 209 के उपखंड (1) की धारा (डी) में निर्धारित कंपनीज़ (लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन), रूल्स 2011 के अनुसार कंपनी में यथोचित लागत लेखा अभिलेखों को रखा जा रहा है ताकि संचालन लागत, विक्रय लागत तथा उत्पाद/गतिविधि समूहों के लाभ का सही व स्पष्टत: परिलक्षण हो सके ।

III. हमारी राय में, बहियों की जॉच में यह देखा गया कि कानूनी तौर पर आवश्यक सभी लेखा-बही कंपनी द्वारा रखे जा रहे है (तथा लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त व यथोचित विवरणियां हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुई जहां हम उपस्थित नहीं हुए थे) ।

IV. अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय, हमें अग्रेषित छह क्षेत्रों तथा तालचेर कोलफील्ड्स के एक केन्द्रीय कर्मशाला के शाखा लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों को, यथोचित रूप में पेश किया गया है ।

V. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी में उक्त बहियों व अभिलेखों से वे सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं जो कंपनीज़ एक्ट 1956 के तहत आवश्यक हैं ।

VI. हमारी राय में उक्त बही व अभिलेख भारत की लागत लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लागत लेखांकन इनके प्रासंगिक व लागू होने की सीमा तक मानकों के अनुरूप हैं ।

VII. हमारी राय में कंपनी के पास लागत अभिलेखों के लिए एक उपयुक्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो हमारे विचार से कंपनी की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप है ।

VIII. कंपनी से संबंधित उत्पाद समूहों/गतिविधियों से संबंधित हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व प्रमाणित विस्तृत इकाई-वार तथा उत्पाद/गतिविधि-वार लागत विवरणियां व उनकी परिगणनाएं कंपनी में रखी गई है ।

IX. कंपनीज (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट)रूल्स 2011 के प्रावधानों के तहत हमने, निर्धारित प्रपत्र में, कंपनी का निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।

2. लागत लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक अवलोकन और सुझाव, यदि हो तो-

ए. प्रत्यक्ष आबंटन लागत की पहचान करने के लिए वित्तीय लेखा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ लागत लेखांकन प्रणाली का एकीकरण।

बी. निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार एमआईएस और लागत केंद्र कर विवणियां अर्ध-वार्षिक आधार पर बनाई जाएं और इसके बाद अर्ध-वार्षिक समीक्षा बैठक की जाए क्योंकि यह भिन्नताओं पर तुलना करने और निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगी।

सी. बिजली की लागत को कम करने की संभावना के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए लागत केन्द्रों में बिजली की खपत को मापने के लिए मीटर लगाना ।

डी. **निष्क्रिय क्षमता का औचित्यवार विश्लेषण तथा इन क्षमताओं को नियंत्रणयोग्य व गैर-नियंत्रण योग्य में अलग-अलग करते हुए प्रबंधन द्वारा नियंत्रणा योग्य लागत का वित्तीय प्रभाव निर्धारित किया जा सकता है ।**

ई. प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

एफ. भंडार मूल्य बही व वित्तीय बही मिलान के अनुसार **वस्तु**-सूची प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है।

जी. **विक्रय व परिमाण में** बीईपी का योगदान निर्धारण करने के लिए कंपनी की वास्तविक स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत प्रापत की जाए ।

एच. वास्तविक लागत की तुलना के लिए यथोचित कोडी-करण की आवश्यकता है

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 16.09.2014

वास्ते **निरन एंड कं;**
लागत लेखाकार
एफआरएन-000113

हस्ता/-
(निरंजन मिश्रा)
भागीदार –एम/13060

अनुलग्नक –III

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(कंपनीज रूल्स 2014 के नियम क्र.9 व कंपनीज एक्ट (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निजी) 2014 के खंड 204(1) के अनुसरण में)

प्रति

सदस्य गण

मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

ज्योति विहार, बुर्ला-768020

संबलपूर, ओड़ीशा, भारत

मैंने, मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (पंजी. क्र. 003038) (एतदस्मिनपश्चात कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया । सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर मेरी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, मैं अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा परीक्षावधि) के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं ।

1. **मैंने कंपनी द्वारा 31 मार्च,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया -**

(i) कंपनीज एक्ट 2013 ("अधिनियम") तदाधीन नियमावली तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधान जो वर्तमान में भी लागू हैं ।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनी नियमावली (ऑडिट रिपोर्ट के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम (ऑडिट रिपोर्ट के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तदाधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं (ऑडिट रिपोर्ट के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992

(vi) अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के तहत निर्धारित निम्न अधिनियम व दिशा निर्देश(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(क) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (शेयर और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण), अधिनियम 2011

(ख) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009

(ग) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशा-निर्देश, 1999

(घ) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमन 2008

(ङ) **कंपनीज एक्ट व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन 1993

(च) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009

(छ) **भारतीय प्रतिभूति एवं** विनियमन बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) नियमन 1998

2. **कंपनी पर** लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों **व विनियमों के अनुपालन के लिए** कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणाली और व्यवस्था के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदनों पर हमने विश्वास किया । कंपनी पर लागू अधिनियमों कानूनों व विनयमों के प्रमुख शीर्ष/समूहों की सूची परिशिष्ट-। में दर्ज है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, निर्देश, मानक, आदि, के प्रावधानों का पालन किया है।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल विधिवत गठन किया गया है। कंपनी ने एमसीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक(कों) तथा महिला निदेशक(कों) के नामांकन के लिए कोयला मंत्रालय,भारत सरकार को लिखा है ताकि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित अधिनियम दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखा परीक्षा समिति' का गठन किया जा सके । अधिनियमों के अनुपालन में निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन को उल्लिखित टिप्पणियों की शर्तों पर कार्यान्वित किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक की पर्याप्त सूचना दी जाती है। बैठक की कार्यसूची व विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेज दिए जाते है तथा बैठक में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए कार्यसूची संबधी वांछित अधिक जानकारी व स्पष्टीकरण पूर्व में ही प्राप्त करने हेतु प्रणाली मौजूद है । सभी निर्णयों का सर्वसम्मति से पालन किया जाता है तथा असहमत सदस्य के विचारों को, यदि हो तो, कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है ।

मैं पुन: प्रतिवेदित करता हूं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **कंपनी के आकार व संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली व प्रक्रियाएं मौजूद हैं**

मैं पुन: प्रतिवेदित करता हूं कि लेखा परीक्षण अवधि के दौरान निम्न कोई घटना नहीं हुई -

(i) लोक /अधिकरण / अधिमानी शेयर जारी / ऋणपत्र / उद्यम इक्विटी

(ii) प्रतिभूतियों की मुक्ति/वापस खरीदी

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 के अनुपालन में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।

(iv) विलय / समामेलन / पुनर्निर्माण आदि

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग।

दिनांक-17-05-2015

स्थल- संबलपूर

वास्ते लोकेश ए. गोहिल एंड
एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/-
लोकेश गोहिल
सदस्यता क्र.: 28908
सी.पी.क्र.: 10415

प्रति
सदस्य गण
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज्योति विहार, बुर्ला-768020
संबलपूर, ओड़ीशा, भारत

इस पत्र के साथ इसी तारीख तक की हमारी रिपोर्ट को पढ़ी जाए ।

(i) सचिवीय रिकॉर्ड रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करने के लिए है ।

(ii) हमने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता जॉच के आधार पर सुनिश्चित किया गया । हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है वे तदाशय में एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

(iii) हमने कंपनी के खाते की सत्यता और वित्तीय अभिलेखों का औचित्य और किताब सत्यापित नहीं किया है।

(iv) हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है ।

(v) कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जॉच के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।

(vi) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के लिए और न ही कम्पनी के मामलों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है ।

दिनांक-17-05-2015
स्थान:- संबलपूर

वास्ते लोकेश ए. गोहिल एंड
एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
लोकेश गोहिल
सदस्यता क्र.: 28908
सी.पी.क्र.: 10415

अनुलग्नक –I का सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कंपनी पर विशेषत: लागू प्रमुख शीर्षसमूहों के तहत कानूनों की सूची :

1. कारखाना अधिनियम, 1948;
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;
3. जल अधिनियम, 1974
4. आयकर अधिनियम, 1961
5. खान अधिनियम, 1952
6. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
7. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
8. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910
9. श्रमिक संघों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कामगार, ठेका श्रमिक, समान पारिश्रमिक अधिनियम आदि से संबंधित औद्योगिक कानून ।
10. खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम
11. कंपनी द्वारा वेतन-नामावली या ठेकेदारीय आधार पर नियुक्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मजदूरी, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण एवं मुआवजा, व्यक्ति विकलांगता अधिनियम आदि संबंधी श्रम कानून व अन्य प्रासंगिक कानून
12. प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण के तहत निर्धारित अधिनियम
13. पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम
14. संविदा, स्टाम्प, मुआवजा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित व्यापार कानून

अनुलग्नक –IV

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ड.) के अधीन पठित कंपनी की नियमावली,1988 (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकाशन) के अनुसार प्रतिवेदन में ऊर्जा के संरक्षण,प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वैदेशिक मुद्रा के आय एवं व्यय से संबंधित दी जानेवाली सूचना :

1.क. ऊर्जा का संरक्षण :

विद्युत ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गये उपाय :

तुलनात्मक विवरण के साथ इस वर्ष की बिजली की स्थिति की झलकियॉ इस प्रकार है :

i. कोयले के लिए विद्युत की विशेष खपत वर्ष 2013-14 में 2.52 केडब्लूएच/टन थी जो वर्ष 2014-15 में 2.65 केडब्लूएच/टन हो गई जो 4.91% कम है ।
ii. विद्युत की विशेष खपत (संयुक्त उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला+ओबी निकासी) वर्ष 2014-15 में 1.88 केडब्लूएच/क्यूबिक मीटर थी जो घटकर वर्ष 2013-14 में 1.80 केडब्लूएच/ क्यूबिक मीटर पर आयी ।
iii. दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी संशोधित विद्युत टैरिफ के अनुसार, 0.95 से उच्च कीमत विद्युत फैक्टर कायम रखने हेतु विद्युत फैक्टर प्रोत्साहन बंद कर दिया है।

1.ख. विशेष उपलब्धियां :

I) एमसीएल मुख्यालय के आनंद विहार परिसर में 2.016 मेगावाट पीक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना:

आनंद विहार परिसर में दिनांक 13.10.14 को पीक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई है (एससीएडीए दिनांक 6.11.2014 को स्थापित हुआ)। संयंत्र से दिनांक 31.03.2015 तक 8,35,260 यूनिट उत्पन्न की हैं जिसके फलस्वरूप 7,73,388 कार्बन फूट प्रिन्ट की कमी हुई है।

II) एलईडी लैंप की स्थापना:

एमसीएल मुख्यालय,एमसीएल के जगन्नाथ एवं ओरियेंट क्षेत्र तथा एमसीएल के भुवनेश्वर कार्यालय में 40 वाट फ्लोरीसेंट टयूब के स्थापन पर 19 वाट की 5904 संख्यक तथा 20 वाट के फ्लोरीसेंट टयूब के स्थान पर 10 वाट के 500 संख्या में बदले गए हैं। इस गतिविध के चलते वर्ष 2014-15 में 4.48 लाख यूनिट की बिजली वचत के चलते कुल रु.25.9 लाख की बचत हुई है।

1.ग. विशेष पहल :

(i) रुफ टॉप सोलर की स्थापना की कार्रवाई :

एमसीएल के सभी क्षेत्रों के सेवा भवन,कर्मशाला,अस्पताल आदि के छत के ऊपर सौर संयंत्र की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संभावित स्थानों की पहचान की गई है । कुल उपलब्ध छत का क्षेत्रफल 65,225.14 वर्ग मीटर है जहां 4659 किलोवाट की उत्पादन क्षमता संभव है। सीएमपीडीआईएल,रांची को व्यवहार्यता अध्ययन एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ii) रिप्लेशमेंट आफ फ्लोरिसेंट टयूव लाइट :

एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों के सेवा भवनों में 13,908 की संख्या के 40 वाट फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट के बराबर संख्या के 19वाट एलईडी लैंप एवं 2008 संख्यक 20 वाट फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट के बराबर संख्या के 10 वाट एलईडी लैंप के प्रतिस्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इन एलईडी लैंप वर्ष 2015-16 के दौरान स्थापना करने के लिए प्रस्तावित है।

(iii) वर्ष 2014-15 लिए एमओयू परमिटर का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है ।

भरतपुर ओसी में विजली में ऊर्जा दक्षता के लिए पत्र संख्या एमसीएल/एचक्यूआरएस /जीएम/(सीपी एंड पी) 15/1411(ए) दिनांक 01.02.2015 द्वारा बेंचमार्क स्थापित करने के लिए कार्य आदेश जारी कुया है तथा एमसीएल की 12 खुली खदानों के लिए डीजेल में ऊर्जा दक्षता के लिए पत्र संख्या एमसीएल/एचक्यूआरएस /जीएम/(सीपी एंड पी)/14/373 दिनांक 18.06.2014 द्वारा बेंचमार्क स्थापित करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है ।

(घ) ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में कमी के लिए व्यवहार्य/ यथासंभव कदम उठाया गया।

(i) ओरियेंट क्षेत्र के काशीनगर सब स्टेशन में 16.47 लाख कुल मूल्य के 600केवीएआर के(2X300 केवीएआर) पावर कैपेसिटर लगाए गए हैं।

(ii) बलराम ओसीपी के सीएचपी की मोटरों में कुल 31.64 लाख रुपए मूल्य के चार 55 किलोवाट एवं 90 किलोवाट के तीन वेरियेवल फ्रीक्वेन्सी ड्राइव की स्थापना के लिए खरीद की कार्रवाई को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

(iii) घटे हुए स्तर पर विद्युत की अधिकतम मांग को नियंत्रित करने तथा टीओडी प्रोत्साहन को अधिकतम स्तर पर संभव बनाने,नियमित लोड,जैसे पम्प इत्यादि को ऑफ पीक आवर में संचालित किया जाता है।

(iv) औद्योगिक पंपों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए प्रभावी अनुरक्षण,डिलिवरी और सक्सन आकार का अधिकतम प्रयोग पुनटूनों का प्रयोग,बोरहोल के द्वारा व्हीटी पम्प का प्रयोग,बोर होल द्वारा डिलिवरी और केबल आदि के रुप में कदम उठाए गए हैं।

(v) पारंपरिक चोक्स एवं रेगूलेटरों के बजाए पंखों के लिए इलेक्ट्रोनिक रेगूलेटरों का प्रयोग।

(vi) उच्चतम स्टार रेटिंग एयर कंडीशनरों के प्रयोग,एयर कंडीाश्नरों की नियमित सफाई, आवश्यकता न रहने पर एयर कंडीशनरों को बंद रखना आदि।

(vii) उचित आकार का फ्यूज का उपयोग करते हुए लूज कनेक्शन से बचना।

(viii) न्यूनतम केवल घाटा सुनिश्चित करना एवं केवलों के उचित आकार तथा निर्धारित क्षमता के केवलों का उपयोग करना।

(ix) लोड के पास अधिकतम वोल्टेज भूमिगत खदान में 3.20 किलोवोल्ट/ 550 बोल्ट टीएसयू (ट्रान्सविच इकाई) की पर्याप्त वोल्टेज रखा गया है ताकि लोड/मशीनरी बेहतर क्षमता और रेटेड आउटपूट के रुप में अच्छी तरह से मशीन के जीवन को प्राप्त कर सके।

(x) ट्रांसफार्मर घाटे को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता का अधिकतम उपयोग।

(xi) ऊर्जा नुकसान को कम करने के लिए विद्युत केपासीटर का उपयोग करते हुए करीब 98%
बिजली का पहल बनाए रखा गया है।

(xii) उचित आकार का ओवरहेड कंडक्टर का उपयोग करके न्यूनतम ट्रांसमिशन घाटा सुनिश्चित किया गया है।

(xiii) ऊर्जा नुकसान को कम करने के लिए स्टेज पंपिंग/इंटरमीडिएट पंपिंग को कम कर दिया गया है।

(xiv) पंपों में उपयुक्त आकार के बिजली की मोटरों का सुनिश्चित करना।

(xv) उच्च आकार का उपयोग/अनुशंसित डिलिवरी लाइन्स एवं पंप्स में सक्सन एवं थ्राटलिंग रोकना।

(xvi) पंपिंग क्षमता में सुधार के लिए पाइप लाइनों में शून्य लीकेज सुनिश्चित करना।

(xvii) वियरिंग आदि की यथोचित स्थिति सुनिश्चित करना।

(xviii) ठेका मांग के करीब अधिकतम मांग को रखने के लिए गैर-उत्पादक लोड को नियंत्रित करने जैसे यदि आवश्यक हो लोडशेडिंग रिसोर्ट करने के माध्यम से पीक आवर में सघन मानीटरिंग की जाती है। सही गुणवत्तावाले केपेसिटर कर प्रयोग ताकि अधिकतम मांग का कम करने के लिए विद्युत क्षमता को बढ़ाया जा सके।

(xix) जिन जगहों पर अनधिकृत हूकिंग देखा गया हे वहॉ ओवरहेड वितरण लाइनों में चरणबद्ध तरीके से एरियल बंच केबल का प्रयोग।

2.क. ईंधन और स्नेहक :

ईंधन और स्नेहक की खपत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया गया है:

क) ईंजन,ट्रांसमिशन और हाईड्रोलिक संचालित प्रणाली की आवधिक ओवरहालिंग किया जा रहा है।

ख) हाईड्रोलिक तेल का लिकेज कम करने के लिए होस के आवधिक जांच और उससे संबंधित उपकरणों की जांच की जाती है।

ग) टायरों की उचित इनफ्लेशन नियमित रुप से की जा रही है।

घ) सेल्फ स्टार्टर,अलटरनेटर्स एवं बैटरियों की नियमित जांच।

ड.) विशिष्ट डीजल की खपत नियमित रुप से सीएमपीडीआईएल द्वारा तय मानदंडों के भीतर रखने के लिए मानिटरिंग की गई है।

च) एचएसडी की खपत को कम करने के लिए आईईडी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश लागू किया गया है।

ख) ऊर्जा की खपत पर 'क' में वर्णित उपायों के प्रभाव एवं उत्पादन पैरामीटर पर पश्चात प्रभाव:

विवरण	2014-15	2013-14	गतवर्ष की तुलना में %वृद्धि(+)/कमी(-)
वैद्युतिक ऊर्जा: **i) विद्युत की विशेष खपत(कोयले के लिए)/ केडब्लूएच/ टन में।**	**2.52**	**2.65**	**(-) 4.91 (एफ)**
ii) विद्युत की विशेष खपत(संयुक्त उत्पादन में) (जैसे कोयला एवं ओबी विस्थापन) केडब्लूएच/ घनमीटर में।	**1.88**	**1.80**	**(+) 4.44(ए)**
ईंधन एवं स्नेहक : **(i) एचएसडी की खपत लीटर/घनमीटर संयुक्त उत्पादन में**	**0.398**	**0.420**	**-5.198**
(ii) तरल स्नेहक की खपत लीटर/ घनमीटर संयुक्त उत्पादन में	**0.016**	**0.0172**	**-5.028**
(iii) कोयले के उत्पादन में एचएसडी की खपत लीटर/टन में	**0.369**	**0.4074**	**-9.487**
(iv) स्नेहक की खपत (लीटर/ कोयला उत्पादन के टन में)	**0.015**	**0.0167**	**-9.324**
(v) पीओएल की विशेष लागत रुपये /टन में	**24.320**	**29.320**	**-17.053**

ग. विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय:

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियॉ, निर्यात में वृद्धि हेतु उठाए गए कदम, उत्पादों के लिए नये निर्यात बाजार का विकास, निर्यात गतिविधि की सेवायें एवं निर्यात योजनाएँ।

कंपनी की कोई निर्यात गतिविधि नहीं है।

(ii) उपयोग/ अर्जित विदेशी मुद्रा: (करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गतवर्ष
(क) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य (क) कंपोनेंट, भंडार एवं फालतू पुर्जे (ख) पूँजीगत सामान	 शून्य शून्य	 2.89 8.76
(ii) यात्रा	0.04	0.02
(iii) ब्याज	0.08	1.25
(iv) अन्य	-	-
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा :	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-V

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संगठनात्मक प्रणाली में कार्पोरेट गवर्नेन्स व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है जिससे पारदर्शिता, बृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं । एमसीएल के संबंध में कुछ आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल :

कार्यकारी, नामिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के दिनांक 31.03.2015 को 07 (सात) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल गठित है:-

क) 05 (पाँच) कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत।

ख) 2 (दो) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नमिति) ।

इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के मुख्य प्रचालन प्रबंधक को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया जा हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड की 10 बैठकें दिनांक 07.05.2014, 26.05.2014, 25.06.2014, 06.08.2014, 16.09.2014, 05.11.2014, 06.12.2014, 03.02.2015, 19.02.2015 और 26.03.2015 हुईं जिसमें निदेशकों की औसत उपस्थिति 95% प्रतिशत से अधिक रही और दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से कम का रहा।

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनी में निदेशक	अन्य समितियों में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित		लेखा परीक्षा समिति	अन्य समिति
श्री ए.एन.सहाय अध्यक्ष	कार्यकारी	10	10	एनपीटीसीपीएल	शून्य	02
श्री ए.के. तिवारी निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)	कार्यकारी	10	10	**(i)** एमजेएसजे कोल लिमिटेड **(ii)** एनपीटीसीपीएल	01	04
श्री जे.पी सिंह निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना)	कार्यकारी	10	9	**(i)**एमएनएच शक्ति लिमिटेड **(ii)**एमबीपीएल कोल लिमिटेड	शून्य	04
श्री पी.सी. पाणिग्राही निदेशक(कार्मिक)	कार्यकारी	10	9	**(i)** महानदी बेसिन पावर लिमिटेड **(ii)**एमएनएच शक्ति लिमिटेड	शून्य	03
श्री के.के.परिडा निदेशक(वित्त)	कार्यकारी	5	5	**(i)**महानदी बेसिन पावर लिमिटेड **(ii)** एमजेएसजे कोल लिमिटेड		
श्री बी.के.सक्सेना निदेशक	ओफ़्हिसियल पार्ट टाइम	10	9	**(i)**कोल इंडिया लिमिटेड **(ii)**नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड	01	02
श्री एस.के. सिंह निदेशक	सरकारी नामिति	10	10	**(i)**सेंट्रल कोलफाल्ड लिमिटेड	01	01

छमाही एवं सलाना लेखा, पूँजीगत व्यय, कोयला विक्रय ठेका, जनशक्ति बजट, सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट इत्यादि जैसे गवर्नेन्स के कुछ बिन्दु बोर्ड की समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु आरक्षित रखे गये हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक :

क) पूर्णकालिक निदेशक:

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार का संबंध, यदि हो तो	वर्ष 2014-15 के लिए पारिश्रमिक
			पारिश्रमिक पैकेज के सभी मद जैसे-वेतन, पीएलआईएस, पीएफ अंशदान, पेंशन, इत्यादि (रु. में)
श्री ए.एन.सहाय	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	29,04,489.00
श्री ए. के. तिवारी	शून्य	निदेशक(तक./ऑपरेशन)	29,70,132.00
श्री जे.पी सिंह	शून्य	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी)	23,11,692.00
श्री पी.सी. पाणिग्राही	शून्य	निदेशक(कार्मिक)	23,04,894.00
श्री के.के.परिडा	शून्य	निदेशक(वित्त)	15,09,115.00

ख) सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

ग) गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

घ) सेवा संविदा, नोटिस अवधि, पृथककरण फीस :

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । नियुक्ति को दोनों तरफ से तीन महीने की नोटिस या इसके बदले तीन महीने के वेतन के भुगतान पर समाप्त की जा सकती है ।

बोर्ड की समितियॉ :

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मत है कि उपयुक्त स्वायत्तता और परिभाषित कार्यक्षेत्र सहित लेखा-परीक्षा समिति व्यापार के अबाध संचालन हेतु एक प्रभावी प्रणाली हो सकती है। समिति की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं और मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान किया जाता है। लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें उचित संरचित कार्य सूचीबद्ध होती हैं और समय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाती है।

लेखा-परीक्षा समिति को एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़े/जानकारी सुलभ होती है। समिति द्वारा निरूपण को एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति की बैठक यथा आवश्यक होती है किन्तु तिमाही में न्यूनतम एक बार होती है।

कार्य-क्षेत्र

क) वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
ग) सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
घ) संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
ङ) परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
च) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
छ) एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
ज) किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जांच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की आठ बैठकें दिनांक 26.05.2014, 25.06.2014, 06.08.2014, 16.09.2014, 05.11.2014, 29.01.2015, 19.02.2015, और 26.03.2015 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एस. के. सिंह	अध्यक्ष	8	7
2.	श्री बी. के. सक्सेना	सदस्य	8	7
3.	श्री ए. के. तिवारी	सदस्य	8	8

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सीएफओ, आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विद्यमान लेखा-परीक्षा समिति के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में हुई 134वीं और 135वीं बोर्ड बैठकों में कंपनी की कार्यनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने, कारपोरेट शासन का सही मायनों में अनुपालन, मानव संसाधन के जरिए मान-वृद्धि और आर एंड आर की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपसमितियां गठित की गई हैं ।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

- एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की छः बैठकें दिनांक 22.04.2014, 26.05.2014, 24.06.2014,16.09.2014, 05.12.2014 और 03.02.2015 को हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए .एन .सहाय	अध्यक्ष	6	6
2.	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	6	6
3.	श्री बी .के .सक्सेना	सदस्य	6	5
4.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	6	5
5.	के.के. परिडा	सदस्य	2	2

iii) कार्पोरेट शासन, कार्य-नीतिक, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास उप समिति (सीजीएसआर एमएसडीसीएसआर):

कार्य-क्षेत्र:

जहां तक कार्पोरेट शासन का संबंध हैः

क. शासन संरचना, सिद्धांतों और पद्धतियों की नियमित मानिटरिंग और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ख. इस उप-समिति सहित बोर्ड की सभी उप-समितियों के निष्पादन एवं चार्टर, गठन, बैठकों वार्षिक केलेंडर की समीक्षा।

ग. कंपनी के आधार निष्पादन की समीक्षा करना और सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

कार्य-नीतिक प्रबंधन के बारे में :

क. कंपनी के भविष्य के लिए कार्य-नीतिक दृष्टि, मिशन/ लक्ष्य और उद्देश्यों के गठन में बोर्ड को मदद करना और उनका कार्रवाई ब्यौरों में उनका प्रचालीकरण करना।

ख. कंपनी के लिए निर्धारित की जानेवाली कार्य-नीतिक प्राथमिकताओं की सिफारिश प्रबंधन के साथ साथ बोर्ड को करना।

ग . कंपनी के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में, मात्रात्मक ब्यौरे सहित और कार्य-नीतिक प्राथमिकताओं से संगत वार्षिक कार्रवाई यो जना की सिफारिश प्रबंधन के साथ -साथ बोर्ड को करना।

घ. कंपनी के कार्य-नीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा करना।

जोखिम प्रबंधन के बारे में :

क. कंपनी की विद्यमान जोखिम प्रबंधन कार्य-नीति, नीति, प्रक्रिया, यदि कोई हो, की समीक्षा करना और उनमें वांछित परिवर्तनों की बोर्ड को सिफारिश करना।

ख. कंपनी की" जोखिम प्रवृति "और" जोखिम सहनता "को परिभाषित करना और कंपनी के जोखिम प्रकटन को मॉनीटर करना।

ग. कंपनी के महत्वपूर्ण जोखिमों के चिन्हितकरण, मूल्यांकन, प्रवर्धन और मॉनीटरिंग के बारे में प्रबंधन की कार्रवाई की समीक्षा करना।

घ. कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और उनमें वांछित परिवर्तन, यदि कोई हो, की बोर्ड को सिफारिश करना।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में :

क. अनुसूची VII में वर्णित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति जो कंपनी द्वारा अपनाई जानेवाली गतिविधियों को दर्शाती है उसका तैयारी (Formulate) एवं बोर्ड को अनुसंसित किया गया ।

ख. अनुछेद (क): में दर्शाये गये गतिविधियों को पूरा करने में होने वाले व्यय की राशी की अनुसंसा और

ग. कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को समय समय पर नोटिस किया जाता है

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

सीजीएसआरएमएसडीसीएसआर उप समिति की वर्ष में सात बैठकें

22.04.2014,25.06.2014,16.09.2014, 05.11.2014, 06.12.2014, 29.01.2015

औ 26.03.2015 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री बी .के .सक्सेना	अध्यक्ष	5	5
2.	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	7	7
3.	श्री एस .के .सिंह	सदस्य	7	5
4.	श्री जे. पी. सिंह	सदस्य	7	6
5.	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	7	7
6.	श्री के.के. परिडा	सदस्य	4	4

iv) नामांकन और परिश्रमिक समिति एबीडी स्टॉकहोल्डर संबंधी समिति

एमसीएल पीएसयू होने के चलते इसके निदेशकों की नियुक्ति भारतसरकार द्वारा की जाती है तथा इनके परिश्रामिक भारतसरकार की नीतियों के तहत नियत की जाती है । एमसीएल का निदेशक मंडल निदेशकों (पूर्णकालीन या स्वतंत्र निदेशक) के चयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है । अतः कंपनी को समिति की गठन की आवश्यकता नही है। कंपनी में धारा 178(3) के तहत निदेशक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक एवं अन्य कर्मचारियों के लिए कोई नीति नही है। कंपनी में डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत एचआरएमआर उप समिति है, जो पृथक रूप से कार्य करती है।

v) मानव संसाधन प्रबंधन और पारिश्रमिक(एचआरएमआर) उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

मानव संसाधन के प्रबंधन के बारे में :

क) मानव संसाधन मुद्दों के समाधान के लिए कार्य-नीतिक केंद्रित पहलों के प्रबंधन के साथ बोर्ड को सिफारिश करना।

ख) भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण और विकास, प्रतिधारण प्रतिनियुक्ति, अनुक्रमण, निष्पादन, पुरस्कार योजना से संबंधित विद्यमान नीतियों/नियमों/विनियमों / मैनुअलों/दिशानिर्देशों की प्रबंधन के साथ आवधिक समीक्षा करना और उनमें वांछित परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) किसी नई मानव संसाधन केंद्रित नीति की प्रबंधन के साथ बोर्ड को सिफारिश करना।

घ) बोर्ड स्तरीय और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए, यथावश्यक, विदेश प्रशिक्षण लेने हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

ङ) कंपनी के वार्षिक जनशक्ति बजट के साथ-साथ प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारी, कल्याण, जनसंपर्क के लिए वार्षिक वित्तीय बजटीय आबंटन की सिफारिश प्रबंधन के साथ बोर्ड को करना।

पारिश्रमिक के बारे में:

क. सीआईएल और संबंधित मंत्रालय से प्राप्त होनेवाले निर्देशों के अनुरूप पीआरपी पर निर्णय लेना।

ख. वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ग. प्रचलित उत्पादन सुधार योजनाएं, यदि कोई हो, की समीक्षा और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

बोर्ड स्तरीय अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को देय ऐसा अन्य कोई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ जिसमें समिति में विचार-विमर्श करने, निर्णय लेने और सिफारिश करने की आवश्यकता हो।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

एचआरएमआर उपसमिति की वर्ष में दो बैठकें 24.06.2014 और 16.09.2014 को हुईं जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री ए .के .तिवारी	अध्यक्ष	2	2
2	श्री जे.पी.सिंह	सदस्य	2	1
3	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	2	2
4	श्री के.के.परिडा	सदस्य	-	-

v) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर एंड आर नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 09 बैठकें हुईं जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए .एन .सहाय	अध्यक्ष	09	09
2.	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	09	09
3.	श्री जे.पी.सिंह	सदस्य	09	09
4.	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	09	08
5.	श्री के.के.परिडा	सदस्य	06	06

सांविधिक लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया :

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स पीएएमएस एंड एशोसिएट्स
पुरीघाट,
ताला तेलेंगा बाजार कटक
ओड़िशा-753009

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स एससीएम एंड एशोसिएट्स
98, खारवेल नगर,
केशरी टाकिज काम्प्लेक्स,
प्रथम तल, भुवनेश्वर
ओड़िशा-751001

लेखा परीक्षा के प्रकार	पारिश्रमिक (में)	टिप्पणी
वर्ष 2014-15 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	7,06,250/- (प्रधान लेखा परीक्षकों के लिए .4,25,000 एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए 281250/-)	जेब खर्च (ओपीई) के लिए 2,82,500/- (प्रधान लेखा परीक्षकों के लिए 1,70,000/- एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए 1,12,500/-) के अलावा वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान एवं इस पर लागू सेवा कर ।
वर्ष 2014-15 के लिए कर -लेखापरीक्षा	1 ,42,000/-	ओपीई के 56,500 एवं उस पर लागू सेवाकर
समेकन के लिए लेखापरीक्षा	62 ,500/-	ओपीई बाबत .20,000.00 एवं उस पर लागू सेवा-कर
कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन	50 ,000/-	ओपीई सहित दौरा के लिए वास्तविक यात्रा व्यय एवं लागू सेवा-कर सहित।
समझौता-ज्ञापन मानदंडों पर निष्पादन	2 ,12,500/-	वास्तविक आउट ऑफ पाकेट 106250/- खर्चे)ओपीई(और उन पर देय सेवा-कर

अंशधारियों की सामान्य बैठकें :

गत तीन वर्षों में आयोजित अंशधारियों की सामान्य बैठकों का विवरण :

वार्षिक आम बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2011-12	24.05.2012	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2012-13	17.05.2013	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2013-14	06.09.2014	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य

असाधारण सामान्य बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2012-13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2013-14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2014-15	06.09.2014	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	एक

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति :

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29.03.2008 को कोलकाता में हुई 94 वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए आचार संहिता लागू की है ,जिसे कंपनी की वैवसाइट :www.mcl.gov.in *पर* दी गयी *है* /

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है । आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सूचारु रूप से चल सके । एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है ।

व्हीजिल कार्यप्रणाली का विवरण/ ह्विसल ब्लोयर नीति :

सरकारी कंपनी होने के नाते इस कंपनी की गतिविधियाँ सी एंड एजी द्वारा लेखा परीक्षा, सतर्कता, सीबीआई इत्यादि के लिए खुली है। सीआईएल की व्हीसील ब्लोयर नीति को एमसीएल द्वारा अपनाया जाता है ।

कंपनी में एक व्हीजील कार्यप्रणाली है, जो धोखा और गलत प्रबंधन के मामले यदि पाये जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करता है।

एमसीएल मुख्यालय में कर्मचारियों के शिकायतों के साथ-साथ कंपनी के अन्य स्टेक होल्डर के शिकायतों को प्रभावी ढंग से निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सेल) कार्य कर रहा है। समिति की सामान्य समय पर बैठकें होती है। प्राप्त शिकायतों की जांच समयसीमा में होती है और शिकायत कर्ता को जवाब दिया जाता है।

धारा 177(9) के तहत कर्मचारी लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को शिकायत भेजने के लिए स्वतंत्र है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की बैवसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा की योग्यताएं :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहता है कि वह अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के कंपनी के लेखा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रश्नों के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिये गये हैं । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी संलग्न की गई है ।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यक्षेत्र की आवश्यक विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यापार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यापार से संबंधित जोखिम से भी अवगत हैं ।

अंशकालीन निदेशकगण कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी तरह जानकार हैं। कार्पोरेट शासन पद्धतियों से सुपरिचित होने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों को उच्च संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीति बनाई गई है।

लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट शासन पर अनुपालन:

आपकी कंपनी से लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28.06.2011 के कार्यक्रम ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-वित्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया है तथा सीईओ द्वारा लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों कार्यान्वयन पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014-15 के लिए कर्पोरेट शासन में 85.55% वार्षिक स्कोर प्राप्त किया है जो उत्कृष्ट श्रेणी है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जॉच की है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्पोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कंपनी द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन पर हमारी जॉच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारे विचार में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शाये गये डीपीई के दिशा-निर्देशों के तहत दिए गए कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुन: कहते है कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है न ही कंपनी के मामलों को देखनेवाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है ।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या.
316079ई(आईसीएआई)

स्थान : कैम्प बुर्ला
दिनांक : 18.05.2015

हस्ताक्षर/-
(सीए सत्यजित मिश्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 057293

अनुलग्नक -VII

फार्म सं. एमजीटी -9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थिति

(कंपनी के अधिनियम 2013 की धारा 92(1) तथा कंपनी के नियम-2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i)	सीआईएन:-	**U10102OR1992GOI003038**
ii)	पंजीकरण की तिथि	**3/4/1992**
iii)	कंपनी का नाम	**महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**
iv)	कंपनी की श्रेणी-	1 सार्वजनिक कंपनी (√) 2 निजी कंपनी ( )

v) कंपनी की उप श्रेणी:- (जो उचित लगे कृपया उसे टिक करें)

सरकारी कंपनी	(√)
लघु कंपनी	( )
एक व्यक्ति- कंपनी	( )
विदेशी कंपनी की अनुषंगी कपंनी:	( )
एनबीएफसी	( )
गारंटी कंपनी	( )
शेयरों द्वारा लिमिटेड	(√)
अनलिमिटेड कंपनी	( )
कंपनी जिसके पास शेयर पूंजी है	(√)
कंपनी जिसके पास शेयर पूंजी नहीं है	( )
धारा-8 के तहत पंजीकृत कंपनी	( )

vi)	पता:	**मो./पोस्ट- जागृति विहार**
	टाउन/सीटी	**संबलपुर**
	राज्य :	**ओड़िशा**
	देश का नाम:	**भारत**
	पिन कोड:	**768020**
	फैक्स नंबर :	**0663-2542977**
	ईमेल एड्रेस :	**cosecymcl@gmail.com**
	वैबसाईट :	**www. mcl.gov.in**

vii) क्या शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है- हॉ/ नहीं√

vii) नाम,पता एवं रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेन्ट का संपर्क सूत्र का विवरण,यदि हो **शून्य**

II. कंपनी का प्रधान व्यवसायिक गतिविधियॉ

कंपनी के कुल बिक्री का 10% या उससे अधिक का योगदान से संबंधित समस्त व्यापारिक गतिविधियां इस प्रकार दर्शायी गई है::-

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का %
1	**कोल**	**1000**	**100**

III.धारक, अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण : -

क्र.सं.	**कंपनी का नाम एवं पता**	**सीआइएन/जीएलएन**	**धारक/अनुषंगी/ सहयोगी**	**कितना % शेयर है**	**लागू धारा**
1	कोल इंडिया लिमिटेड 10, एन.एस.रोड, कोल भवन कोलकाता - 700001. पश्चिम बंगाल	L23109WB1973GOI028844	धारक	100	धारा - 2 (87)
2	एमएनएच शक्ति लिमिटेड मो- आनंद विहार,पोस्ट-जागृति विहार,बुर्ला, संबलपुर -768020 ओड़िशा	U10100OR2008GOI010171	अनुषंगी	70	धारा - 2 (87)
3	एमजेएसजे कोल लिमिटेड हाऊस नं. - 42, प्रथम तल, हकिमपाड़ा, पोस्ट- अनगुल, अनगुल – 759153, ओड़िशा	U10200OR2008GOI010250	अनुषंगी	60	धारा - 2 (87)
4	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड हाऊस नं.-डी-6 , बीजेबी नगर, भुवनेश्वर - 751014	U40102OR2011GOI014589	अनुषंगी	100	धारा - 2 (87)
5	नीलाचल पावर ट्रांसमीशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड सी/ओ – ओड़िशा पावर ट्रांसमीशन कार्पोरेशन लिमिटेड, जनपथ, भोईनगर, भुवनेश्वर- 751022,ओड़िशा	U40102OR2013PTC016434	सहयोगी	50	धारा- 2 (6)

IV. शेयरधारण का प्रतिमान(पैटर्न)

(कुल इक्वीटी की प्रतिशतता के अनुसार इक्वीटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्षान्त में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशतता में परिवर्तन
	डीमेट	प्रत्यक्ष (फिजीकल)	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	प्रत्यक्ष (फिजीकल)	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर्स									
(1) इंडियन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क)व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकारें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निगमित निकायें	0	1864009	1864009	100	0	1864009	1864009	100	0
ड.) बैंक्स/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर द्वारा कुल शेयरधारण(क)	0	1864009	1864009	100	0	1864009	1864009	100	0
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1.संस्थाएं									
क)म्यूच्यूअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक्स/ एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकारें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड.) वेंचर कैपिटल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च)बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ)एफआईआईएस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज)विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ)अन्य (विशेष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उपजोड़ (ख)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. गैर-संस्थाएं									
क) निगमित निकायें									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
i) 1लाख रुपए तक नाममात्र के व्यक्तिगत शेयर पूंजी धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख रुपए से अधिक के नाममात्र के व्यक्तिगत शेयर पूंजी धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ **(ख)(2):-**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल पब्लिक शेयरधारण **(ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर एवं एडीआर के अभिरक्षा हेतु शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सकल जोड़ **(क+ख+ग)**	0	1864009	1864009	100	0	1864009	1864009	100	0

ii) ***प्रमोटर्स का शेयर***

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्षान्त में शेयर धारण			वर्ष के दौरान शेयरधारिता की प्रतिशतता में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयर का %	
1	**कोल इंडिया लिमिटेड**	1864009	100	0	1864009	100	0	0

iii) **प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन*(यदि बदलाव न हो तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)***

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का **%**
1	वर्ष के प्रारंभ में	1864009	100	1864009	100
2	वर्ष के दौरान तिथिवार प्रमोटरों के शेयरधारिता में वृद्धि/कमी,वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करें (यथा-आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्वीटी इत्यादि)	0	0	0	0
3	वर्षान्त में	1864009	100	1864009	100

iv) **शीर्ष 10 शेयरधारकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न *(निदेशकों,प्रमोटर्स एवं जीडीआर्स तथा एडीआर्स के अतिरिकत धारकगण):***

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक शीर्ष-10 शेयरधारकों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	वर्ष के प्रारंभ में	1864009	100	1864009	100
2	वर्ष के दौरान तिथिवार प्रमोटरों के शेयरधारिता में वृद्धि/कमी,वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करें(यथा-आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्वीटी इत्यादि):	0	0	0	0
3	वर्षान्त में(या पृथक होने की तिथि,यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हों)	1864009	100	1864009	100

v) **निदेशकों की शेयरधारिता एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:**

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	वर्ष के प्रारंभ में	1	0.0000001	1	0.000001
2	वर्ष के दौरान तिथिवार प्रमोटरों के शेयरधारिता में वृद्धि/कमी,वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करें(यथा- आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इक्वीटी इत्यादि):	**0**	**0**	**0**	**0**
3	वर्षान्त में	1	0.0000001	1	0.000001

V. ऋणभार:

बकाया ब्याज / प्रोद्भूत सहित कंपनी का ऋणभार परंतु भुगतान हेतु शेष नहीं:

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋणभार**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणभार				
i) मूलधन राशि	0	9,75,000,00	0	9,75,000,00
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु बकाया नहीं।	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**9,75,000,00**	**0**	**9,75,000,00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
* जोड़	0	0	0	0
* घटाव	0	2,35,000,00	0	2,35,000,00
निवल परिवर्तन	**0**	**2,35,000,00**	**0**	**2,35,000,00**
वित्त वर्ष के अंत में ऋणभार				
i) मूलधन राशि	0	7,40,000,00	0	7,40,000,00
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया।	0	0	0	0
iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु बकाया नहीं।	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**7,40,000,00**	**0**	**7,40,000,00**

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का का पारिश्रिमिक*:*

क. प्रबंध निदेशक,पूर्णकालिक निदेशकों एवं/ या प्रबंधकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डब्युटीडी/ मैनेजर					कुल राशि
		श्री ए.एन.सहाय (सी एम डी)	श्री ए. के. तिवारी (डबल्यू टी डी)	श्री जे.पी सिंह (डबल्यू टी डी)	श्री पी.सी. पाणिग्राही (डबल्यू टी डी)	श्री के.के.परिडा (डबल्यू टी डी)	
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के तहत वेतन	29.04	29.70	23.12	23.05	15.09.	120.00
	(ख) अनुलब्धियों का मूल्य (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार)	0	0	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक ऑप्सन	0	0	0	0	0	0
3	स्वेट इक्वीटी	0	0	0	0	0	0
4	कमीशन - लाभ के % के तौर पर - अन्य,विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0
5	अन्य,कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	
	कुल (क)	**29.04**	**29.70**	**23.12**	**23.05**	**15.09.**	**120.00**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-	-	-	-	-	एन.ए

ख. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशकगण	0	0	0	0	0
	बोर्ड कमिटी की बैठक में प्रतिभागिता हेतु शुल्क	0	0	0	0	0
	कमीशन	0	0	0	0	0
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0
	कुल (1)	0	0	0	0	0
2	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकगण	0	0	0	0	0
	बोर्ड कमिटी की बैठक में प्रतिभागिता हेतु शुल्क	0	0	0	0	0
	कमीशन	0	0	0	0	0
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0	0	0
	कुल(ख)=(1+2)	0	0	0	0	0
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिकि अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	0	0	0	0	0

ग. एमडी/मैनेजर/डब्लुटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
01	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के तहत वेतन	20.82	**20.82**
	(ख) अनुलब्धियों का मूल्य(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार)	0	**0**
	(ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	0	**0**
2	स्टॉक ऑप्सन	0	**0**
3	स्वेट इक्वीटी	0	**0**
4	कमीशन - लाभ के % के तौर पर - अन्य,विनिर्दिष्ट करें	0	**0**
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	**0**
	कुल	**28.82**	**20.82**

VII. जुर्माना / दंड/ कंपाउंडिंग आफ ओफेन्सेस:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित जुर्माना/ दंड/ कंपाउंडिंग फी का विवरण	अथोरिटी(आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	अपील किया गया (यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. चूक करनेवाले अन्य अधिकारीगण:					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-VII

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना एवं विकास :

कोयला : ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत :

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, भरपूर एवं भरोसेमंद स्रोत है । वैश्विक रूपसे वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में 1950 से इसका प्रयोग पर्यावरणिक दृष्टि से सस्ते तेल एवं गैस की उपलब्धता के कारण कम हो रहा है। भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है । यहां विद्युत उत्पादन के लिए कोयला महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि इसका भंडार पर्याप्त होने के साथ-साथ सस्ते में उपलब्ध है जबकि देश में तेल का भंडार सीमित है ।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला है । 01.04.2015 को नेशनल कोल इन्वेन्ट्री ने 69 विभिन्न कोयलांचलों में 1200 मीटर की गइराई तक 306.595 बिलियन टन कोयले का भंडार उपलब्ध होने का उल्लेख किया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	राज्य	कोयला क्षेत्रों की संख्या	कोयला भंडार (बि.ट)	भारत का प्रतिशत
1.	झारखंड	12	81.049	26.44
2.	ओड़िशा	02	75.799	24.72
3.	छत्तीसगढ़	13	54.912	17.91
4.	पश्चिम बंगा	04	31.435	10.25
5.	मध्य प्रदेश	08	26.536	8.65
6.	टेलेंगाना	01	21.211	6.92
7.	महाराष्ट्र	05	11.253	3.67
8.	एनई स्टेट	21	1.598	0.52
9.	आंध्र प्रदेश	01	1.581	0.52
10.	उत्तर प्रदेश	01	1.062	0.35
11.	बिहार	01	0.16	0.05
कुल		**69**	**306.596**	**100.00**

कोयला भंडार के मामले में ओड़िशा, झारखंड के बाद भारत में दूसरे स्थान पर है। ओड़िशा में कोयला का 01.04.2015 के आकलन के अनुसार कुल भंडार 75.799 बिलियन टन है जो राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.72 प्रतिशत है। ओड़िशा के दो कोयलांचल- तालचर एवं ईब वैली कोयलांचल एमसीएल के अधिकार क्षेत्र में है,तालचर में (50.969 बिलियन टन) ,जो देश का सबसे बड़ा एवं ईब वैली में (24.831 बिलियन टन) जो देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयलांचल है । 75.799 बिलियन टन कोयला भंडार में से 30.747 बिलियन टन (40.56 प्रतिशत) प्रमाणित कोयला भंडार है ।

ओड़िशा का तालचेर एवं ईब वैली कोयलांचल थर्मल ग्रेड नन-कोकिंग कोल का भंडारघर है जिसके खनन की संभावनाएं सर्वाधिक अनुकूल है। दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत के वर्तमान तथा प्रस्तावित थर्मल प्लांटों के लिए कोयले की मांग बढ़ोत्तरी की दिशा में है।

कोयले की मांग :

12 वीं योजना के निरूपण के लिए कोयले एवं लिग्नाईट हेतु कार्यकारी समूह ने 12वीं योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में संयोजित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 7.09 पर कोयले की मांग 980.50 आंकी है। वर्ष 2015-16 की मांग 800 मि.टन है । ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**2015-16**	**2016-17**
स्टील(कोकिंग)		67.20
विद्युत (यू)		682.08
विद्युत (कैप्टिव)		56.36
सीमेंट		47.31
स्टील डीआरआई		50.33
अन्य		77.22
कुल गैर-कोकिंग		913.30
कुल	**800**	**980.50**

कोयले का ऑफ-टेक एवं प्रेषण :

सीआईएल का वर्ष 2015-16 के लिए ऑफ-टेक कार्यक्रम 550.00 मि.टन निश्चित किया गया है जिसमें से एमसीएल का शेयर 150.00 मि.टन(27.27%) है।

11 वीं योजना एवं 12 वीं योजना के पहले , दूसरे और तीसरे वर्ष और 12 वीं योजना के चौथे वर्ष के लिए एमसीएल के सेक्टरवार कोयले के ऑफ -टेक का प्रक्षेपण नीचे दिया गया है :

आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना					**XII योजना**			
	2007-08 वास्तविक	**2008-09 वास्तविक**	**2009 - 10 वास्तविक**	**2010-11 वास्तविक**	**2011-12 वास्तविक**	**2012-13 वास्तविक**	**2013-14 वास्तविक**	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 (बीई)**
बिजली	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	127.735
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.68
फर्टिलाइजर	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.06
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	21.525
कुल	**83.63**	**91.30**	**98.15**	**102.09**	**102.52**	**111.964**	**114.342**	**123.001**	**150.00**

11 वीं योजना एवं 12 वीं योजना के पहले , दूसरे और तीसरे वर्ष और 12 वीं योजना के चौथे वर्ष के लिए एमसीएल के सेक्टरवार कोयले के साधन वार प्रेषण का प्रक्षेपण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना					**XII योजना**			
	2007-08 वास्तविक	**2008-09 वास्तविक**	**2009 -10 वास्तविक**	**2010-11 वास्तविक**	**2011-12 वास्तविक**	**2012-13 वास्तविक**	**2013-14 वास्तविक**	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 (बीई)**
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	81.260	105.13
सड़क	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	27.00
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	16.00
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.87
कुल	**83.63**	**91.30**	**98.15**	**102.09**	**102.521**	**111.959**	**114.342**	**123.001**	**150.00**

कोयले की उपलब्धता :

एमसीएल के वर्तमान खदानो, पुर्ण परियोजनओं एवं चालु परियोजनाओं में xii वी योजना के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष अर्थात 2012-13,2013-14 एवं 2014-15 में वास्तविक कोयला उत्पादन और xii वी योजना के चौथे वर्ष अर्थात 2015-16 के लिये उत्पादन प्रॉजेक्शन नीचे दिया गया है ।

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना				**XII योजना**			
	2008-09 वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** वास्तविक	**2015-16** (बीई)
वर्तमान खानें	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	1.127	1.16
पूरी हुई परियोजनाएं	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.906	80.74
चालू एवं नई परियोजनाएं	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	49.346	68.10
कुल	**96.34**	**104.08**	**100.28**	**103.118**	**107.895**	**110.440**	**121.379**	**150.00**

उत्पादकता :

एमसीएल में ओसीपी से कोयले का उत्पादन ठेका पर होता है एवं ओबीआर विभागीय स्तर पर होता है। कुछ परियोजनाओं में ओबीआर की भी आउटसोर्सिंग की गई है। एमसीएल की ओएमएस की स्थिति नीचे दी गई है:

	2008-09 वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** वास्तविक	**2015-16** (बीई)
यूजी	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.77	0.73
ओसी	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	22.11	25.93
सकल	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	17.10	19.89

क. अवसर एवं आशंका :

अवसर:

- देश में कोयले की मांग विशेषकर विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की बृहद मांग ।
- एमसीएल में कोयला खनन की बृहद संभावना ।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से लिंक हैं।
- एक अच्छी विपणन योजना तैयार करना एवं उपभोक्ताओं, रेलवे एवं जहाजरानी से लंबी अवधि का समझौता करना।
- वाशरी की स्थापना करना ।
- बिजली में विविधता ।
- कोयला को गैस एवं तेल में बदलने हेतु संयुक्त उद्यम ।

आशंका :

- कोयला की खुली खदानों पर निर्भरता-अधिक भूमि की आवश्यकता ।
- भूमि अधिग्रहण एवं उससे उत्पन्न सामाजिक विस्थापन ।
- पुनर्वास एवं पुन: स्थापन के मुद्दे ।
- खुली खानों से पर्यावरण प्रदूषण प्रवणता ।

- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता ।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयलांचल से दूर हैं इससे रेलवे का भाड़ा अधिक लगता है फलत: उपभोक्ताओं को ऊंची लागत पर कोयला प्राप्त होता है।
- एमओईएफ द्वारा 34% राखवाले कोयले(एमसीएल में अधिकांशत: यही उपलब्ध है) को 1000 किलोमीटर से दूर पावर हाऊसों में प्रयोग पर पाबंदियां लगायी गयी हैं।
- समुद्र किनारे स्थित टीपीपी के पास आयातित कोयला उपयोग करने का विकल्प है|
- कैप्टीव माइनिंग- विद्युत उत्पादन के लिए एमसीएल के उपभोक्ताओं,कुछ केंद्रीय पीएसयू एवं राज्य पीएसयू को ब्लॉकों का आबंटन तथा खुले बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा कोयला खनन ।

ख. कार्य निष्पादन :

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है ।

ग. आऊटलुक

सदस्य यह जानते हैं कि एमसीएल में अभी 34 पूर्ण परियोजनाएं हैं जिनकी तय क्षमता 96 .48(रिक्त खदानों की क्षमता को छोड कर) एमटी है। इनमें से 1.60 एमटी की तय क्षमतावाली दो परियोजनाएं 11वीं योजना के दौरान खाली हो चुकी है।15 परियोजनाएं (मार्च,15 के अनुसार) कार्यरत हैं जिनकी तय क्षमता 109.33 एमटी है। वर्ष 2014-15 में इन चालू परियोजनाओं से 49.346 एमटी उत्पादन हुआ ।

ईब वैली कोयलांचल के बसुन्धरा क्षेत्र (जिसे गोपालपुर ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है) में काफी क्षमता है लेकिन कोयला स्थानांतरित करने की व्यवस्था एकमात्र समस्या है । आपकी कंपनी ने बसुन्धरा क्षेत्र से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक 469.68 करोड़ का पूँजीगत निवेश कर 52 किमी लम्बी रेलवे लाईन तैयार करने की योजना बनाई है एवं अनुमोदित किया है । एमसीएल एवं दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच भूमि अधिग्रहण तथा रेलवे लाईन के निर्माण के लिए दो एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं । भूमि अधिग्रहण का कार्य एवं निर्माण कार्य शुरू हो गया है । रेलवे लाईन के कार्य को 09.03.2009 से 36 महीनों के अंदर पूरा होना निर्धारित है। अब यह परियोजना वनभूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण एफआरए-2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए और ईब नदी पर एक बड़ा पुल निर्माणाधीन होने के कारण लंबित है। अभी तक दक्षिण-पूर्व रेलवे को 452.542 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जिसमें से .396.53 खर्च हो चूका है ।

इसी प्रकार तालचर कोयलांचल में कलिंग-अनगुल लिंक रेलवे लाईन का निर्माण चल रहा है। एक बार जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो खाली रैक एक तरफ से अनगुल होकर आएगा तथा भरा हुआ रैक तालचर होकर जाएगा। इससे तालचर कोयलांचल में रैकों की आवा-जाही की क्षमता बढ़कर दुगुनी हो जाएगी ।

कोयला प्रेषण प्रणाली को बढ़ाने के लिए त्वरित लदाई प्रणाली(साइलो) की योजना बनाई गई है एवं दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं समेत 10 परियोजनाओं मे निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है । ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संबंधित ओसी परियोजना का नाम	क्षमता	क्र. सं.	संगत ओसी परियोजना का नाम	क्षमता
1.	अनंता ओसीपी	15 एमटीवाई	6.	कनिहा ओसीपी	10 एमटीवाई
2.	लिंगराज ओसीपी	16 एमटीवाई	7.	बलराम ओसीपी	8 एमटीवाई
3.	भरतपुर ओसीपी	15 एमटीवाई	8.	कुलदा ओसपी	10 एमटीवाई

4.	भुवनेश्वर ओसीपी	20 एमटीवाई	9.	एमजेएसजे(गोपालप्रसाद)	15 एमटीवाई
5.	हिंगुला ओसीपी	15 एमटीवाई	10.	एमएनएच शक्ति(तलाबिरा)	20 एमटीवाई

एमसीएल प्रत्येक 10.00 एमटीवाई क्षमतावाली अपनी 4 वाशरी स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि वह दूर के पावरहाउसों को 34 प्रतिशत से कम राख वाला कोयला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की शर्त के अनुसार भेज सके । इनमें से दो वाशरी तालचर कोयलांचल ,एक ईब वैली कोयलांचल और एक ईब वैली कोयलांचल के बसुन्धरा सेक्टर में स्थापित की जाएगी । बीओएम आधार पर निर्मित होनेवाली सभी वाशरियों की तकनीकी आर्थिक सहायता रिपोर्ट एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

क. जोखिम एवं चिन्ता :

खनन कार्य निर्धारित स्थान सापेक्ष है एवं खदान की अवस्थिति बदली नहीं जा सकती है । निम्नलिखित जोखिम एवं चिन्ताएं इनमें शामिल हैं :

- वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करना ।
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की अधिक लागत ।
- निर्धारित नियमों से बाहर जाकर नौकरी की मांग जिससे बार-बार कानून व्यवस्था की समस्या एवं खनन कार्य तथा कोयला परिवहन में बाधा ।
- एचईएमएम एवं ई एंड एम उपकरणों की खरीद में लंबी अवधि का लगना ।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

ग. संचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

घ. लोगों को दी गयी नौकरी की संख्या के साथ मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध में वास्तविक विकास:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

ङ. पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, ऊर्जा के नवीकरण में विकास, विदेशी मुद्रा का संरक्षण:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

च. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

<u>अनुलग्नक-</u>VIII

31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम,2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के तहत भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की 143 के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए,के तहत वित्तीय विवरण पर अपने विचार अधिनियम की धारा 143(10) के तहत दिए गए लेखांकन मानक के अनुसार देने के लिए उत्तरदायी हैं । उनके दिनांक 08.06.2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के अंतर्गत महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी के पूरक लेखा परीक्षा की है लेकिन एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड की उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी का पूरक लेखा परीक्षा नहीं किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है।

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 12.06.2015

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
तुलन पत्र
31 मार्च, 2015 के अनुसार

(₹ करोड में)

	टिप्पणियाँ		31/3/2015 के अनुसार		31/3/2014 के अनुसार
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) **शेयरधारियों की निधियाँ**					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,291.17		5377.02	
			4,477.57		5,563.42
(2) **गैर-चालू देयताएं**					
क) दीर्घावधि उधार	3	6.90		9.14	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		122.90		28.08	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	53.58		54.34	
घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	12,899.71		10,607.11	
			13,083.09		10,698.67
(3) **अल्पसंख्यक आंशीदार(माइनोरिटी इंट्रेस्ट)**			-		-
(4) **चालू देयताएं**					
क) अल्पावधि ऋण	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	275.26		280.29	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	3,166.33		2,647.23	
घ) अल्प अवधि प्रावधान	9	372.35		318.12	
			3,813.94		3,245.64
कुल			**21,374.60**		**19,507.73**
II परिसम्पत्तियाँ					
(1) **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ					
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	5,754.79		5,161.98	
घटाव : मूल्यह्रास,हानि एवं प्रावधान		2,748.79		2,455.22	
निवल कैरिंग मूल्य			3,006.00		2,706.76
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	288.09		284.89	
घटाव : मूल्यह्रास, हानि एवं प्रावधान		206.61		194.40	
निवल कैरिंग मूल्य			81.48		90.49
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10ख		454.00		322.27
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	10ग		270.11		209.49
(ख) गैर-चालू निवेश	11		1,075.38		1,098.07
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)					-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		552.62		375.55
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		-		-

तुलनपत्र जारी.....

(₹ करोड में)

	टिप्पणियाँ		31/3/2015 के अनुसार		31/3/2014 के अनुसार
(2) **चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) चालू निवेश	14	247.70		675.71	
(ख) मालसूची	15	476.41		522.52	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	447.30		298.39	
(घ) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	10,882.37		10,367.57	
(ड.) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	3,055.49		2,174.55	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	825.74		666.36	
			15935.01		14705.10
कुल			**21,374.60**		**19,507.73**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

ह()/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह()/-
बी.पी.घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह()/-
के.के.पारिडा
निदेशक (वित्त)

ह()/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ह()/-
सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

दिनांक: 20.05.2015
स्थान: भुवनेश्वर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
लाभ-हानि विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार

(₹ करोड में)

आय	**टिप्पणीयाँ**	**31/3/2015 के अनुसार**	**31/3/2014 के अनुसार**
(I) संचालन से राजस्व			
क कोयले का विक्रय	20	14,989.05	13,114.20
घटाव : उत्पाद शुल्क		679.56	617.16
अन्य उगाही		3,285.07	2,507.37
कुल बिक्री		11,024.42	9,989.67
ख अन्य ऑपरेटिंग रेवेन्यू	20	704.66	583.90
घटाव : उत्पाद शुल्क		39.71	33.12
अन्य उगाही		20.89	18.33
नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू		644.06	532.45
संचालन से राजस्व (क+ख)		11,668.48	10,522.12
(II) अन्य आय	21	1,375.14	1,510.88
(III) कुल राजस्व		**13,043.62**	**12,033.00**
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	604.56	626.35
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	33.62	36.54
कार्मिक हितलाभ पर व्यय	24	1,997.10	1,841.29
बिजली एवं ईंधन		122.59	119.37
कार्पोरेट सामाजिक दायित्वपर व्यय	25	61.30	111.48
मरम्मत	26	107.63	93.58
संविदात्मक व्यय	27	1,787.27	1,638.48
वित्तीय लागत	28	1.44	14.89
मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि		297.11	269.18
प्रावधान	29	123.56	85.27
बट्टे खाते डालना	30	-	-
ओवरबर्डन निकासी का समायोजन		2,123.53	1,410.33
अन्य व्यय	31	479.89	355.34
कुल व्यय		**7,739.60**	**6,602.10**
असामान्य मदें, अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ/हानि		**5,304.02**	**5,430.90**
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	(10.22)	1.82
अपवादात्मक मदें		-	-
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		**5,314.24**	**5,429.08**
असामान्य मदें (प्रभार/आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**5,314.24**	**5,429.08**
घटाव : कर पर व्यय			
- चालू वर्ष		1697.56	1837.38
- आस्थेगित कर		94.82	(32.60)
- पूर्ववर्ती वर्ष		(32.24)	-
कर पश्चात लाभ/(हानि)		**3,554.10**	**3,624.30**
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		19,066.97	19,443.58
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह()/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह()/-
बी.पी.घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह()/-
के.के.पारिडा
निदेशक (वित्त)

ह()/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

दिनांक: 20.05.2015
स्थान: भुवनेश्वर

सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 1

शेयर पूँजी

(₹ करोड में)

		31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	**500.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर पूर्णतया नगत के रुप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	**186.40**

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1864009	100

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तूलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : सामान्य आरक्षित में स्थानातरित	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	21.93	79.46
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	53.95
घटाव : सामन्य आरक्षित में समंजन	21.93	111.48
	-	21.93
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	8.34	3.84
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	4.61
घटाव : समान्य आरक्षित में अंतरण	8.34	0.11
	-	8.34
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	2875.40	2401.38
वृद्धि: लाभ हानि विवरण से अंतरण	355.41	362.43
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	30.27	111.59
	3261.08	2875.40
गत तुलनपत्र के अनुसार	2267.17	6063.86
पुर्व मुल्य ह्रास न्युन समंजन	53.99	-
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ/(हानि)	3,554.10	3624.30
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	5767.28	9688.16
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित में अंतरण	355.41	362.43
सीएसआर आरक्षित में अंतरण	-	53.95
अंतरिम लाभांश	3,841.82	5,983.16
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश पर कर	744.14	1,016.84
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	-	4.61
	825.91	2267.17
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय	-	-
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	**4291.17**	**5377.02**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	-
- जेबीआईसी के लिए	-	-
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	6.90	9.14
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	**6.90**	**9.14**

वर्गीकरण 1

सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	6.90	9.14

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
-	-	-

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4

अन्य दीर्घावधि दायिताएं

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव : प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	26.09	27.86
कोयले पर सेस की वापसी	27.49	26.48
कुल	**53.58**	**54.34**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 5

(₹ करोड में)

दीर्घावधि प्रावधान

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	213.53	185.90
कर्मचारी के अन्य सुविधाएं	218.88	193.27
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	12,036.04	9,912.51
खदान बंद करने का व्यय	431.26	315.43
अन्य के लिए	-	-
कुल	**12,899.71**	**10,607.11**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 6

अल्पावधि उधार

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों पर शेष	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	(₹ करोड में)	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 7

(₹ करोड में)

भुगतान योग्य व्यापार		
	31/3/2015 के अनुसार	**31/3/2014 के अनुसार**
आपूर्ति हेतु विविध लेनदार		
राजस्व के लिए	275.26	280.29
कुल	**275.26**	**280.29**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8

(₹ करोड में)

अन्य चालू दायिताएँ

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	-
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	-
लिभेर फ्रांस एसए, से आवधिक ऋण	0.50	0.61
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अधिशेस फण्ड	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.50	**0.61**
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	640.62	550.45
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	152.35	153.84
विद्युत एवं ईंधन	17.51	17.20
अन्य	44.52	79.00
	214.38	**250.04**
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	2.51	0.49
विक्रय कर/वैट	-	2.50
भविष्य निधि एवं पैंशन निधि	8.99	7.33
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	50.96	52.58
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	37.48	52.04
बालू भराव पर उत्पाद शुल्क	32.90	30.15
स्वच्छ ऊर्जा सेस	126.84	49.89
अन्य वैधानिक उगाही	-	0.11
	259.68	**195.09**
स्रोत पर आयकर में कटौती	3.06	5.92
प्रतिभूति जमा	81.05	63.87
बयाना राशि	17.95	15.42
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,837.92	1505.98
उधार पर प्रोद्धत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्धत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्स ऑनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	46.00	7.27
अन्य देयताएं	65.17	52.58
कुल	**3,166.33**	**2,647.23**

2015-16 के दौरान लिभेर फ्रांस को ऋण का पुनर्भुगतान 74113.58 यूरो 0.50 करोड़

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 9

(₹ करोड मैं)

अल्पावधि प्रावधान

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2015 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	-	-
-छुट्टी नकदीकरण	19.82	18.73
- पीपीएलबी	81.18	67.08
- पीआरपी	271.24	232.19
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए	0.11	0.12
कुल	**372.35**	**318.12**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 10 क
स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	2.49	27.67	-	30.16	-		-	-	-	-	-	-	-	30.16	2.49
(ख) लीज होल्ड	1,778.15	449.83	(1.12)	2,226.86	376.84	71.61	(0.86)	447.59	-	-	-	-	447.59	1,779.27	1,401.31
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पलिया	489.74	21.72	(0.16)	511.30	169.24	10.22	15.83	195.29	0.34	-	-	0.34	195.63	315.67	320.16
यंत्र एवं संयंत्र	2,383.62	115.31	(43.23)	2,455.70	1,640.37	170.96	(53.33)	1,758.00	14.84	-	-	14.84	1,772.84	682.86	728.41
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	69.40	7.23	(0.13)	76.50	49.60	6.75	0.91	57.26	0.01	-	-	0.01	57.27	19.23	19.79
रेलवे साइडिंग	163.88	0.63	-	164.51	82.73	9.17	14.72	106.62	0.10	-	-	0.10	106.72	57.79	81.05
वाहन	28.12	4.63	(0.38)	32.37	19.38	(0.52)	0.22	19.08	0.01	-	-	0.01	19.09	13.28	8.73
दूरसंचार	34.79	1.70	0.01	36.50	12.47	3.82	0.01	16.30	-	-	-	-	16.30	20.20	22.32
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	190.11	11.38	-	201.49	75.91	13.90	31.53	121.34	0.37	-	-	0.37	121.71	79.78	113.83
सर्बेड ऑफ परिसंपतियॉ	21.68	1.82	(4.10)	19.40	13.01	0.10	(1.47)	11.64	-	-	-	-	11.64	7.76	8.67
कुल	**5,161.98**	**641.92**	**(49.11)**	**5,754.79**	**2,439.55**	**286.01**	**7.56**	**2,733.12**	**15.67**	**-**	**-**	**15.67**	**2,748.79**	**3,006.00**	**2,698.09**
गत वर्ष															
मूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	4,388.80	813.54	(40.36)	5,161.98	2,215.07	254.79	(30.31)	2,439.55	4.73	-	10.94	15.67	2,455.22	2,706.76	2,169.00
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ															
विकास	222.40	3.48	(0.28)	225.60	148.42	6.87	1.25	156.54	11.06	0.47	(0.04)	11.49	168.03	57.57	62.92
सॉफ्टवेयर	2.67	-	-	2.67	2.67	-	-	2.67	-	-	-	-	2.67	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	59.82	-	-	59.82	32.23	1.83	1.83	35.89	0.02	-	-	0.02	35.91	23.91	27.57
कुल	**284.89**	**3.48**	**(0.28)**	**288.09**	**183.32**	**8.70**	**3.08**	**195.10**	**11.08**	**0.47**	**(0.04)**	**11.51**	**206.61**	**81.48**	**90.49**
सकल जोड़	**5,446.87**	**645.40**	**(49.39)**	**6,042.88**	**2,622.87**	**294.71**	**10.64**	**2,928.22**	**26.75**	**0.47**	**(0.04)**	**27.18**	**2,955.40**	**3,087.48**	**2,788.58**
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	246.88	38.00	0.01	284.89	173.32	15.45	(5.45)	183.32	21.36	0.66	(10.94)	11.08	194.40	90.49	52.20

टिप्पणी: भूमि- कोयला धारण क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीशा सरकार ने भूमि बंदोबस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि भी शामिल है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10 ख

पुंजीगत कार्य-प्रगति पर

(₹ करोड में)

	लागत				प्रावधान				इपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/वि क्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्र य/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमें ट हानि / अन्य हानि**	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	51.84	112.17	(17.00)	147.01	0.22	-	(0.13)	0.09	-	-	-	-	0.09	146.92	51.62
यंत्र एवं संयंत्र	244.76	138.75	(109.28)	274.23	11.60	0.70	-	12.30	-	-	-	-	12.30	261.93	233.16
रेलवे साइडिंग	35.84	5.49	(0.36)	40.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.97	35.84
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	1.65	2.82	(0.29)	4.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18	1.65
कुल	334.09	259.23	(126.93)	466.39	11.82	0.70	**(0.13)**	12.39	**-**	**-**	**-**	**-**	12.39	454.00	322.27
गत वर्ष															
कुल	297.50	232.45	(195.86)	334.09	10.88	0.96	(0.02)	11.82	-	-	-	-	11.82	322.27	286.62

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10 ग

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपतियां

(₹ करोड में)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
विकास	109.25	54.30	(0.18)	163.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.37	109.25
पूर्वेक्षण एव बोरिंग व्यय	100.24	6.50	-	106.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.74	100.24
कुल	**209.49**	**60.80**	**(0.18)**	**270.11**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**270.11**	**209.49**
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपत्तियां	218.25	19.37	(28.13)	209.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.49	218.25

टिप्पणी

1. विकास के लिए बसुंधरा क्षेत्र में कनिका रेलवे साइडिंग के बंकिबहल से दो लेन सड़क को चौड़ा करके चार लेन सड़क करने के लिए राज्य के प्राधिकारी के पास जमा 39.43 करोड़ रुपये जमा की गई यह राशि कंपनी की संपत्ति में सामील नहीं है ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (₹)	31/03/2015 के अनुसार (₹करोड में)	31.03.2014 को शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2014 को प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (₹)	31/03/2014 के अनुसार (₹करोड में)
व्यापार (अनुद्धत)						
8.5% कर मुक्त विशेष बांड(पूर्ण प्रदत्त) :						
(विविध देनदारों की सुरक्षा पर)						
प्रमुख राज्यवार वर्गीकरण						
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,860.00	1,000.00	11.38
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,160.00	1,000.00	11.31
अन्य	-	-	-	-	-	-
अनुसंधी कंपनियों में ईक्वियूटी शेयर						
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	5,95,70,0000	10.00	59.57	59,570,000	10.00	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	5,70,60,000	10.00	57.06	57,060,000	10.00	57.06
एमबीपीएल	50,000	10.00	0.05	50,000	10.00	0.05
गैर व्यापार (उद्धत)						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित इआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉंड	20,000	100,000	200.00	20,000	100,000	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड	1087537	1,000	108.75	1087537	1,000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त ब	4999	1,000,100	499.95	4999	1,000,100	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉंड	1500000	1,000	150.00	1500000	1,000	150.00
कुल :			**1,075.38**			**1,098.07**
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग			116.68			139.37
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			978.68			967.99

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12

(₹ करोड में)

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

	31/03/2015 के अनुसार	31/03/2014 के अनुसार
अग्रिम:		
पूँजी के लिए		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	513.97	336.47
-संदेहास्पद	0.55	0.61
	514.52	337.08
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.55	0.61
	513.97	336.47
राजस्व के लिए		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	36.48	36.47
-संदेहास्पद	-	-
	36.48	36.47
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	36.48	36.47
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	2.11	2.55
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	2.11	2.55
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.06	0.06
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	0.06	0.06
अन्य के लिए		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	2.17	**2.61**
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
-संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	**552.62**	**375.55**

टिप्पणी

1

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.पूंजी के लिए अग्रिम में रु.314.17 करोड़ रुपये सामिल हैं, जो की कुल अग्रिम धनराशि रु.447.07 करोड़ रुपये दक्षिण पूर्व रेलवे को झारसुगुड़ा से सरडेगा (बसुंधरा क्षेत्र) में रेल लाइन निर्माण के लिए प्रदान किए गए थे तथा रु.132.90 करोड़ सीसीडीए ग्रांड तथा अन्य समंजन से घटावे पर आते हैं इस में रु.383.61 करोड़ तुलन पत्र बनने की तारीख तक रेलवे प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लिए गए हैं ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13

(₹ करोड में)

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव: डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
खदान बंद करने व्यय हेतु प्राप्ति योग्य	-	-
अन्य प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	0.16	0.16
	0.16	0.16
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी

	अंतिम शेष		बकाय का अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर

टिप्पणी - 14

चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	शेयर/बॉड/प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	31/03/2015 के अनुसार (₹ करोड में)	शेयर/बॉड/प्रतिभूति की संख्या गत वर्ष 31.03.2014	प्रति शेयर/बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य गत वर्ष 31.03.14	31/03/2014 के अनुसार (₹ करोड में)
गैर-व्यापार(उद्धत)						
म्युचुअल फंड में निवेश						
(केनारा रोबेको लिक्विड फंड)	248,632.521	1,005.50	25.00	29,835.903	1,005.50	3.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	1,006,728.134	1,003.25	101.00	2,761,026.663	1,003.25	277.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	774,927.657	1,019.45	79.00	3,658,851.080	1,019.45	373.00
यूनियन केबीसी	199,869.965	1,000.65	20.00	-	-	-
एलआईसी नोमूरा एमएफ लिक्विड फंड	-	-	-	-	-	-
व्यापार(अनुद्धत)						
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860.00	1000.00	11.38	113,860.00	1,000.00	11.39
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160.00	1000.00	11.32	113,160.00	1,000.00	11.32
कुल :			**247.70**			**675.71**
उद्धत निवेश का योग			225.00			653.00
अनुद्धत निवेश का योग			22.70			22.71
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			225.60			661.84

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी 15

वस्तुसूची
(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन)

(₹ करोड मे)

		31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	386.79	418.53
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	-
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	**कोयले का स्टॉक (निवल)**	**386.79**	**418.53**
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	89.61	98.28
	मार्गस्थ भंडार	0.85	2.28
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	17.24	14.84
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	**भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)**	**73.22**	**85.72**
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	10.80	12.68
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	**कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक**	**10.80**	**12.68**
घ	प्रेस :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ड़	**केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**	0.69	0.68
च	**पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट कोयला**	4.91	4.91
	कुल (क से च तक)	**476.41**	**522.52**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 15 का अनुलग्नक

(परिणाम लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

तालिक : क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.14 को प्रारंभिक स्टॉक	141.48	43804.86	-	-	141.48	43804.86
(ख) 5% से अधिक कमी	1.26	1,952.14	-	-	1.26	1,952.14
लेखा खोलने में अपनाया गया स्टक	140.22	41,852.72			140.22	41852.72
2. वर्ष का उत्पादन	1,213.79	1,099,310.91	-	-	1213.79	1099310.91
3. उप जोड़ (1क+2)	1,355.27	1,143,115.77	-	-	1,355.27	1,143,115.77
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,229.98	1,102,442.34	-	-	1229.98	1102442.34
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	131.15	-	-	0.05	131.15
कुल(क)	1,230.03	1,102,573.49	-	-	1230.03	1102573.49
5. व्युत्पन्न स्टॉक	125.24	40,542.28	-	-	125.24	40542.28
6. मापी गई	123.91	38,623.62	-	-	123.91	38623.62
7. अंतर (5-6)	1.33	1,918.66	-	-	1.33	1,918.66
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	1.03	269.20	-	-	1.03	269.20
(ख) 5% के भीतर कमी	1.17	325.03	-	-	1.17	325.03
(ग) 5% से अधिक		-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.19	1,862.83	-	-	1.19	1,862.83
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	124.05	38,679.45	-	-	124.05	38679.45

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका: ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	141.48	43,804.86	-	-	-	-	-	-	141.48	43,804.86
5% से अधिक कमी			1.26	1,952.14							1.26	1,952.14
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	140.22	41,852.72	-	-	-	-	-	-	140.22	41,852.72
उत्पादन	-	-	1,213.79	1,099,310.91	-	-	-	-	-	-	1,213.79	1,099,310.91
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,229.98	1,102,442.34	-	-	-	-	-	-	1,229.98	1,102,442.34
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.05	131.15	-	-	-	-	-	-	0.05	131.15
अंतिम स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	125.24	40,542.28	-	-	-	-	-	-	125.24	40,542.28
घटाव : कमी	-	-	1.19	1,862.83	-	-	-	-	-	-	1.19	1,862.83
अंतिम स्टॉक	-	-	124.05	38,679.45	-	-	-	-	-	-	124.05	38,679.45

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16

व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	143.18	30.27
- संदेहास्पद	41.38	34.72
	184.56	64.99
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	41.38	34.72
	143.18	30.27
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	304.12	268.12
- संदेहास्पद	-	-
	304.12	268.12
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	304.12	268.12
कुल	**447.30**	**298.39**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी 17

नगद एवं बैंक शेष

(₹ करोड में)

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआइ लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	4,331.07	3,386.00
- चालू लेखा में	175.43	203.08
- नगद जमा लेखा में	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण	0.35	-
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.04	0.05
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा शेष	5,950.06	6,529.58
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना	425.42	248.86
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा		
कुल	**10,882.37**	**10,367.57**
वर्ष में किसी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	शून्य	शून्य

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जिन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	83.14	185.86
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जमा	426.96	250.29

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

0

टिप्पणी 18

(₹ करोड में)

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	195.36	273.28
- संदेहास्पद	2.10	2.28
	197.46	275.56
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.10	2.28
	195.36	273.28
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.29	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.29	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	0.29	-
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	5,735.51	3,209.66
घटाव : आयकर हेतु प्रावधान	3,557.86	1,892.54
	2,177.65	1,317.12
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	28.60	39.68
- संदेहास्पद	-	-
	28.60	39.68
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	28.60	39.68
	2,206.54	**1,356.80**
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	65.39	70.10
- संदेहास्पद	-	-
	65.39	70.10
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	65.39	70.10
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	556.36	441.41
कोल इंडिया लिमिटेड एव इसकी अन्य अनुषगी कंपनियो तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	20.07	19.91
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.03	0.03
- संदेहास्पद	-	-
	0.03	0.03
घटाव :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.03	0.03
पूर्व प्रदत्त व्यय	11.74	13.02
	653.59	**544.47**
कुल	**3,055.49**	**2,174.55**

टिप्पणी

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत की कंपनियों द्वारा देय				
एमजेएसजे कोल लि.	6.04	3.74	6.04	3.74
एमएनएच शक्ति लि.	0.63	5.16	0.63	5.16
एमबीपीएल	13.40	10.81	13.40	10.81
पाार्टया द्वारा दय ाजनम कपना क ानदशक/ानदशकगण रूच लत हों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.सीआईएल में 184.55 करोड़ जमा धनराशि जिसपर 31.12.2014 तक ब्याज नहीं मिलता था मगर 01.01.2015 से मिलना सुरु हुआ । इसलिए सीआईएल में रु 556.036 करोड़ की धनराशि पर ब्याज मिलता हैं ।

3. रु 1 9 5 . 3 6 करोडरुपए के राजस्व में अग्रिम धनराशि में अन्य ऋण तथा रेलवे को रेलवे साईडंग की मरम्मत हेतु (राजस्व कार्य के लिए) तथा वर्तमान रेलवे ट्रेक के अपग्रेडेसन तथा स्वसंचालित सिगनालिगं सिस्टम इत्यादि शामिल है जो कि कंपानी की परिसंपत्ति के अंतर्गत नहीं आते है ।

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 19

(₹ करोड में)

अन्य चालू परिसंपत्तियां

	31/3/2015 के अनुसार	31/3/2014 के अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-निवेश पर	33.29	42.43
- बैंकों में जमा पर	557.85	441.91
- अन्य पर	2.59	2.68
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा	230.88	156.66
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	230.88	156.66
अन्य	-	-
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	1.13	22.68
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-
	1.13	22.68
कुल	**825.74**	**666.36**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20

संचालन से राजस्व

(₹ करोड में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
क	**कोयले का विक्रय**	14989.05	13114.20
	घटाव : उत्पाद शुल्क	679.56	617.16
	घटाव : अन्य उगाही		
	रॉयल्टी	1395.72	1290.85
	कोयले पर सेस	-	-
	स्टोइंग उत्पाद शुल्क	123.00	114.38
	केंद्रीय विक्रय कर	124.80	102.79
	स्वच्छ ऊर्जा सेस	1179.14	571.91
	राज्य विक्रय कर/वैट	404.16	368.02
	ओडिशा प्रवेश कर	58.25	59.42
	कुल उगाही	**3,964.63**	**3,124.53**
	निवल विक्रय (क)	**11,024.42**	**9,989.67**
ख	कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार		
	बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	-	0.88
	लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	704.66	583.02
	घटाव : उत्पाद शुल्क	39.71	33.12
	घटाव :अन्य उगाही	20.89	18.33
	अन्य संचालन राजस्व (ख)	644.06	532.45
ग	**संचालन से राजस्व (क+ख)**	11,668.48	10,522.12

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 21

अन्य आय

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांश	-	-
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बाँड) (व्यापार) से	3.38	5.31
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.72	70.75
चालू निवेश से आय		
म्युचुअल फंड निवेश से लाभांश	54.98	43.40
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बाँड) (व्यापार) से	-	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी करमुक्त बॉड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1123.14	1190.35
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.06	0.08
आयकर वापसी से	-	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	33.87	96.72
अन्य	8.06	3.70
शीर्ष प्रभार	-	-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.92	16.04
विदेशी मुद्रा विनियम पर लाभ	-	-
विनिमय दर में अंतरण	1.79	-
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	1.27	4.05
राइट बैक की देयता	1.04	22.41
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य-गैर संचालन आय	75.91	58.07
कुल	**1,375.14**	**1,510.88**

टिप्पणी : अन्य गैर संचालन आय से तालचेर क्षेत्र के कोयला परिवहन रास्तों के चौड़ी करन व सुदृढीकरण की संविदा के निरस्त किए जाने पर आरोपित जुर्माना रु 25.13 करोड़ रुपए शामिल है । .

टिप्पणी - 22

खपत सामग्रियों की लागत

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	113.64	122.40
लकड़ी	0.22	0.21
पीओएल	304.68	324.73
एचईएमएम पुर्जे	124.51	111.86
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	61.51	67.15
कुल	**604.56**	**626.35**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 23

तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	386.79	418.53
घटाव कोयले का क्षरण	-	-
कुल (1)	386.79	418.53
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	418.53	460.38
घटाव कोयले का क्षरण	-	
कुल (2)	418.53	460.38
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	31.74	41.85
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	10.80	12.68
घटाव प्रावधान	-	-
कुल	10.80	12.68
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	12.68	7.37
घटाव प्रावधान	-	-
कुल	12.68	7.37
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	1.88	(5.31)
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	**33.62**	**36.54**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 24

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1410.53	1319.84
अनुग्रह राशि	90.63	73.95
पीआरपी	38.93	48.41
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	186.30	176.09
उपदान	48.03	23.39
छुट्टी नकदीकरण	71.56	52.51
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0.01	0.79
कामगार क्षतिपूर्ति	0.55	(2.35)
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	38.79	29.42
सेवानिवृत कर्मचारियो के लिए चिकित्सा व्यय	1.26	17.24
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	21.85	28.18
खेल व मनोरंजन	5.48	4.17
कैंटीन व क्रैच	0.91	0.78
विद्युत - टाउनशिप	60.19	53.81
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.37	2.66
अन्य कर्मचारी हितलाभ	18.71	12.40
कुल	**1,997.10**	**1,841.29**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 25

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
सीएसआर व्यय	61.30	111.48
कुल	**61.30**	**111.48**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 26

मरम्मतों

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
भवन	66.39	61.72
संयंत्र एवं यंत्र	38.07	29.16
अन्य	3.17	2.70
कुल	**107.63**	**93.58**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 27

संविदात्मक व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार**
परिवहन प्रभार :		
- बालू	-	-
- कोयला एवं कोक	981.81	904.12
- भंडार एवं अन्य आदि	-	0.04
वैगन लदाई	74.33	66.41
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	662.87	616.12
अन्य संविदात्मक कार्य	68.26	51.79
कुल	**1,787.27**	**1,638.48**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 28
वित्तीय लागत

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.08	0.09
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	1.16
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	1.36	12.06
कुल(क)	1.44	13.31
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	-	1.57
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	0.01
कुल(ख)	-	1.58
कुल (क+ख)	**1.44**	**14.89**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 29

प्रावधान

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	6.66	13.70
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	2.40	0.57
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	115.41	70.12
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	-	0.96
अन्य	-	-
कुल (क)	**124.47**	**85.35**
(ख) रिटेन बैक प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.24	0.08
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.67	-
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल (ख)	**0.91**	**0.08**
कुल (क-ख)	**123.56**	**85.27**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 30

बट्टे खाते में डालना

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 31

अन्य व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	13.28	14.10
- विदेशी	0.04	0.02
प्रशिक्षण व्यय	8.94	9.10
दूरभाष एवं डाक खर्च	3.07	2.76
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.79	3.70
भाड़ा प्रभार	0.08	0.08
डेमरेज	2.23	6.18
दान /अभिदान	0.06	0.01
सुरक्षा व्यय	57.29	51.25
सीआईएल का सेवा प्रभार	60.69	55.22
भाड़ा प्रभार	32.23	27.74
सीएमपीडीआई व्यय	20.29	22.88
विधिक व्यय	1.28	0.98
बैंक प्रभार	0.01	0.03
गेस्ट हाऊस व्यय	1.86	2.34
परामर्श प्रभार	1.18	1.08
अंडरलोडिंग प्रभार	16.38	10.41
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.74	0.54
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा फीस	0.17	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के विधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.07	0.11
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.27	0.17
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.12	2.00
पुनर्वास प्रभार	73.81	68.61
रायल्टी एवं सेस	0.18	0.18
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(9.11)	(13.01)
किराया	0.82	2.51
दर एवं कर	35.61	20.37
बीमा	0.34	0.41
विनियम दर में अंतर से हानि	-	9.23
पट्टा किराया	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.51	1.95
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.29	0.10
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	42.76	10.26
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.05	0.03
संपाती कर	0.11	0.12
आर एंड डी व्यय	22.92	-
पर्यावरण और पौधारोपण व्यय	12.78	13.96
विविध व्यय	70.75	29.75
कुल	**479.89**	**355.34**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी -32

पूर्वावधि समंजन

(₹ करोड में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	-	2.73
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	0.11	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य हास	-	0.10
कुल (क)	**0.11**	**2.83**
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	7.85	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	1.01
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य हास	2.48	-
कुल (ख)	**10.33**	**1.01**
कुल (क-ख)	**(10.22)**	**1.82**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा</u>:

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

1.1 प्राक्कलन उपयोग –

1.2 आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय प्रबंधन को कभी-कभी वह प्राक्कलन तथा धारणा बनानी होती है जो परिसंपत्तियों व देनदारियों की प्रतिवेदित राशि के साथ-साथ् वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तारीख में आकस्मिक देयताओं को और राजस्व और व्यय की राशि के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है । वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे प्राक्कलन में किसी संशोधन को उसी अवधि में जिस में इसे निर्धारित किया गया है में स्वीकार की जाती है ।

2.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>:

2.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पत्तियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख को अव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

2.3 <u>क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>

2.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर एसएंडटी,पीआरई,ईएमएससी,सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त व परिसंपत्ति निर्माण में उपयोगित कतिपय अनुदान/निधि को परिसंपत्ति कोष के रूप में मानते हुए मूल्यह्रास को परिसंपत्ति कोष लेखा में नामे लिखा जाता है । अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उन्हीं का होता है जिनसे अनुदान प्राप्त किया गया है ।

2.3.2 नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर प्राप्त अनुदान/निधि का प्राप्ति और संवितरण के आधार पर हिसाब रखा जाता है ।

3.0 **<u>स्थायी परिसंपत्तियां</u>:**

3.1 **<u>भूमि</u>:**

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण-लागत, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत व नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति हेतु उपगत खर्च शामिल है।

3.2 **<u>संयंत्र एवं यंत्र</u> :**

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 **<u>रेलवे साइडिंग</u>:**

संचालन के लंबित रहते हुए, रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकारियों को किए गए भुगतान पूंजी हेतु अग्रिम के अंतर्गत टिप्पणी 12- "दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" में दर्शाए गए हैं।

3.4 **<u>विकास</u>:**

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता हैः

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो,

-जो भी घटना पहले हो

4.0 **<u>पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च</u>:**

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लागातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक माल सूची में रखा जाता है।

5.0 **<u>निवेश</u>:**

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है।

गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, दीर्घावधि निवेश के मूल्य में, अस्थायी के ईतर, कमी आने पर जारी राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 **<u>वस्तु सूची</u>:**

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉकपर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा सफल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मिडलिंग्स और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 **<u>भंडार और पुर्जो</u>:**

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जों का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और क्षेत्रों के भंडारों में भंडार और पुर्जों (इसमें खुले पुर्जे भी शामिल हैं) के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जों की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है। उसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्रियों व केन्द्रीय चिकित्सालय में औषधियों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

6.2.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100 प्रतिशत की दर से और 5 वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जों के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

7.0 **मूल्यहास/ऋणमुक्ति:**

7.1कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की दर निर्धारित की गई है । इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, जिनका मूल्यह्रास दर तकनीकी आधार पर आकलित उपयोगिता जीवनकाल के अनुसार किया गया है और जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित परिकल्पना से कमतर है । ताकि अधिक सही और निष्पक्ष ह्रास दर वर्णित किया जा सके -

दूरसंचार उपकरण	:-	6 वर्ष और 9 वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:-	3 प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	3 प्रति वर्ष
डिजिटल संवर्धित कॉर्डलेस टेलीफोन	:-	3 प्रति वर्ष
प्रिंटर और स्कैनर	:-	3 वर्ष
भू विज्ञान संग्रहालय	:-	19 वर्ष
उच्च मात्रा के श्वसन धूल प्रतिदर्शक	:-	3 वर्ष
कतिपय उपकरण/एचईएमएम	:-	7 वर्ष व 6 वर्ष, जो भी लागू हो
एसडीएल (उपकरण)	:-	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण)	:-	6 वर्ष

7.2 अनुच्छेद 7.3 में वर्णित परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए उनकी मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में विचार किया गया है ।

7.3 परिसंपत्ति, नामश: कोयला-टब, वाइंडिंग-रोप, हॉलेज रोड, स्टोविंग पाइप, तथा सेफ्टी लैंप के मामलों में शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है ।

7.4 वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों का, उनके जुड़ाव/निपटान के माह के अनुसार, यथानुपात मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, सिवाय अनुच्छेद-7.3 में दर्ज उन परिसंपत्तियों के, जिनकी उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष और अवशिष्ट मूल्य शून्य हो तथा जुड़ाव के वर्ष में उनका पूर्ण मूल्यहास किया जाता है। पूर्ण मूल्यहास लगने वाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाता है ।

7.5 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.6 पूर्वेक्षण, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया गया है।

7.7 सॉफ्टवेयर लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानते हुए इसका ऋणशोधन सीधी रेखा प्रणाली से तीन वर्षों या उपयोग करने की वैधता अवधि मे से जो भी कम हो के अनुसार शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित किया गया है ।

8.0 **परिसंपत्ति की हानि:**

परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 **<u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>**

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन के शेष पर तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर परिवर्तित किया जाएगा और संबंधित लेखों को समरुप प्रभाव दिया जाता है। वर्ष में पूर्ण लेन-देनों का समायोजन वास्तविक आधार पर किया जाता है।

9.2 भावी तारीख पर निपटान किए गए क्रास मुद्रा स्वैप विकल्प संविदाओं द्वारा आवृत लेन-देन को अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर माना जाता है। इस प्रकार की संविदाओं से उत्पन्न प्रभाव को निपटान की तारीख से लेखों में लिया जाता है।

10.0 **सेवा-निवृत्ति सुविधाएं/कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं:**

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खदान भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा हितलाभ योजना और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **आय और व्यय को मान्यता:**

आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.1 **विक्रय:**

क) विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सम्पत्ति जोखिम के प्रति अच्छी हो और स्वामित्व का प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित किया जाता हो।

ख) कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

ग) संग्रहण की उचित निश्चितता होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का निर्धारण करने पर राजस्व की मान्यता स्थगित की जाती है।

11.2 **लाभांश:**

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो।

12.0 **उधारी लागत:**

उधारी लागत, जो प्रत्यक्षत: योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण को अधिरोपित होता है, को पूंजीकृत किया गया है। अन्य उधारी लागत को ली गयी अवधि में खर्च के रुप में मान्यता दी गयी है।

13.0 **कराधान:**

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में उलटाव (रिवर्सल्स) की क्षमता रखता हो।

14.0 **प्रावधान:**

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन बनाया जाए। प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

15.0 **आकस्मिक दायिताएं:**

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

आकस्मिक दायिताओं को लेखा में नहीं लिया जाता है, इसे टिप्पणियों द्वारा दर्शाया जाता है।

16.0 **अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय:**

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है।

रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना में विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर हैः

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	**बदलाव की अनुमेय सीमा**	
	I	**II**
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 **पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय :**

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में ₹ 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
टिप्पणी-34

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1.0. वित्तीय विवरणियां तैयार करने के आधार :

क) समेकन में प्रयुक्त एमसीएल और इसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरण मूल समूह की तारीख के अनुसार बनाई गई हैं।

ख) वित्तीय विवरण लेखे ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखा के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगियों के लेखे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं और भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर हैं।

2.0. आरक्षित एवं अधिशेष :

2.1 सामान्य आरक्षित: वर्ष के दौरान कर-पश्चात लाभ का 10% अर्थात रु. 355.41 करोड़ को सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित कर दियां गया है । इसके अलावे 01.04.2014 को सीएसआर आरक्षित और सतत(Sustainable) विकास आरक्षित का अथ (शुरुआती)शेष (opening Balance) क्रमश: रु. 21.93 करोड़ और रु. 8.34 करोड़ को सामान्य आरक्षित में स्थानंतरित कर दिया गया क्योंकि बदली हुई परिस्थिति में इसकी आवश्यकता नही रही।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सूचनात्मक प्रकटन के प्रयोजन और कंपनियों की समेकित स्थिति को बेहतर समझने के मार्गदर्शक के रूप में हैं। प्रयोजन को मान्यता देते हुए, समूह ने केवल उन नीतियों और व्यैक्तिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का प्रकटन किया है जो ओड़िशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और दायताओं को महानदी कोलफील्ड्स द्वारा लेने पर आवश्यक प्रकटन को उचित रूप से दर्शाते हैं।

3.0 लंबी अवधि उधार (टिप्पणी-3 एवं टिप्पणी-8):

3.1 इस ऋण की व्यवस्था बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एवं नेटेक्सिस बैंक्यू से क्रेडिट समझौता के आधार लीब्हेर, फ्रांस से पर 4 हाइड्रोलिक शॉवेल की खरीद के लिए की गई। ऋण बकाया 31.03.2015 को (पुनर्भुगतान के बाद निवल) 7.40 करोड़ (31.03.2014 को 9.75 करोड़) है। शेष का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बैंक	1.4.2014 को बकाया €.यूरो	31.3.2015 को समाप्त वर्षावधि में अदायगी €.यूरो	31.03.15 को बकाया €.यूरो	1.4.2014 को बकाया ₹ करोड़ में	31.3.2015 को समाप्त वर्षावधि में अदायगी ₹ करोड़ में	लिपि अंतरण में अंतर ₹ करोड़ में	31.03.15 को बकाया ₹ करोड़ में
लेभियर	1179078.70	74113.58	1104965.12	9.75	0.56	-1.79	7.40
कुल	**1179078.70**	74113.58	**1104965.12**	**9.75**	**0.56**	**-1.79**	**7.40**

इसमें वर्ष 2015-16 के दौरान 0.50 करोड़ (गतवर्ष 0.61 करोड़) का पुनर्भुगतान राशि शामिल है।

4.0. स्थायी परिसंपत्तियाँ - टिप्पणी-10:

4.1 कंपनी द्वारा कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला एवं कोयला खदान बचाव संगठन से विभिन्न परिसंपत्तियाँ एवं दायितायें ली गईं, जिनका मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी मात्रा एवं मूल्य को अंतिम रुप दिए जाने के बाद यदि कोई समंजन हो तो किया जाएगा।

4.2 पट्टेवाली भूमि में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि शामिल है। पट्टेवाली जमीन का अधिग्रहण कोयला धारण क्षेत्र (सीबीए) (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत किया गया एवं प्राप्त स्वीकृति/अनुमोदन के अनुसार जमीन के मालिकाना हक के स्थानान्तर के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर पूँजीकृत किया गया। भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बन्दोवस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि को राज्य प्राधिकारियों के दखल प्रमाणपत्र के आधार पर पूँजीकृत किया गया।

4.3 अधिकांश मामलों में भू-संपत्ति का समूह के पक्ष में हस्तांतरण दस्तावेज का निष्पान लंबित है।

4.4 आस्थगित जमा के मुकाबले स्थायी परिसंपत्तियों की वहन लागत में मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण ₹ शून्य करोड़ (31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि ₹ 4.06 करोड़) की सीमा तक वृद्धि हुई जो लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 9.1 के अनुसार है।

4.5 संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों में जो संयंत्र में स्थापना के लिए लम्बित हैं तथा भंडार में तीन वर्षों से अधिक समय से पड़ी है, चौथे वर्ष से मूल्यहास के बराबर का प्रावधान रखा गया है साथ ही जहां आवश्यक हो बट्टे खाते में डालने की औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। यदि संयंत्र एवं मशीनों की कोई मद भविष्य में उपयोग के लिए रखी गई है अर्थात बाद के लिए प्रावधान रखा गया है, प्रथम वर्ष के प्रयोग के लिए रखा गया मूल्यहास ही उस वर्ष का मूल्य हास है जिसमें उस मद के लिए किये गये प्रावधान शामिल होने के साथ-साथ मूल्यहास तथा उक्त प्रावधान के बीच लेखांकन का समंजन भी हो। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इस लेखा हेतु ₹0.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया और कुल संचयी प्रावधान ₹ 12.30 करोड़ हुआ। (टिप्पणी-10 ख)।

5.0 गैर-चालू/चालू निवेश: (टिप्पणी-11 एवं टिप्पणी 14) :

5.1 वर्ष 2003-04 में राज्य विद्युत बोर्डों से हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत ग्रुप ने ₹344.32 करोड़ के नाम मात्र मूल्य का 8.5 प्रतिशत कर मुक्त पावरबॉड (अनुद्धृत लंबी अवधि के निवेश) प्राप्त किए है। यह 30.09.2001 को तीन राज्य विद्युत बोर्डों (एमएसईबी, टीएनईबी और डब्लूवीपीडीसीएल) से पुराने बकाये बाबत प्राप्त किया गया है।

विमोचन नहीं गये बॉडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

बांड्स का विवरण	01.4.2014 को प्रारंभिक बकाया	वर्ष के दौरान विमोचित	31.3.2015 को शेष बकाया
एमएसईबी	22.77	11.39	11.38
डब्लूवीपीडीसीएल	22.63	11.31	11.32
कुल	**45.40**	**22.70**	**22.70**

सभी बांडों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है।

₹22.70 करोड़ के बॉड 2015-16 में विमोचित होने बाकी हैं और इसे वर्तमान निवेश (टिप्पणी-14) में दिखाया गया है ।

5.2 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज के रुप में ₹ 3.38 करोड़ (31 मार्च, 2014 को समाप्त गत वर्ष में ₹ 5.31 करोड़) (टिप्पणी-21) की आय प्राप्त हुई है।

5.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) से प्राप्त 8.5% करमुक्त पावर बॉड के आंशिक व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

6.0. वस्तु सूची: (टिप्पणी-15):

6.1 भंडार एवं पुर्जे:

6.1.1 वर्ष के दौरान भंडार/पुर्जों की प्रत्यक्ष जांच के दौरान पाई गई कमी/अधिकता को लेखों में समायोजन किया गया है। 31.3.2015 को कुल संचयी प्रावधान 0.92 करोड़ (31.3.2014 को 0.88 करोड़) हुआ है।

6.1.2 भंडार एवं पुर्जे के मामले में कार्य-अक्षम/अप्रचलित मदों (वस्तुओं) और वे मद जो पांच वर्षों अधिक समय से स्थिर हैं, लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 6.24 के अनुसार क्रमश 100% एवं 50% का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 31.03.2015 के अनुसार संचयी प्रावधान ₹16.32 करोड़ (31.3.2014 को ₹13.96 करोड़) हुआ है। तथापि, हमने इस वर्ष बसुंधरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के संबंध में 10 वर्षों से अधिक व मरम्मत अयोग्य मदों के लिए 100% का आवश्यक प्रावधान किया है.

6.1.3 कंपनी की लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.2.2 में यथा वर्णित) के अनुसार भंडार एवं पुर्जों का मूल्य निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया गया है। इससे उपगत लागत की निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना निवल वसूली योग्य मूल्य को निश्चित करने में कठिनाई के चलते न तो की गई न ही लेखा में समंजित की गई है।

6.1.4 कंपनी में मात्र बसुंधरा क्षेत्र में कार्य-अक्षम/अप्रचलित भंडार सामग्रियों की पहचान की व्यवस्था की जानी बाकी है।

6.2 कोयले का स्टॉक (टिप्पणी-15):

6.2.1 आन्तरिक सर्वे आंकलन दल ने कोयले के भण्डार की प्रत्यक्ष जांच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दलों द्वारा भी जांच की गई है। कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच में पुस्तकीय स्टॉक (खदान/कोलियरीवार) से +/- 5% की कमी/अधिकता को लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.1) के अनुसार छोड़ दिया जाता है।

क्षेत्र	खान	पुस्तकीय स्टॉक (परिमाण लाख टन में)		मापित स्टॉक (परिमाण लाख टन में)		% अंतर	
		31.03. 2015 को	**31.03. 2014** को	**31.03. 2015** को	**31.03.2014** को	**31.03.2015** को	**31.03.2014** को
ओरिएंट	खान नं.3	0.21	0.14	0.08	0.02	61.84	85.30
	एचबीएम	0.62	1.75	0.32	1.38	48.06	21.39
तालचेर	नंदिरा	1.12	0.57	0.62	0.07	44.97	87.51
	तालचेर	1.23	0.94	0.97	0.67	20.98	28.39
कुल		**3.18**	**3.40**	**1.99**	**2.14**	-	-

उन मामलों में, अंतर +/- 5% से अधिक होने के कारण लेखों में मापित स्टॉक पर ही विचार किया गया है तथा दिनांक 31.3.2015 को ₹18.63 करोड़ मूल्य के 1.19 लाख टन के अंतर परिमाण (3.18 ला.ट. – 1.99 ला.ट.) को टिप्पणी-15-5% से अधिक कमी, के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

7.0 नगद एवं नगद समतुल्य (टिप्पणी-17):

नगद एवं बैंक जमा में निम्नलिखित शामिल हैं:

7.1 ₹66.74 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट भारतीय स्टेट बैंक के पास धारणाधिकार के तहत भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने हेतु आश्वासन पत्र जारी करने के लिए जमा किया गया है यह ब्लॉक के आबंटन की शर्तों को अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की तरफ से पूरा करने के लिए किया गया है।

7.2 ₹1.54 करोड़ की विशेष मियादी जमा जिसमें ₹ 0.95 करोड़ अर्जित ब्याज शामिल है को माननीय जिला न्यायालय, सुंदरगढ़ के द्वारा एक अधिकारी द्वारा नगद की अनियमितता के मामले में वसूला गया, जो न्यायालय के ग्रहणाधिकार में है तथा मामले को अन्तिम रुप देना लंबित है।

7.3 वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर ठेका में मूल्य की भिन्नता के लिए न्यायालय के आदेश के तहत 6.68 करोड़ की वसूली की गयी जिसका स्थायी जमा किया गया है।

7.4 मेसर्स आईआरसी लोजीस्टिक्स लिमिटेड बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत किए गये स्थायी जमा ₹ 0.23 करोड़ शामिल है ।

7.5 स्थायी जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से कैप्टिव मोबाईल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस हेतु लाईसेंस प्राप्त करने के लिए बीजी जारी करने के लिए प्रावधानित 0.03 करोड़ शामिल है।

7.6 माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निर्देशानुसार मे.श्री इंटरप्राइजेस कोल सेल्स प्रा.लि. से वसूली गई ₹ 0.23 करोड़ स्थायी जमा में शामिल है।

7.7 माननीय उच्च न्यायालय, कटक के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा बीजी नकदीकरण के नामे मे.विडीयोंकॉन लिमिटेड को दी गई ₹ 7.89 करोड़ की अंतरिम राहत स्थायी जमा में शामिल है।

7.8 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और कोयला नियंत्रक के साथ करार करने के पश्चात खदान बंद करने के लिए रुपए 425.42 की राशि 3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित अनुसूचित बैंकों के एस्क्रो एकाउंट में जमा की गई है।

7.7 चालू खाता के शेष में करेंट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रुप से चालू खाता में स्थानांतरित किया गया है।

8.0 ऋण एवं अग्रिम चालू/गैर-चालू, अन्य परिसंपत्तियाँ:

8.1 ऋण एवं अग्रिम के शेष की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं हुई है।

8.2 ₹86.23 करोड़ (31.03.2014 को रुपए 86.23 करोड़) का जमा राज्य सरकार के पास भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमा किया गया है जो इसमें पूंजी के लिए अग्रिम 'टिप्पणी-12' में शामिल है तथा राज्य प्राधिकारी द्वारा कंपनी को कब्जा दिए जाने पर इसे कंपनी द्वारा पूँजीकृत किया जाएगा।

9.0 अन्य लंबी अवधि दायिताएं टिप्पणी-4:

9.1 कोयल के सेस के तहत ओड़िशा सरकार से मूलधन के रुप में ₹8.40 करोड़ (भुगतान का निवल) और ब्याज के रुप में 9.47 करोड़ (भुगतान का निवल) प्राप्त हुआ। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.7.2001 के निर्णय पर दिए गए निर्देश के तहत हुआ। यह राशि उपभोक्ताओं को वापस दी जानी है। चालू वर्ष में कंपनी ने ₹1.01 करोड़ (गतवर्ष 1.01 करोड़) अप्रदत्त सेस दायिता की मूल राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना के आधार पर प्रावधान किया है। इस तरह कुल दायिता 31.3.2015 को ₹27.49 करोड़ (31.03.2014 को ₹26.48 करोड़) हुई। कंपनी उपभोक्ताओं/पार्टियों की पहचान नहीं कर पायी है जिन्हें यह राशि वापस दी जानी है। उपभोक्ताओं/पार्टियों को वापसी की पद्धति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है।

10. लाभ हानि लेखा का विवरण:

10.1.1 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.70 करोड़ (31.3.2014 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹0.95 करोड़) का प्रावधान भंडार में परिनिर्माणाधीन/स्थापनाधीन के लिए संयंत्र एवं मशीन मदों पर लागू मूल्यहास उनके खरीद/अधिग्रहण के चौथे वर्ष से, जो भी लागू हो, लिया गया है।

10.1.2 कंपनी ने 25 मार्च,2013 को हुई अपनी 296 वीं बैठक में सीआईएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सीआईएल और अनुषंगियों के, क्रीड़ा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों के आयोजन और निष्पादन हेतु कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के कोर्पस के लिए ₹ 3.03 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 2.76 करोड़) की देयता का प्रावधान किया है।

10.1.3 ओबीआर समंजन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	**गतवर्ष**
कोयले पर प्रभारित व्यय	4048.31	3466.09
घटाव: उपगत व्यय	1924.78	2055.76
	2123.53	1410.33

10.1.4 दिनांक 01.4.2014 से कंपनी अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मूल्यह्रास की लेखांकन नीति में परिवर्तन हो गया है । इस परिवर्तन के कारण इस वर्ष का लाभ ₹ 33.38 करोड़ तक घट गया है।

10.1.5 इस वर्ष भूमि के लेखांकन नीति में परिवर्तन हुआ है, जैसे विस्थापित व्यक्ति के लिए रोजगार प्रदान को भूमि की लागत में पूंजीकृत किया गया है जिसे पूर्व में राजस्व के रूप में माना जाता था। इस के कारण इस वर्ष का लाभ में ₹ 81.56 करोड़ की वृद्धि हुई है।

11.0 आकस्मिक दायिताएं:

11.1 आकस्मिक दायिताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	**31.03.2015 को (राशि ₹ करोड़ में)**	**31.03.2014 को (राशि ₹ करोड़ में)**
ग्रुप के विरुद्ध मुकदमा	150.23	142.76
अन्य दावे	1729.09	1656.94

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	466.61	210.12
आय कर	1955.38	1139.30
विक्रय कर	105.15	124.05
पथ कर	0.00	47.05
लेटर ऑफ कम्फर्ट/क्रेडिट	120.94	270.29
कुल	**4471.29**	**3590.51**

11.2 निजी पार्टियों तथा अन्य से अधिग्रहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की वृद्धि के चलते कुछ दावे जिनके मामले में राशि सुनिश्चित नहीं है, न्यायालय में लंबित है।

11.3 रॉयल्टी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्टोविंग उत्पाद शुल्क में परिवर्तन का मामला चूंकि न्यालयाधीन है, ग्राहकों से इसकी वसूली के बारे में आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्णय और केस के परिणाम के पश्चात की जाएगी। केस के लंबित होते हुए आकास्मिक देयता ₹ 466.61 करोड़ (31.03.2014 को ₹ 210.12) करोड़ दर्शाई गई है।

11.4 अक्तूबर,2010 से ओड़िशा सिंचाई नियमावली 2010 में परिवर्तन के फलस्वरूप जल प्रभार दर में ₹ 0.40 से ₹ 4.50 प्रतिक्यू.मी. की वृद्धि हुई है । तदनुसार एमसीएल के जमा ₹ 34.48 करोड़ के समायोजन पश्चात ब्याज एवं अर्थदंड के तौर पर ₹ 250.14 करोड़ की निवल राशि की मांग की गई है जो न्यायाधीन है और इसे आकास्मिक देयता में दर्शाया गया है ।

11.5 संविदा की आंकलित राशि जिसे पूँजीगत लेखा में निष्पादित किया जाना है और जिस पर कार्य निष्पादन एवं मशीन तथा उपकरणों की खरीद के लिए अनुपलब्ध (शुद्ध अग्रिम) ₹ 893.37 करोड़ (31.3.2014 को ₹ 476.99 करोड़) रहा।

11.6 संविदा की आंकलित राशि जिसे राजस्व लेखा/अन्य वादाओं पर लगाया जाना है और इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह ₹ 4151.62 करोड़ (31.3.2014 को ₹ 3589.16 करोड़) है।

11.7 कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत कुछ जमीन के मामलों की दायिताएं अभिनिश्चित और स्वीकृत नहीं की गई है अत: इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

11.8 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना की अनुपलब्धता की वजह से खान एवं खनिज संशोधिपत अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार पड़ने वाले प्रभाव पर लेखांकन में विचार नहीं किया गया है ।

12.0 चालू परिसम्पत्ति पर प्रभार (टिप्पणी-15 एवं टिप्पणी-16):

हाइपोथिकेशन की ज्वाइंट डीड दिनांक 16.12.2003 और कंपनी बोर्ड के संकल्प दिनांक 23.08.2011 के अनुसार सीआईएल कन्सेर्टियम बैंकों से कार्यरत पूँजी सुविधा प्राप्त करने हेतु बुक डेब्ट एवं वस्तुसूची के लिए ₹165.00 करोड़ का प्रभार बनाया गया है।

13.0 सेवा निवृत्ति हितलाभ :

13.1 **दिनांक 31.03.2014 को बीमांकित दायिता/प्रावधान का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	**01.04.2014 को प्रारंभिक बीमांकित दायिता/ प्रावधान**	**वर्ष के लिए वृद्धियुक्त दायिता/ प्रावधान**	**एमसीएल ग्रुप फंड को वर्ष के अंत तक किए गए जमा/भुगतान**	**31.03.2015 को अंतिम बीमांकित प्रावधान/दायिता**
ग्रेच्युटी	-16.38	48.14	-17.76	14.00
अर्जित छुट्टी	165.22	22.21	-	187.43
अर्द्ध वेतन छुट्टी	39.41	5.67	-	45.08
जीवन रक्षा योजना(लाईफ कवर स्कीम)	5.03	0.28	-	5.31
व्यवस्थापन भत्ता (अधिकारी)	0.26	0.01	-	0.27
व्यवस्थापन भत्ता (कर्मचारी)	14.68	0.61	-	15.29
सकल निजी दुर्घटना	0.11	-	-	0.11
छूट्टी यात्रा छूट (एलटीसी)	28.98	3.03	-	32.01
चिकित्सा सुविधा	54.77	2.96	-	57.73
खदान दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति	12.67	0.41	-	13.08
कुल	**304.75**	**83.32**	**-17.76**	**370.31**

13.2 ₹176.09 करोड़ के भविष्य निधि एवं अन्य निधियों (टिप्पणी-24) अंशदान में एनसीडीसी के पूर्व कर्मचारी को प्रदत्त रुपए 7.54 करोड़ शामिल है जिसे कर्मचारी हितलाभ व्यय,टिप्पणी 24, के अंतर्गत नगद आधार पर राजस्व में प्रभारित किया गया है।

13.3 कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन का प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा किया जाता है।

14.0 धारक समूह से संबंधित कारोबार:

14.1 टिप्पणी संख्या 31 के अनुसार सीआईएल का सेवा प्रभार ₹68.19 करोड़ (गतवर्ष दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में ₹62.04 करोड़) में सेवा कर शामिल है जिसे होल्डिंग समूह द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विदेशी संविदा, विपणन एवं कार्पोरेट सेवाओं के लिए प्रभार स्वरुप 01.07.1998 को हुए समझौते के आधार पर उगाही जाती है जैसा कि होल्डिंग कंपनी ने सूचना दी है।

14.2 प्रशिक्षण खर्च (टिप्पणी-31 अन्य खर्च) पर धारक कंपनी द्वारा भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान आईआईसीएम प्रभार बाबत वसूली गई राशि ₹6.06 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2014 को ₹5.52 करोड़) शामिल है।

14.3 दिनांक 12.2.2004 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 214वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार सीआईएल द्वारा गठित पुनर्वास निधि में कोयले के प्रेषण पर कंपनी की ओर से ₹73.81 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गतवर्ष ₹68.61 करोड़) का प्रभार दिया गया।

14.4 दिनांक 24.9.2014 को आयोजित निदेशकों (वित्त) की समन्वयन बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुसंधान व विकास में व्यय को सीआईएल द्वारा अपनी अनुषंगियों में उनके वार्षिक कोयला उत्पादन के अनुपात में आबंटित किया गया । इस प्रकार टिप्पणी-31 में आरएंडडी व्यय ₹ 22.92 करोड़ दर्शाया गया है ।

15. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:

15.1 विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण के मूल्य में उतार-चढ़ा के पश्चात उक्त ऋण बाबत समूह के रुपये की दायिता में ₹ 1.79 करोड़ (31.03.2014 को ₹ 1.64 करोड़ की वृद्धि) की कमी हुई। इस कमी को स्थायी परिसंपत्तियों के वहन लागत के तौर पर ₹ 1.79 करोड़ तक (विनिमय दर में अंतर के कारण 31.03.2014 को ₹ 1.64 करोड़ की हानि) को "विनिमय दर में उतार चढ़ाव के हानि के रुप में टिप्पणी - 31 में दर्शाया गया है।

16. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

16.1 **एएस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:** कंपनी ने स्टोइंग एवं बचाव अनुदान से आय के रुप में ₹ शून्य करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गतवर्ष ₹0.88 करोड़) की मान्यता दी है और दीर्घ अवधि अग्रिम पूँजी (टिप्पणी-12) से सीसीडीए की ₹66.19 करोड़ की अनुदान की कटौती की है।

16.2 **एएस-15 कर्मचारियों के लाभ के लिए लेखांकन**: समूह ने आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक-15 के अनुसार 31.03.2015 को कर्मचारियों के लाभ की दायिताओं को निर्धारित किया है।

निम्नलिखित घोषणाएं एएस-15 (संशोधित) के अनुसार ग्रेच्युटी के संबंध में निधि योजना के तहत की गई है।

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव	642.71
अधिग्रहण समायोजन	0.00
ब्याज लागत	48.60
गत सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	38.42
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	70.51
बाध्यता पर बीमांकित लाभ/हानि	20.47
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	679.69

योजना परिसम्पति के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	659.09
अधिग्रहण समंजन	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	52.73
अंशदान	17.76
प्रदत्त लाभ	70.50
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	6.61
वर्ष के अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	665.69

निधि की स्थिति दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	679.69
वर्ष के अंत में योजना का उचित मूल्य	665.69
निधि की स्थिति	-14.00
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायिताएं)	-14.00

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	38.42
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	48.60
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	52.73
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	13.86
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	48.15

बीमांकित पूर्वानुमान को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
सेवा निवृत्ति उम्र	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.50 %
मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	8.00 %
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	16.38
उपरोक्तानुसार व्यय	48.14
अंशदान	17.76
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	14.00
वर्ष के अन्त में अन्तिम निधि/प्रावधान	679.69

निम्नलिखित घोषणाएं एएस 15 (संशोधित) के तहत छुट्टी नगदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल)/(निधि रहित योजना) के संबंध में की गई है।

वर्तमान मूल्य की बाध्यताओं में बदलाव दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	204.63
अधिग्रहण समंजन	0.00
ब्याज लागत	15.67
पूर्व सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	41.79
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त हितलाभ	17.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-12.06
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	232.52

लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹.करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
चालू सेवा लागत	41.79
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	15.67
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	0.00
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-12.06
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	45.40

बीमांकित संभावनाओं को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
समय पूर्व सेवा निवृत्ति उम्र	60
पूर्व सेवा निवृत एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर 6 29 वर्ष से 45 वर्ष बीच 3 29 वर्ष से कम1
छूट दर	8.00%
मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति की वापसी	उपलब्ध नहीं
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	45.40
अंशदान	0.00
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	45.40
वर्ष के अंत में अन्तिम निधि/प्रावधान	232.52

एएस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट-ख की टिप्पणीः-

चूंकि योजना निधि रहित है अत: लाभ/हानि लेखा पर प्रभार निम्न पूर्वानुमानों पर आधारित है:-

1. गत लेखांकन तिथि के अनुसार पूर्व बाध्यताएं का प्रावधान किया गया है।
2. उपरोक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट लाभ प्रदान किया गया।
3. वर्तमान बाध्यताएँ चालू लेखांकन तिथि के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

16.3 **एएस-16: उधारी लागत:** ऐसी कोई उपयुक्त परिसंपत्ति नहीं, जिसके लिए समूह को ब्याज चुकाना पड़ा हो, अत: किसी उधारी लागत को पूँजीकृत नहीं किया गया।

16.4 **एएस-17- खंड रिपोर्टिंग:** समूह मुख्यत: केवल एक खंडीय व्यापार कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में लगी है। एएस-17 के तहत इसका अन्य कोई पहचान योग्य प्राथमिक खंड नहीं है जिसे चिन्हित किया जा सके।

16.5 **एएस-18- संबंधित पक्ष का उल्लेख:** राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से संबंध एवं लेन-देन का उल्लेख एएस-18 के तहत आवश्यक नहीं है।

16.6 **एएस-20: प्रति शेयर आमदनी**: प्रति शेयर आधारभूत आमदनी की गणना वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के बाकी समतुल्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। डाईल्यूटेड ईपीएस की गणना करने के लिए वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या को सभी डाईल्यूटेड पोटेंशियल इक्वीटी शेयरों के प्रभाव हेतु समंजित किया जाता है।

ईपीएस की गणना नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	**31.03.2015 का समाप्त चालू वर्ष**	**31.03.2015 को समाप्त गतवर्ष के अन्त में**
कर पश्चात लाभ (₹करोड़ में)	3554.10	3624.30
सामान्य शेयर धारियों के प्रति आरोप्य लाभांश (₹करोड़ में)	3554.10	3624.30
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सामान्य शेयरों की संख्या (संख्या)	1864009	1864009
सामान्य शेयरों का नाम मात्र मूल्य(₹)	1000	1000
प्रति सामान्य शेयर पर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आमदनी(₹)	19066.97	19443.58

16.7 **एएस-21 अनुषंगी कंपनियों में निवेश:**

प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरणियां लेखांकन मानक-21-आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणी की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की हैं। अल्पसंख्य ब्याज का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अनुषंगी कंपनियों के नाम	पता	मूल कंपनी का धारण	निगमीकरण की तिथि	समेकित लेखों के अनुसार 31-03-2015 को अल्पसंख्य ब्याज (करोड़ में)
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	70%	16.07.2008	25.53
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	मकान न. 42, प्रथम तल, आनन्द नगर, हकीमपारा, अंगुल	60%	13.08.2008	38.07
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	प्लाट न- जी-3, मंचेश्वर रेलवे कालोनी, भुबनेश्वर	100%	02.12.2011	-
कुल				**63.60**

सभी अनुषंगी कंपनियों विकास स्थिति में हैं।

16.8 **एएस-27: संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:**

समूह और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार के द्वारा 08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निर्गमन किया गया था। 31.03.2015 तक निर्गमन के लिए विविध खर्चों हेतु ₹0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) खर्च किए हैं और उन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है (टिप्पणी-18)। संयुक्त उद्यम कंपनी में 31.03.2015 तक कोई निवेश नहीं है।

16.9 **एएस-28: परिसंपत्तियों की हानि:**

कोयला उद्योग में स्थायी परिसंपत्तियों को मुख्य शीर्ष जैसे- भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, एक्सप्लोरेशन, बोरिंग एवं विकास के तहत वर्गीकृत किया जाता है। भूमि एवं भवन के मामले में मूल्यांकन सार्वभौमिक रुप से उर्द्धवमुखी है। यदि भवन में कोई टूट-फूट न हो, तो इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यता नहीं है। इसी तरह संयत्र एवं मशीनरी के मामले में आरबीआई सूचकांक के अनुसार इसका मूल्य निम्नमुखी नहीं है, अंत: यदि परिसंपत्ति उपयुक्त न हो या इसमें कोई खराबी न हो तो उसे हानि के तहत दर्शाया नहीं जाएगा लेकिन घाटा देनेवाली भूमिगत खदानों में ऐकान्तिक प्रयोग के लिए निर्दिष्ट पुरानी मशीनों की हानि पर विचार किया गया है। कोयला उद्योग में लगातार घाटे में चलने एवं निकट भविष्य में उनके उद्धार की संभावना नहीं होनेवाली खदानों में पूर्वेक्षण, बेधन एवं विकास पर हुए खर्च को प्रथम दृष्टया हानि माना जा सकता है।

वर्ष के दौरान अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों (जिनका कोई वैकल्पिक प्रयोग मूल्य नहीं) के लिए ₹0.47 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹0.66 करोड़) का प्रावधान रखा गया है। इस तरह 31.03.2015 को हानि के लिए ₹0.04 करोड़ के समायोजन पश्चात कुल संचयी प्रावधान ₹27.18 करोड़ (31.03.2014 को ₹26.75 करोड़) हुआ।

16.10 **लेखांकन मानक-29:**

16.10.1 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 55011-01-2009 सीपीएएम दिनांक 27.08.2009 और दिनांक 07.01.2013 के अनुसार समूह ने वर्ष क दौरान 22 खदानों के संबंध में केंद्रीय खदान आयोजना और डिजाईन संस्थान लिमिटेड द्वारा तैयार की गई खान बंद करने की योजना के आधार पर खदान बन्द करने के व्यय हेतु प्रावधान किया है। पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदित खान बंद करने की योजना के आधार पर भरतपुर ओसीपी, बेलपाहाड़ ओसीपी एवं कुलदा ओसीपी के लिए देयताएं की गणना की गई है ।

16.10.2 खदान बंद करने के व्यय के प्रावधान (टिप्पणी-5) में वर्तमान दायिताओं एवं प्रावधान का ₹5.06 करोड़ शामिल है जो देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल की सुदृढ़ता हेतु निर्धारित है। यह प्रावधान ₹9.44 करोड़ की एक विस्तृत योजना के तहत वेतन व एवं मजदूरी के अलावा वर्तमान वर्ष के अन्य खर्च शून्य करोड़ को समंजित करने के पश्चात (विभागीय मजदूरी एवं वेतन के ₹18.21 करोड़ को छोड़कर) रखा गया है। चूँकि देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल का सुदृढ़ीकरण, देउलबेरा कोलियरी के विभागीय कर्मचारियों द्वारा बालू भर कर किया जा रहा है, वेतन एवं मजदूरी बाबत ₹18.21 करोड़ को इस योजना का भाग होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

16.10.3 एएस-29 के तहत प्रावधान में गतिशीलता का विवरण:

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**प्रारंभिक शेष 1.4.2014 के अनुसार**	**चालू वर्ष के दौरान प्रावधान/योग**	**वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समंजन**	**31.03.2015 के अनुसार अंतिम शेष**
1	भूमि-सुधार हेतु प्रावधान	0.79	-	-	0.79
2	ओबीआर समंजन	9912.51	2123.53	-	12036.04
3	कराधान हेतु प्रावधान (संपति कर समेत)	1892.66	1697.67	-32.36	3557.97
4.	लाभांश हेतु प्रावधान	-	-	-	-
5.	खदान बन्द करने की योजना	314.64	115.83	-	430.47
6.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.72	6.66	-	41.38

7.	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2.89	-0.24	-	2.65
8	पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान	11.82	0.70	-0.13	12.39
9	भंडार एवं पूर्जों के लिए प्रावधान	14.84	2.40	-	17.24
10	परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	-	-	0.23

17.0 आमदनी पर कर का लेखांकन:

17.1 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान के तहत 1697.56 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2014 को ₹1837.38 करोड़) रखा गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के संपत्ति कर के लिए ₹ 0.11 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17.2 लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार 31.03.2015 को शुद्ध आस्थगित कर दायिताएं ₹122.90 करोड़ (31.03.2014 की दायिताएं ₹28.08 करोड़) है। आस्थगित कर दायिता/परिसंपत्तियों में समय के अंतरजनित कर का प्रभाव नीचे दिया गया है:

	दिनांक 31.03.2015 अनुसार (करोड़ में) (दायिता)	**31.03.2015 अनुसार (₹करोड़ में) (दायिता)**
आस्थगित कर दायिता:		
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार लिखित मूल्य से अधिक निवल ब्लॉक	-60.91	-14.84
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	10.41	8.14
कर्मचारियों के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान	-	-
छुट्टी नगदीकरण हेतु प्रावधान	66.16	56.41
उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रावधान	15.03	1.87
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.83	0.91
आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के तहत गैर-अनुमत	-11.13	16.11

भूमि की पुर्नः प्राप्ति	23.83	23.83
अन्य प्रावधान/विविध मद	-288.94	-150.19
उप जोड़	-183.81	-42.92
कुल	122.89	28.08
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (-)देयताएं (+)	**122.90**	**28.08**

18.0 सामान्य:

18.1 विविध देनदार, विविध अग्रिम एवं जमा आदि के बकाये की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं की गई है।

18.2 अत्यधिक लघु (माइक्रो), लघ एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 के तहत समूह ने आपूर्तिकर्त्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है अत: वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई राशि तथा इस पर दिए गये/देय ब्याज के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कोई सूचना नहीं दी जा सकी है।

18.3 पिछले वर्ष/वर्षो के ऑकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अधिक तुलनीय बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पुन: व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

19.0 अन्य:

क. निदेशकों का पारिश्रमिक: **(₹करोड़ में)**

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**
वेतन	1.09	1.11
भविष्य निधि	0.11	0.12
अनुलब्धियां	0.01	0.02
निदेशक की सिटिंग फीस	0.00	0.07
कुल	**1.21**	**1.32**

टिप्पणी:

I अनुलब्धियों में समूह के नियमानुसार वसूल किये जानेवाले आवास किराया/बिजली का मूल्य/प्रभार तथा समूह के अस्पताल/औषधालय में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

II लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 के अनुसार समय समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पास यह विकल्प है कि वे कार्यालयीन कार्य के अलावा स्टाफ कार को 750 कि.मी. प्रति माह की सीमा तक व्यवहार हेतु रियायत दर पर भुगतान कर सकते हैं।

ख. आयात **(₹करोड़ में)**

आयातित सामग्री का सीआईएफ का सीआईएफ मूल्य	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) कम्पोनेंट एवं पुर्जे	शून्य	2.89
(iii) पूँजीगत वस्तुएं	शून्य	8.76

ग. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹करोड़ में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i) यात्रा	0.04	0.02
(ii) वचनबद्धता प्रभार	शून्य	शून्य
(iii) ब्याज	0.08	1.25
(iv) अन्य	शून्य	शून्य

घ. खपत किए गए आयातित/देशी कच्चा माल, भंडार एवं पुर्जों एवं कोम्पोनेंट का मूल्य:

विवरण	31.03.2015 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (करोड़ में)	प्रतिशत	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
आयातित	0.05	0.01	**सून्य**	**सून्य**
देशज	604.51	99.99	626.35	100.00
कुल	**604.56**	**100.00**	**626.35**	**100.00**

20.0. शीर्ष कार्यालय और नियंत्रक कंपनी को प्रभारित ब्याज प्रभार:

20.1. नियंत्रक कंपनी द्वारा लगाए गए शीर्ष कार्यालय प्रभार का कोयला उत्पादन के आधार पर राजस्व खदानों पर आबंटन किया गया है।

20.2. विशिष्ट परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए नियंत्रक कंपनी द्वारा ऋणों पर ब्याज का लेखांकन करार की शर्तों और उनके तदनुरूपी ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है।

21.0. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI में बदलाव (1.4.2011 से)

दिनांक 30.03.2011 को राजपत्र में अधिसूचना का अनुसरण करते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI में तुलनपत्र के फार्मेट अनुसार संशोधित करते हुए लाभ-हानि लेखा के विवरण के फार्मेट को लागू कर दिया गया है।

संशोधित अनुसूची-VI के फार्मेट को इस लेखा को तैयार करने में लागू कर दिया गया है। संशोधित फार्मेट के साथ-साथ दिशा-निर्देश का पालन करते हुए तुलनपत्र में निम्नलिखित पृथक्कीरण किया गया है।

चालू परिसंपत्तियाँ:

किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति तब माना गया है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:- इसको उपयोग किया जा सके, या बेचा जा सके या समूह के सामान्य कार्य व्यवहार में खपत किया जा सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में रखा जा सके।

रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका उपयोग किया जा सके।

अगर इसका बदलना प्रतिबंधित रहे तो यह नगद या नगद के समतुल्य होना चाहिए या निपटाने के योग्य, रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 माह के अंदर किसी दायिता को रहना चाहिए।

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ:

चालू परिसंपत्तियों के अलावे सभी परिसंपत्तियाँ गैर-चालू संपत्तियां हैं।

चालू दायिताएं:

उन दायिताओं को चालू दायिताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न में से किसी एक शर्त के पूरा करती है:-

यह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित हो सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में आ सके।

यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के अंदर व्यवस्थित की जा सके।

कंपनी के पास कोई शर्तविहीन अधिकार नहीं है कि वह दायिता की व्यवस्था को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक स्थगित कर सके/दायिता की शर्तें काउन्टर पार्टी के विचार इक्वीटी इंस्ट्रूमेंट जारी करने से व्यवस्थापना के परिणामस्वरुप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

गैर-चालू दायिताएं:

चालू दायिताओं के अलावे सभी दायिताएं गैर-चालू दायिताएं हैं।

कोई सामान्य प्रचालन चक्र न होने के कारण इसे 12 महीने की अवधि में कर ली गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
ए.के.सिंह	(बी.पी.घोष)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता/-	हस्ता/-
के.के.परीडा	(ए.एन.सहाय)
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए एम.पी.महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य सं.-55113)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 20.05.2015

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**5,314.24**	**5,429.08**
	समंजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	251.79	235.14
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.72)	9.23
	ओबीआर समायोजन	2,123.53	1,410.33
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,286.09)	(1,406.53)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	1.44	14.89
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि हेतु प्रावधान	232.69	189.52
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**6,636.88**	**5,881.66**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची में बदलाव	43.71	48.44
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	(155.57)	118.82
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(177.01)	5.48
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(64.66)	177.17
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	513.42	317.64
	संचालन से अर्जित नगद	**6,796.77**	**6,549.21**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,269.99)	(3,408.39)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**3,526.78**	**3,140.82**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	**3,526.78**	**3,140.82**
ख	**निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(788.93)	(839.02)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	(114.95)	1,315.59
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	450.70	(594.29)
	प्राप्त ब्याज	1,231.11	1,363.13
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	54.98	43.40
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**832.91**	**1,288.81**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	(109.88)
	आस्थागित जमा ऋण	(2.35)	1.03
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	0.72	(9.23)
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	वरीयता शेयर पूंजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(1.44)	(14.89)
	प्रदत्त लाभांश	(3,841.82)	(7,012.09)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(3,844.89)**	**(7,145.06)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	514.80	(2,715.43)
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	10,367.57	13,083.00
	अवधि के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**10,882.37**	**10,367.57**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है
गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।
टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि ₹ 508.56 करोड़ (दिनांक 31.03.2014 के अनुसार ₹434.72 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के पैरा 7.0 का संदर्भ लें)कंपनी के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

बी.पी.घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह()/-
के.के.पारिडा
निदेशक (वित्त)

ह()/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या. 055113)

दिनांक: 20.05.2015
स्थान: भुवनेश्वर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
तुलन पत्र
31 मार्च, 2015 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ		3/31/2015 के अनुसार		3/31/2014 के अनुसार
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) **शेयरधारियों की निधियाँ**					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	4,289.64		5375.49	
			4,476.04		5,561.89
(2) **गैर-चालू देयताएं**					
क) दीर्घावधि उधार	3	6.90		9.14	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		122.90		28.08	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	53.58		54.34	
घ)लंबी अवधि प्रावधान	5	12,899.71		10,607.11	
			13,083.09		10,698.67
(3) **अल्पसंख्यक आंशीदार**			63.60		63.60
(4) **चालू देयताएं**					
क) अल्पावधि उधार	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	275.27		280.29	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	3,166.56		2,647.36	
घ) अल्प अवधि प्रावधान	9	372.45		318.35	
			3,814.28		3,246.00
कुल			**21,437.01**		**19,570.16**
II परिसम्पत्तियाँ					
(1) **गैर चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ					
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10A	5,826.50		5,233.62	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		2,755.66		2,460.37	
निवल कैरिंग मूल्य			3,070.84		2,773.25
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10A	288.09		284.89	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		206.61		194.40	
निवल कैरिंग मूल्य			81.48		90.49
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10B		456.63		324.90
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	10C		338.91		273.50
(ख) गैर-चालू निवेश	11		958.70		981.39
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)					-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		553.38		376.30
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		-		-

तुलनपत्र जारी.....

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	3/31/2015 के अनुसार		3/31/2014 के अनुसार	
(2) **चालू परिसम्पत्तियाँ**					
(क) चालू निवेश	14	247.70		675.71	
(ख) मालसूची	15	476.41		522.52	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	447.30		298.39	
(घ) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	10,940.10		10,428.31	
(ड.) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	3,038.17		2,156.57	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	827.39		668.83	
			15977.07		14750.33
कुल			**21,437.01**		**19,570.16**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-
बी.पी. घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह0/-
ए.एन.सहाय
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

ह0/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

ह0/-
के. के. परिड़ा
निदेशक (वित्त)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: 20.05.2015

सीए एमपी महापात्रा
भागीदार
(सदस्य संख्या 055113)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
लाभ-हानि विवरण
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार

आय

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(I) संचालन से प्राप्त राजस्व			
क. कोयले का विक्रय	20	14,989.05	13,114.20
घटाव: उत्पाद शुल्क		679.56	617.16
अन्य उगाही		3,285.07	2,507.37
निवल विक्रय		11,024.42	9,989.67
ख. संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व	20	704.66	583.90
घटाव: उत्पाद शुल्क		39.71	33.12
अन्य उगाही		20.89	18.33
संचालन से प्राप्त निवल राजस्व		644.06	532.45
संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		11,668.48	10,522.12
(II) अन्य आय	21	1,375.14	1,510.88
(III) कुल राजस्व		**13,043.62**	**12,033.00**
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	604.56	626.35
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	33.62	36.54
कर्मिक हितलाभ पर व्यय	24	1,997.10	1,841.29
बिजली एवं ईंधन		122.59	119.37
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	25	61.30	111.48
मरम्मत	26	107.63	93.58
संविदात्मक व्यय	27	1,787.27	1,638.48
वित्तीय लागत	28	1.44	14.89
मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि		297.11	269.18
प्रावधान	29	123.56	85.27
बट्टे खाते डालना	30	-	-
ओवरबर्डन निकासी का समायोजन		2,123.53	1,410.33
अन्य व्यय	31	479.89	355.34
कुल व्यय		**7,739.60**	**6,602.10**
असामान्य मदें, अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ/हानि		**5,304.02**	**5,430.90**
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	(10.22)	1.82
अपवादात्मक मदें		-	-
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		**5,314.24**	**5,429.08**
असामान्य मदें (प्रभार/आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**5,314.24**	**5,429.08**
घटाव : कर पर व्यय			
- चालू वर्ष		1697.56	1837.38
- आस्थगित कर		94.82	(32.60)
- पूर्ववर्ती वर्ष		(32.24)	-
कर पश्चात लाभ/(हानि)		**3,554.10**	**3,624.30**
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (रू में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		19,066.97	19,443.58
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-
बी.पी. घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह0/-
ए.एन.सहाय
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

ह0/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

ह0/-
के.के. परिड़ा
निदेशक (वित्त)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
लाभ-हानि विवरण
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार

टिप्पणी - 1

(₹ करोड़ में)

शेयर पूँजी

		31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 शेयर प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	**500.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	**186.40**

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1864009	100

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	21.93	79.46
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	53.95
घटाव: सामान्य आरक्षित में अंतरण	21.93	111.48
	-	21.93
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	8.34	3.84
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	4.61
घटाव: सामान्य आरक्षित में अंतरण	8.34	0.11
	-	8.34
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	2875.40	2401.38
बढ़ाव: लाभ/हानि विवरण से अंतरण	355.41	362.43
बढ़ाव/घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	30.27	111.59
	3261.08	2875.40
लाभ हानि विवरण में अधिशेष		
गत तुलनपत्र के अनुसार	2267.17	6063.86
पूर्व मूल्यह्रास हेतु न्यून समंजन	53.99	-
वर्ष के दौरान कर-पश्चात लाभ/(हानि)	3,554.10	3624.30
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ/(हानि)	5767.28	9688.16
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	355.41	362.43
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	-	53.95
अंतरिम लाभांश	3,841.82	5,983.16
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश पर कर	744.14	1,016.84
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	-	4.61
	825.91	2267.17
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय	1.53	1.53
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	**4289.64**	**5375.49**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	-
- जेबीआईसी के लिए	-	-
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	6.90	9.14
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	**6.90**	**9.14**
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	6.90	9.14

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
-	-	-

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 4

अन्य दीर्घावधि दायिताएं

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव: प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	26.09	27.86
कोयले पर सेस की वापसी	27.49	26.48
कुल	**53.58**	**54.34**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 5

दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	213.53	185.90
- कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ	218.88	193.27
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	12,036.04	9,912.51
खदान बंद करने का व्यय	431.26	315.43
अन्य के लिए		
अन्य के लिए	-	-
कुल	**12,899.71**	**10,607.11**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 6

अल्पावधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
सीआईएल एवं अन्य अनुषंगी कंपनियों पर शेष	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-

वर्गीकरण 1
सुरक्षित
असुरक्षित

वर्गीकरण 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	□ करोड़ में		गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य		शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 7

(₹ करोड़ में)

	भुगतान योग्य व्यापार	
	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
आपूर्ति हेतु विविध लेनदार		
राजस्व के लिए	275.27	280.29
कुल	**275.27**	**280.29**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 8

अन्य चालू दायिताएं :

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	-
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	-
लिभेर फ्रांस एसए, फ्रांस से आवधिक ऋण	0.50	0.61
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से अधिशेष निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.50	**0.61**
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	640.62	550.45
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	152.35	153.84
विद्युत एवं ईंधन	17.51	17.20
अन्य	44.71	79.08
	214.57	**250.12**
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	2.51	0.49
विक्रय कर/वैट	-	2.50
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	8.99	7.33
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	50.96	52.58
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	37.48	52.04
बालू भराई पर उत्पाद शुल्क	32.90	30.15
स्वच्छ ऊर्जा सेस	126.84	49.89
अन्य वैधानिक उगाही	-	0.11
	259.68	**195.09**
स्रोत पर आयकर में कटौती	3.06	5.94
प्रतिभूति जमा	81.06	63.87
बयाना राशि	17.96	15.44
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,837.92	1505.98
उधार पर प्रोद्धत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्धत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्स ऑनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	46.00	7.27
अन्य देयताएं	65.19	52.59
कुल	**3,166.56**	**2,647.36**

2015-16 के दौरान लिभेर फ्रांस को ऋण का पुनर्भुगतान 74113.58 यूरो 0.50 करोड़

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 9

अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	-	-
-छुट्टी नकदीकरण	19.82	18.73
- पीपीएलबी	81.20	67.11
- पीआरपी	271.24	232.19
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए	0.19	0.32
कुल	**372.45**	**318.35**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ

31मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -10 क

स्थिर परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	2.49	27.67	-	30.16	-		-	-	-	-	-	-	-	30.16	2.49
(ख) लीज होल्ड	1,849.34	449.83	(1.12)	2,298.05	381.86	73.25	(0.86)	454.25	-	-	-	-	454.25	1,843.80	1,401.31
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	489.74	21.76	(0.16)	511.34	169.24	10.22	15.83	195.29	0.34	-	-	0.34	195.63	315.71	320.16
यंत्र एवं संयंत्र	2,383.62	115.31	(43.23)	2,455.70	1,640.37	170.96	(53.33)	1,758.00	14.84	-	-	14.84	1,772.84	682.86	728.41
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	69.85	7.27	(0.14)	76.98	49.73	6.83	0.91	57.47	0.01	-	-	0.01	57.48	19.50	19.79
रेलवे साइडिंग	163.88	0.63	-	164.51	82.73	9.17	14.72	106.62	0.10	-	-	0.10	106.72	57.79	81.05
वाहन	28.12	4.63	(0.38)	32.37	19.38	(0.52)	0.22	19.08	0.01	-	-	0.01	19.09	13.28	8.73
दूरसंचार	34.79	1.70	0.01	36.50	12.47	3.82	0.01	16.30	-	-	-	-	16.30	20.20	22.32
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	190.11	11.38	-	201.49	75.91	13.90	31.53	121.34	0.37	-	-	0.37	121.71	79.78	113.83
सर्वेड-आफ परिसम्पत्तियां	21.68	1.82	(4.10)	19.40	13.01	0.10	(1.47)	11.64	-	-	-	-	11.64	7.76	8.67
कुल	**5,233.62**	**642.00**	**(49.12)**	**5,826.50**	**2,444.70**	**287.73**	**7.56**	**2,739.99**	**15.67**	**-**	**-**	**15.67**	**2,755.66**	**3,070.84**	**2,698.09**
गत वर्ष															
मूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	4,460.31	813.67	(40.36)	5,233.62	2,218.56	256.45	(30.31)	2,444.70	4.73	-	10.94	15.67	2,460.37	2,773.25	2,169.00
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ															
विकास	222.40	3.48	(0.28)	225.60	148.42	6.87	1.25	156.54	11.06	0.47	(0.04)	11.49	168.03	57.57	62.92
सॉफ्टवेयर	2.67	-	-	2.67	2.67	-	-	2.67	-	-	-	-	2.67	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	59.82	-	-	59.82	32.23	1.83	1.83	35.89	0.02	-	-	0.02	35.91	23.91	27.57
कुल	**284.89**	**3.48**	**(0.28)**	**288.09**	**183.32**	**8.70**	**3.08**	**195.10**	**11.08**	**0.47**	**(0.04)**	**11.51**	**206.61**	**81.48**	**90.49**
सकल जोड़	**5,518.51**	**645.48**	**(49.40)**	**6,114.59**	**2,628.02**	**296.43**	**10.64**	**2,935.09**	**26.75**	**0.47**	**(0.04)**	**27.18**	**2,962.27**	**3,152.32**	**2,788.58**
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	246.88	38.00	0.01	284.89	173.32	15.45	(5.45)	183.32	21.36	0.66	(10.94)	11.08	194.40	90.49	52.20

महानदी कोलफील्डस एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां

31मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -10 ख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ मे)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	**कुल मुल्यहास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि**	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	51.84	112.17	(17.00)	147.01	0.22	-	(0.13)	0.09	-	-	-	-	0.09	146.92	51.62
यंत्र एवं संयंत्र	244.76	138.75	(109.28)	274.23	11.60	0.70	-	12.30	-	-	-	-	12.30	261.93	233.16
रेलवे साइडिंग	38.47	5.49	(0.36)	43.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.60	35.84
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	1.65	2.82	(0.29)	4.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18	1.65
कुल	336.72	259.23	(126.93)	469.02	11.82	0.70	**(0.13)**	12.39	**-**	**-**	**-**	**-**	12.39	456.63	322.27
गत वर्ष															
कुल	297.50	235.08	(195.86)	336.72	10.88	0.96	(0.02)	11.82	-	-	-	-	11.82	324.90	286.62

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी -10 ग

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यहास /इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2015 के अनुसार	01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
विकास	146.62	59.09	(0.18)	205.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.53	109.25
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	126.88	6.50	-	133.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.38	100.24
कुल	**273.50**	**65.59**	**(0.18)**	**338.91**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**338.91**	**209.49**
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	274.12	27.51	(28.13)	273.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.50	218.25

टिप्पणी :

1. विकास में बसुन्धरा क्षेत्र में बाकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक के दो-लेन वाली सड़क को चौड़ा करके चार लेन बनाने के लिए राज्य प्राधिकारी के पास रु.39.43 करोड़ की राशि जमा की गई । यह राशि कंपनी की संपत्ति में शामिल नहीं है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -- 11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (₹)	31.03.2015 के अनुसार (₹ करोड़ में)	31.03.2014 को शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2014 को प्रति शेयर/बॉंड/ प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य	31.03.2014 के अनुसार (₹ करोड़ में)
व्यापार (अनुद्धत)						
8.5% कर मुक्त विशेष बांड(पूर्ण प्रदत्त) :						
(विविध देनदारों की सुरक्षा पर)						
प्रमुख राज्यवार वर्गीकरण						
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,860.00	1,000.00	11.38
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	113,160.00	1,000.00	11.31
अन्य	-	-	-	-	-	-
गैर व्यापार (उद्धत)						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉंड	20,000	100,000	200.00	20,000	100,000	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	1087537	1,000	108.75	1087537	1,000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	4999	1,000,100	499.95	4999	1,000,100	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉंड	1500000	1,000	150.00	1500000	1,000	150.00
कुल :			**958.70**			**981.39**
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग			-			-
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			978.68			967.99

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -- 12

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को सम वर्ष के अनुसा
अग्रिम:		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	513.97	336.47
- संदेहास्पद	0.55	0.61
	514.52	337.08
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.55	0.61
	513.97	336.47
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	37.24	37.22
- संदेहास्पद	-	-
	37.24	37.22
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	37.24	37.22
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	2.11	2.55
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	2.11	2.55
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.06	0.06
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.06	0.06
अन्य के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	2.17	**2.61**
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	**553.38**	**376.30**

टिप्पणी

1

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. पूंजी के लिए अग्रिम में रु.314.17 करोड़ शामिल है। यह दक्षिण पूर्व रेलवे को झारसुगुड़ा से सरडेगा(बसुंधरा क्षेत्र) तक रेलवे लाईन निर्माण के लिए दिए गए कुल अग्रिम रु.447.07 करोड़ का अंतर सीसीडीए अनुदान और अन्य समंजन हेतु न्यून रु.132.90 करोड़ है। रेलवे प्राधिकारी द्वारा दिए गए तुलनपत्र की तिथि तक उनके रिपोर्ट के अनुरसार रु.383.61 करोड़ का उपयोग हुआ है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -- 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
खदान बंद करने व्यय हेतु प्राप्ति योग्य	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	0.16	0.16
	0.16	0.16
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -- 14

चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	शेयर/ बॉड/ प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/ बॉड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	31.03.2015 के अनुसार (₹ करोड़ में)	शेयर/ बॉड/ प्रतिभूति की संख्या (31.03.2014)	प्रति शेयर/बॉड/प्रति भूति का अंकित मूल्य (31.03.2014)	31.03.2014 के अनुसार (₹ करोड़ में)
गैर-व्यापार(उद्धत)						
म्युचुअल फंड में निवेश						
केनारा रोबेको लिक्विड फंड	248,632.521	1,005.50	25.00	29,835.903	1,005.50	3.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	##########	1,003.25	101.00	##########	1,003.25	277.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	774,927.657	1,019.45	79.00	##########	1,019.45	373.00
यूनियन केबीसी	199,869.965	1,000.65	20.00	-	-	-
एलआईसी नोमूरा एमएफ लिक्विड फंड	-	-	-	-	-	-
व्यापार(अनुद्धत)						
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860.00	1000.00	11.38	113,860.00	1,000.00	11.39
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160.00	1000.00	11.32	113,160.00	1,000.00	11.32
कुल :			**247.70**			**675.71**
उद्धत निवेश का योग			225.00			653.00
अनुद्धत निवेश का योग			22.70			22.71
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			225.60			661.84

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -- 15

वस्तुसूची
(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन) **(₹ करोड़ में)**

		31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	386.79	418.53
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	-
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	**कोयला स्टॉक (निवल)**	**386.79**	**418.53**
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	89.61	98.28
	मार्गस्थ भंडार	0.85	2.28
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	17.24	14.84
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	**भंडार एवं पूर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)**	**73.22**	**85.72**
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	10.80	12.68
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	**कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक**	**10.80**	**12.68**
घ	प्रेस :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ड़	**केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**	0.69	0.68
च	**पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट कोयला**	4.91	4.91
	कुल (क से च तक)	**476.41**	**522.52**

टिप्पणी -15 का अनुलग्नक

(परिमाण लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

तालिका -क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.14 को प्रारंभिक स्टॉक	141.48	43804.86	-	-	141.48	43804.86
(ख) 5% से अधिक कमी	1.26	1,952.14	-	-	1.26	1,952.14
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	140.22	41,852.72			140.22	41852.72
2. वर्ष का उत्पादन	1,213.79	1,099,310.91	-	-	1213.79	1099310.91
3. उप जोड़ (1+2)	1,355.27	1,143,115.77	-	-	1,355.27	1,143,115.77
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,229.98	1,102,442.34	-	-	1229.98	1102442.34
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	131.15	-	-	0.05	131.15
कुल(क)	1,230.03	1,102,573.49	-	-	1230.03	1102573.49
5. व्युत्पन्न स्टॉक	125.24	40,542.28	-	-	125.24	40542.28
6. मापी गई	123.91	38,623.62	-	-	123.91	38623.62
7. अंतर (5-6)	1.33	1,918.66	-	-	1.33	1,918.66
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	1.03	269.20	-	-	1.03	269.20
(ख) 5% के भीतर कमी	1.17	325.03	-	-	1.17	325.03
(ग) 5% से अधिक		-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.19	1,862.83	-	-	1.19	1,862.83
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	124.05	38,679.45	-	-	124.05	38679.45

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका: ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	141.48	43,804.86	-	-	-	-	-	-	141.48	43,804.86
5% से अधिक कमी			1.26	1,952.14							1.26	1,952.14
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	140.22	41,852.72	-	-	-	-	-	-	140.22	41,852.72
उत्पादन	-	-	1,213.79	1,099,310.91	-	-	-	-	-	-	1,213.79	1,099,310.91
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,229.98	1,102,442.34	-	-	-	-	-	-	1,229.98	1,102,442.34
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.05	131.15	-	-	-	-	-	-	0.05	131.15
अंतिम स्टॉक	-	-	125.24	40,542.28	-	-	-	-	-	-	125.24	40,542.28
घटाव: कमी	-	-	1.19	1,862.83	-	-	-	-	-	-	1.19	1,862.83
अंतिम स्टॉक	-	-	124.05	38,679.45	-	-	-	-	-	-	124.05	38,679.45

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी -16

व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	143.18	30.27
- संदेहास्पद	41.38	34.72
	184.56	64.99
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	41.38	34.72
	143.18	30.27
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	304.12	268.12
- संदेहास्पद	-	-
	304.12	268.12
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	304.12	268.12
कुल	**447.30**	**298.39**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 17

नगद एवं बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	4,331.27	3,386.00
- चालू लेखा में	199.47	226.56
- नगद जमा लेखा में	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण	0.35	-
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.04	0.05
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा में	5,983.55	6,566.84
03 माह से अधिक परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना	425.42	248.86
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा		
कुल	**10,940.10**	**10,428.31**
वर्ष में किसी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	Nil	Nil
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जिन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	83.14	185.86
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जमा	426.96	250.29

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	195.36	273.28
- संदेहास्पद	2.10	2.28
	197.46	275.56
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.10	2.28
	195.36	273.28
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.29	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.29	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	0.29	-
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	5,737.42	3,210.71
घटाव : आयकर हेतु प्रावधान	3,557.86	1,892.54
	2,179.56	1,318.17
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	28.60	39.70
- संदेहास्पद	-	-
	28.60	39.70
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	28.60	39.70
	2,208.45	**1,357.87**
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	65.75	70.28
- संदेहास्पद	-	-
	65.75	70.28
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	65.75	70.28
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	556.36	441.41
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	0.20
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.51	0.51
- संदेहास्पद	-	-
	0.51	0.51
घटाव :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.51	0.51
पूर्व प्रदत्त व्यय	11.74	13.02
	634.36	**525.42**
कुल	**3,038.17**	**2,156.57**

टिप्पणी

1

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत की कंपनियों द्वारा देय				
- एमजेएसजे कोल लि.	6.04	3.74	6.04	3.74
-एमएनएच शक्ति लि.	0.63	5.16	0.63	5.16
- एमबीपीएल	13.40	10.81	13.40	10.81
पार्टियों द्वारा देय जिनमें कंपनी के निदेशक/निदेशकगण रूचि लेते हों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. सीआईएल में रु.184.55 करोड़ जमा धनराशि जिस पर 31.12.2014 तक ब्याज नहीं मिलता था मगर 01.01.2015 से ब्याज मिलना शुरू हुआ। इसलिए सीआईएल में रु.556.36 करोड़ की धनराशि पर ब्याज मिलता है।.

3. रु.195.36 करोड़ रुपए के राजस्व में अग्रिम धनराशि में अन्य ऋण तथा रेलवे को रेलवे साईडिंग की मरम्मत

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलन पत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी -19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-निवेश पर	33.29	42.43
- बैंकों में जमा पर	559.50	444.38
- अन्य पर	2.59	2.68
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा	230.88	156.66
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	230.88	156.66
अन्य	-	-
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	1.13	22.68
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-
	1.13	22.68
कुल	**827.39**	**668.83**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -20

संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
क	**कोयले का विक्रय**	14989.05	13114.20
	घटाव: उत्पाद शुल्क	679.56	617.16
	घटाव: अन्य उगाही		
	रॉयल्टी	1395.72	1290.85
	कोयले पर सेस	-	-
	स्टोइंग उत्पाद शुल्क	123.00	114.38
	केंद्रीय विक्रय कर	124.80	102.79
	स्वच्छ ऊर्जा सेस	1179.14	571.91
	राज्य विक्रय कर/वैट	404.16	368.02
	ओड़िशा प्रवेश कर	58.25	59.42
	कुल उगाही	**3,964.63**	**3,124.53**
	निवल विक्रय (क)	**11,024.42**	**9,989.67**
ख	कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार		
	बालू भराई तथा सुरक्षात्मक कार्य हेतु	-	0.88
	लोडिंग तथा अतिरिक्त परिवहन प्रभार पर अनुदान	704.66	583.02
	घटाव : उत्पाद शुल्क	39.71	33.12
	घटाव : अन्य उगाही	20.89	18.33
	अन्य संचालन राजस्व (ख)	644.06	532.45
ग	**संचालन से प्राप्त राजस्व (क + ख)**	11,668.48	10,522.12

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -21

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांस	-	-
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	3.38	5.31
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.72	70.75
चालू निवेश से आय		
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	54.98	43.40
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	-	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1123.14	1190.35
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.06	0.08
आयकर वापसी से	-	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	33.87	96.72
अन्य	8.06	3.70
शीर्ष प्रभार	-	-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.92	16.04
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	-	-
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	1.79	-
विनियम दर में अंतर	1.27	4.05
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	1.04	22.41
राइट बैक की देयता	-	-
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	75.91	58.07
अन्य-गैर संचालन आय		
कुल	**1,375.14**	**1,510.88**

टिप्पणी : अन्य गैर संचालन आय से तालचेर क्षेत्र के कोयला परिवहन रास्तों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की संविदा के निरस्त किए जाने पर जुर्माना रु.25.13 करोड़ रुपए शामिल हैं।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां

31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -22

खपत सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	113.64	122.40
लकड़ी	0.22	0.21
पीओएल	304.68	324.73
एचईएमएम पुर्जे	124.51	111.86
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	61.51	67.15
कुल	**604.56**	**626.35**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -23

तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	386.79	418.53
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
कुल (1)	386.79	418.53
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	418.53	460.38
घटाव : कोयले का क्षरण	-	
कुल (2)	418.53	460.38
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	31.74	41.85
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	10.80	12.68
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	10.80	12.68
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	12.68	7.37
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	12.68	7.37
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	1.88	(5.31)
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्ताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	**33.62**	**36.54**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी - 24

(₹ करोड़ में)

कर्मचारी हितलाभ व्यय

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1410.53	1319.84
अनुग्रह राशि	90.63	73.95
पीआरपी	38.93	48.41
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	186.30	176.09
उपदान	48.03	23.39
छुट्टी नकदीकरण	71.56	52.51
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0.01	0.79
कामगार क्षतिपूर्ति	0.55	(2.35)
वतेमान कमेचारियों के लिए चिकित्सा	38.79	29.42
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	1.26	17.24
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	21.85	28.18
खेल व मनोरंजन	5.48	4.17
कैंटीन व क्रैच	0.91	0.78
विद्युत - टाउनशिप	60.19	53.81
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.37	2.66
अन्य कमेचारी लाभ	18.71	12.40
कुल	**1,997.10**	**1,841.29**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -25

(₹ करोड़ में)

सीएसआर पर व्यय

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय	61.30	111.48
कुल	**61.30**	**111.48**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -26

(₹ करोड़ में)

मरम्मतें

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
भवन	66.39	61.72
संयंत्र एवं यंत्र	38.07	29.16
अन्य	3.17	2.70
कुल	**107.63**	**93.58**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -27

(₹ करोड़ में)

संविदात्मक व्यय

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन प्रभार :		
- बालू	-	-
- कोयला एवं कोक	981.81	904.12
- भंडार एवं अन्य आदि	-	0.04
वैगन लदाई	74.33	66.41
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	662.87	616.12
अन्य संविदात्मक कार्य	68.26	51.79
कुल	**1,787.27**	**1,638.48**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -28

(₹ करोड़ में)

वित्तीय लागत	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/3/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.08	0.09
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	1.16
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	1.36	12.06
कुल(क)	1.44	13.31
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	-	1.57
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	-	0.01
कुल(ख)	-	1.58
कुल (क+ख)	**1.44**	**14.89**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी - 29

(₹ करोड़ में)

प्रावधान

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/03/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध	6.66	13.70
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	2.40	0.57
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	115.41	70.12
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.70	0.96
अन्य	-	-
कुल (क)	**125.17**	**85.35**
(ख) रिटेन बैक के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.24	0.08
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	1.37	-
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल (ख)	**1.61**	**0.08**
कुल (क-ख)	**123.56**	**85.27**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी - 30

(₹ करोड़ में)

बट्टे खाते डालना

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/03/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -31

अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/03/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	13.28	14.10
- विदेशी	0.04	0.02
प्रशिक्षण व्यय	8.94	9.10
दूरभाष एवं डाक खर्च	3.07	2.76
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.79	3.70
भाड़ा प्रभार	0.08	0.08
डेमरेज	2.23	6.18
दान /अभिदान	0.06	0.01
सुरक्षा व्यय	57.29	51.25
सीआईएल का सेवा प्रभार	60.69	55.22
भाड़ा प्रभार	32.23	27.74
सीएमपीडीआई व्यय	20.29	22.88
विधिक व्यय	1.28	0.98
बैंक प्रभार	0.01	0.03
गेस्ट हाऊस व्यय	1.86	2.34
परामर्श प्रभार	1.18	1.08
अंडरलोडिंग प्रभार	16.38	10.41
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.74	0.54
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परिक्षा फीस	0.17	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के विधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.07	0.11
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.27	0.17
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.12	2.00
पुनर्वास प्रभार	73.81	68.61
रायल्टी एवं सेस	0.18	0.18
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(9.11)	(13.01)
किराया	0.82	2.51
दर एवं कर	35.61	20.37
बीमा	0.34	0.41
विनियम दर में अंतर से हानि	-	9.23
पट्टा किराया	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.51	1.95
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.29	0.10
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	42.76	10.26
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.05	0.03
संपत्ति कर	0.11	0.12
आर एंड डी व्यय	22.92	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण पर व्यय	12.78	13.96
विविध व्यय	70.75	29.75
कुल	**479.89**	**355.34**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च,2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी -32

(₹ करोड़ में)

पूर्वावधि समंजन

	31/3/2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31/03/2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	-	2.73
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	0.11	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	0.10
कुल (क)	**0.11**	**2.83**
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	7.85	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	1.01
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	2.48	-
कुल (ख)	**10.33**	**1.01**
कुल (क-ख)	**(10.22)**	**1.82**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा</u>:

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

1.1 प्राक्कलन उपयोग -

1.2 आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय प्रबंधन को कभी-कभी वह प्राक्कलन तथा धारणा बनानी होती है जो परिसंपित्तयों व देनदारियों की प्रतिवेदित राशि के साथ-साथ् वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की तारीख में आकस्मिक देयताओं को और राजस्व और व्यय की राशि के प्रकटीकरण को प्रभावित करता है । वास्तविक परिणाम प्राक्कलन से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे प्राक्कलन में किसी संशोधन को उसी अवधि में जिस में इसे निर्धारित किया गया है में स्वीकार की जाती है ।

2.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>:

2.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पत्तियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख को अव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

2.3 **<u>क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर सरकार से सहायिकी/अनुदान</u>**

2.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर एसएंडटी,पीआरई,ईएमएससी,सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त व परिसंपत्ति निर्माण में उपयोगित कतिपय अनुदान/निधि को परिसंपत्ति कोष के रूप में मानते हुए मूल्यह्रास को परिसंपत्ति कोष लेखा में नामे लिखा जाता है । अनुदान के माध्यम से बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व उन्हीं का होता है जिनसे अनुदान प्राप्त किया गया है ।

2.3.2 नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी के तौर पर प्राप्त अनुदान/निधि का प्राप्ति और संवितरण के आधार पर हिसाब रखा जाता है ।

3.0 **<u>स्थायी परिसंपत्तियां</u>:**

3.1 **<u>भूमि</u>:**

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण-लागत, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत व नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति हेतु उपगत खर्च शामिल है।

3.2 **<u>संयंत्र एवं यंत्र</u>:**

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 **<u>रेलवे साइडिंग</u>:**

संचालन के लंबित रहते हुए, रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकारियों को किए गए भुगतान पूंजी हेतु अग्रिम के अंतर्गत टिप्पणी 12- "दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" में दर्शाए गए हैं।

3.4 **<u>विकास</u>:**

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता हैः

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो,

-जो भी घटना पहले हो

4.0 **<u>पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च</u>:**

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लागातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक माल सूची में रखा जाता है।

5.0 **<u>निवेश</u>:**

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है।

गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, दीर्घावधि निवेश के मूल्य में, अस्थायी के ईतर, कमी आने पर जारी राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 **<u>वस्तु सूची</u>:**

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉक पर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा सफल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मिडलिंग्स और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 **<u>भंडार और पुर्जो</u>:**

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जों का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और क्षेत्रों के भंडारों में भंडार और पुर्जों (इसमें खुले पुर्जे भी शामिल हैं) के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जों की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है। उसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्रियों व केन्द्रीय चिकित्सालय में औषधियों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

6.2.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100 प्रतिशत की दर से और 5 वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जों के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

7.0 **मूल्यहास/ऋणमुक्ति:**

7.1 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर सीधी रेखा प्रणाली से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की दर निर्धारित की गई है । इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, जिनका मूल्यह्रास दर तकनीकी आधार पर आकलित उपयोगिता जीवनकाल के अनुसार किया गया है और जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में वर्णित परिकल्पना से कमतर है । ताकि अधिक सही और निष्पक्ष ह्रास दर वर्णित किया जा सके -

दूरसंचार उपकरण	:-	6 वर्ष और 9 वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:-	3 प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	3 प्रति वर्ष
डिजिटल संवर्धित कॉर्डलेस टेलीफोन	:-	3 प्रति वर्ष
प्रिंटर और स्कैनर	:-	3 वर्ष
भू विज्ञान संग्रहालय	:-	19 वर्ष
उच्च मात्रा के श्वसन धूल प्रतिदर्शक	:-	3 वर्ष
कतिपय उपकरण/एचईएमएम	:-	7 वर्ष व 6 वर्ष, जो भी लागू हो
एसडीएल (उपकरण)	:-	5 वर्ष
एलएचडी (उपकरण)	:-	6 वर्ष

7.2 अनुच्छेद 7.3 में वर्णित परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए उनकी मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में विचार किया गया है ।

7.3 परिसंपत्ति, नामश: कोयला-टब, वाइंडिंग-रोप, हॉलेज रोड, स्टोविंग पाइप, तथा सेफ्टी लैंप के मामलों में शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष निर्धारित किया गया है ।

7.4 वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों का, उनके जुड़ाव/निपटान के माह के अनुसार, यथानुपात मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, सिवाय अनुच्छेद-7.3 में दर्ज उन परिसंपत्तियों के, जिनकी उपयोगिता जीवनकाल एक वर्ष और अवशिष्ट मूल्य शून्य हो तथा जुड़ाव के वर्ष में उनका पूर्ण मूल्यहास किया जाता है। पूर्ण मूल्यहास लगने वाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाता है ।

7.5 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.6 पूर्वेक्षण, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया गया है।

7.7 सॉफ्टवेयर लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानते हुए इसका ऋणशोधन सीधी रेखा प्रणाली से तीन वर्षों या उपयोग करने की वैधता अवधि मे से जो भी कम हो के अनुसार शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित किया गया है ।

8.0 **परिसंपत्ति की हानि:**

परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 **<u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>**

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन के शेष पर तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर परिवर्तित किया जाएगा और संबंधित लेखों को समरुप प्रभाव दिया जाता है। वर्ष में पूर्ण लेन-देनों का समायोजन वास्तविक आधार पर किया जाता है।

9.2 भावी तारीख पर निपटान किए गए क्रास मुद्रा स्वैप विकल्प संविदाओं द्वारा आवृत लेन-देन को अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर माना जाता है। इस प्रकार की संविदाओं से उत्पन्न प्रभाव को निपटान की तारीख से लेखों में लिया जाता है।

10.0 **सेवा-निवृत्ति सुविधाएं/कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं:**

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खदान भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा हितलाभ योजना और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **आय और व्यय को मान्यता:**

आय और व्यय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.1 **विक्रय:**

क) विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सम्पत्ति जोखिम के प्रति अच्छी हो और स्वामित्व का प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित किया जाता हो।

ख) कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

ग) संग्रहण की उचित निश्चितता होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का निर्धारण करने पर राजस्व की मान्यता स्थगित की जाती है।

11.2 **लाभांश:**

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो।

12.0 **उधारी लागत:**

उधारी लागत, जो प्रत्यक्षत: योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण को अधिरोपित होता है, को पूंजीकृत किया गया है। अन्य उधारी लागत को ली गयी अवधि में खर्च के रुप में मान्यता दी गयी है।

13.0 **कराधान:**

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में उलटाव (रिवर्सल्स) की क्षमता रखता हो।

14.0 **प्रावधान:**

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन बनाया जाए। प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

15.0 **आकस्मिक दायिताएं:**

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

आकस्मिक दायिताओं को लेखा में नहीं लिया जाता है, इसे टिप्पणियों द्वारा दर्शाया जाता है।

16.0 **अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय:**

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है।

रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना में विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर हैः

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	**बदलाव की अनुमेय सीमा**	
	I	**II**
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 **पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय :**

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
टिप्पणी-34

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1.0. वित्तीय विवरणियां तैयार करने के आधार :

क) समेकन में प्रयुक्त एमसीएल और इसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरण मूल समूह की तारीख के अनुसार बनाई गई हैं।

ख) वित्तीय विवरण लेखे ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखा के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगियों के लेखे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं और भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर हैं।

2.0. समेकन के सिद्धांत:

2.1 समेकित वित्तीय विवरण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों-मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड और महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड से संबंधित हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण का लेखांकन परिसंपत्तियों, दायताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़कर, अयथार्थ लाभ अथवा हानि में परिणत अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतया हटाने के बाद इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक-21 के अनुसार 'समेकित वित्तीय विवरण' संयुक्त लाईन बाई लाईन है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सूचनात्मक प्रकटन के प्रयोजन और कंपनियों की समेकित स्थिति को बेहतर समझने के मार्गदर्शक के रूप में हैं। प्रयोजन को मान्यता देते हुए, समूह ने केवल उन नीतियों और व्यैक्तिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का प्रकटन किया है जो ओड़िशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और दायताओं को महानदी कोलफील्ड्स द्वारा लेने पर आवश्यक प्रकटन को उचित रूप से दर्शाते हैं।

3.0 लंबी अवधि उधार (टिप्पणी-3 एवं टिप्पणी-8):

3.1 इस ऋण की व्यवस्था बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एवं नेटेक्सिस बैंक्यू से क्रेडिट समझौता के आधार लीब्हेर, फ्रांस से पर 4 हाइड्रोलिक शॉवेल की खरीद के लिए की गई। ऋण बकाया 31.03.2015 को (पुनर्भुगतान के बाद निवल) 7.40 करोड़ (31.03.2014 को 9.75 करोड़) है। शेष का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बैंक	1.4.2014 को बकाया €.यूरो	31.3.2015 को समाप्त वर्षावधि में अदायगी €.यूरो	31.03.15 को बकाया €.यूरो	1.4.2014 को बकाया ₹करोड़ में	31.3.2015 को समाप्त वर्षावधि में अदायगी ₹करोड़ में	लिपि अंतरण में अंतर ₹ करोड़ में	31.03.15 को बकाया ₹करोड़ में
लेभियर	1179078.70	74113.58	1104965.12	9.75	0.56	-1.79	7.40
कुल	**1179078.70**	74113.58	**1104965.12**	**9.75**	**0.56**	**-1.79**	**7.40**

इसमें वर्ष 2015-16 के दौरान 0.50 करोड़ (गतवर्ष 0.61 करोड़) का पुनर्भुगतान राशि शामिल है।

4.0. स्थायी परिसंपत्तियाँ - टिप्पणी-10:

4.1 ग्रुप द्वारा कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला एवं कोयला खदान बचाव संगठन से विभिन्न परिसंपत्तियाँ एवं दायितायें ली गईं, जिनका मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी मात्रा एवं मूल्य को अंतिम रुप दिए जाने के बाद यदि कोई समंजन हो तो किया जाएगा।

4.2 पट्टेवाली भूमि में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि शामिल है। पट्टेवाली जमीन का अधिग्रहण कोयला धारण क्षेत्र (सीबीए) (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत किया गया एवं प्राप्त स्वीकृति/अनुमोदन के अनुसार जमीन के मालिकाना हक के स्थानान्तर के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर पूँजीकृत किया गया। भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बन्दोवस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि को राज्य प्राधिकारियों के दखल प्रमाणपत्र के आधार पर पूँजीकृत किया गया।

4.3 अधिकांश मामलों में भू-संपत्ति का समूह के पक्ष में हस्तांतरण दस्तावेज का निष्पान लंबित है।

4.4 आस्थगित जमा के मुकाबले स्थायी परिसंपत्तियों की वहन लागत में मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण ₹ शून्य करोड़ (31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि ₹ 4.06 करोड़) की सीमा तक वृद्धि हुई जो लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 9.1 के अनुसार है।

4.5 संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों में जो संयंत्र में स्थापना के लिए लम्बित हैं तथा भंडार में तीन वर्षों से अधिक समय से पड़ी है, चौथे वर्ष से मूल्यहास के बराबर का प्रावधान रखा गया है साथ ही जहां आवश्यक हो बट्टे खाते में डालने की औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। यदि संयंत्र एवं मशीनों की कोई मद भविष्य में उपयोग के लिए रखी गई है अर्थात बाद के लिए प्रावधान रखा गया है, प्रथम वर्ष के प्रयोग के लिए रखा गया मूल्यहास ही उस वर्ष का मूल्य हास है जिसमें उस मद के लिए किये गये प्रावधान शामिल होने के साथ-साथ मूल्यहास तथा उक्त प्रावधान के बीच लेखांकन का समंजन भी हो। 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान इस लेखा हेतु ₹0.70 करोड़ का प्रावधान रखा गया और कुल संचयी प्रावधान ₹ 12.30 करोड़ हुआ। (टिप्पणी-10 ख)।

5.0 गैर-चालू/चालू निवेश: (टिप्पणी-11 एवं टिप्पणी 14) :

5.1 वर्ष 2003-04 में राज्य विद्युत बोर्डों से हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत ग्रुप ने ₹344.32 करोड़ के नाम मात्र मूल्य का 8.5 प्रतिशत कर मुक्त पावरबॉड (अनुद्धृत लंबी अवधि के निवेश) प्राप्त किए है। यह 30.09.2001 को तीन राज्य विद्युत बोर्डों (एमएसईबी, टीएनईबी और डब्लूवीपीडीसीएल) से पुराने बकाये बाबत प्राप्त किया गया है।

विमोचन नहीं गये बॉडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

बांड्स का विवरण	01.4.2014 को प्रारंभिक बकाया	वर्ष के दौरान विमोचित	31.3.2015 को शेष बकाया
एमएसईबी	22.77	11.39	11.38
डब्लूवीपीडीसीएल	22.63	11.31	11.32
कुल	**45.40**	**22.70**	**22.70**

सभी बांडों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है।

₹ 22.70 करोड़ के बॉड 2015-16 में विमोचित होने बाकी हैं और इसे वर्तमान निवेश (टिप्पणी-14) में दिखाया गया है ।

5.2 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज के रुप में ₹ 3.38 करोड़ (31 मार्च, 2014 को समाप्त गत वर्ष में ₹ 5.31 करोड़) (टिप्पणी-21) की आय प्राप्त हुई है।

5.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) से प्राप्त 8.5% करमुक्त पावर बॉड के आंशिक व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

6.0. वस्तु सूची: (टिप्पणी-15):

6.1 भंडार एवं पुर्जे:

6.1.1 वर्ष के दौरान भंडार/पुर्जों की प्रत्यक्ष जांच के दौरान पाई गई कमी/अधिकता को लेखों में समायोजन किया गया है। 31.3.2015 को कुल संचयी प्रावधान 0.92 करोड़ (31.3.2014 को 0.88 करोड़) हुआ है।

6.1.2 भंडार एवं पुर्जे के मामले में कार्य-अक्षम/अप्रचलित मदों (वस्तुओं) और वे मद जो पांच वर्षों अधिक समय से स्थिर हैं, लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 6.24 के अनुसार क्रमश 100% एवं 50% का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 31.03.2015 के अनुसार संचयी प्रावधान ₹16.32 करोड़ (31.3.2014 को ₹13.96 करोड़) हुआ है। तथापि, हमने इस वर्ष बसुंधरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के संबंध में 10 वर्षों से अधिक व मरम्मत अयोग्य मदों के लिए 100% का आवश्यक प्रावधान किया है.

6.1.3 ग्रुप की लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.2.2 में यथा वर्णित) के अनुसार भंडार एवं पुर्जों का मूल्य निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया गया है। इससे उपगत लागत की निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना निवल वसूली योग्य मूल्य को निश्चित करने में कठिनाई के चलते न तो की गई न ही लेखा में समंजित की गई है।

6.1.4 ग्रुप में मात्र बसुंधरा क्षेत्र में कार्य-अक्षम/अप्रचलित भंडार सामग्रियों की पहचान की व्यवस्था की जानी बाकी है।

6.2 कोयले का स्टॉक (टिप्पणी-15):

6.2.1 आन्तरिक सर्वे आंकलन दल ने कोयले के भण्डार की प्रत्यक्ष जांच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दलों द्वारा भी जांच की गई है। कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच में पुस्तकीय स्टॉक (खदान/कोलियरीवार) से +/- 5% की कमी/अधिकता को लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.1) के अनुसार छोड़ दिया जाता है।

क्षेत्र	खान	पुस्तकीय स्टॉक (परिमाण लाख टन में)		मापित स्टॉक (परिमाण लाख टन में)		% अंतर	
		31.03.2015 को	**31.03.2014** को	**31.03.2015** को	**31.03.2014** को	**31.03.2015** को	**31.03.2014** को
ओरिएंट	खान नं.3	0.21	0.14	0.08	0.02	61.84	85.30
	एचबीएम	0.62	1.75	0.32	1.38	48.06	21.39
तालचेर	नंदिरा	1.12	0.57	0.62	0.07	44.97	87.51
	तालचेर	1.23	0.94	0.97	0.67	20.98	28.39
कुल		**3.18**	**3.40**	**1.99**	**2.14**	-	-

उन मामलों में, अंतर +/- 5% से अधिक होने के कारण लेखों में मापित स्टॉक पर ही विचार किया गया है तथा दिनांक 31.3.2015 को ₹18.63 करोड़ मूल्य के 1.19 लाख टन के अंतर

परिमाण (3.18 ला.ट. - 1.99 ला.ट.) को टिप्पणी-15-5% से अधिक कमी, के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

7.0 नगद एवं नगद समतुल्य (टिप्पणी-17):

नगद एवं बैंक जमा में निम्नलिखित शामिल हैं:

7.1 ₹66.74 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट भारतीय स्टेट बैंक के पास धारणाधिकार के तहत भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने हेतु आश्वासन पत्र जारी करने के लिए जमा किया गया है यह ब्लॉक के आबंटन की शर्तों को अनुषंगी ग्रुप मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की तरफ से पूरा करने के लिए किया गया है।

7.2 ₹1.54 करोड़ की विशेष मियादी जमा जिसमें ₹0.95 करोड़ अर्जित ब्याज शामिल है को माननीय जिला न्यायालय, सुंदरगढ़ के द्वारा एक अधिकारी द्वारा नगद की अनियमितता के मामले में वसूला गया, जो न्यायालय के ग्रहणाधिकार में है तथा मामले को अन्तिम रुप देना लंबित है।

7.3 वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर ठेका में मूल्य की भिन्नता के लिए न्यायालय के आदेश के तहत 6.68 करोड़ की वसूली की गयी जिसका स्थायी जमा किया गया है।

7.4 मेसर्स आईआरसी लोजीस्टिक्स लिमिटेड बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत किए गये स्थायी जमा ₹ 0.23 करोड़ शामिल है ।

7.5 स्थायी जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से कैप्टिव मोबाईल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस हेतु लाईसेंस प्राप्त करने के लिए बीजी जारी करने के लिए प्रावधानित 0.03 करोड़ शामिल है।

7.6 माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निर्देशानुसार मे.श्री इंटरप्राइजेस कोल सेल्स प्रा.लि. से वसूली गई ₹ 0.23 करोड़ स्थायी जमा में शामिल है।

7.7 माननीय उच्च न्यायालय, कटक के निर्देशानुसार ग्रुप द्वारा बीजी नकदीकरण के नामे मे.विडीयोंकॉन लिमिटेड को दी गई ₹ 7.89 करोड़ की अंतरिम राहत स्थायी जमा में शामिल है।

7.8 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और कोयला नियंत्रक के साथ करार करने के पश्चात खदान बंद करने के लिए रुपए 425.42 की राशि 3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित अनुसूचित बैंकों के एस्क्रो एकाउंट में जमा की गई है।

7.7 चालू खाता के शेष में करेंट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रुप से चालू खाता में स्थानांतरित किया गया है।

8.0 ऋण एवं अग्रिम चालू/गैर-चालू, अन्य परिसंपत्तियाँ:

8.1 ऋण एवं अग्रिम के शेष की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं हुई है।

8.2 ₹86.23 करोड़ (31.03.2014 को रुपए 86.23 करोड़) का जमा राज्य सरकार के पास भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमा किया गया है जो इसमें पूंजी के लिए अग्रिम 'टिप्पणी-12' में शामिल है तथा राज्य प्राधिकारी द्वारा ग्रुप को कब्जा दिए जाने पर इसे कंपनी द्वारा पूँजीकृत किया जाएगा।

9.0 अन्य लंबी अवधि दायिताएं टिप्पणी-4:

9.1 कोयल के सेस के तहत ओड़िशा सरकार से मूलधन के रुप में ₹8.40 करोड़ (भुगतान का निवल) और ब्याज के रुप में 9.47 करोड़ (भुगतान का निवल) प्राप्त हुआ। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.7.2001 के निर्णय पर दिए गए निर्देश के तहत हुआ। यह राशि उपभोक्ताओं को वापस दी जानी है। चालू वर्ष में कंपनी ने ₹1.01 करोड़ (गतवर्ष 1.01 करोड़)

अप्रदत्त सेस दायिता की मूल राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना के आधार पर प्रावधान किया है। इस तरह कुल दायिता 31.3.2015 को ₹27.49 करोड़ (31.03.2014 को ₹26.48 करोड़) हुई। ग्रुप उपभोक्ताओं/पार्टियों की पहचान नहीं कर पायी है जिन्हें यह राशि वापस दी जानी है। उपभोक्ताओं/पार्टियों को वापसी की पद्धति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है।

10. लाभ हानि लेखा का विवरण:

10.1.1 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.86 करोड़ (31.3.2014 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹0.95 करोड़) का प्रावधान भंडार में परिनिर्माणाधीन/स्थापनाधीन के लिए संयंत्र एवं मशीन मदों पर लागू मूल्यहास उनके खरीद/अधिग्रहण के चौथे वर्ष से, जो भी लागू हो, लिया गया है।

10.1.2 ग्रुप ने 25 मार्च,2013 को हुई अपनी 296 वीं बैठक में सीआईएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सीआईएल और अनुषंगियों के, क्रीड़ा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों के आयोजन और निष्पादन हेतु कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के कोर्पस के लिए ₹ 3.03 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 2.76 करोड़) की देयता का प्रावधान किया है।

10.1.3 ओबीआर समंजन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	**गतवर्ष**
कोयले पर प्रभारित व्यय	4048.31	3466.09
घटाव: उपगत व्यय	1924.78	2055.76
	2123.53	1410.33

10.1.4 दिनांक 01.4.2014 से कंपनी अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मूल्यह्रास की लेखांकन नीति में परिवर्तन हो गया है । इस परिवर्तन के कारण इस वर्ष का लाभ ₹ 33.38 करोड़ तक घट गया है।

10.1.5 इस वर्ष भूमि के लेखांकन नीति में परिवर्तन हुआ है, जैसे विस्थापित व्यक्ति के लिए रोजगार प्रदान को भूमि की लागत में पूंजीकृत किया गया है जिसे पूर्व में राजस्व के रूप में माना जाता था। इस के कारण इस वर्ष का लाभ में ₹ 81.56 करोड़ की वृद्धि हुई है।

11.0 आकस्मिक दायिताएं:

11.1 आकस्मिक दायिताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	**31.03.2015 को (राशि ₹ करोड़ में)**	**31.03.2014 को (राशि ₹ करोड़ में)**
ग्रुप के विरुद्ध मुकदमा	150.23	142.76
अन्य दावे	1726.84	1656.94
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	466.61	210.12
आय कर	1955.38	1139.30
विक्रय कर	105.15	124.05
पथ कर	0.00	47.05
लेटर ऑफ कम्फर्ट/क्रेडिट	120.94	270.29
कुल	**4525.15**	**3590.51**

11.2 निजी पार्टियों तथा अन्य से अधिग्रहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की वृद्धि के चलते कुछ दावे जिनके मामले में राशि सुनिश्चित नहीं है, न्यायालय में लंबित है।

11.3 रॉयल्टी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्टोविंग उत्पाद शुल्क में परिवर्तन का मामला चूंकि न्यालयाधीन है, ग्राहकों से इसकी वसूली के बारे में आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्णय और केस के परिणाम के पश्चात की जाएगी। केस के लंबित होते हुए आकास्मिक देयता ₹ 466.61 करोड़ (31.03.2014 को ₹ 210.12) करोड़ दर्शाई गई है।

11.4 अक्तूबर,2010 से ओड़िशा सिंचाई नियमावली 2010 में परिवर्तन के फलस्वरूप जल प्रभार दर में ₹ 0.40 से ₹ 4.50 प्रतिक्यू.मी. की वृद्धि हुई है । तदनुसार एमसीएल के जमा ₹ 34.48 करोड़ के समायोजन पश्चात ब्याज एवं अर्थदंड के तौर पर ₹ 250.14 करोड़ की निवल राशि की मांग की गई है जो न्यायाधीन है और इसे आकास्मिक देयता में दर्शाया गया है ।

11.5 संविदा की आंकलित राशि जिसे पूँजीगत लेखा में निष्पादित किया जाना है और जिस पर कार्य निष्पादन एवं मशीन तथा उपकरणों की खरीद के लिए अनुपलब्ध (शुद्ध अग्रिम) ₹ 893.37 करोड़ (31.3.2014 को ₹ 476.99 करोड़) रहा।

11.6 संविदा की आंकलित राशि जिसे राजस्व लेखा/अन्य वादाओं पर लगाया जाना है और इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह ₹ 4151.62 करोड़ (31.3.2014 को ₹ 3589.16 करोड़) है।

11.7 कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत कुछ जमीन के मामलों की दायिताएं अभिनिश्चित और स्वीकृत नहीं की गई है अत: इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

11.8 केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना की अनुपलब्धता की वजह से खान एवं खनिज संशोधिपत अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार पड़ने वाले प्रभाव पर लेखांकन में विचार नहीं किया गया है ।

12.0 चालू परिसम्पत्ति पर प्रभार (टिप्पणी-15 एवं टिप्पणी-16):

हाइपोथिकेशन की ज्वाइंट डीड दिनांक 16.12.2003 और कंपनी बोर्ड के संकल्प दिनांक 23.08.2011 के अनुसार सीआईएल कन्सेर्टियम बैंकों से कार्यरत पूँजी सुविधा प्राप्त करने हेतु बुक डेब्ट एवं वस्तुसूची के लिए ₹165.00 करोड़ का प्रभार बनाया गया है।

13.0 सेवा निवृत्ति हितलाभ :

13.1 **दिनांक 31.03.2014 को बीमांकित दायिता/प्रावधान का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	01.04.2014 को प्रारंभिक बीमांकित दायिता/ प्रावधान	वर्ष के लिए वृद्धियुक्त दायिता/ प्रावधान	एमसीएल ग्रुप फंड को वर्ष के अंत तक किए गए जमा/भुगतान	31.03.2015 को अंतिम बीमांकित प्रावधान/दायिता
ग्रेच्युटी	-16.38	48.14	-17.76	14.00
अर्जित छुट्टी	165.22	22.21	-	187.43
अर्द्ध वेतन छुट्टी	39.41	5.67	-	45.08
जीवन रक्षा योजना(लाईफ कवर स्कीम)	5.03	0.28	-	5.31

व्यवस्थापन भत्ता (अधिकारी)	0.26	0.01	-	0.27
व्यवस्थापन भत्ता (कर्मचारी)	14.68	0.61	-	15.29
सकल निजी दुर्घटना	0.11	-	-	0.11
छूट्टी यात्रा छूट (एलटीसी)	28.98	3.03	-	32.01
चिकित्सा सुविधा	54.77	2.96	-	57.73
खदान दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति	12.67	0.41	-	13.08
कुल	**304.75**	**83.32**	**-17.76**	**370.31**

13.2 ₹176.09 करोड़ के भविष्य निधि एवं अन्य निधियों (टिप्पणी-24) अंशदान में एनसीडीसी के पूर्व कर्मचारी को प्रदत्त रुपए 7.54 करोड़ शामिल है जिसे कर्मचारी हितलाभ व्यय,टिप्पणी 24, के अंतर्गत नगद आधार पर राजस्व में प्रभारित किया गया है।

13.3 कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन का प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा किया जाता है।

14.0 धारक समूह से संबंधित कारोबार:

14.1 टिप्पणी संख्या 31 के अनुसार सीआईएल का सेवा प्रभार ₹68.19 करोड़ (गतवर्ष दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में ₹62.04 करोड़) में सेवा कर शामिल है जिसे होल्डिंग समूह द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विदेशी संविदा, विपणन एवं कार्पोरेट सेवाओं के लिए प्रभार स्वरुप 01.07.1998 को हुए समझौते के आधार पर उगाही जाती है जैसा कि होल्डिंग समूह ने सूचना दी है।

14.2 प्रशिक्षण खर्च (टिप्पणी-31 अन्य खर्च) पर धारक समूह द्वारा भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान आईआईसीएम प्रभार बाबत वसूली गई राशि ₹6.06 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2014 को ₹5.52 करोड़) शामिल है।

14.3 दिनांक 12.2.2004 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 214वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार सीआईएल द्वारा गठित पुनर्वास निधि में कोयले के प्रेषण पर ग्रुप की ओर से ₹73.81 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गतवर्ष ₹68.61 करोड़) का प्रभार दिया गया।

14.4 दिनांक 24.9.2014 को आयोजित निदेशकों (वित्त) की समन्वयन बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुसंधान व विकास में व्यय को सीआईएल द्वारा अपनी अनुषंगियों में उनके वार्षिक कोयला उत्पादन के अनुपात में आबंटित किया गया । इस प्रकार टिप्पणी-31 में आरएंडडी व्यय ₹ 22.92 करोड़ दर्शाया गया है ।

15. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:

15.1 विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण के मूल्य में उतार-चढ़ा के पश्चात उक्त ऋण बाबत समूह के रुपये की दायिता में ₹ 1.79 करोड़ (31.03.2014 को ₹ 1.64 करोड़ की वृद्धि) की कमी हुई। इस कमी को स्थायी परिसंपत्तियों के वहन लागत के तौर पर ₹ 1.79 करोड़ तक (विनिमय दर में अंतर के कारण 31.03.2014 को ₹ 1.64 करोड़ की हानि) को "विनिमय दर में उतार चढ़ाव के हानि के रुप में टिप्पणी -31 में दर्शाया गया है।

16. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

16.1 **एएस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:** समूह ने स्टोइंग एवं बचाव अनुदान से आय के रुप में ₹ शून्य करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गतवर्ष ₹0.88 करोड़) की मान्यता दी है और दीर्घ अवधि अग्रिम पूँजी (टिप्पणी-12) से सीसीडीए की ₹66.19 करोड़ की अनुदान की कटौती की है।

16.2 **एएस-15 कर्मचारियों के लाभ के लिए लेखांकन**: समूह ने आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक-15 के अनुसार 31.03.2015 को कर्मचारियों के लाभ की दायिताओं को निर्धारित किया है।

निम्नलिखित घोषणाएं एएस-15 (संशोधित) के अनुसार ग्रेच्युटी के संबंध में निधि योजना के तहत की गई है।

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव	642.71
अधिग्रहण समायोजन	0.00
ब्याज लागत	48.60
गत सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	38.42
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	70.51
बाध्यता पर बीमांकित लाभ/हानि	20.47
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	679.69

योजना परिसम्पति के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	659.09
अधिग्रहण समंजन	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	52.73
अंशदान	17.76
प्रदत्त लाभ	70.50
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	6.61
वर्ष के अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	665.69

निधि की स्थिति दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	679.69
वर्ष के अंत में योजना का उचित मूल्य	665.69
निधि की स्थिति	-14.00
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायिताएं)	-14.00

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	38.42
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	48.60
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	52.73
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	13.86
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	48.15

बीमांकित पूर्वानुमान को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
सेवा निवृत्ति उम्र	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.50 %
मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	8.00 %
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	16.38
उपरोक्तानुसार व्यय	48.14
अंशदान	17.76
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	14.00
वर्ष के अन्त में अन्तिम निधि/प्रावधान	679.69

निम्नलिखित घोषणाएं एएस 15 (संशोधित) के तहत छुट्टी नगदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल)/(निधि रहित योजना) के संबंध में की गई है।

वर्तमान मूल्य की बाध्यताओं में बदलाव दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	204.63
अधिग्रहण समंजन	0.00
ब्याज लागत	15.67
पूर्व सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	41.79
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त हितलाभ	17.51
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-12.06
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	232.52

लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹.करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
चालू सेवा लागत	41.79
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	15.67
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	0.00
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-12.06
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	45.40

बीमांकित संभावनाओं को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
समय पूर्व सेवा निवृत्ति उम्र	60
पूर्व सेवा निवृत एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर 6 29 वर्ष से 45 वर्ष बीच 3 29 वर्ष से कम1
छूट दर	8.00%

मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति की वापसी	उपलब्ध नहीं
शेष कार्य जीवन	14 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2015 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	45.40
अंशदान	0.00
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	45.40
वर्ष के अंत में अन्तिम निधि/प्रावधान	232.52

एएस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट-ख की टिप्पणीः-

चूंकि योजना निधि रहित है अत: लाभ/हानि लेखा पर प्रभार निम्न पूर्वानुमानों पर आधारित है:-

1. गत लेखांकन तिथि के अनुसार पूर्व बाध्यताएं का प्रावधान किया गया है।
2. उपरोक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट लाभ प्रदान किया गया।
3. वर्तमान बाध्यताएँ चालू लेखांकन तिथि के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

16.3 **एएस-16: उधारी लागत:** ऐसी कोई उपयुक्त परिसंपत्ति नहीं, जिसके लिए समूह को ब्याज चुकाना पड़ा हो, अत: किसी उधारी लागत को पूँजीकृत नहीं किया गया।

16.4 **एएस-17- खंड रिपोर्टिंग:** समूह मुख्यत: केवल एक खंडीय व्यापार कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में लगी है। एएस-17 के तहत इसका अन्य कोई पहचान योग्य प्राथमिक खंड नहीं है जिसे चिन्हित किया जा सके।

16.5 **एएस-18- संबंधित पक्ष का उल्लेख:** राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से संबंध एवं लेन-देन का उल्लेख एएस-18 के तहत आवश्यक नहीं है।

16.6 **एएस-20: प्रति शेयर आमदनी**: प्रति शेयर आधारभूत आमदनी की गणना वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के बाकी समतुल्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। डाईल्यूटेड ईपीएस की गणना करने के लिए वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या को सभी डाईल्यूटेड पोटेंशियल इक्वीटी शेयरों के प्रभाव हेतु समंजित किया जाता है।

ईपीएस की गणना नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	**31.03.2015 का समाप्त चालू वर्ष**	**31.03.2015 को समाप्त गतवर्ष के अन्त में**
कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	3554.10	3624.30
सामान्य शेयर धारियों के प्रति आरोप्य लाभांश (₹ करोड़ में)	3554.10	3624.30
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सामान्य शेयरों की संख्या (संख्या)	1864009	1864009
सामान्य शेयरों का नाम मात्र मूल्य(₹)	1000	1000
प्रति सामान्य शेयर पर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आमदनी(₹)	19066.97	19443.58

16.7 **एएस-21 अनुषंगी कंपनियों में निवेश:**

प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरणियां लेखांकन मानक-21-आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणी की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की हैं। अल्पसंख्य ब्याज का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अनुषंगी कंपनियों के नाम	**पता**	**मूल कंपनी का धारण**	**निगमीकरण की तिथि**	**समेकित लेखों के अनुसार 31-03-2015 को अल्पसंख्य ब्याज (करोड़ में)**
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	70%	16.07.2008	25.53
एमजेएसजे कोल	मकान न. 42, प्रथम	60%	13.08.2008	38.07

लिमिटेड	तल, आनन्द नगर, हकीमपारा, अंगुल			
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	प्लाट न- जी-3, मंचेश्वर रेलवे कालोनी, भुबनेश्वर	100%	02.12.2011	-
कुल				**63.60**

सभी अनुषंगी कंपनियों विकास स्थिति में हैं।

16.8 **एएस-27: संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:**

समूह और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार के द्वारा 08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निर्गमन किया गया था। 31.03.2015 तक निर्गमन के लिए विविध खर्चों हेतु ₹0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹0.02 करोड़) खर्च किए हैं और उन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है (टिप्पणी-18)। संयुक्त उद्यम कंपनी में 31.03.2015 तक कोई निवेश नहीं है।

16.9 **एएस-28: परिसंपत्तियों की हानि:**

कोयला उद्योग में स्थायी परिसंपत्तियों को मुख्य शीर्ष जैसे- भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, एक्सप्लोरेशन, बोरिंग एवं विकास के तहत वर्गीकृत किया जाता है। भूमि एवं भवन के मामले में मूल्यांकन सार्वभौमिक रुप से उर्द्धवमुखी है। यदि भवन में कोई टूट-फूट न हो, तो इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यता नहीं है। इसी तरह संयत्र एवं मशीनरी के मामले में आरबीआई सूचकांक के अनुसार इसका मूल्य निम्नमुखी नहीं है, अंत: यदि परिसंपत्ति उपयुक्त न हो या इसमें कोई खराबी न हो तो उसे हानि के तहत दर्शाया नहीं जाएगा लेकिन घाटा देनेवाली भूमिगत खदानों में ऐकान्तिक प्रयोग के लिए निर्दिष्ट पुरानी मशीनों की हानि पर विचार किया गया है। कोयला उद्योग में लगातार घाटे में चलने एवं निकट भविष्य में उनके उद्धार की संभावना नहीं होनेवाली खदानों में पूर्वेक्षण, बेधन एवं विकास पर हुए खर्च को प्रथम दृष्टया हानि माना जा सकता है।

वर्ष के दौरान अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों (जिनका कोई वैकल्पिक प्रयोग मूल्य नहीं) के लिए ₹0.47 करोड़ (31.03.2014 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹0.66 करोड़) का प्रावधान रखा गया है। इस तरह 31.03.2015 को हानि के लिए ₹0.04 करोड़ के समायोजन पश्चात कुल संचयी प्रावधान ₹27.18 करोड़ (31.03.2014 को ₹26.75 करोड़) हुआ।

16.10 **लेखांकन मानक-29:**

16.10.1 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 55011-01-2009 सीपीएएम दिनांक 27.08.2009 और दिनांक 07.01.2013 के अनुसार समूह ने वर्ष क दौरान 22 खदानों के संबंध में केंद्रीय खदान आयोजना और डिजाईन संस्थान लिमिटेड द्वारा तैयार की गई खान बंद करने की योजना के आधार पर खदान बन्द करने के व्यय हेतु प्रावधान किया है। पूर्व में बोर्ड द्वारा अनुमोदित खान बंद करने की योजना के आधार पर भरतपुर ओसीपी, बेलपाहाड़ ओसीपी एवं कुलदा ओसीपी के लिए देयताएं की गणना की गई है ।

16.10.2 खदान बंद करने के व्यय के प्रावधान (टिप्पणी-5) में वर्तमान दायिताओं एवं प्रावधान का ₹5.06 करोड़ शामिल है जो देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल की सुदृढ़ता हेतु निर्धारित है। यह प्रावधान ₹9.44 करोड़ की एक विस्तृत योजना के तहत वेतन व एवं मजदूरी के अलावा वर्तमान वर्ष के अन्य खर्च शून्य करोड़ को समंजित करने के पश्चात (विभागीय मजदूरी एवं वेतन के ₹18.21 करोड़ को छोड़कर) रखा गया है। चूँकि देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल का सुदृढ़ीकरण, देउलबेरा कोलियरी के विभागीय कर्मचारियों द्वारा बालू भर कर किया जा रहा है, वेतन एवं मजदूरी बाबत ₹18.21 करोड़ को इस योजना का भाग होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

16.10.3 एएस-29 के तहत प्रावधान में गतिशीलता का विवरण:

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**प्रारंभिक शेष 1.4.2014 के अनुसार**	**चालू वर्ष के दौरान प्रावधान/योग**	**वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समंजन**	**31.03.2015 के अनुसार अंतिम शेष**
1	भूमि-सुधार हेतु प्रावधान	0.79	-	-	0.79
2	ओबीआर समंजन	9912.51	2123.53	-	12036.04
3	कराधान हेतु प्रावधान (संपति कर समेत)	1892.66	1697.67	-32.36	3557.97
4.	लाभांश हेतु प्रावधान	-	-	-	-
5.	खदान बन्द करने की योजना	314.64	115.83	-	430.47
6.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.72	6.66	-	41.38
7.	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2.89	-0.24	-	2.65
8	पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान	11.82	0.70	-0.13	12.39
9	भंडार एवं पूर्जों के लिए प्रावधान	14.84	2.40	-	17.24
10	परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	-	-	0.23

17.0 आमदनी पर कर का लेखांकन:

17.1 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान के तहत 1697.56 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2014 को ₹1837.38 करोड़) रखा गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के संपत्ति कर के लिए ₹ 0.11 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17.2 लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार 31.03.2015 को शुद्ध आस्थगित कर दायिताएं ₹122.90 करोड़ (31.03.2014 की दायिताएं ₹28.08 करोड़) है। आस्थगित कर दायिता/परिसंपत्तियों में समय के अंतरजनित कर का प्रभाव नीचे दिया गया है:

	दिनांक 31.03.2015 अनुसार (करोड़ में) (दायिता)	**31.03.2015 अनुसार (₹करोड़ में) (दायिता)**
आस्थगित कर दायिता:		
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार लिखित मूल्य से अधिक निवल ब्लॉक	-60.91	-14.84
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	10.41	8.14
कर्मचारियों के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान	-	-
छुट्टी नगदीकरण हेतु प्रावधान	66.16	56.41
उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रावधान	15.03	1.87
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.83	0.91
आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के तहत गैर-अनुमत	-11.13	16.11
भूमि की पुर्नः प्राप्ति	23.83	23.83
अन्य प्रावधान/विविध मद	-288.94	-150.19
उप जोड़	-183.81	-42.92
कुल	122.89	28.08
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (-)देयताएं (+)	**122.90**	**28.08**

18.0 सामान्य:

18.1 विविध देनदार, विविध अग्रिम एवं जमा आदि के बकाये की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं की गई है।

18.2 अत्यधिक लघु (माइक्रो), लघ एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 के तहत समूह ने आपूर्तिकर्त्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है अत: वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई राशि तथा इस पर दिए गये/देय ब्याज के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कोई सूचना नहीं दी जा सकी है।

18.3 पिछले वर्ष/वर्षो के ऑकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अधिक तुलनीय बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पुन: व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

19.0 अन्य:

क. निदेशकों का पारिश्रमिक: **(₹करोड़ में)**

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**
वेतन	1.09	1.11
भविष्य निधि	0.11	0.12
अनुलब्धियां	0.01	0.02
निदेशक की सिटिंग फीस	0.00	0.07
कुल	**1.21**	**1.32**

टिप्पणी:

I अनुलब्धियों में समूह के नियमानुसार वसूल किये जानेवाले आवास किराया/बिजली का मूल्य/प्रभार तथा समूह के अस्पताल/औषधालय में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

II लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 के अनुसार समय समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पास यह विकल्प है कि वे कार्यालयीन कार्य के अलावा स्टाफ कार को 750 कि.मी. प्रति माह की सीमा तक व्यवहार हेतु रियायत दर पर भुगतान कर सकते हैं।

ख. आयात **(₹करोड़ में)**

आयातित सामग्री का सीआईएफ का सीआईएफ मूल्य	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) कम्पोनेंट एवं पुर्जे	शून्य	2.89
(iii) पूँजीगत वस्तुएं	शून्य	8.76

ग. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹करोड़ में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**
(i) यात्रा	0.04	0.02
(ii) वचनबद्धता प्रभार	शून्य	शून्य
(iii) ब्याज	0.08	1.25
(iv) अन्य	शून्य	शून्य

घ. खपत किए गए आयातित/देशी कच्चा माल, भंडार एवं पुर्जों एवं कोम्पोनेंट का मूल्य:

विवरण	31.03.2015 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹करोड़ में)	प्रतिशत	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
आयातित	0.05	0.01	Nil	Nil
देशज	604.51	99.99	626.35	100.00
कुल	**604.56**	**100.00**	**626.35**	**100.00**

20.0. शीर्ष कार्यालय और नियंत्रक कंपनी को प्रभारित ब्याज प्रभार:

20.1. नियंत्रक कंपनी द्वारा लगाए गए शीर्ष कार्यालय प्रभार का कोयला उत्पादन के आधार पर राजस्व खदानों पर आबंटन किया गया है।

20.2. विशिष्ट परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए नियंत्रक कंपनी द्वारा ऋणों पर ब्याज का लेखांकन करार की शर्तों और उनके तदनुरूपी ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है।

21.0. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI में बदलाव (1.4.2011 से)

दिनांक 30.03.2011 को राजपत्र में अधिसूचना का अनुसरण करते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची- VI में तुलनपत्र के फार्मेट अनुसार संशोधित करते हुए लाभ-हानि लेखा के विवरण के फार्मेट को लागू कर दिया गया है।

संशोधित अनुसूची-VI के फार्मेट को इस लेखा को तैयार करने में लागू कर दिया गया है। संशोधित फार्मेट के साथ-साथ दिशा-निर्देश का पालन करते हुए तुलनपत्र में निम्नलिखित पृथक्कीरण किया गया है।

चालू परिसंपत्तियाँ:

किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति तब माना गया है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:-

इसको उपयोग किया जा सके, या बेचा जा सके या समूह के सामान्य कार्य व्यवहार में खपत किया जा सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में रखा जा सके।

रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका उपयोग किया जा सके।

अगर इसका बदलना प्रतिबंधित रहे तो यह नगद या नगद के समतुल्य होना चाहिए या निपटाने के योग्य, रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 माह के अंदर किसी दायिता को रहना चाहिए।

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ:

चालू परिसंपत्तियों के अलावे सभी परिसंपत्तियाँ गैर-चालू संपत्तियां हैं।

चालू दायिताएं:

उन दायिताओं को चालू दायिताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न में से किसी एक शर्त के पूरा करती है:-

यह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित हो सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में आ सके।

यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के अंदर व्यवस्थित की जा सके।

कंपनी के पास कोई शर्तविहीन अधिकार नहीं है कि वह दायिता की व्यवस्था को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक स्थगित कर सके/दायिता की शर्तें काउन्टर पार्टी के विचार इक्वीटी इंस्ट्रूमेंट जारी करने से व्यवस्थापना के परिणामस्वरुप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

गैर-चालू दायिताएं:

चालू दायिताओं के अलावे सभी दायिताएं गैर-चालू दायिताएं हैं।

कोई सामान्य प्रचालन चक्र न होने के कारण इसे 12 महीने की अवधि में कर ली गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
(ए.के.सिंह)	(बी.पी.घोष)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)
हस्ता/-	हस्ता/-
(के.के.परीडा)	(ए.एन.सहाय)
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता/-
(सीए एम.पी.महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य सं.-55113)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 20.05.2015

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियां
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)
क	प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**5,314.24**	**5,429.08**
	समायोजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	253.51	236.80
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.72)	9.23
	ओबीआर समायोजन	2,123.53	1,410.33
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,286.09)	(1,406.53)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	1.44	14.89
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि प्रावधान	232.56	189.63
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन से लाभ:	**6,638.47**	**5,883.43**
	समंजन:		
	वस्तुसूची में बदलाव	43.71	48.44
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	(155.57)	118.82
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(177.02)	5.48
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(63.64)	185.45
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	513.53	317.68
	संचालन से अर्जित नगद	**6,799.48**	**6,559.30**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,270.85)	(3,408.98)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**3,528.63**	**3,150.32**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल प्रवाह	**3,528.63**	**3,150.32**
ख	निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
	स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	(793.79)	(849.92)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	(114.95)	1,315.59
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	450.70	(594.29)
	प्राप्त ब्याज	1,231.11	1,363.13
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	54.98	43.40
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**828.05**	**1,277.91**
ग	वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	(109.88)
	आस्थागित जमा ऋण	(2.35)	1.03
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	0.72	(9.23)
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	वरीयता शेयर पूँजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(1.44)	(14.89)
	प्रदत्त लाभांश	(3,841.82)	(7,012.09)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(3,844.89)**	**(7,145.06)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	511.79	(2,716.83)
	वर्ष के प्रारंभ में नगद एवं नगद सतमुल्य	10,428.31	13,145.14
	अवधि के अन्त में नगद एवं नगद समतुल्य	**10,940.10**	**10,428.31**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि 508.56 करोड़ (दिनांक 31.03.2014 के अनुसार 434.72 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के पैरा 7.0 का संदर्भ लें) कंपनी के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

कृते निदेशक मंडल की ओर स

ह0/-
ए.के.सिंह
कंपनी सचिव

ह0/-
बी.पी. घोष
महाप्रबंधक(वित्त)

ह0/-
के. के. परिड़ा
निदेशक (वित्त)

ह0/-
ए.एन.सहाय
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

दिनांक : 20.05.2015
स्थान: भुवनेश्वर

सीए एमपी महापात्रा
भागीदार
(सदस्य संख्या 055113